196
10

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

(चौथा सत्र)

(खंड 9 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 1. सोमवार, 17 नवम्बर, 1980/26 कार्तिक, 1902 (शक)

विषय		
निधन सम्बन्धी उल्लेख	...	1-2
नये मंत्रियों का परिचय	...	3-4
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या 1,2,3 तथा 12	....	4-19
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या 4 से 11 तथा 14 से 20	...	20-35
अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 200	...	35-186
स्थगत प्रस्ताव के बारे में	...	186-194
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	...	194-202
सदस्य की गिरफ्तारी		
(श्री जार्ज फर्नान्डीस)	...	202
सदस्य की रिहाई		
श्री ए० के० राय	...	202-203
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		
विदेशियों के मामले पर असम में लगातार गतिरोध	...	203-233
श्री धनिक लाल मण्डल	...	203-228
श्री जैलसिंह	...	209-233
श्री बी. वी. देसाई	...	214-215
श्री सतीश अग्रवाल	...	215-221

किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह * इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा मे उसी सदस्य ने पूछा था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ... 22.-228
श्री हरिकेश बहादुर ... 230-2.3
विक्टोरिया स्मारक (संशोधन) विधेयक-पुरःस्थापित ... 233
नियम 377 के अधीन मामले
(एक) सी टी. ओ. के एक तार कर्मचारी की मृत्यु, जिसके कारण कर्मचारियों ने हड़ताल की, के कारणों की जांच की आवश्यकता.
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया ... 233-234
(दो) समर्थन मूल्यों पर धान की अपर्याप्त खरीद ... 234
श्री वी. राजगोपाल नायडू ... 234
(तीन) उत्तर प्रदेश में किसानों को बिजली उपलब्ध कराने के लिये किये गये उपाय ... 234
श्री जैनुल बशर ... 234
(चार) बन्दरगाहों से बिहार को उर्वरकों की ढुलाई के लिये तुरन्त रेलवे वैगन आबंटित करने की आवश्यकता ... 234
श्री रामावतार शास्त्री ... 234-235
(पांच) उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में मस्तिष्क ज्वर के फैलने को रोकने के उपायों तथा उसके रोगियों को राहत देने के बारे में ... 235
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री ... 235
(छः) उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला में कागज बनाने की फैक्टरी स्थापित करने की आवश्यकता ... 235
श्री हरीश कुमार गंगवार ... 235
श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम विधेयक पुरःस्थापित ...
विचार करने का प्रस्ताव
श्री शिवराज बी. पाटिल ... 236-237
एम. एम. लारेंस ... 237
श्री जेवियर अराक्कल ... 237-250
श्री रवीन्द्र वर्मा ... 239-240
श्री मूलचन्द डांगा ... 240-244
श्री रौतलाल प्रसाद वर्मा ... 244-245
प्रो. पी. जे. कुरियन ... 245-247

श्री के. ए. राजन ... 248-249
श्री ए. नीलोहिथादसन ... 249-252
श्री बापूसाहेब परुलेकर ... 252-254

खंड 2 से 33 तथा ।

पास करने का प्रस्ताव ... 258
श्री शिवराज वी. पाटिल ... 258

कार्य मंत्रणा समिति

आठवां प्रतिवेदन ... 258

लोक सभा के लिये निर्वाचित सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

सप्तम लोक सभा

अ

अंकिनीडू, श्री एम. (मछलीपटनम)
अंकिनीडू, प्रसाद राव, श्री पी. (बापतला)
अग्रवाल, श्री सतीश (जयपुर)
अजीत प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
अन्सारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)
अनवर अहमद, श्री (हापुड़)
अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद (बिलासपुर)
अप्पालानायडू, श्री एस. आर. ए. एस. (अनकापलल्ली)
अब्दुल समद, श्री (वैल्लोर)
अब्दुल्ला, डा. फारूक (श्रीनगर)
अब्बासी, श्री काजी जलील (डुमरिया गंज)
अमरीन्द्र सिंह, श्री (पटियाला)
अर्जुनन, श्री के. (धर्मपुरी)
अराकल, श्री जेवियर (एरणाकुलम)
अरुणाचलम, श्री एम. (टेंकासी)
अल्लूरी, श्री सुभाष चन्द्र बोस (नरसापुर)
अशफाक, हुसैन, श्री (महाराज गंज)
अहमद, श्री मोहम्मद असरार (बदायूं)
अहमद, श्री कमालुद्दीन (बारंगल)

आ

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)
आजमी, श्री ए. यू. (जौनपुर)
आजाद, श्री गुलाम नबी (वाशिम)
आजाद, श्री भागवत झा (भागलपुर)
आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)
आर्य, श्री कुम्भा राम (सीकर)

इ

इन्द्रवेश, स्वामी (रोहतक)
इन्द्राकुमारी, श्रीमती (अलीगढ़)
इम्बीचीबावा, श्री ई. के. (कालीकट)

ई

ईरा अनबारासु, श्री (चिंगलपट्टू)
ईरा मोहन, श्री (कोयम्बटूर)

उ

उइके, श्री छोटे लाल (मांडला)
उन्नीकृष्णन्, श्री के. पी. (बडागरा)
उरांव, श्री कार्तिक (लोहारडगा)

ए

एंथनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित-आंग्ल-भारतीय)
एक्का, श्री क्रिस्टोफर (सुन्दरगढ़)

ओ

ओडेदरा, श्री मालदेव जी. एम. (पोरबंदर)

क

कंडास्वामी, श्री एम. (तिरुचेंगोडे)
कर्ण सिंह, डा. (उधमपुर)
कमलनाथ, श्री (छिन्दवाड़ा)
कमला कुमारी, कुमारी (पलामू)
कर्मा, श्री लक्ष्मण (बस्तर)
करुणानिधि, श्री थाभाई. एम. (नागापट्टिनम्)
कनानिधि, डा. ए. (मद्रास मध्य)
कश्यप, श्री जयपाल सिंह (आँवला)
काजी सलीम, श्री (औरंगाबाद)
कादरी, श्री एस. टी. (शिमोगा)
कामाक्षैया, श्री डी. (नेल्लोर)
काहनडोल, श्री जैड. एम. (मालेगांव)
किदवई, श्रीमती मोहसिना (मेरठ)
कुचन, श्री गंगाधर एस. (शोलापुर)
कुंवर राम, श्री (नवादा)
कुसुम कृष्ण मूर्ति, श्री (अमालापुरम)
कुन्हम्बू, श्री के. (कन्नानौर)
कुरियन, प्रो. पी. जे. (मवेलीकारा)
कुलनदईवेलु, डा. वी. (चिद्म्बरम)
कृष्ण, श्री एस. एम. (माण्डया)
कृष्ण दत्त, श्री (शिमला)
कृष्णन्, श्री जी. वाई. (कोलार)
कृष्ण प्रताप सिंह, श्री (महाराजगंज)

कैयर भूषण, श्री (रायपुर)
कैलाशपति, श्रीमती (मोहनलाल गंज)
कोचक, श्री गुलाम रसूल (अनन्तनाग)
कोडियन, श्री पी. के. (अडूर)
कोसलराम, श्री के. टी. (तिरुचेन्डूर)
कौशल, श्री जगन्नाथ (चंडीगढ़)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)

ख

खां, श्री आरिफ मोहम्मद (कानपुर)
खाँ, श्री गयूर अली (मुजफ्फरनगर)
खाँ, श्री जुल्फिकार अली (रामपुर)
खाँ, श्री मलिक एम. एम. ए. (एटा)
खाँ, श्री महमूद हसन (बुलंदशहर)

ग

गंगवार, श्री हरीश कुमार (पीलीभीत)
गमावी, श्री भेरावदन के. (बनासकांठा)
गामित, श्री छीतूभाई (माण्डवी)
गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह (लुधियाना)
गहलोत, श्री अशोक (जोधपुर)
गांधी, श्रीमती इन्दिरा (मेडक)
गाडगिल, श्री वी. एन. (पुणे)
गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव (कोल्हापुर)
गायकवाड़, श्री आर. पी. (बड़ौदा)
गायत्री देवी, श्रीमती (कैराना)
गिरि, श्री सुधीर (कन्टई)
गिरिराज सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
गुफरान आजम, श्री (बेतुल)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (बसिरहाट)
गुलशेर अहमद, श्री (सतना)
गुलाम मोहम्मद खाँ श्री (मुरादाबाद)
गौजागिन, श्री एन. (बाह्य मणिपुर)
गोपालन, श्रीमती सुशीला (अलप्पी)
गोमांगो, श्री गिरिधर (कोरापुट)
गोयल, श्री कृष्ण कुमार (कोटा)
गोहिल, श्री जी. वी. (भावनगर)
गौंडर, श्री ए. सेनापति (पलानी)
गौडा, श्री एच. एन· नन्जे (हसन)

गौडा, श्री डी. एम. पुत्ते (चिकमगलूर)

घ

घोरपाड़े, श्री आर. वाई. (बेल्लारी)
घोष, श्री निरेन (दमदम)
घोष, श्रीमती विभा गोस्वामी (नवद्वीप)

च

चन्द्रपाल सिंह, श्री (अमरोहा)
चन्द्रशेखर, श्री (बलिया)
चन्द्रशेखर सिंह, श्री (बाँका)
चक्रधारी सिंह, श्री (सरगुजा)
चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन (कलकत्ता दक्षिण)
चटर्जी, श्री सोमनाथ (जादवपुर)
चतुर्भुज, श्री (झालावाड़)
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती (खजुराहो)
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी. वी. (दावनगेरे)
चरणजीत सिंह, श्री (दक्षिण दिल्ली)
चरण सिंह, श्री (बागपत)
चव्हाण, श्री यशवन्तराव (सतारा)
चव्हाण, श्री एस. बी. (नांदेड़)
चावडा, श्री ईश्वर भाई खोंडा भाई (आनन्द)
चिगयाग, श्री कोनयक (नागालैंड)
चिन्नास्वामी, श्री सी. (गोविचेट्टिलयम्)
चेन्नुपति, श्रीमती विद्या (विजयवाड़ा)
चौधरी, श्री ए. बी. ए. गनी खान (माल्दा)
चौधरी, श्री के. बी. (बीजापुर)
चौधरी, श्री चितुरी सुब्बाराव (एलुरु)
चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश (अमरावती)
चौधरी, श्री मनफूलसिंह (बीकानेर)
चौधरी, श्री मोतीभाई आर. (मेहसाना)
चौधरी, श्री सैफुद्दीन (कटवा)
चौधरी श्री त्रिदिव (बरहामपुर)
चौबे, श्री नारायण (मिदनापुर)
चौहान श्री फतेहभान सिंह (धार)

छ

छाँगुर राम, श्री (लालगंज)

ज

जगजीवन राम, श्री (सासाराम)
जगपाल सिंह, श्री (हरिद्वार)
जाखड़, श्री बलराम (फिरोजपुर)
जटिया, श्री सत्यानारायण (उज्जैन)
जाफर शरीफ, श्री सी. के. (वगलौर उत्तर)
जदेजा, श्री दौलतसिंह जी (जामनगर)
जमीलुर्रहमान, श्री (किशनगंज)
जयदीपसिंह, श्री (गोघरा)
जयनारायण रौत, श्री (सलूम्बर)
जायनल अबेदिन, श्री (जंगीपुर)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहजहाँपुर)
जेठमलानी. श्री राम (बम्बई उत्तर पश्चिम)
जेना, श्री चिंतामणि (बालासोर)
जैन, श्री निहाल सिंह (आगरा)
जैन, श्री भीकूराम (चाँदनी चौक)
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र (बाड़मेर)
जैनुल बशर, श्री (गाजीपुर)
जैल सिंह. श्री (होशियारपुर)

झ

झा, श्री कमलनाथ (सहरसा)
झा, श्री भोगेन्द्र (मधुबनी)
झारखंडेराय, श्री (घोसी)

ट

टन्डन, श्री प्रभुनारायण (दमोह)
टाईटलर, श्री जगदीश (दिल्ली सदर)
टुडु श्री मनमोहन (मयूरगंज)

ठ

ठाकुर, श्री शिवकुमार सिंह (खंडवा)

ड

डागा, श्री मूलचन्द (पाली)
डामोर, श्री सोमजी भाई (दोहद)
डूंगरसिंह श्री (हमीरपुर)
डेनिस, श्री एन. (नागरकोइल)
डोगरा, श्री गिरधारी लाल (जम्मू)

त

तपेश्वरसिंह, श्री (बिक्रमगंज)
तारिक अनवर, श्री (कटिहार)
तिरकी, श्री पीयूष (अलीपुरद्वार)
तिवारी, श्री के. के. (बक्सर)
तिवारी श्री चन्द्रभाल मणि (बलरामपुर)
तिवारी, श्री नारायण दत्त (नैनीताल)
तिवारी, श्री रामगोपाल (जंजगीर)
तुर, श्री लहनासिंह (तरनतारन)
तेइयेंग, श्री सोबेंग (अरुणाचल पूर्व)
तैयब हुसैन, श्री (फरीदाबाद)

थ

थामस, श्री स्कारिया (कोट्टायम)
थुंगोन श्री पी. के. (अरुणचल पश्चिम)
थोरट, श्री माऊसाहिब (पंढरपुर)

द

दंडवते, श्रीमती प्रमिला (बम्बई उत्तर मध्य)
दंडवते, प्रो. मधु (राजापुर)
दलबीर सिंह, श्री (शहडोल)
दलबीर सिंह, श्री (सिरसा)
दंडपाणि, श्री सी. टी. (पोल्लाची)
दामी, श्री अजीतसिंह (कैरा)
दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)
दास, श्री रेणुपद (कृषनगर)
दिग्विजय सिंह, श्री (सुरेन्द्रनगर)
दिगम्बर सिंह, श्री (मथुरा)
दुबे, श्री बिन्देश्वरी (गिरिडीह)
दुबे, श्री रामनाथ (बांदा)
देव, श्री वी. किशोरचन्द्र एस. (पार्वतीपुरम)
देव, श्री संतोष मोहन (सिल्चर)
देवराजन श्री बी. (रसिपुरम)
देवीलाल, श्री (सोनीपत)
देसाई, श्री बी. वी. (रायचूर)

घ

घोटे, श्री जाम्बुवंत (नागपुर)

न

नन्दी येल्लैया, श्री (सिद्दिपेट)

नगीना राय, श्री (गोपालगंज)
नगनगोम मोहेन्द्रा, श्री (आँतरिक मणिपुर)
नटराजन, श्री कुमबुम एन. (पेरियाकुलम)
नाईक, श्री सरूपसिंह हिरया (नानदरबार)
नागरत्नम श्री टी. (श्रीपेरंबदूर)
नामग्याल, श्री पी. (लद्दाख)
नायर, श्री बी. के. (क्विलोन)
नायकर, श्री डी के. (धारवाड उत्तर)
नायक, देवराय श्री जी. (कनारा)
नायक, श्री मृत्युंजय (फूलबनी)
नायडू, श्री पी. राजगोपाल (चित्तूर)
नारायण, श्री के. एस. (हैदराबाद)
नहटा, श्री बी. आर. (मन्दसौर)
निखरा, श्री रामेश्वर (होशंगाबाद)
निहाल सिंह, श्री (चन्दौली)
निहालसिंह, वाला श्री जी. एस. (संगरूर)
नीलालोहिथासन, श्री ए. (त्रिवेन्द्रम)
नेगी, श्री टी. एस. (टिहरी गढ़वाल)
नेताम, श्री अरविन्द (काँकेर)
नेहरू, श्री अरुण कुमार (रायबरेली)

प

पंडित, डा. बसन्त कुमार (राजगढ़)
पटनायक, श्री जानकी वल्लव (कटक)
पटनायक, श्री बीजू (केन्द्रपाड़ा)
पट्टाभिरामा राव, श्री एस. बी. पी. (राजामुन्द्री)
पत्तुस्वामी, श्री डी. (वन्डावाशी)
पटेल, श्री अमृत (गाँधीनगर)
पटेल, श्री अहमद मोहम्मद (भड़ौच)
पटेल, श्री उत्तमभाई एच. (बलसार)
पटेल, श्री सी. डी. (सूरत)
पटेल, श्रीं मोहन भाई (जूनागढ़)
पटेल, श्री शान्तुभाई (साबरकंठा)
पदायाची, श्री एस. एस. रामास्वामी (तिडीनिम)
पनिका, श्री राम प्यारे (राबर्टसगंज)
पदमार, श्री हीरालाल आर. (पाटन)
पराशर, प्रो. नारायण चन्द्र (हमीरपुर)
परुलेकर, श्री बापूसाहिब (रत्नागिरि)

पलानीअप्पन, श्री सी. (सलेम)
पवार, श्री बालासाहिब (जालना)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ (बयाना)
पाइलट, श्री राजेश (भरतपुर)
पाटिल, श्री ए. टी. (कोलाबा)
पाटिल, श्री चन्द्र भान आठरे (अहमदनगर)
पाटिल, श्री बसन्तराव (सगाँली)
पाटिल, श्री विजय एन. (इरन्दोल)
पाटिल, श्री शिवराम वी. (लातूर)
पाटिल, श्री शंकरराव (बारामती)
पाटिल, श्री उत्तमराव (यवतमाल)
पाटिल, श्री बालासाहिब विखे (कोपरगांव)
पाटिव, श्री बीरेन्द्र (बागलकोट)
पाठक, श्री आनन्द (दार्जिलिंग)
पांडे, श्री कृष्णचन्द्र (खलीलाबाद)
पाँडे, श्री केदार (बेतिया)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पार्थसार्थी, श्री पी. (राजमपेट)
पारधी, श्री केशवराव (भडारा)
पाल, प्रो. रूपचन्द (हुगली)
पासवान, श्री राम विलास (हाजीपुर)
पुजारी, श्री जनार्दन (मंगलौर)
पुलैया, श्री दारूर (अनन्तपुर)
पुष्पादेवी सिंह, कुमारी (रायगढ़)
प्रधानी, श्री के. (नौरंगपुर)
प्रभु, श्री आर. (नीलगिरि)
प्रसन्न कुमार, श्री एस. एन. (चिकबल्लापुर)
प्रेमी, श्री मंगलराम (बिजनौर)
पेंचालैया, श्री पसाला (तिरुपति)
पोटदुखे, श्री शान्ताराम (चन्द्रपुर)

फ

फर्नांडीज, श्री ग्रोस्कर (उदीपी)
फर्नांडीज, श्री जार्ज (मुजफ्फरपुर)
फुलवारिया, श्री विरदा राम (जालोर)
फैलीरो, श्री एडुआर्डो (मारमागाओ)

ब

बनातवाला, श्री जी. एम. (पोन्नानी)
बन्सीलाल, श्री (भिवानी)

बर्मन श्री पलाश (बलूरघाट)
बखा, श्री बनवारीलाल (टोंक)
बरवे, श्री जे. सी. (रामटेक)
बार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर (फरीदकोट)
बरोट, श्री मगनभाई (अहमदाबाद)
बहेरा, श्री राम बिहारी (कालाहांडी)
बसु, श्री चित्त (बारसाट)
बसु, श्री ज्योतिर्मय (डायमंड हार्बर)
बागड़ी, श्री मनीराम (हिसार)
बागुन, सुम्बरुई श्री (सिंहभूम)
बाजपेयी डा. राजेन्द्र कुमारी (सीतापुर)
बालन, श्री ए. के. (ओट्टापालम)
बालानन्दन, श्री ई. (मकुन्दपुरम)
बालेश्वर राम, श्री (रोमेड़ा)
बीरबल, श्री (गंगानगर)
बीरेन्द्र सिंह राव, श्री (मेहेन्द्रगढ़)
बूटासिंह, श्री (रोपड़)
बृजेन्द्र पाल सिंह, श्री (सम्भल)
बैठा, श्री डूमरलाल (अररिया)
बैरो, श्री ए. ई. टी. (नामनिर्देशित-आंग्ल-भारतीय)
बोड्डेपल्ली, श्री राजगोपालराव (श्रीकाकुलम)

भ

भक्त, श्री मनोरंजन (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह)
भगत, श्री एच. के. एल. (पूर्व दिल्ली)
भगत, श्री वी. आर. (सीतामढ़ी)
भगवान देव, आचार्य (अजमेर)
भट्टाचार्य, श्री सुशील (बर्दवान)
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भारद्वाज, श्री परसराम (सारंगढ़)
भीखा भाई, श्री (बांसवाड़ा)
भीमसिंह, श्री (झुन्झुनु)
भूरिया, श्री दिलीप सिंह (झाबुआ)
भोई, डा. कृपासिंधु (सम्बलपुर)
भोये, श्री रेशमा मोतीराम (धुले)
भोले, श्री आर.आर. (बम्बई दक्षिण-मध्य)

म

मकवाना, श्री नरसिंह (ढंढुका)
मण्डल, श्री मकुन्द (मथुरापुर)

मण्डल, श्री सनत कुमार (जयनगर)
मण्डल, श्री धनिकलाल (झंझारपुर)
मणि, श्री के. बी. एस. (पेरम्बलूर)
मधुकर श्री कमला मिश्र (मोतीहारी)
मन्नीलाल, श्री (हरदोई)
माधुरी सिंह, श्रीमती (पुर्णिया)
मालन्ना, श्री के. (चित्रदुर्ग)
मावणि, श्री रामजी भाई (राजकोट)
मलिक, श्री लक्ष्मण (जगतसिंहपुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (महबूबनगर)
मसुदल हुसैन, श्री सैयद (मुर्शिदाबाद)
महन्ती, श्री बृजमोहन (पुरी)
महाजन, श्री वाई. एस. (जलगाँव)
महाजन, श्री विक्रम (काँगड़ा)
महाटा, श्री चित्त (पुरुलिया)
महाबीर प्रसाद, श्री (बाँसगाँव)
महालगी, श्री आर. के. (ठाणे)
महाला, श्री आर. पी. (दादरा तथा नगर हवेली)
महेन्द्र प्रसाद, श्री (जहानाबाद)
माने, श्री आर. एस. (इचलकरांजी)
मायातेवर, श्री के. (डिन्डिगल)
मार्तण्डसिंह, श्री (रीवा)
मल्लु, श्री अनन्त रामुलु (नगरकुरनूल)
मिश्र, नित्यानन्द (बोलनगीर)
मिश्र, श्री राम नगीना, (सलेमपुर)
मिश्र, श्री सत्यगोपाल (तामलुक)
मिश्र, श्री हरिनाथ (दरभंगा)
मिश्र, श्री गार्गीशंकर (सिवनी)
मीणा, श्री राम कुमार (सवाई माधोपुर)
मिर्धा, श्री नाथू राम (नागौर)
मुखर्जी, श्रीमती गीता (पसकुरा)
मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)
मुखोपाध्याय, श्री आनन्दगोपाल (आसनसोल)
मुजफ्फर हुसैन, श्री सैयद (बहराइच)
मुबारक शाह, श्री ख्वाजा (बारामूला)
मुत्तेमवार, श्री विलास (चिमूर)
मुथुकुमारन, श्री आर. (कुड्डालोर)
मुन्डाकल, श्री जार्ज जोसफ (मुवतुपुजा)

मुरुगैययन, श्री एस. (तिरुपत्तूर)
सुल्तान सिंह, चौधरी (जलेसर)
मूर्ति, श्री एम. बी. चन्द्रशेखर (कनकपुरा)
मूर्ति, श्री एम. राजशेखर (मैसूर)
मेहता, प्रो. अजित कुमार (समस्तीपुर)
मेहता, डा. महपति राय एम. (कच्छ)
मैत्रा, श्री सुनील (कलकत्ता उत्तर पूर्व)
मोतीलाल सिंह, श्री (सीधी)
मोदक, श्री विजय (आरामबाग)
मोरे, श्री रामकृष्ण (खेड़)
मोहम्मद इस्माइल, श्री (बैरकपुर)
मोहिते, श्री यशवन्तराव (कराड़)
मोहसिन, श्री एफ. एच. (धारवाड़ दक्षिण)

य

याजदानी, डा. गोलाम (रायगंज)
यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ़)
यादव, श्री छोटे सिंह (कन्नौज)
यादव, श्री डी. पी. (मुंगेर)
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद (मधपुरा)
यादव, श्री आर. एन. (परभणी)
यादव, श्री रामसिंह (अलवर)
यादव, श्री विजय कुमार (नालन्दा)
यादव, श्री सुभाष चन्द्र (खरगोन)
युसुफ, श्री मोहम्मद (सिवान)

र

रंगा, प्रो. एन. जी. (गुन्टूर)
रवाणी, श्री नवीन (अमरेली)
रशीद मसूद, श्री (सहारनपुर)
रहीम, श्री ए. ए. (चिरयिन्किल)
राउत, श्री भोला (बगहा)
राकेश, श्री आर. एन. (चैल)
राजदा, श्री रत्नसिंह (बम्बई दक्षिण)
राजन, श्री के. ए. (त्रिचूर)
राजामल्लू, श्री के. (पेद्दापल्लि)
राजू, श्री पी. बी. जी. (बोबिली)
राजेश कुमार सिंह, श्री (फिरोजाबाद)
रणजीत सिंह, (चतरा)

रणवीर सिंह, श्री (केसरगज)
रथ, श्री रामचन्द्र (आस्का)
राठवा, श्री अमरसिंह (छोटा उदयपुर)
राठौर, श्री उत्तम (हिंगोली)
राणे, श्रीमती संयोगिता (पाणाजी)
राम अवध, श्री (अकबरपुर)
रास, श्री राम स्वरूप (गया)
रामकिंकर, श्री (बाराबंकी)
रामलिंगम, श्री एन. कुदन्तई (मयूरम)
रामामूर्ति, श्री के. (कृष्णगिरि)
रामुलू, श्री एच. जी. (कोप्पल)
राय, श्री ए. के. (धनबाद)
राय, श्री एम. रामन्ना (कासरगोड)
राय, श्री रामायण (देवरिया)
राय, डा. सरदीश (बोलपुर)
राय, श्रीमती सहोदराबाई (सागर)
राय प्रधान, श्री अमर (कूच बिहार)
राव, श्री एम. एस. संजीवी (काकीनाडा)
राव, श्री एम. सत्यनारायण करीमनगर)
राव, श्री जगन्नाथ (बरहामपुर)
राव, श्री जलगंम कोन्डाला (खम्मम)
राव, श्रीमती वी. राघवाई आनन्द (भद्राचलम)
राव, श्री एम. नागेश्वर (तेनालि)
राव, श्री पी. वी. नरसिंह (हनमकोंडा)
रावत, श्री हरीश चन्द्रसिंह (अलमोड़ा)
राही, श्री रामलाल (मिसरिख)
रियान, श्री बाजूबन (त्रिपुरा पूर्व)
रेड्डी, श्री एम. रामगोपाल (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री के. ओबुल (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री के. ब्रह्मानन्द (नरसारवपेट)
रेड्डी, श्री के. विजय भास्कर (कुरनूल)
रेड्डी, श्री जी. एस. (मिरयालगुडा)
रेड्डी, श्री जी. नरसिम्हा (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री टी. दामोदर (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री पी. वायपा (हिन्दुपुर)
रेड्डी, श्री पी. वेंकट (ओंगोल)
रोथुआमा, डा. आर. (मिजोरम)

ल

लकप्पा, श्री के. (टुमकुर)
लक्ष्मनन् श्री जी. (मद्रास उत्तर)
लास्कर श्री निहार रंजन (करीमगंज)
लारेंस श्री एम. एम. (इदुक्की)

व

व्यास, श्री गिरधारी लाल (भीलवाड़ा)
वर्मा श्री चन्द्रदेव प्रसाद (आरा)
वर्मा, श्री जयराम (फैजाबाद)
वर्मा, श्री फूलचन्द (शाजापुर)
वर्मा, श्रीमती ऊषा (खेरी)
वर्मा, रघुनाथ सिंह (मैनपुरी)
वर्मा, श्री रवीन्द्र (बम्बई उत्तर)
वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद (कोडरमा)
वर्मा, श्री शिवशरण (मछलीशहर)
बाघ, डा. प्रताप (नासिक)
बाजपेयी, श्री अटल बिहारी (नई दिल्ली)
वाल्मिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र (बुलढ़ाना)
विजयराघवन, श्री बी. एस. (पालघाट)
वीरभद्रसिंह, श्री (मण्डी)
विश्वास, श्री अजय (त्रिपुरा पश्चिम)
वेंकटरामन, श्री आर. (मद्रास दक्षिण)
वेंकटमुब्बया, श्री पी. (नन्दयाल)
वेलु, श्री ए. एम. (अर्कोनम)
वैराले, श्री मधु सूदन (अकोला)

श

शंकरानन्द, श्री बी. (चिकोड़ी)
शक्तावत, प्रो. निर्मला कुमारी (चित्तोड़गढ़)
शनमुगम, श्री पी. (पांडिचेरी)
शमन्ना, श्री टी. आर. (बंगलौर दक्षिण)
शर्मा, श्री कालीचरण (भिण्डे)
शर्मा, श्री चिरंजीलाल (करनाल)
शर्मा, श्री नन्द किशोर (बालाघाट)
शर्मा, श्री नवल किशोर (दौसा)
शर्मा, श्री प्रताप भानु (विदिशा)
शर्मा. श्री सुन्दर (जबलपुर)
शर्मा, श्री विश्वनाथ (झाँसी)

शर्मा, डा. शंकरदयाल (भोपाल)
शाक्य, श्री दयाराम (फर्रुखाबाद)
शाक्य, श्री रामसिंह (इटावा)
शाक्यवार, श्री नाथुराम (जालौन)
शास्त्री, श्री धर्मदास (करोलबाग)
शास्त्री, श्री राजनाथ सोनकर (सैदपुर)
शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)
शास्त्री, श्री हरिकृष्ण (फतेहपुर)
शिगडा, श्री डी. बी (दहानू)
शिवप्रकाशम, श्री डी. एस. ए. (तिरुनेलवेली)
शिवशंकर, श्री पी. (सिकन्दराबाद)
शिवेन्द्र बहादुर सिंह श्री (राजनन्दगांव)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (महासमुन्द)
शेजवलकर, श्री एन. के. (ग्वालियर)
शैलानी, श्री चन्द्रपाल (हाथरस)
श्री निवास प्रसाद, श्री वी. (चामराजनगर)

ष

षडंगी, श्री रुद्र प्रताप (जमशेदपुर)

स

सखवार, श्री आशकरन (घाटमपुर)
सगमा, श्री पी. ए. (तुरा)
सईद, श्री पी. एम. (लक्षदीप)
सज्जन, कुमार, श्री (बाह्य दिल्ली)
सत्यदेवसिंह, प्रो. (छपरा)
सतियेन्द्रन, श्री एम एस. के. (रामनाथपुरम)
सतीश प्रसाद सिंह, श्री (खगरिया)
समीनुद्दीन, श्री (गोड्डा)
साठे, श्री वसन्त (वर्धा)
सारण, श्री दौलतराम (चुरू)
सावंत, श्री टी. एम. (उस्मानाबाद)
साहा, श्री अजित कुमार (विष्णुपुर)
साहा, श्री गदाधर (बीरभूम)
साही, श्रीमती कृष्णा (बेगूसराय)
साहू, श्री नारायण (देवगढ़)
साहू, श्री शिवप्रसाद (रांची)
सिंगारावाडोवेल, श्री एस (तंजावुर)
सिंधिया, श्री माधवराव (गुना)

सिन्हा, श्रीमती किशोरी (वैशाली)
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी (शिवहर)
सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)
सिंह, श्री धर्मवीर (बाढ़)
सिंह, श्री सी. पी. एन. (पदरौना)
सिंह, श्री डा. बी. एन. (हजारीबाग)
सिंह, श्री धर्मगंज (शाहबाद)
सिंह, श्री बी. डी. (फूलपुर)
सिंह, श्री के. पी. (ढेंकानाल)
सिदनाल, श्री एस. बी. (बेलगाम)
सुखवन्स कौर, श्रीमती (गुरदासपुर)
सुखाड़िया, श्री मोहन लाल (उदयपुर)
सुन्दरराजन, श्री एन. (शिवकासी)
सुन्दरसिंह, श्री (फिल्लौर)
सुब्बा, श्री पी. एम. (सिक्किम)
सुब्बुरमण, श्री ए. जी (मदुरै)
सूरजभान, श्री (अम्बाला)
सूर्यनारायण, सिंह श्री (बलिया)
सूर्यवंशी, श्री नरसिंह (बीदर)
सेट श्री इब्राहीम सुलेमान (मजेरी)
सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)
सेठी, श्री पी. सी. (इन्दौर)
सेन, श्री एस. के. (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)
सेन, श्री सुबोध (जलपाईगुड़ी)
सेबस्तिान, श्री एस. ए. दोराई (करूर)
सेलवाराजू, श्री एन. (तिरुचिरापल्ली)
सैनी, श्री मनोहरलाल (कुरुक्षेत्र)
सोनकर, श्री कल्पनाथ (बस्ती)
सोरन, श्री शिबू (दुमका)
सोरन, श्री हरिहर (क्योंझर)
सोलंकी श्री नटवरसिंह (कापड़वंज)
सोलंकी, श्री बाबूलाल (मुरैना)
स्टीफन, श्री सी. एम. (गुलबर्गा)
स्पैरो, श्री आर. एस. (जालन्धर)
स्वामी, डा. सुब्रहमण्यम (बम्बई उत्तर पूर्व)
स्वामी, श्री के. ए. (विशाखापत्तनम्)
स्वामीनाथन, श्री आर. वी. (शिवगंगा)
स्वामीनाथन, श्री वी. एन. (पुदुकोट्टई)

ह

हन्नान मोल्लाह, श्री (उलुवेरिया)
हरिकेश बहादुर, श्री (गोरखपुर)
हसदा, श्री मतिलाल (झाड़ग्राम)
हाकमसिंह, श्री (मटिंडा)
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र (दुर्गापुर)
हेमब्रम, श्री सेत (राजमहल)
हीरा, श्री एन. ई. (खूंटी)

क्ष

क्षीर सागर, श्रीमती केशरबाई (बीड़)

त्र

त्रिपाठी, श्री कमलापति (वाराणसी)
त्रिपाठी, श्री रामनारायण (बिल्हौर)
त्रिलोकचन्द, श्री (खुर्जा)

लोक सभा

अध्यक्ष

श्री बलराम जाखड़

उपाध्यक्ष

श्री जी. लक्ष्मनन्

सभापति तालिका

श्री गुलशेर अहमद
श्री सोमनाथ चटर्जी
श्री हरिनाथ मिश्र
श्री के. राजामल्लू
श्री चन्द्रजीत यादव

सचिव

श्री अवतारसिंह रिखी

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री (सभी मंत्रालय/विभाग जिनको नीचे निर्दिष्ट नहीं किया गया)	...	श्रीमती इंदिरा गांधी
वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री	...	श्री प्रणव मुखर्जी
विदेश मंत्री	...	श्री पी. वी. नरसिंह राव
गृह मंत्री	...	श्री जैल सिंह
संचार मंत्री	...	श्री सी. एम. स्टीफन
वित्त मंत्री	...	श्री आर. वेंकटरामन
ऊर्जा मंत्री	...	श्री ए. बी. ए.गनी खान चौधरी
शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री	...	श्री एस. बी. चव्हाण
रेल मंत्री	...	श्री केदार पांडे
नौवहन और परिवहन मंत्री	...	श्री वीरेन्द्र पाटिल
सूचना और प्रसारण मंत्री	...	श्री बसंत साठे
पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री	...	श्री प्रकाश चन्द्र सेठी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री	...	श्री पी. शिव शंकर
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री	...	श्री बी. शंकरानन्द
पर्यटन और नागर विमानन मंत्री	...	श्री अनन्त प्रसाद शर्मा
नागरिक पूर्ति मंत्री	...	श्री विद्या चरण शुक्ल
संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री	...	श्री भीष्म नारायण सिंह
कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री	...	श्री बीरेन्द्र सिंह राव
योजना तथा श्रम मंत्री	...	श्री नारायण दत्त तिवारी

राज्य मन्त्री

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री	...	श्री जियाउर्रहमान अन्सारी
पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	...	श्री भागवत झा आजाद
उद्योग मत्रालय में राज्य मंत्री	...	श्री चरणजीत चानना
पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री	...	श्री चंदूलाल चंद्राकर
शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री	...	श्रीमती शीला कौल
संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री	...	श्री सीता राम केसरी
वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	...	श्री खुर्शीद आलम खान
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री	...	श्री निहार रंजन लास्कर

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री	...	श्री विक्रम महाजन
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री	...	श्री योगेन्द्र मकवाना
संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री	...	श्री कार्तिक उरांव
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री	...	श्री शिवराज वी. पाटिल
कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री	...	श्री बालेश्वर राम
रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री	...	श्री सी. के. जाफर शरीफ
नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री	...	श्री बूटा सिंह
विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलैक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मंत्री	...	श्री सी. पी. एन. सिंह
पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री	...	श्री दलबीर सिंह
श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री	...	श्रीमती राम दुलारी सिन्हा
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री	...	श्री सवाई सिंह सिसोदिया
कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	...	श्री आर. वी. स्वामीनाथन
गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री	...	श्री पी. वेंकट सुब्बय्या

उप मन्त्री

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मंत्री	...	श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ
वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री	...	श्री मगनभाई बरोट
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री	...	कुमारी कुमुदबेन एम. जोशी
कृषि मंत्रालय में उप मन्त्री	...	कुमारी कमला कुमारी
रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री	...	श्री मल्लिकार्जुन
नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री	...	श्री बृजमोहन महन्ती
संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री	...	श्री विजय एन. पाटिल
श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री	...	श्री पी. वेंकट रेड्डी
उद्योग मन्त्रालय में उप मन्त्री	...	श्री पी. ए. संगमा
पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में उप मन्त्री	...	श्री पी. के. थुंगन

लोक सभा

सोमवार, 17 नवम्बर, 1980/26 कार्तिक, 1902 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

•**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्यो हम तीन मास के अन्तराल के बाद समवेत हो रहे हैं। इस अल्प अवधि में हमारे वर्तमान सांसदों में से एक श्री मिसरयार खान तथा आठ भूतपूर्व सांसदों-सर्वश्री ए. के. एम. इशाक, माधो राम शर्मा, गिरजा नंदन सिंह, टी. संगन्ना, बनमाली पटनायक, नानू भाई एन. पटेल, के. आर. सम्बंदम और एन. दांडेकर का स्वर्गवास हो गया है।

श्री मिसरयार खान उत्तर प्रदेश के बरेली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। पहले वह 1974-77 की अवधि में उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य थे। वह तत्कालीन रामपुर राज्य परिषद और विधान सभा के भी सदस्य रहे थे।

वह एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और 1923, 1926 और 1948 में जेल भेज दिए गए।

12 सितम्बर, 1980 को 84 वर्ष की अवस्था में नई दिल्ली में उनका देहावसान हो गया।

श्री ए. के. एम. इशाक 1971-77 की अवधि में पश्चिम बंगाल के बशीरहाट निर्वाचन क्षेत्र से पाँचवीं लोकसभा के सदस्य थे। वह अक्तूबर 1974 से मार्च 1977 तक केन्द्र में स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री रहे। इससे पूर्व श्री इशाक 1961-62 और 1969 के कार्यों में पश्चिम बंगाल विधान सभा के सदस्य थे।

एक समाज सेवी के रूप में उन्होंने दो विद्यालयों की स्थापना की और एक अस्पताल की स्थापना के लिए कार्य किया।

एक सक्रिय सांसदविद के रूप में उन्होंने संसदीय कार्यों में गहन रूचि ली।

15 अगस्त 1980 को 52 वर्ष की आयु में कलकत्ता में उनका देहावसान हो गया।

श्री माधोराम शर्मा 1967-77 की अवधि में चौथी और पांचवी लोकसभा के सदस्य थे और हरयाणा के करनाल निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे।

संसद में आने से पूर्व श्री शर्मा ने 195.-54 की अवधि में पंजाब विधान परिषद के सदस्य के रूप में कार्य किया। 1958-64 में वह राज्य सभा के सदस्य रहे। संसदीय कार्यवाहो में उन्होने गहन रूचि ली।

एक स्वतन्त्रता सेनानी के रूप में श्री शर्मा ने स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया और 1941-42 के दौरान जेल गए।

एक समाज सेवी के रूप में उन्होंने करनाल जिले में हरिजनों और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया।

15 अगस्त, 1980 को 67 वर्ष की अवस्था में करनाल में उनका निधन हो गया।

ठाकुर गिरिजानन्दन सिंह 1977-79 के दौरान छठी लोकसभा के सदस्य थे और बिहार के शिओहर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे।

इससे पूर्व, वह 1947-62 और 1967-72 के दौरान बिहार विधान सभा के सदस्य रहे। उन्होंने 1971-7 में बिहार में केबिनेट स्तर के मंत्री के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने 1942 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया।

वह एक किसान थे और समाज सुधारक थे और शैक्षणिक संस्थाओं में उनकी गहरी रूचि थी।

28 अगस्त 1 80 को 67 वर्ष की अवस्था में पटना में उनका स्वर्गवास हो गया।

श्री टी. संमन्ना 1952-61 में पहली और दूसरी लोकसभा के सदस्य थे।

1961 में वह उड़ीसा विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए और उन्होंने1962-67 में उड़ीसा सरकार में एक मंत्री के रूप भी कार्य किया।

एक सामाजिक कार्यकर्त्ता के रूप में उन्होंने कोरापुट जिले की पहाड़ी जनजातियों और आदिवासियों एवं पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए अभियान शुरू किया।

8 सितम्बर 1980 को 62 वर्ष की अवस्था में कटक में उनका देहावसान हो गया।

श्री वनमाली पटनायक 1971-77 के दौरान उड़ीसा के पुरी निर्वाचन क्षेत्र से पांचवी लोक सभा के सदस्य थे।

इससे पूर्व वह 1946-52, 1961-67 और 1967-7। के दौरान राज्य विधान सभा के सदस्य रहे। 1967-70 में उन्होंने उड़ीसा सरकार के शिक्षा मन्त्री के रूप में भी कार्य किया।

वह एक वयोवृद्ध स्वतन्त्रता सेनानी थे और स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लिया तथा 1940 तथा 1942-45 में जेल में रहे।

वह एक किसान और समाज सुधारक थे और उनके शैक्षिणक संस्थाओं के लिए उन्होंने कार्य किया तथा अनेक संस्थाओं के वह न्यासी थे।

8 अक्तूबर, 1980 को 58 वर्ष की आयु में भुवनेश्वर में उनका निधन हो गया।

श्री नानूभाई पटेल 1957-79 की अवधि में लगातार दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवी और छठी लोक सभा के सदस्य थे और गुजरात के बलसार निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे।

एक सक्रिय सांसद के रूप में उन्होंने सदन की कार्यवाहियों में गहन रूचि ली और लोक-

लेखा समिति तथा प्राकलन समिति सहित अनेक संसदीय समितियों में कार्य किया। वह एक किसान और सामाजिक कार्य कर्त्ता थे तथा आदिवासियों, हरिजनों एवं दलित लोगों के उत्थान में उनकी गहरी रूचि थी। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों के विकास के लिए भी कार्य किया। 17 अक्तूबर, 1980 को 75 वर्ष की अवस्था में सूरत में उनका निधन हो गया।

श्री के. आर. संबंदम 1957-62 में दूसरी लोक सभा के सदस्य थे और वह तमिलनाडु के नागपट्टिनम् निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। वह 1952-57 तथा 1962-67 में मद्रास विधान सभा के सदस्य भी थे। वह एक किसान और समाजिक कार्यकर्ता थे और पिछड़े समुदायों तथा हरिजनों के उत्थान में उनकी विशेष रूचि थी। उन्होंने 1942 के आंदोलन में भी भाग लिया। 22 अक्टूबर 1980 को 61 वर्ष की अवस्था में मयूरम तालुका के पुंथाझई गांव में उनकी मृत्यु हो गई।

श्री एन. दांडेकर 1964-65 और 1967-70 में तीसरी और पांचवी लोक सभा के सदस्य थे। एक आई. सी. एस. अधिकारी के रूप में 1951-53 के दौरान उन्होने प्रतिष्ठा के साथ कई उच्च पदों पर कार्य किया। एक प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में उनकी आयोजन, वित्त और आर्थिक विकास तथा तकनीकी शिक्षा के विकास और प्रबंध व्यवस्था में उनकी गहरी रूचि थी। 4 नवम्बर 1980 को 72 वर्ष की अवस्था में बम्बई में उनका स्वर्गवास हो गया।

मुझे विश्वास है। इन मित्रों के दुःखद निधन पर शोक व्यक्त करने और उनके शोक संतप्त परिवारों को हमारी संवेदनाओं के प्रेषण में सदन मेरे साथ शरीक होगा।

इस सदन के सदस्य दिवंगत आत्माओं की स्मृति में सम्मान स्वरूप कुछ क्षण के लिए मौन धारण कर खड़े हो जायें।

इसके पश्चात सदस्य कुछ क्षण मौन खड़े रहे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, महोदय···

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको इसकी अनुमति नहीं दी है। मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृतांत में शामिल न किया जाए। (**व्यवधान**)* मैंने स्थिति के बारे में पहले ही आपको सूचित कर दिया है।··· (**व्यवधान**)*

नए मंत्रियों का परिचय

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : महोदय, अपने साथियों का आपसे और आपके माध्यम से सदन से परिचय करवाने में मुझे प्रसन्नता हो रही है :

श्री एस. बी. चह्वाण, शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री।

श्री भागवत झा आजाद, पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री।

श्री खुर्शीद आलम खान, वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री।

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्रीमती शीला कौल, शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ।

श्री सवाईसिंह सिसोदिया, वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ।

श्री शिवराज वी. पाटिल, रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ।

श्री बालेश्वर राम, कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ।

श्री ब्रजमोहन महन्ती, नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मंत्री ।

कुमारी कुमुदबेन एम. जोशी, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री ।

श्री पी. ए. संगमा, उद्योग मन्त्रालय में उप मंत्री ।

कुमारी कमला कुमारी, कृषि मन्त्रालय में उप मन्त्री ।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न लिए जाएंगे ।

श्री बापू साहिब परुलेकर : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल के दौरान कोई भी व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न न किया जाए। मैं नियमों के अनुसार कार्य कर रहा हूं । ... (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप निर्देश 2 पढ़िए ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे पढ़ा है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप सदन को गुमराह कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा नहीं समझता । आप ऐसा समझ सकते हैं । कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाए । ... (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने सभी पूर्ववर्त्ती मिसालों और परम्पराओं को देख लिया है और मैंने उसके अनुसार ही यह किया है । ... व्यवधान)

श्री बापू साहिब परुलेकर : यह उन परम्पराओं के सम्बन्ध में है जिनका कि आपने उल्लेख किया है । अभी माननीय प्रधान मंत्री ने नए मंत्रियों का परिचय कराया । मैं उन कारणों को जानना चाहूंगा । जिनके कारण कि माननीय रेल मंत्री श्री त्रिपाठी ने त्याग-पत्र दिया है । उस आशय की मिसाल है । जब श्री चरणसिंह ने इस्तीफा दिया था तो श्री स्टीफन ने यह प्रश्न उठाया था ।

अध्यक्ष महोदय : मैं हर बात पर चर्चा किये जाने की अनुमति दूंगा, लेकिन इस तरह नहीं । ... (व्यवधान)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दिल्ली में यमुना पार की बस्तियों के नक्शे

*1. **श्री नगनगोम मोहेन्द्रा** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनधिकृत बस्तियों, अर्थात्, लक्ष्मी नगर, शकरपुर, पाँडव नगर आदि के प्रारूप नक्शों के बारे में वहाँ के रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशनों द्वारा भेजी गई आपत्तियों/सुझावों की अब तक जाँच नहीं की गई है;

---

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या जांच के समय सम्बन्धित व्यक्तियों को उपस्थित होने के लिए कहा जायेगा;

(घ) क्या इसके लिए तथा नक्शों को तैयार करने और उन्हें अन्तिम रूप देने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है;

(ङ) क्या इन बस्तियों के लिए अन्तिम नक्शे तैयार करने में होने वाले विलम्ब के कारण इन बस्तियों की हालत खराब होती जा रही है। और ये गन्दी बस्तियों में बदलती जा रही हैं;

(च) क्या सरकार को जानकारी है कि खाली जगहों बिना मकान वाले विशाल क्षेत्रों की बिक्री की जा रही है और वहां मकान बनते जा रहे हैं; और

(छ) यदि हाँ, तो क्या ऐसे निर्माण कार्य को रोकने के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास कोई तन्त्र है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) इनकी जाँच की जा रही है।

(ग) यदि आवश्यक हुआ तो सुनवाई के लिए उचित अवसर दिया जायेगा।

(घ) सरकार इसमें किसी प्रकार का विलम्ब नहीं करना चाहती है :

(ङ) जी, नहीं। चूंकि अनधिकृत कालोनियां बिना योजना के बनाई गई हैं इसलिए इनमें सेवाएं निम्न स्तर की हैं।

(च) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बतलाया है कि कुछ गैर कानूनी विक्रय तथा अनधिकृत निर्माण हुये हैं।

(छ) वे इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठा रहे हैं।

श्री नगमगोम मोहेन्द्रा : क्या माननीय मन्त्री महोदय, प्रश्न के भाग (क) के उत्तर के सम्बन्धों में, हमें जांच पूरी हो जाने की संभव तारीख बताने की कृपा करेंगे ?

श्री भीष्म नारायणसिंह : मैं एक ऐसी तारीख नहीं दे सकता। यह एक जटिल प्रश्न है। हम इस कार्य को तेजी से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अपनी हर कोशिश करनी है। मैं अभी कोई विशेष तारीख नहीं बता सकता। यह दिल्ली विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आने वाला मामला है। वह इसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री नगमगोम मोहेन्द्रा : उत्तर के भाग (च) में यह बताया गया है कि सरकार इसमें किसी प्रकार का विलम्ब नहीं करना चाहती। चूंकि मंत्री महोदय इसकी संभव तारीख भी बताने में असमर्थ हैं, हम यह कैसे मान सकते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार का विलम्ब नहीं होगा ?

श्री भीष्म नारायणसिंह : किसी तरह का विलम्ब न हो इसके लिये हम हर संभव काशिश कर रहे हैं।

श्री एच. के. एल. भगत : क्या यह सच नहीं है कि फरवरी 1977 में कांग्रेस सरकार ने मानवीय आधार पर यह एक व्यापक और ठोस निर्णय लिया था कि उन सैंकड़ों कालोनियों को नियमित किया जाए और उनका विकास किया जाए जिनमें कि लाखों गरीब लोग रह रहे हैं ? परन्तु अभी तक इस निर्णय को कार्यान्वित नहीं किया गया है। चूंकि गरीब लोगों से मन्त्री

महोदय की सहानुभूति है, वह इन कालोनियों को नियमित किये जाने और स्वीकृत किए जाने से इन गरीब लोगों की सहायता करने के लिए वह क्या करना चाहते हैं ? यह कार्य तेजी के साथ और बिना किसी तरह के विलम्ब के किया जाना चाहिए।

श्री भीष्म नारायणसिंह : कांग्रेस सरकार ने इस मामले में एक निर्णय लिया और कुछ प्रक्रियायें निर्धारित की हैं। उन प्रक्रियाओं के अनुसार सरकार इस समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रही है। उन कालोनियों में रह रहे गरीब लोगों की सहायता की कोशिश करते समय सरकार को यह भी देखना है कि दिल्ली योजना बद्ध तरीके से विकसित हो। इसलिए, इस समस्या का समाधान करते समय हमें इन बातों को ध्यान में रखना है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, सरकार हर एक को मकान देने की स्थिति में नहीं है। लोग अपने प्रयत्नों से जो मकान बना रहे हैं, उन्हें वैध करने के बजाय, ऐसी बस्तियों को नियमित करने की बजाय, सरकार उन्हें गिराने का इरादा रखती है। मैं जानना चाहता हूं कि कितनी कोलोनीज इस समय सरकार के पास नियमित होने के लिये पड़ी हुई हैं ? जो कोलोनीज पहले दिल्ली कार्पोरेशन और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन से क्लियर कर दी गई थीं, सरकार उनके बारे में कोई फैसला नहीं कर रही है। क्या यह फैसला चुनाव के समय किया जाएगा ?

श्री भीष्म नारायणसिंह : मैं सम्मान्य सदस्य श्री अटल बिहारी वाजपेयी का बड़ा आदर करता हूं। मैं उनको बताना चाहता हू कि यह सरकार सिर्फ चुनाव की दृष्टि से काम नहीं करती, यह सरकार इस बात के लिये कमिटेड है कि ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों के लिये आवास का प्रबंध किया जाये लेकिन सरकार कोई भी काम अनियमित रूप से नहीं करना चाहती।

जहां तक दिल्ली में ऐसी कोलोनीज का सवाल है, जो अभी तक एप्रूव नहीं हुई हैं, यह एक बड़ा सवाल है और सरकार को जो सूचना मिली है, उसके अनुसार जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनके मुताबिक 611 लगभग ऐसी कोलोनीज हैं, जो अनएप्रूव्ड हैं। उनको एप्रूव करने के लिये, अभी जैसा कि मैंने उत्तर में बताया है, सरकार सचेष्ट है। जो प्रोसीजर हमने ले डाऊन किया है, ऐसी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसके अनुसार हम उनको एप्रूव करें।

श्री जगदीश टाईटलर : मेरा प्रश्न दिल्ली की अनाधिकृत कालोनियों से सम्बद्ध है। कुछ ऐसी कालोनियां हैं जो हरित-क्षेत्र में बनीहुई हैं और कुछ कालोनियां ऐसी भी हैं जिनकी जनसंख्या लगभग 50,000 है। सरकार का उनके बारे में क्या कुछ करने का विचार है ?

श्री भीष्म नारायणसिंह : जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, सरकार समग्र स्थिति को ध्यान में रखेगी और फिर मामले की गुणवत्ता के अनुसार निर्णय लेगी।

श्री धर्मदास शास्त्री : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि सन् 1977 में जब जनता सरकार थी तो उस समय कितने लोगों के मकान गिराये गये ? उनको कोई आल्टरनेटिव जगह नहीं दी गई और किस तरह से उनको उस समय सड़क पर फेंक दिया गया ? अब कांग्रेस सरकार ने उनको बसाया है और जगह दी है, लेकिन उस समय जो लोग तबाह किये गये, उसकी स्थिति मंत्री महोदय हमको बतायें। **(व्यवधान)** अध्यक्ष महोदय, उन्होंने उन लोगों के मकान गिराये, उनको कोई जगह नहीं दी गई और उनको गिरफ्तार करके जेलों में भर दिया गया। **(व्यवधान)**

1977 में जनता सरकार ने किन-किन लोगों को मारा और उनको कौन-कौन सी जगह दी, यह सब मैं जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल करें।

श्री धर्मदास शास्त्री : सवाल मेरा साफ है कि क्या मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि 1977 में उस समय की सरकार ने कितनी कालोनियां गिरायीं और उन लोगों को कहां-कहां एकमोडेशन दी गई ?

श्री भीष्म नारायणसिंह : अगर माननीय सदस्य मुझे इसकी अलग से सूचना दें, तो मैं उनको आँकड़े उपलब्ध करा दूंगा।

श्री हरीश कुमार गंगवार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उन-अथराइज्ड कालोनीज के बारे में स्थानीय निकायों ने कब-कब संस्तुति की कि उनको रैंगुलराइज कर दिया जाये ? क्या वह डेट्स मंत्री महोदय बतायेंगे कि कब-कब उनको लिखा कि इनको रेगुलराइज कर दिया जाये और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री भीष्म नारायणसिंह : 16-2-77 को सरकार ने आदेश दिया और उसके बाद उसमें दो किस्म की कैटेगरीज बनाई गई : एक कमर्शियल परपज के लिये और दूसरी रैजीडैंशनल परपज के लिये। जो रैजीडैंशल परज के लिये था उनका 30 जून, 1977 का समय रखा गया और उसी आधार पर डी. डी. ए. ने इस पर आवश्यक कार्यवाही की।

श्री भीकू राम जैन : मन्त्री महोदय ने इस सवाल के जवाब में कहा था कि जो ग्रीन बैल्ट में मकान बनाये गये हैं, उनकी व्यवस्था अभी विचाराधीन है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि जो डिमौलीशन एक्शन अभी लिया जा रहा है, क्या उसको स्थगित कर दिया जायेगा, जब तक इस पर विचार नहीं किया जाता ?

श्री भीष्म नारायणसिंह : अभी इसको स्थगित करने का सवाल कहां है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या डिमौलीशन स्थगित कर दिया जायेगा ?

श्री भीष्म नारायणसिंह : स्थगित कैसे करेंगे ? कार्यवाही चल रही है, उसे बीच में हम स्थगित कैसे करेंगे ?

उत्तर प्रदेश और बिहार में गन्ना उत्पादकों को बकाया राशि का भुगतान

*2. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में गन्ना उत्पादकों को बकाया राशि के भुगतान के बारे में 7 जुलाई, 1980 के तारांकित प्रश्न संख्या 410 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी मिलों ने इस बीच गन्ना मूल्य की बकाया राशि का कुल भुगतान कर दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो कौन-कौन सी मिलों ने ऐसा नहीं किया है और पूरा-पूरा भुगतान सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है; और

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र की मिलों की तुलना में सरकारी क्षेत्र में मिलों द्वारा अदा न की गई राशि कितनी है और उसका अनुपात क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क).

उत्तर प्रदेश और बिहार की फैक्ट्रियों के गन्ने के मूल्य के बकायों की तुलनात्मक स्थिति, जैसा कि संदर्भित तारांकित प्रश्न संख्या 410 के उत्तर में उल्लेख किया गया है, का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(आंकड़े लाख रुपये में)

	31-5-80 को	30-9-80 को
उत्तर प्रदेश की फैक्ट्रियां	895·06	650.55
बिहार की फैक्ट्रियां	340·46	269.05

यह देखा जा सकता है कि तब से बकायों में कमी हुई है ।

(ख) उत्तर प्रदेश और बिहार के मामले में गन्ने के मूल्य के बकायों की कारखानावार स्थिति बताने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है ।

उत्तर प्रदेश की जिन 10 फैक्ट्रियों और बिहार की जिन 3 फैक्ट्रियों के बकायों की राशि पिछले मौसम के दौरान खरीदे गये गन्ने के लिए देय राशि के 10 प्रतिशत से अधिक है, उनके मामले में चीनी उपक्रम (प्रबन्ध अधिग्रहण) अधिनियम 1978 के प्रावधानों के अधीन नोटिस जारी किए गए हैं,जो फैक्ट्रियां अधिनियम के अधीन निर्धारित की गई इस सीमा से नीचे हैं, उनके मामले में राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे प्रभावकारी कार्रवाई करें ।

(ग) बकायों के अनुपात और घनराशि के बारे में क्षेत्र वार सूचना नीचे दी जाती है :

	सार्वजनिक क्षेत्र		प्राईवेट क्षेत्र	
	घनराशि लाख रु० में	कुल बकायों के संदर्भ में प्रतिशतता	घनराशि लाख रु० में	कुल बकायों के संदर्भ में प्रतिशतता
उत्तर प्रदेश	158·54	24·4	492·01	75.6
बिहार	127·09	47·2	141·96	52.8

विवरण

चीनी कारखानों द्वारा दी गई सूचना पर आधारित 1-10-1980 को गन्ने के मूल्यों के बकायों की कारखाना वार स्थिति बताने वाला विवरण

(लाख रुपये)

कारखानों के नाम	1979-80	1978-79 और उससे पूर्व	जोड़	कैफियत
1	2	3	4	5
(ए) उत्तर प्रदेश				
1. लक्सर	—	36·34	36·34	
2. अजुध्या	—	13·55	13·55	

2	2	3	4	5
3. बमनान	—	51·98	51·98	
4. मोही उद्दीनपुर	0·62	6 05	6·67	
5. सखीतीटांडा	—	32·03	32·03	
6. बिजनौर	—	8·58	8·58	
7. अमरोहा	—	24 86	24·86	
8. रजाबुलन्द	—	66·91	66·91	
9. जारवाल रोड़	0·04	13·50	13·54	
10. डायमंड	—	3·10	3·10	
11. खड्डा	—	0·29	0·29	
12. रामकोला (एम.के·)	—	2·11	2·11	
13. नन्द गंज	0·28	0 02	0 30	
14. दरियापुर	0.08	0.07	0·15	
15. अनूपसहर	0 06	0·25	0·31	
16. हरदुआगंज	1·24	1·87	3·11	
17. रमाला	0·57	—	0 57	
18. ननौटा	0·05	—	0·05	
19. बिसालपुर	0 08	—	0·08	
20. करीमगंज	0 77	9 35	10·12	
21. नदेही	0·47	0·45	0·92	
22. बदायूं	—	3·60	3 60	
23. काशी	4·63	6·55	11·18	
24. रसरा	0·04	—	0·04	
25. आजमगढ़	0·23	4·80	5 03	
26. मेरठ	17·20	17·92	35·12	
27. खतौली	0·68	0·01	0 69	
28. मनसुरपुर	14·78	—	14·78	
29. रोहनाकलां	10·00	—	10·00	
30. बुलन्दशहर	21·56	8·79	30 35	
31. सहारनपुर	—	0·54	0·54	
32. इकबालपुर	6·75	—	6·75	
33. धामपुर	—	1·93	1·93	
34. बरेली	—	14·18	14·18	
35. पीलीभीत	—	5·51	5·51	
36. नेवली	3·04	0·82	3·86	
37. महोली	—	96·30	96·30	

1	2	3	4	5
38. हरदोई	0·12	99·76*	99·88	* न्यायाधीन बताया जाता है
39 रत्ना	0·20	—	0 20	
40. बलरामपुर	0·01	0·05	0·06	
41. नवाबगंज	—	22·03	22·03	
42. घुंघली	2·60	2·43	5·03	
43. छितौनी	5·26	2·38	7·64	
44. काठकुइयाँ	—	0·10	0·10	
45. सियोराही	0·41	0 04	0·18	
जोड़	91·50	559·05	650·5	
(बी) बिहार				
1. पोतीपुर	12·21	60·42	72 63	as on 15-9-80
2. सीतलपुर	0·11	14·00	14·11	
3. रयाम	5 00	0·22	5·2	
4. लोहाट	4·99	47·24	52·23	
5. सकरी	0·01	19·76	19·77	
6. समस्तीपुर	0·15	0·47	0·62	
7. न्यू सवान	4·96	8·37	13·33	
8. बुनमुंखी	5·34	0·73	6·07	
9. बिहटा	0·02	28·44	28·46	
10 विरसालीगंज	0·08	0·33	0·41	
11. गुरारु	—	0·20	0·20	
12. वगाहा	0·17	0·01	0·18	
13. हरिनगर	0 68	—	0,68	
14. नरकटियागंज	0·27	—	0·27	
15. बड़ा चकिया	0·54	0.72	1·26	
16. लौरिया	1·52	—	1·52	
17. मझौलिया	0·34	—	0·34	
18. सौगैली	5·87	0·01	5·88	
19. मोतीहारी	0·51	—	0.51	
20. चनपतिया	0·40	0·04	0·44	
21. रीधा	0·74	0·74	1·48	
22. हसनपुर	0·62	—	0·62	

1	2	3	4	5
23. सासा पुसा	0·87	—	0·87	
24. गोपालगंज	6·14	0 04	6·18	
25. हथुवा	4·58	—	4·58	
26. सिधवालिया	1·68	—	1·68	
27. परहौरा	0·31	0·02	0·33	
28. पचरूखी	—	11·83	11 83	
29. एस.के.जी.सिवान	6·42	10·93	17·35	
जोड़	64·53	204·52	269·05	

श्री भोगेन्द्र झा : महोदय, गत सत्र में मन्त्री महोदय ने अपने जिस उत्तर का उल्लेख किया है, उसमें उन्होने बताया था कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 1978-79 में 5,84,26,000 रुपये का चीनी के लिए भुगतान करना बकाया था और इस बार 1 अक्तूबर या 30 सितम्बर को बकाया भुगतान के आँकड़े 5,59,05,000 रुपये के हैं। अतः वर्ष 1979-80 में भी उत्तर प्रदेश में स्थिति वही की वही है। बिहार की भी यही स्थिति है। उस समय हमारे पास बिहार का एक आंकड़ा था और यह वर्ष 1978-79 का 2,11,10,000 रुपये का बकाया भुगतान था और इस बार 30 सितम्बर, 1980 तक बकाया भुगतान के आँकड़े 2,04,52,000 रुपये थे। मैं यह जानना चाहता हूं कि वर्ष 1979-80 के लिए समस्त भुगतान तुलतनात्मक रूप में अच्छा रहा है, विशेषतया सरकारी क्षेत्र में, वर्ष 1978-79 की बकाया राशि लगभग वैसी की वैसी ही रही। तो इन बकाया भुगतानों के बारे में आपका क्या कहना है ? हमारी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फिती वाले रूख को देखते हुए, जिसको स्वयं सरकार की नीति ने ही बढ़ावा दिया है गन्ना उत्पादकों को वर्ष 1978-79 के बकाया भुगतान के रूप में भारी घाटा उठाना पड़ रहा है। उनकी क्षतिपूर्ति कैसे की जायेगी ?

श्री वीरेन्द्रसिंह राव : बकाया भुगतान की राशि को घटाने के प्रयास किये गये हैं, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ 31-5-1980 को बिहार में 346.46 लाख रुपये का भुगतान बकाया था। मैं आपको कुल जोड़ बता चुका हूं और फिर गत वर्ष 1978-79 में भी कुछ जोड़ा गया है। इसलिए तो आँकड़े यह नहीं दर्शाते कि इसमें भारी गिरावट आई है। या कमी हुई है। परन्तु यदि आप बिहार के समग्र आंकड़े देखें तो यह 346·46 लाख रुपये से घटकर केवल 269·05 लाख रुपये हुआ है। 64 लाख रुपया तो वर्ष 1979-80 का है। उसे इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। लगभग सभी चीनी फैक्टरियों के मामले में भुगतान की बकाया राशि में पर्याप्त कमी आई है।

श्री भोगेन्द्र झा : 1979-80 में कुछ सुधार हुआ है। परन्तु जहां तक 1978-79 की बात है भुगतान की बकाया राशि उतनी ही है। स्वयं रुपये की क्रय-शक्ति में आई गिरावट के कारण किसानों की क्षतिपूर्ति कैसे की जायेगी ?

श्री बीरेन्द्रसिंह राव : चीनी मीलों ने बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है। गन्ना

उत्पादकों को ब्याज देने का भी प्रावधान है। यदि ब्याज उन्हें समय पर नहीं मिलता तो उनकी क्षतिपूर्ति की जायेगी।

श्री भोगेन्द्र झा : पिछली बार मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा था कि राज्य सरकारों ने यह आश्वासन दिया था कि इस मामले में प्रभावित राइयाम, समस्तीपुर और हसनपुर की बकाया राशि का भुगतान मानसून के मौसम में कर दिया जायेगा। मानसून मौसम समाप्त हो गया और राइयाम का वर्ष 1978-79 की बकाया राशि वैसे ही है अर्थात 5 लाख रुपये से भी अधिक। लोहत और सकारी के मामले में भी 1978-79 की बकाया राशि वैसे ही है। इसमें तो आश्वासन का तोड़ना दृष्टिगोचर होता है।

श्री बीरेन्द्रसिंह राव : मैंने सभी फैक्टरियों से सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण सभा पटल पर रख दिया है। यदि माननीय सदस्य को और कोई सूचना चाहिये तो वह मैं माननीय सदस्य को विस्तारपूर्वक दे सकता हूं।

श्री रतनसिंह राजदा : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि चीनी-सामन्तों द्वारा गन्ना उत्पादकों को कुल राशि 20 करोड़ रुपये से भी अधिक देय है। अभी मन्त्री महोदय ने बताया है कि राज्य सरकारें उनके विरुद्ध कार्यवाही कर रही हैं। तथ्य यह है कि राज्य सरकारों ने खरीद बन्द कर दी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार अभियोजन से क्यों झिझक रही है? क्या केन्द्रीय सरकार ने उन चीनी सामन्तों पर अभियोजन चालू कर दिया है जो मनमानी कर रहे हैं? 20 करोड़ रुपये से भी अधिक राशि का भुगतान बकाया है और उसका भुगतान मूल जमा ब्याज राशि के रूप में किया जाना है।

श्री बीरेन्द्रसिंह राव : मैं पहले ही कह चुका हूं कि बकाया राशि का भुगतान न करने के कारण 13 फैक्टरियों को पहले ही नोटिस जारी किये जा चुके हैं।

श्री अजय विश्वास : क्या आपने उन पर अभियोग चलाया है?

श्री बीरेन्द्रसिंह राव : अभियोजन का प्रश्न तो बाद में उठेगा। उन्हें तो कारण बताओ नोटिस का उत्तर देना है। उनके स्पष्टीकरण के प्रकाश में कार्यवाही तो बाद में की जायेगी।

श्री रतनसिंह राजदा : जहां तक 20 करोड़ रुपये की देय राशि की बात है क्या कोई अभियोजन शुरू किया गया है?

अध्यक्ष महोदय : वे तो पहले ही उत्तर दे चुके हैं कि नोटिस जारी कर दिये गये हैं।

श्री रतनसिंह राजदा : नोटिस कब दिये गये हैं, मुझे यह बताया गया है कि केन्द्रीय सरकार ने किसी प्रकार का अभियोजन शुरू नहीं किया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं नहीं जानता था कि राव साहिब अपराधियों की वकालत करेंगे। मैं यह तो नहीं कहता कि वे अपराधियों के वकील है। उन्होंने हमें कैसी अच्छी तरह से बेवकूफ बनाया है। आप कृपया आरोप को देखें या पढ़ें।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको बेवकूफ बनने में आनन्द नहीं आता?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं उन्हें बेवकूफ बनाऊंगा। राव साहिब उस श्रेय की व्याख्या करेंगे जिसका उन्होंने दावा किया है। उत्तर प्रदेश में लक्सर में पहले भी 36·34 लाख रुपये बकाया थे और आज 36 34 लाख रुपये बकाया है। भ्रमनान में 51·98 लाख रुपये थे और आज भी 51·98 लाख रुपये शेष हैं। राजाबुल के

नाम पहले भी 66·91 था और आज भी 66 91 है। आप मेरठ को ही लीजिए – इसके लिए तो उनको चार चाँद लगने चाहिये परन्तु आज उनकी चाँद ही नहीं दिखाई देती—पहले यहाँ 17·92 लाख रुपया बकाया था और आज 35·12 लाख रुपये हैं। मैं उन्हें एक और उदाहरण देता हूँ—बुलन्दशहर : पहले यहाँ 8·79 लाख रुपये की बकाया राशि थी और आज 30·35 लाख रुपये है। मेरे पास पूरी की पूरी सूची है। मन्त्री महोदय जानबूझकर सदन को गुमराह कर रहे हैं। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह सच है या नहीं कि उत्तर प्रदेश राज भवन में, गत चुनाव से पहले, उत्पाद-शुल्क आयुक्तों के उद्योगपतियों पर दबाव से चुनाव लड़ने के लिए उद्योगपतियों से 80 करोड़ रुपया एकत्रित किया गया था। यह सब उस उत्पाद-शुल्क आयुक्त के द्वारा हुआ जिसने मुजफ्फरनगर में जल बन्दी की थी (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कोई आरोप नहीं लगा सकते।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने तो यह पूछा था कि क्या यह सच है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं ऐसा न कीजिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इन लोगों को इसलिए नहीं छेड़ा गया क्योंकि इन्होंने रुपये दिए हैं।

श्री बीरेन्द्रसिंह राव : यदि मेरे माननीय मित्र श्री ज्योतिर्मय बसु वास्तव में ही जानकारी के इच्छुक हैं तो मैं खुशी से दे सकता हूं। परन्तु वे तो आरोप लगा रहे हैं महोदय, जैसी कि आपने स्वयं टिप्पणी की है, मैं नहीं समझता कि मुझे उनकी कपटपूर्ण बातों पर कोई ध्यान देना चाहिये अतः उन्हें कुछ जानकारी मैं पहले ही दे चुका हूं उससे सन्तुष्ट हो जाना चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने पहले के और आज के बकाया भुगतान के विशेष आंकड़े दिये हैं और उनमें बड़ा अन्तर है। वे कानून के शिकंजे से इसलिए बच निकले हैं क्योंकि उन्होंने उनकी तिजोरियाँ भर दी हैं।

श्री बीरेन्द्रसिंह राव : मैं उनके भाषण का उत्तर देने को बाध्य नहीं हूं। यह कोई प्रश्न है नहीं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं, आप उनका उत्तर दे सकते हैं।

श्री बीरेन्द्रसिंह राव : समग्र जानकारी पहले से ही सभा पटल पर रख दी गई है। यह सभा पटल पर रखे गये विवरण में दी गई है। स्थिति तो वही है, जो मैं पहले ही बता चुका हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उनका दावा है कि स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। मैं यह बता चुका हूं कि उन्होंने जान बुझ कर सदन को गुमराह किया है।

श्री बीरेन्द्रसिंह राव : यह सिद्ध करने के लिए कि स्थिति में सुधार हुआ है मैंने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं।

अध्यक्ष महोदय : बसु जी, आप कुछ कहते हैं और वे कुछ और ही कहते हैं। आपतो एकल दृष्टांत लेते हैं और वे स्थिति पर समग्ररूप से विचार करते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं यह मान लेता हूं कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने 80 करोड़ रुपये जो प्राप्त किए हैं।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि शुगरकेन कन्ट्रोल (अमेंडमेंट) आर्डर, 1978 के अन्तर्गत 1978 के बाद कितने केन ग्रोअर्स को 15 परसेन्ट ब्याज के हिसाब से रकम दिलवाई गई है और रकम न देने पर यू० पी०

और बिहार में कितने चालान आज तक किए गये हैं ? इस आर्डर का पालन हो रहा है या नहीं, यह मैं जानना चाहता हूं ।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : स्पीकर साहब, जहां आर्डर का पालन नहीं होता है वहां ऐक्शन लिया जाता है । इसीलिए जहां नोटिस दिये हैं और शुगर मिल्स एरियर्स को कम नहीं करती हैं या कोई दूसरी एरैग्युलेरिटीज करती हैं तो उनको टेक-ओवर किया जाता है इसलिए हमने पहले कई मिलें ली हैं और स्टेट गवर्नमेंटस ने भी ली हैं । लेकिन मि० बसु का जो इल्जाम है कि 80 करोड़ रुपया वसूल कर लिया गया है, वह बिल्कुल गलत, मिसलीडिंग और बाहियात है । मैं उम्मीद करता हूं आप इस तरह की बातों की इजाजत नहीं देंगे । (व्यवधान)

श्री रसीद मसूद : यह तो हम मानकर चलते हैं कि इस गवर्नमेंट से किसानों को कोई फायदा होने वाला नहीं है । मेरे सवाल दो भाग हैं : (अ) 6 करोड़ रु० तो यू० पी० के किसानों का खास तौर पर रह रहा है और बाकी जगहों का भी है, तो क्या सरकार उनको इन्टरेस्ट देगी और (ब) जो शासन का हमारे ऊपर कर्ज होता है, उसके बदले में तो हमारे बैल कुड़क करा लिए जाते हैं, लेकिन जो हमारा बकाया होता है, उसकी पर्ची लिए हम फिरते रहते हैं और पैसा नहीं मिलता है । उसके लिए क्या आप कुछ तय करेंगे, कोई प्रोवीजन लायेंगे हाउस में ?

श्री बीरेन्द्रसिंह राव : अध्यक्ष महोदय जो चीज प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, उसके लिए एशोरेंस मांग रहे हैं । (व्यवधान) कानून और कायदे बने हुये हैं । मैं बहस नहीं करना चाहता हूं···

अध्यक्ष महोदय : आप तो एसोरेंस मांग रहे हैं ।

श्री रसीद मसूद : हमारे जानवर तक कुड़क करा लिए जाते हैं···(व्यवधान)···

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय उनका उत्तर क्या है ।

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि यह तो सुझाव ही है, कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री चन्द्रजीत यादव : यह कोई सुझाव नहीं है । वे ऐसा कैसे कह सकते हैं ? मन्त्री महोदय को यह अधिकार नहीं है । जब एक बार आप उनसे उत्तर देने के लिए कह चुके हैं तो फिर वे चाहे 'हां' कहें या 'ना' ।

अध्यक्ष महोदय : वे ऐसा तो पहले ही कह चुके हैं और उनका कहना है कि यह तो सुझाव ही है ।

श्री चन्द्रजीत यादव : ऐसा आप कह सकते हैं, मन्त्री महोदय नहीं । मन्त्री महोदय या कैसे कह सकते हैं कि यह कोई प्रश्न नहीं है ? यह कोई सुझाव नहीं है । क्या आप माननीय सदस्य से फिर से अपना प्रश्न रखने को कहेंगे ?

श्री बीरेन्द्रसिंह राव : माननीय सदस्य ने कुछ सुझाव दिए···

श्री चन्द्रजीत यादव : यह कोई सुझाव नहीं हैं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें बोलने दीजिए । साथ में बोलने की जरूरत नहीं है ।

श्री बीरेन्द्रसिंह राव : माननीय सदस्य ने मुझ से विशेषकर यह पूछा था कि क्या माननीय सदस्य द्वारा कही गई बातों जैसे गन्ने की ढुलाई की लागत से किसानों को छुटकारा तथा अन्य बहुत सी बातों के बारे में, सरकार कोई विधान लायेगी । मैं ऐसे सुझावों का शीघ्र उत्तर दे

की स्थिति में नहीं हूँ परन्तु आपके माध्यम से मैं सदन को यह आश्वासन दे सकता हू कि सरकार किसानों की आवश्यकताओं और उन्हें प्रोत्साहन देने की आवश्यकता के प्रति पूर्ण सजग है, विशेषकर गन्ना उत्पादकों के प्रति और जो कुछ हम कर सकते थे हमने किया भी है और निश्चय ही उससे कहीं अधिक जो कुछ भूतपूर्व सरकार ने किया था (व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी, बिहार की 29 मिलो पर बकाया ब्यौरा मन्त्री महोदय जी ने दिया है, जिनमें मोतीपुर 72 लाख 63 हजार, लोहाट 52 लाख 23 हजार, बिहटा 28 लाख 46 हजार और एस० के० जी० सिवान 17 लाख 35 हजार है। यह रुपया सबसे ज्यादा इन कारखानों पर किसानों का बकाया है। इसमें मोतीपुर को अभी हाल में सरकार ने अपने कब्जे में लिया है और बिहटा कई सालों से सरकार के कब्जे में है। इसके बावजूद भी सरकार ने बकाया अदा नहीं किया, जो कि आपका कारखाना है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इन चारों मिलों पर जो राशि बकाया है, इसको दिलाने के लिए आपने कौन सी कार्यवाही की है ?

श्री बीरेन्द्रसिंह राव : कौन-कौन सी मिलें हैं. कितना-कितना पैसा हमने दिया है, उसका ब्यौरा मेरे पास इस वक्त नहीं है, यदि सदस्य चाहेंगे तो मैं तफसील में बता दूंगा। जो मिलें सरकार ने ले ली हैं, उन सबको काफी कर्जा सरकार ने दिया है। जो स्टेट ने ली हैं उनको भी कोआपरेटिव के थ्रू या ···

श्री रामावतार शास्त्री , सवाल कुछ दूसरा पूछा था, जवाब कुछ दे रहे हैं।

श्री बीरेन्द्रसिंह राव : आपका जैसा सवाल है, वैसा ही जवाब मिलेगा।

श्री रामावतार शास्त्री : मैंने पूछा था कि इन रुपयो को कब दिलवायेंगे। या कब तक दिलवाना चाहते हैं ? सबसे ज्यादा बकाया वाली मिलें यही हैं, जो आपके कब्जे में हैं···

श्री बीरेन्द्रसिंह राव : बकाया देने की सरकार की पालिसी है। इसी के लिए मिलें टेक-ओवर की जाती हैं···

श्री रामावतार शास्त्री : कब तक दिया जायेगा।

श्री बीरेन्द्रसिंह राव : जितनी जल्दी हो सकेगा, उतनी जल्दी बकाया दिलवायेंगे। हमें सरकार के रिसोर्सेज को भी देखना पड़ता है। ऐसा न हो कि कहीं सभी मिलें सिक हो जायें, लोग करोड़ों रुपया बकाया छोड कर चले जांय और कर्जा हम देते रहें।

श्री रामावतार शास्त्री : यह कर्जा नहीं है, यह उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा है।

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्रश्न संख्या 3

श्री चित्त बसु। इसके साथ प्रश्न संख्या 12 को भी लिया जाये।

श्री निरेन घोष प्रश्न संख्या 3 और 12 एक ही प्रकार के हैं, इन्हें एक साथ लिया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : क्या हमें प्रश्न संख्या 3 और 12 को साथ लेना चाहिए। क्या आप सहमत हैं ?

श्री बीरेन्द्रसिंह राव : जी हां।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्यान्न का अप्रयुक्त स्टाक

*3. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित 17 लाख टन में से राज्य सरकारों ने सितम्बर, 1980 के अन्त तक 11 लाख टन का उपयोग किया था जिससे 6 लाख टन का शेष स्टाक अप्रयुक्त पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्य सरकारों ने आवंटित कोटे का उपयोग नहीं किया है;

(ग) किन-किन राज्य सरकारों ने राज्यों के लिए अधिक कोटे की मांग की है; और

(घ) कौन-कौन से राज्य ने अपने आवंटित कोटे की समय पर सपलाई की मांग की थी।

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वरराम) : (क) से (घ) 1-4-1980 को राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के पास पिछले वर्ष के उपयोग में लाए गये बकाया खाद्यान्न लगभग 7 लाख मीटरी टन थे। काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को अप्रैल 1980 में 10 लाख मीटरी टन खाद्यान्न आवंटित किए गये थे। सितम्बर 1980 के अन्त तक 17 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों की कुल उपलब्ध मात्रा में से विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा अब तक 9.56 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों को उपयोग में लाये जाने की सूचना मिली है। महाराष्ट्र के अलावा किसी भी राज्य ने कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध खाद्यान्नों की सम्पूर्ण मात्रा को उपयोग में लाए जाने की सूचना नहीं दी है।

मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा चण्डीगढ़ के अलावा सभी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों ने उन्हें आवंटित खाद्यान्नों से अधिक खाद्यान्नों की मांग की है।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्यान्न के आबंटन का पुनरीक्षण

*12 **श्री चित्त बसु** :

श्री निरेन घोष : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने हाल ही में काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को खाद्यान्न आवंटन का पुनरीक्षण किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रकार के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में पूरे तथ्य, राज्यवार, क्या हैं;

और

(ग) इस प्रकार के पुनरीक्षण के कारण क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वरराम) : (क) से (ग) कोई संशोधन नहीं किया गया है परन्तु गत माह में विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों को 4 लाख मीटरी टन का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। इस आबंटन को दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों को आबंटित 4 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों की मात्रा को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	खाद्यान्नों की मात्रा (मीटरी टन)
1.	आन्ध्र प्रदेश	42,000

2.	असम	8,000
3.	बिहार	54,000
4.	गुजरात	12,500
5.	हरियाणा	3,500
6.	हिमाचल प्रदेश	2,500
7.	जम्मू तथा काश्मीर	3,500
8.	कर्नाटक	18,500
9.	केरल	18,000
10.	मध्य प्रदेश	29,500
11.	महाराष्ट्र	32,000
12.	मणिपुर	500
13.	मेघालय	500
14	नागालैंड	400
15.	उड़ीसा	18,500
16.	पंजाब	5,500
17.	राजस्थान	10,400
18.	सिक्किम	250
19.	तमिलनाडु	33,000
20.	त्रिपुरा	1,250
21.	उत्तर प्रदेश	74,500
22.	पश्चिम बंगाल	30,000
	केन्द्र शासित क्षेत्र	
23.	अण्डेमान तथा निकोबार द्वीप समूह	300
24.	अरुणाचल प्रदेश	300
25.	मिजोरम	300
26.	पाँडीचेरी	300
	योग	4,00,000

श्री सोमनाथ चटर्जी : 1979-80 की आर्थिक समीक्षा में कहा गया है :—

"थोड़े से समय के अन्दर ही काम के बदले अनाज नामक कार्यक्रम रोजगार तथा ग्रामीण विकास का एक प्रभावशाली साधन बन गया है। इस कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर मजबूत करने तथा इसे बढ़ाने का कार्यक्रम है क्योंकि यह आने वाले वर्षों के लिये गाँवों के लिए रोजगार पैदा पैदा करने का साधन बन गया है।"

यह इस सरकार का वचन है जिसका उल्लेख पिछली आर्थिक समीक्षा में है।

मन्त्री महोदय कहते हैं कि राज्यों की ओर से और अधिक आवंटन की कोई भी मांग नहीं की गयी है। लेकिन क्या हम जान सकते हैं कि क्या राज्य सरकारों की आबंटित मात्रा में

खाद्यान्न भेजा गया है ? मैं इस वर्ष के मार्च और मई के बीच के आंकड़े यहाँ देता हूँ।

उत्तर प्रदेश	2·45 लाख टन
मध्य प्रदेश	2·24 लाख टन
बिहार	3·15 लाख टन
राजस्थान	1·30 लाख टन

पश्चिमी बंगाल को मई में केवल 20,000 टन दिया गया है। इसके बाद इस कार्यक्रम के लिये कोई भी खाद्यान्न आवंटित नहीं किया गया। वे कहते हैं कि इस काम के बदले अनाज कार्यक्रम का बड़े पैमाने पर विस्तार किया जायेगा क्योंकि इसके द्वारा रोजगार पैदा करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास करने की बहुत सम्भावना है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार राज्य सरकारों विशेषकर पश्चिमी बंगाल सरकार को दिये गये बचन को पूरा करेगी और इस बात का ध्यान रखेगी कि खाद्यान्न का अवंटन किया जायेगा और पश्चिम बंगाल के लोग कठिनाईयों में नहीं पड़ेंगे। क्या मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि सरकार इस बारे में क्या करने जा रही है ?

कृषी तथा ग्रामीण पुर्नानर्माण और सिंचाई मन्त्री (श्री बीरेन्द्रसिंह राव) मैं माननीय सदस्य द्वारा दिये गये इस वक्तव्य का खण्डन करता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने पश्चिमी बंगाल सरकार के विरुद्ध भेदभाव से काम लिया है। यह बिलकुल निराधार है। यदि पश्चिमी बंगाल के साथ भेदभाव को बर्ता गया हो, तो भी इसे 1979-80 के दौरान 2·44 लाख टन खाद्यान्न दिया गया। उसमें पिछले वर्ष का शेष आवंटित 95,000 टन भी शामिल है। वह पहले वर्ष के आवटन में से था। उसके बाद हमने 20,000 टन और अधिक दिया और अभी हाल में भी वहाँ के मुख्य मन्त्री के मुझसे मिलने के बाद भी 30,000 टन दिया गया। उन्होंने केन्द्रीय सरकार को आश्वासन दिया कि मार्गदर्शी बातें कार्यान्वित तथा स्वीकृत की जायेगी। आवंटित खाद्यान्न के उपयोग सम्बन्धी पश्चिम बंगाल सरकार के आँकड़े केन्द्रीय सरकार के आंकड़ों से भिन्न हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री को त्रूटियां दूर करने हेतु अपने अधिकारी दिल्ली भेजने के लिये कहा गया था। उन आकड़ों की छान-बीन की गई और मामले को निपटाया गया। उसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने हमें आश्वासन दिया कि अन्य राज्यों की तरह जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट इस संचालन स्थीति के संयोजक होंगे। वे हमारी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे। आपके बाद हमने पश्चिम बंगाल के लिए शीघ्र ही 30,000 टन खाद्यान्न जारी कर दिये। पश्चिम बंगाल सरकार ने पिछले 95,000 टन अनाज की भी खपत नहीं की है। इस वर्ष 50,000 टन अनाज और दिया गया। अब उनके पास कुल 1·45 लाख टन है। उसमें से हमें केवल 45,188 टन के उपयोग सम्बन्धी प्रधानपत्र मिले हैं (व्यवधान) हमारे नियमों में व्यवस्था है कि आगे खाद्यान्न उसी दशा में जारी किया जायेगा यदि पहले जारी किये गये खाद्यान्न के कम से कम 50 प्रतिशत भाग के उपयोग सम्बन्धी आपका पत्र न आयें। प्राप्त प्रमाण पत्रों से सिद्ध होता है कि 50 प्रतिशत से भी कम खाद्यान्न का उपयोग हुआ है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रमाणित किया है कि 1·45 लाख टन जारी किये गये खाद्यान्न में से केवल 45000 टन ही उपयोग किया गया है। हमने पश्चिम बँगाल को इस प्रकार की रियायतें दी हैं। 50 प्रतिशत भाग के उपयोग सम्बन्धी प्रमाणपत्र प्राप्त किये बिना ही हमने 30,000 टन खाद्यान्न जारी किया है। हमसे आप और क्या चाहते हैं।

जहां तक भेदभाव करने का सम्बन्ध है, मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हू कि मन्त्री व सरकार, योजना आयोग तथा वित्त मन्त्रालय के परामर्श से बनाये गये फार्मूले में आवंटन सम्बन्धी कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता। आवंटन का 75 प्रतिशत भाग समिति किसानों तथा भूमिहीनों के लिये है और शेष राज्य के गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले परिवारों के लिये है अब उस फार्मूले के ही अनुसार काम हो रहा है। हम किसी राज्य के बारे में परिवर्तन नहीं कर सकते। हम केवल उसी समय परिवर्तन करते हैं जब राज्य सरकार हमारी मार्गदर्शी बातों का पालन नहीं करते और समय पर उपयोग सम्बन्धी प्रमाण पत्र नहीं भेजते। इन्हीं कारणों से हम कभी-कभी खाद्यान्न नहीं दे सकते लेकिन आवंटन को उस राज्य के लिए आरक्षित रखा जाता है और उसे फिर किसी अन्य राज्य को नहीं दिया जाता।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह एक महत्वपूर्ण मामला है मेरे विचार में सभा को जानना चाहिये कि मन्त्री महोदय द्वारा दिये गये सब आंकड़े गलत हैं और वे खुद भी जानते हैं कि ये आंकड़े गलत हैं।

इन्होंने सभा को यह आवरण दिया है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री आये और हाथ जोड़कर उनसे पैसों की मांग की और इन्होंने उनपर कृपा की। मुख्य मन्त्री ने 31 अक्तूबर को लिखे एक पत्र में मन्त्री महोदय को कहा है कि उनके मन्त्रालय के सचिव ने अपने 3 जून 80, के पत्र में स्वीकार किया है कि केन्द्रीय सरकार को खाद्यान्न के 64 प्रतिशत भाग के उपयोग सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्राप्त हुये हैं। और अगस्त, 1980 तक के आंकड़ों के अनुसार कुल मात्रा के 80 प्रतिशत भाग का उपयोग हुआ है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उक्त मात्रा में खाद्यान्न के जारी करने से पहले अन्य राज्यों ने कितनी मात्रा के उपयोग सम्बन्धी प्रमाणपत्र भेजे है। इन राज्यों में गठित सचालन समितियों के सदस्य कौन कौन हैं ? यदि वे समझते हैं कि खाद्यान्न देने से इनकार करके वे पश्चिम बंगाल को वश में कर सकते हैं तो वे गलती कर रहे हैं (व्यवधान)। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे अनाज को खाद्यान्न से जोड़ेंगे ?

श्री बीरेन्द्रसिंह राव : श्री सोमनाथ चटर्जी ने जो कुछ कहा, उससे मुझे बहुत दुख हुआ है। सबसे पहले मैंने वे सब बातें नहीं कहीं जिनके बारे में ये कहते हैं कि मैंने कही हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री हाथ जोड़कर आये थे। मैं पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री का उतना ही पूरा पूरा आदर करता हूँ, जितना कि देश के किसी अन्य मुख्य मन्त्री का करता हूँ। यह उनका अधिकार था। वे आये और मिलकर अपनी मांग रखी। अन्य राज्यों की तरह अनाज मांगना उनका अधिकार था। हमने कुछ बातों की छानबीन की। मेरे विचार में श्री सोमनाथ चटर्जी कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जिससे केन्द्रीय सरकार तथा पश्चिम बंगाल सरकार के बीच सम्बन्धों में सुधार हो। यह बात बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम चाहते हैं कि सभी राज्य संतुष्ट रहे और अनुभव करें कि केन्द्रीय सरकार उनका ध्यान रख रही है और खाद्यान्न के मामले में उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं हो रहा है। मैंने अगस्त तक 45,000 के आंकड़े दिये थे। फिर भी मैं श्री सोमनाथ चटर्जी की चुनौती को स्वीकार करता हूँ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

मुख्य मन्त्रियों का सम्मेलन

*4. श्री विजय कुमार यादव :

श्री कमला मिश्र मधुकर : क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय कृषि मंत्री द्वारा हाल ही में नई दिल्ली में मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था, और

(ख) यदि हाँ, तो उसमें की गई चर्चा का सारांश क्या है और क्या निर्णय लिये गये ।

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण सिंचाई मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) और (ख) 1980-81 के फसल के मौसम के लिए गेहूं तथा जौ की मूल्य नीति के सम्बन्ध में कृषि मूल्य आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार-विमर्श करने के लिए गेहूं का उत्पादन करने तथा खपत करने वाले प्रमुख राज्यों के मुख्य मंत्रियों का 24 अक्तूबर, 1980 को एक सम्मेलन बुलाया गया था । कृषि मूल्य आयोग द्वारा गेहू तथा जौ के वसूली/समर्थन मूल्य के सम्बन्ध में की गई सिफारिशों पर सम्मेलन में भाग लेने वाले मुख्य मंत्रियों एवं मंत्रियों के विचार आमंत्रित करते हुए, केंद्रिय कृषि एव ग्राम पुनर्निर्माण मंत्री ने इस आवश्यकता पर बल दिया कि लगभग 90 लाख मीटरी टन गेहूँ की वसूली का लक्ष्य रखा जाए तथा उत्पादकों एव उपभोक्ताओं के हितों पर समग्र रूप से एक संतुलित विचार करते हुए कम से कम 200 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का सुदृढ़ बफर-स्टाक बनाया जाए । सम्मेलन में भाग लेने वालों से गेहूं के निर्गम मूल्यों के बारे में भी विचार मांगे गए । मंत्री महोदय ने यह भी कहा कि गेहूँ तथा जौ के वसूली (समर्थन मूल्य निर्धारित करने के संबंध में अंतिम निर्णय लेने के लिए कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों, सम्मेलन में व्यक्त किए गए विचारों तथा योजना आयोग और अन्य सम्बद्ध मंत्रालयों के विचारों को मंत्रिमण्डल के सम्मुख रखा जायेगा । सम्मेलन में भाग लेने वाले राज्यों के मुख्य मंत्रियों/मंत्रियों के प्राय: यह सुझाव दिया कि गेहूं का वसूली मूल्य 127 रुपए से लेकर 150 रुपए प्रति क्विंटल के बीच तथा जौ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 95 रुपए से लेकर 140 रुपये प्रति क्विंटल के बीच निर्धारित किया जाये । संक्षेप में, गेहूं तथा जौ के वसूली/समर्थन मूल्यो के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा व्यक्त किए गए विचार तथा गेहूँ का निर्गम मूल्य निम्नलिखित है :—

सम्मेलन के दौरान सुझाए गए गेहूं के वसूली तथा निर्गम मूल्य तथा जौ के समर्थन मूल्य

रुपए प्रति क्विंटल

	गेहूं		जौ
	वसूली मूल्य	निर्गम मूल्य	
1	2	3	4
हरियाणा	150	बढ़ाया जा सकता है—	140
पंजाब	142	उचित रूप सेबढ़ाया जाये परन्तु कमजोर वर्गों के लिए कोई वृद्धि नहीं की जाये ।	

1	2	3	4
कर्नाटक	142	आनुपातिक वृद्धि	
उत्तर प्रदेश	140	150-155	110
मध्य प्रदेश	140	—	95
बिहार	133	कुछ वृद्धि	
जम्मू तथा कश्मीर	भारत सरकार के निर्णय से सहमत होंगे, बशर्ते इससे राज्य पर अतिरिक्त बोझ न पड़े।		
प० बंगाल	कुछ वृद्धि	कोई वृद्धि नहीं	
राजस्थान	127	141	110
असम	127	आनुपातिक वृद्धि	
महाराष्ट्र	उत्पादन की लागत को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्यों के लिए वसूली मूल्य अलग-अलग निर्धारित किए जाएँ।		
तमिलनाडु	सम्मेलन में भाग नहीं लिया।		

अभी तक सरकार ने गेहूं के वसूली मूल्य तथा जौ के समर्थन मूल्य के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है। इस बारे में इस महीने के दौरान निर्णय लिये जाने की सम्भावना है।

नये चीनी एककों को प्रोत्साहन

• • *5. **श्री शिव कुमार सिंह :**

श्री बी. वी. देसाई : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 18 अक्तूबर, 1980 के 'इण्डियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित समाचार के अनुसार सरकार ने देश के नये चीनी एककों को प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो चीनी एककों को प्रस्तावित प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है और उसकी अवधि क्या है; और

(ग) ऐसे प्रोत्साहनों से देश में चीनी के उत्पादन में और घरेलू माँगों को पूरा करने में कितनी सहायता मिलेगी ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (श्री बीरेन्द्रसिंह राव) : (क) और (ख) भारत सरकार ने 4-10-1980 को नई चीनी फैक्ट्रियों को प्रोत्साहन प्रदान करने की एक संशोधित योजना की घोषणा की है। सरकार द्वारा अनुमोदित संशोधित योजना की मुख्य-मुख्य बातों को बताने वाला एक नोट विवरण के रूप में सभा के पटल पर रखा जाता है।

(ग) इन पर्याप्त प्रोत्साहनों से नई सक्षम चीनी मिलें स्थापित करने और जहाँ कहीं आवश्यक होता है वहाँ वर्तमान मिलों में विस्तार करने के कार्य में मदद मिलेगी और इससे चीनी संबंधी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में चीनी के उत्पादन में वृद्धि करने में मदद मिलेगी।

नई चीनी फैक्ट्रियों और मौजूदा फैक्ट्रियों के विस्तार के लिए पुनरीक्षित प्रोत्साहन योजना

भारत सरकार संयंत्र और मशीनरी में लागत में बढ़ोतरी के कारण अधिक पूंजीनिवेश के संदर्भ में नई लाइसेंस शुदा चीनी फैक्ट्रियों और विस्तार परियोजनाओं को महत देने के मामले पर विचार कर रही है ताकि उन्हें आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाया जा सके। श्री सी. एन.

राघवन, संयुक्त सचिव (चीनी), कृषि मंत्रालय की अध्यक्षता में एक अन्तर मंत्रालयीय ग्रुप नियुक्त किया गया था। इस ग्रुप को 1975 से लागू पहली योजना में पुनरीक्षण करना था। ग्रुप ने सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। रिपोर्ट पर विस्तृत और बारीकी से विचार करने के बाद, सरकार ने अब नई चीनी फैक्टियों परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने का निश्चय किया है। ये प्रोत्साहन अंशत, लेवी मुक्त चीनी के अधिक कोटे और अंशत: उत्पादन शुल्क में रियायत देने के रूप में होंगे। पुनरीक्षित प्रोत्साहन योजना की मुख्य बातें नीचे दी जाती हैं :—

1. यह योजना चीनी वर्ष 1980-81 से लागू होगी और नये यूनिटों के मामले में निम्नलिखित श्रेणियों की चीनी फैक्टियों पर लागू होगी : —

(क) पिछली प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत आने वाले सभी यूनिट अर्थात् पहली नवम्बर, 1975 और अक्तूबर, 31, 1980 के बीच की अवधि में उत्पादन प्रारम्भ करते हैं। जिन नये यूनिटों ने अक्तूबर 1, 1973 के बाद और नवम्बर 1, 1975 से उत्पादन प्रारम्भ किया था, वे भी योजना के लाभों को प्राप्त करने के पात्र हैं लेकिन ऐसे मामलों में यह रियायत फैक्ट्री चालू होने की तारीख से शेष अवधि के लिए लागू होगी।

(ख) लाइसेंसशुदा नई चीनी फैक्ट्रियां, जिन्होंने 1-10-1980 से 39 मास की अधिकतम अवधि के अन्दर उत्पादन प्रारम्भ किया है, भी योजना के लाभों को पाने के लिए पात्र होंगी।

(ग) छठी योजना में लाइसेंस प्राप्त करने वाली नई चीनी फैक्ट्रियाँ, जोकि अपने लाइसेंस या आशय पत्र की तारीख से 39 मास की अवधि के अन्दर उत्पादन प्रारम्भ करेंगी; इसमें जो भी पहले हो, प्रोत्साहन को प्राप्त करने की हकदार होंगी।

(घ) विस्तार परियोजनाओं के मामले में, निम्नलिखित श्रेणियों पर यह योजना लागू होगी :—

(1) पिछली प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत आने वाले सभी यूनिट अर्थात् नवम्बर 1, 1975 और अक्तूबर 31, 1980 के बीच की अवधि के दौरान उत्पादन प्रारम्भ करती हैं।

(2) जिन विस्तार परियोजनाओं को लाइसेंस मिल चुका है, जोकि 1-10-1980 से 39 मास की अधिकतम अवधि के अन्दर उत्पादन प्रारम्भ करती है, वे फैक्ट्रियाँ भी योजना के लाभों को पानी की पात्र होंगी।

(3) छठी योजना में लाइसेंस प्राप्त करने वाली लाइसेंस शुदा विस्तार परियोजनाएं जोकि अपने लाइसेंस या आशय पत्र की तारीख से 39 मास की अवधि के अंदर उत्पादन प्रारम्भ करती हैं, इसमें जो पहले ही, प्रोत्साहन पाने के लिए भी पात्र होंगी।

(4) एक करोड़ रुपये और इससे अधिक कीमत वाली विस्तार परियोजनाओं को प्रोत्साहन दिए जाएंगे लेकिन खाद्य विभाग में स्थापित की जाने वाली समिति द्वारा विस्तार का अनुमोदन करना होगा और सम्बन्धित फैक्ट्री द्वारा विस्तार के प्रयोजन के लिए स्थापित की जाने वाली मशीनरी और संयंत्र की मदों के लिए शर्करा निदेशालय की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

क्योंकि विस्तार परियोजनाओं में मशीनरी की स्थापना करनी होती है जिस पर मशीनरी बदलने/आधुनिकीकरण और विस्तार की मिली-जुली आवश्यकताएं पूरी होती हैं। इसलिए

विस्तार परियोजनाओं में आधुनिकीकरण और प्रति स्थापन शामिल होगा लेकिन प्रोत्साहन 'अतिरिक्त उत्पादन' पर लागू होगा जोकि केवल विस्तार से प्राप्त हो।

2. अधिक लेवी मुक्त कोटा

(क) नये यूनिट

संयंत्र और मशीनरी की रेल निप्रसार कुल 400 लाख रुपये या अधिक की लागत से सम्बद्ध लेवी मुक्त चीनी के कोटे की अधिक प्रतिशतता इस प्रकार दी जाएगी :—

वर्ष	अधिक रिकवरी क्षेत्र	मध्यम रिकवरी क्षेत्र	कम रिकवरी क्षेत्र
पहला	90	100	100
दूसरा	80	100	100
तीसरा	70	100	100
चौथा	60	100	100
पाँचवाँ	55	65	100
छठा	35	35	100
सातवां	35	35	100
आठवां	35	35	75

अधिक और मध्यम रिकवरी वाले क्षेत्रों के मामलों में प्रोत्साहन की अवधि पाँच वर्ष और कम रिकवरी के क्षेत्रों के मामलों में आठ वर्ष रखने का प्रस्ताव है। इन लेवी मुक्त कोटों की गणना उपयुक्त ढंग से नये यूनिटों के मामले में की जाएगी जिनकी संयंत्र और मशीनरी की लागत 200 लाख रुपये और 400 लाख रुपये के बीच है। यह रियायत उन यूनिटों को नहीं दी जाएगी जिनके संयंत्र और मशीनरी की लागत 200 लाख रुपये से कम है।

(ख) विस्तार परियोजनाएं

विस्तार परियोजनाओं के अनुमेय लेवी मुक्त चीनी के कोटे की ऊंची प्रतिशतता इस प्रकार होगी :—

वर्ष	अधिक रिकवरी क्षेत्र	मध्यम रिकवरी क्षेत्र	कम रिकवरी क्षेत्र
पहला	40	60	90
दूसरा	40	60	90
तीसरा	40	50	75
चौथा	40	50	70
पाचवां	40	50	60

ये प्रोत्साहन पाँच वर्ष की अवधि के लिए देने का प्रस्ताव है। ऊपर बताया लेवी मुक्त चीनी का अधिक कोटा केवल एक चीनी मौसम में उस 'अतिरिक्त उत्पासन' पर लागू होगा जोकि या तो (1) विस्तार परियोजना पूरी करने के वर्ष से पूर्व पिछले तीन वर्षों के औसत

उत्पादन से अधिक या (2) विस्तार पूर्व क्षमता के सिद्धान्तों से वास्तविक अधिक उत्पादन इसमें जो कम है (ऐसा वास्तविक उत्पादन विस्तार के बाद क्षमता के सिद्धान्त तक सीमित है)। यह योजना के शुरू होने की तारीख से लागू होगा।

3. फैक्ट्रियों पर योजना लागू होना जिन्होंने कुछ प्रोत्साहन पहले ही प्राप्त कर लिए हैं।

जो फैक्ट्रियां मूल योजना के अधीन प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र हैं लेकिन प्रोत्साहन कामों को नहीं लिया था या उनको अंशत: लिया था, उन्हें भी नई योजना में फिट किया जाएगा। जिन्होंने प्रोत्साहन पहले ही ले लिए हैं, उनकी मात्रा में कमी के लिए उपयुक्त मुआवजा भी दिया जाएगा।

4. उत्पादन शुल्क में राहत

मुक्त बिक्री का अधिक कोटा देने के बावजूद नई चीनी फैक्ट्रियों और विस्तारित यूनिटों को खुली बिक्री की चीनी के अतिरिक्त कोटे पर लेवी चीनी की दरों पर उत्पादन शुल्क का भुगतान करना होगा।

5. योजना के और ब्यौरे शीघ्र तथा राज्य सरकारों को बहुत जल्द भेजे जाएंगे। आशा है कि जिन उद्यमियों के पास नये यूनिट स्थापित करने या अपने मौजूदा यूनिटों का विस्तार करने के लिए लाइसेंस हैं, वे अब वित्तीय संस्थानों से अपेक्षित वित्तीय सहायता प्राप्त कर पाएंगे और बिना किसी विलम्ब के अपने लाइसेंसों को कार्यान्वित कर पाएंगे।

माल्पे मछली पकड़ने का बन्दरगाह

*6. **श्री एस. बी. सिदनाल :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से मछली पकड़ने के माल्पे बन्दरगाह को विकसित करने का प्रस्ताव है : और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और कार्य के कब तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. पी. स्वामीनाथन) : (क) माल्पे में मछली पकड़ने की बन्दरगाह का निर्माण कार्य जारी है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से कोई सहायता मांगने का विचार नहीं है।

(ख) इस बन्दरगाह की मुख्य विशेषताएं ये हैं; 295 मीटर लम्बे घाट, 160 मीटर लम्बी जेटी, 2000 मीटर ट्रेनिंग-बाल, ड्रेजिंग, स्लीपवे तथा अन्य तटीय सुविधाओं की व्यवस्था करना। इस बन्दरगाह का डिजाइन इस प्रकार बनाया गया है कि यहां 10 से 28 मीटर तक के विभिन्न आकार के मछली पकड़ने के 280 जलयान ठहर सकते हैं।

आशा है यह बन्दरगाह मार्च 1981 में तैयार हो जायेगा।

राज्यों में बाढ़ से क्षति

*7. **श्री जगपाल सिंह :**

श्री अर्जुन सेठी : क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में राज्य-वार हाल की बाढ़ से जन-जीवन, फसलों तथा सम्पत्ति की कुल कितनी क्षति हुई है ?

(ख) बाढ़ का अत्यधिक प्रभाव किन-किन राज्यों पर हुआ है, और

(ग) इस स्थिति पर काबू पाने के लिए राज्य सरकारों को कितनी-कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

(ख) तथा (ग) हाल की बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित दस राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश असम बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल ने केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध किया है ।

अब तक असम, गुजरात, हरियाणा, केरल, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों को व्यय की अधिकतम सीमा के रूप में 148.65 करोड़ रुपए स्वीकृत किये गये हैं । इसके अलावा आन्ध्र प्रदेश तथा उड़िसा के लिए व्यय की अधिकतम सीमा 50.85 करोड़ रुपये की आसपास स्वीकृत करने का प्रस्ताव है । केन्द्रीय दल के प्रतिवेदन पर उच्चस्तरीय समिति द्वारा विचार करने के पश्चात् बिहार तथा कर्नाटक को सहायता देने के बारे में विचार किया जायेगा ।

विवरण

राज्य का नाम	क्षतिग्रस्त सस्यगत क्षेत्र (लाख हैक्टार)	क्षतिग्रस्त घरों/झोंपड़ियों की संख्या	मृतक		सार्वजनिक सम्पत्ति की हुई क्षति की अनुमानित लागत (लाख रु०)
			जन-जीवन	पशु	
1	2	3	4	5	6
1. आन्ध्र प्रदेश	0.24	33811	88	26069	518 36
2. असम	2.88	37457	57	9154	2538 00
3. बिहार	9.96	81015	67	42	5401 00
4. गुजरात	2 74	24282	42	8744	3521.00
5. हरियाणा	0.80	2230	7	5	1373.26
6. कर्नाटक	0.28	7563	11	359	403.58
7. केरल	0,61	36811	42	56	1862.20
8. उड़ीसा	3.55	90000	73	8280	6032.90
9. उत्तर प्रदेश	30.94	1923134	1309	5244	7595.00
10. प० बगाल	1.41	267822	47	104	1632.36
11. हिमाचल प्रदेश	नगण्य	331	46	63	9.01

1	2	3	4	5	6
12. महाराष्ट्र	0.03	576	29	202	0.46
13. पजाब	0.45	19244	47	113	201.00
14. राजस्थान	नगण्य	78	16	—	—
15. मणिपुर	राज्य सरकार ने सूचित किया है कि कुल 3 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है और राज्य सरकार क्षति का मूल्यांकन कर रही है।				
कुल	53.89	2527354	8181	58435	31088.13

चीनी की कमी अथवा उसके ऊंचे मूल्य

*8. **श्री एन. इ. होरो :**

श्री चित्त महाटा : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चीनी के मूल्यों में हुई वृद्धि के बारे में जानकारी है जो काले बाजार में 25 रुपये प्रति किलो बिकी है :

(ख) यदि हाँ तो क्या सरकार यह समझती है कि खुले बाजार में चीनी की अनुपलब्धता तथा उसके मूल्य में हुई असाधारण वृद्धि चीनी को गलत नीति के कारण है;

(ग) क्या सरकार का विचार मूल्यों को कम करने तथा उचित मूल्य पर चीनी खुले बाजार में उपलब्ध कराने के लिए चीनी नीति को पुनरीक्षित करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार ने इस दिशा में क्या कार्यवाही की है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मन्त्र (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) और (ख) : सरकार द्वारा फक्ट्रियों के 450 रुपये प्रति क्विंटल के निर्धारित निकासी मूल्य, जिसमें उत्पादन शुल्क शामिल नहीं है, पर चीनी देने की स्वैच्छिक पेशकश की योजना के अधीन 6 रुपये प्रति किलो के आसपास के मूल्य पर राज्य सरकार की एजेंसियों के माध्यम से सितम्बर और अक्तूबर, 1980 के त्यौहार के महीनों के दौरान उपभोक्ताओं के सभी वर्गों को मुक्त बिक्री की चीनी का वितरण करने के लिए प्रबन्ध किये गये थे। कुल मिलाकर, इस योजना के अधीन उचित मूल्य पर चीनी उपलब्ध की गई थी। तथापि, कुछ स्थानों पर व्यापारियों द्वारा चीनी के ऊंचे मूल्य लेने के बारे में अखबार में कुछ खबरे छपी थीं जिसके बारे में सरकार के पास कोई प्रत्यक्ष सूचना नहीं है।

(ग) और (घ) : उद्योग की स्वैच्छिक पेशकश के अधीन निर्धारित मूल्यों पर मुक्त बिक्री की चीनी के वितरण के लिए की गई विशेष व्यवस्था 15 नवम्बर, 1980 को समाप्त हो गई है और चीनी पर दोहरे मूल्य नियंत्रण की मौजूदा नीति के अधीन, अतीत की भाँति, सामान्य व्यापार माध्यमों से खुले बाजार में चीनी उपलब्ध की जाती है। इस नीति के अधीन कुल उत्पादन का 35 प्रतिशत खुले बाजार में मुक्त बिक्री के लिए दिया जा रहा है। चीनी का मूल्य कुल उपलब्धता, जोकि उत्पादन पर आधारित है, पर निर्भर करता है।

कृषि उत्पाद के लिये कम समर्थन मूल्य

*9. **श्री दौलत राम सारण :**

श्री नित्यानन्द मिश्र : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) वर्तमान खरीफ और आगामी रबी फसल के दौरान किन-किन कृषि उत्पादों का समर्थन मूल्य घोषित करने का सरकार का विचार है और इसका आधार क्या है;

(ख) क्या अब तक घोषित खरीफ फसलों का समर्थन मूल्य किसान संगठनों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा बहुत कम बताया जा रहा है और यदि हाँ, तो किसान संगठनों तथा अन्य संस्थाओं के सुझावों को ध्यान में रखते हुए इनके समर्थन मूल्यों में वृद्धि की जायेगी;

(ग) क्या किसान तथा उनके संगठन अपनी बुवाई से पूर्व अपने उत्पाद के समर्थन मूल्य की घोषणा की मांग कर रहे हैं और इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार का विचार कृषि वस्तुओं तथा औद्योगिक (गैर-कृषि) वस्तुओं के मूल्यों के बीच समानता का आधार अपनाने का है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) सरकार ने धान, ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी तथा दलहन (तुर, मूंग तथा उड़द) व कपास, कच्ची पटसन, सावुत मूंफली, सोयाबीन और सूरजमुखी के बीजों तथा गन्ने की वर्तमान खरीफ फसलों के लिए खरीद/न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा कर दी है। गेहूँ, जौ तथा सरसों की आगामी रबी फसलों के लिए खरीद/समर्थन मूल्यों की घोषणा अभी की जानी है। ये मूल्य कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों तथा राज्य सरकारों के परामर्श से निरधारित किये जाते हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादन लागत के उपलब्ध आँकड़ों, प्रतियोगी फसलों के आकलित मूल्यों, आदान मूल्यों, उत्पादन एवं मूल्य प्रवृत्ति, व्यापार की शर्तों आदि में हुए परिवर्तनों को भी ध्यान में रखती है।

(ख) कृषि उत्पादों के खरीद/समर्थन मूल्यों की घोषणा करने से पहले सरकार ने किसान संगठनों, राज्य सरकारों तथा अन्य संबंध रखने वालों के विचारों पर पूरी तरह से विचार किया है। पहले से ही घोषित खरीद/समर्थन मूल्यों में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

(ग) किसान तथा किसान संगठन बुवाई से पूर्व अपने उत्पाद के समर्थन मूल्यों की घोषणा कराने की मांग कर रहे हैं। इस वर्ष ऐसा करना संभव नहीं हो सका है क्योंकि जून के महीने में उर्वरक तथा डीजल की कीमतों में भारी वृद्धि के कारण कृषि मूल्य आयोग को पूरक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। भविष्य में सरकार यथा संभव शीघ्र ही खरीद/समर्थन मूल्यों की घोषणा करना चाहती है।

(घ) कृषि मूल्य आयोग को खरीद/समर्थन मूल्यों के उचित स्तर की सिफारिश करते समय कृषि एवं गैर-कृषि वस्तुओं के बीच व्यापार की शर्तों में हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखने के लिए कहा गया है।

शिक्षा में व्यापक परिवर्तन

*10. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन करने का विचार कर रही है;

(ख) क्या यह सच है कि शिक्षा की वर्तमान 10+2+3 प्रणाली से अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए; और

(ग) तत्सम्बन्धी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) तथा (ख) जी, नहीं। (ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए मकान

*11. **श्री हीरालाल आर. परमार :**

श्री रामलाल राही : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली राज्य क्षेत्र में लम्बे समय से रह रहे आवासहीन अनुसूचित जातियों तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों और श्रमिकों को आवास सुविधायें प्रदान करने की कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी रूप-रेखा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि यद्यपि, दिल्ली के सघ राज्य क्षेत्र में काफी समय से रह रहे बेघर अनुसूचित जाति के लोग आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों तथा मजदूरों के लिए आवासीय सुविधाएं अलग से उपलब्ध कराने के लिये कोई अलग से योजना नहीं है तथापि, निम्नलिखित योजनायें चल रही हैं :—

(1) औद्योगिक कर्मचारियों के लिए एकीकृत सहायता प्राप्त आवास योजना। यह योजना भारतीय फैक्टरी अधिनियम, 1948 की परिभाषा के भीतर आने वाले कतिपय 'कर्मचारियों' पर लागू होती है।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन मजदूरों के लिए आवास-स्थल-तथा झौंपड़ी निर्माण योजना।

यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन कृषि मजदूरों, कामगारों तथा दस्तकारों को आवास स्थल देने से संबंधित है। आवास स्थलों के विकास के लिये राशि की अधिकतम सीमा मैदानी इलाके में 300 रुपये तथा पहाड़ी इलाके में 500 रुपये है। आवास स्थलों के विकास के लिये शतप्रतिशत अनुदान दिया जाता है। आवासीय एककों के निर्माण के लिये 500 रुपये की सहायता उन लोगों के लिये है जिन्हें आवास स्थल पहले ही दिये जा चुके हैं और 750 रुपये उनके लिए हैं जिन्हें आवास स्थल भी दिये जाने हैं। श्रम संबंधी समस्त कार्य लाभ भोगियों द्वारा किया जाना है। इस योजना को संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के लोगों को मकानों के निर्माण के लिए सहायता।

हरिजन कल्याण बोर्ड, दिल्ली 1500 रुपये की सहायता ग्रामीण क्षेत्रों के उन अनुसूचित जाति के लोगों को देता है जिनके अपने नाम या उनके आश्रितों के नाम कोई पक्का मकान नहीं है लेकिन उनके नाम कम से कम 60 वर्ग गज का प्लाट है।

(4) झुग्गी झौंपड़ी हटाओ योजना के अन्तर्गत रिहायशी प्लाटों की व्यवस्था झुग्गी-झौंपड़ियों से हटाये गये लोगों को समस्त दिल्ली में फैली पुनर्वास कालोनियों में प्रत्येक को 25 वर्ग गज के प्लाट दिये जाते हैं।

एशियाई खेल, 1982 के लिये आधार ढांचे की अनुमानित लागत

श्री एस. एम. कृष्ण :

श्री पी. के. कोडियन : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई खेल, 1982 के लिये बनाये जा रहे आधार ढांचे की अनुमानित लागत क्या हैं ?

(ख) खेल कहां होंगे तथा उस कार्य के लिये कहां स्टेडियम बनाये जा रहे हैं ;

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक की गई कार्यवाही का मुख्य ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार ने भारत में एशियाई खेलों के आयोजन की उपयुक्तता पर पुनर्विचार किया है यदि हां, तो क्या ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) 36.83 करोड़ रुपये, (दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा वहन किये जाने वाले व्यय को छोड़कर) जिसके ब्यौरे सभा पटल पर रखे गये विवरण में दे दिये गये हैं।

(ख) नौका दौड़ को छोड़कर, जो बम्बई में आयोजित की जाएगी, 1982 के एशियाई खेलों, में शामिल सभी खेल दिल्ली में विद्यमान स्टेडियमों/हालों में अथवा बनाए जाने वाले नये खेल स्थलों में खेले जयेंगे। बनाए जाने वाले स्टेडियम हैं :

(1) लोधी रोड परिसर में 75,000 की क्षमता वाला मुख्य वहिरग स्टेडियम :

(2) राजघाट खेल परिसर में 25,000 बैठने के स्थानों की क्षमता वाला अन्तरंग स्टेडियम :

(3) तालकटोरा बाग में अन्तरर्राष्ट्रीय स्तरों वाला अन्तरग तरण-ताल : और

(4) एक नया साईकिल वेलोड्रोम तथा शूटिंग रेंज बनानी पड़ सकती हैं।

(ग) बनाए जाने वाले स्टेडियमों के डिजाइनों और वित्तीय अनुमानों को स्वीकार कर लिया गया है, और उनके लिए मंजुरी दे दी गयी है निर्माण कार्य आरम्भ हो चुके हैं। प्रत्येक निर्माण कार्य के लिये पर्ट चार्ट तैयार किये गये हैं, जिनमें निर्माण कार्यों के विभिन्न चरणों को पूरा करने की लक्षय तारीखें निश्चित कर दी गयी हैं। आशा है कि सभी निर्माण कर्य जून, 1982 के अन्त तक पूरे हो जायेंगे। निर्माण कार्य की प्रगति, जिसका पुनरीक्षण सचालन समिति द्वारा हर पखवाड़े में किया जाता है, अब तक संतोषजनक है।

(घ) जी, नहीं।

विवरण

क्र. स.	खेल	स्थान	अनुमानित लागत (करोड़ रु. में)
1.	एथेलेटिक्स	लोधी रोड परिसर का नया स्टेडियम	15·12)
		विद्युत उप-केन्द्र	1·69)

2. बैडमिन्टन 3. टेबल टेनिस	प्रगति मैदान	1·25
4. साईकलिंग	दिल्ली में बनाया जाने वाला नया साईकल वेलीड्रोम	1·00
5. जिमनास्टिक्स	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाया जाने वाला इन्डोर स्टेडियम। हाल आफ नेशनस अथवा कोई अन्य इन्डोर हाल जैसा भी संचालन समिति द्वारा निर्णय किया जाए।	नीचे क्रम सं. 11 अथवा ऊपर क्र. सं. 2 और 3 में है।
6. भारोत्तोलन	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा खेल गांव में बनाया जाने वाला समुदाय हाल	—
7. (क)हाकी (पुरुष)	नेशनल स्टेडियम, नई दिल्ली जिसका नवीकरण किया जाएगा।	2·47
(ख) हाकी (महिला)	शिवाजी स्टेडियम जिसका नवीकरण किया जाएगा।	खर्च न. दि. न. पा. द्वारा वहन किया जाना है।
8. निशानेबाजी	राजघाट खेल परिसर में बनाई जाने वाली नई शूटिंग रेंज अथवा निकलसन रेंज, अथवा कोई अन्य स्थान जिसका निर्णय संचालन समिति द्वारा किया जाएगा।	0·70
9. तैराकी	नया तरणताल जिसका निर्माण न. दि. न. पा. द्वारा ताल कटोरा बाग में किया जाएगा।	9·25 (2·75 रु. न. दि. पा. द्वारा और शेष भारत सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे)।
10 लान टेनिस	दिल्ली लान टेनिस स्टेडियम, हौज खास, नई दिल्ली।	0·20
11. वालीबाल (क)	इन्डोर स्टेडियम जिसका निर्माण दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा राजघाट खेल परिसर में किया जाएगा।	9·00 (9·35 करोड़ रु. की शेष राशि दि. वि. प्र. द्वारा वहन की जाएगी)
(ख)	प्रगति मैदान में भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा निर्माण किए जाने वाले हाल में जिसे अभ्यास मैदान के रूप में अथवा वैकल्पिक मैदान के रूप में प्रयोग किया जाएगा।	0·50

12. कुश्ती	अम्बेडकर स्टेडियम, दिल्ली गेट, माडल टाऊन स्टेडियम अथवा सचालन समिति के निर्णय के अनुसार दिल्ली में कोई अन्य उपयुक्त स्थान ।	2·00
13. तीरन्दाजी	माडर्न स्कूल का मैदान अथवा प्रगति मैदान अथवा संचालन समिति के निर्णय के अनुसार कोई अन्य उपयुक्त स्थान ।	
14. बास्केटबाल	ताल-कटोराबाग स्थित न. दि. न. पा. का इन्डोर स्टेडियम ।	
15. मुक्केबाजी	दि. वि. प्रा. का अन्तरंग स्टेडियम अथवा संचालन समिति के निर्णय के अनुसार कोई अन्य उपयुक्त स्थान ।	
16. घुड़सवारी	हरबक्श स्टेडियम और निकलसन रेंज, दिल्ली छावनी ।	
17. फुटबाल	सेमी-फाईनलों तक डी. डी. सी. ए. क्रिकेट मैदान और सेमी-फाईनलों और फाईनल के लिए लोधी रोड स्टेडियम ।	
18. गोल्फ	दिल्ली गोल्फ क्लब	
19. नौका दौड़	बम्बई	

39 58 रु.

(36·83 रु. भारत सरकार द्वारा और 2·75 रु. न. दि. न. पा. द्वारा वहन किए जाएंगे) ।

• •

गोदामों की भण्डारण क्षमता

*15. **श्री ई. बालानन्दन** : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गोदामों की कुल भण्डारण क्षमता कितनी है; और

(ख) खाद्यानों, उर्वरकों तथा आवश्यक वस्तुओं का द्रुत गति से वितरण के लिए सरकार उक्त क्षमता में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (श्री बीरेन्द्रसिंह राव) : (क) भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भाण्डागर निगम और राज्य भाण्डागार निगमों के पास कुल उपलब्ध अपनी भण्डारण क्षमता 123·95 लाख मीटरी टन तक है। इसके अलावा इन एजेंसियों द्वारा किराये पर ली गई क्षमता 101·85 लाख मीटरी टन तक है । भाण्डागार सैक्टर के पास उपलब्ध क्षमता के बारे में कोई विश्वनीय सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भाण्डागार निगम और राज्य भाण्डागार निगमों द्वारा छठी योजनावधि के दौरान (1980-85) 66·84 लाख मीटरी टन अतिरिक्त क्षमता की वृद्धि

करने का विचार है। इसके अलावा, भारतीय खाद्य निगम द्वारा 20 लाख मीटरी टन क्षमता के निर्माण की सिद्धांत रूप में स्वीकृति दी जा चुकी है।

बिहार के गिरिडिह जिले में टेलीफोन एक्सचेंज की मांग

*16. **श्री रीतलाल प्रसादवर्मा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के गिरिडिह जिले में राजधनवार 'टेलीफोन एक्सचेंज' के टेलीफोन प्रयोक्ताओं ने निर्धारित फार्म में टेलीफोन डिवीजन धनबाद को आवेदन किया है और 20 से 25 व्यक्तियों ने प्रतिभूति जमा कर दी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि धनबाद और जमुआ महत्वपूर्ण स्थान होने के साथ ही टेलीफोन एक्सचेंज लगाने के लिए उपयुक्त स्थान हैं जहाँ से उस क्षेत्र के लोगों को टेलीफोन सुविधाएं प्रदान की जा सकती; और हैं

(ग) यदि हाँ, तो सरकार का विचार उपर्युक्त स्थानों पर कब तक टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का विचार है ?

संचार मन्त्री (श्री सी. एम. स्टीफन) : (क) से (ग) बिहार के गिरिडिह जिले के राजधनवार नामक स्थान पर 12 आवेदकों के नाम टेलीफोन कनेक्शन हेतु दर्ज किए गए हैं। जमुआ में 8 भावी उपभोक्ताओं ने निर्धारित आवेदन फार्म खरीद रखे हैं परन्तु अभी तक कोई आवेदन फार्म दर्ज नहीं कराया गया है।

ये दोनों स्थान फिलहाल टेलीफोन एक्सचेंजों को खोलने की शर्तें पूरी नहीं करते।

इन शर्तों का उल्लेख करने वाला एक विवरण सदन के सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

डाक तार विभाग के सामान्य नियमों के अंतर्गत नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने अथवा उनका विस्तार करने की मंजूरी तभी दी जाती है जबकि वित्तीय मूल्यांकन से यह पता चलता है कि वार्षिक आवर्ती व्यय, जिसमें पूंजी पर ब्याज तथा मूल्यह्रास भी शामिल है, प्रत्याशित वार्षिक राजस्व से अधिक नहीं होगा।

2. तथापि ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन एक्सचेंज सुविधाओं का विस्तार करने के लिए विभाग ने उन शर्तों को निम्न अनुसार उदार बना दिया है जिनके अन्तर्गत एक्सचेंज खोले जा सकते हैं :--

(i) एक ग्राम अथवा केन्द्रीय ग्राम की 5 किलोमीटर अरीय दूरी के अन्तर्गत आने वाले ग्राम समूह में 25 लाइनों का एक एक्सचेंस खोला जा सकता है। यदि 10 कनेक्शनों के लिए मांग हो। साथ ही शर्त यह भी है कि प्रत्याशित राजस्व प्रत्याशित वार्षिक आवर्ती व्यय का कम से कम 40 प्रतिशत होना चाहिए।

(ii) 25 लाइनों वाले एक्सचेंज को 50 लाइनों वाले एक्सचेंज में बदला जा सकता है जबकि मांग 23 तक पहुँच जाए और 50 लाइनों वाले एक्सचेंज को 100 लाइनों वाला एक्सचेंज तब बनाया जा सकेगा ज कि मांग 46 तक पहुँच जाए। साथ ही शर्त यह भी है कि प्रत्याशित राजस्व प्रत्याशित वार्षिक आवर्ती व्यय का क्रमशः 50 प्रतिशत और 70 प्रतिशत होना चाहिए।

3. जबकि राजधनवार में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये तीन आवेदन पत्र दर्ज हुए हैं वहाँ पर एक्सचेंज खोलने के लिये योजना के वित्तीय मूल्यांकन से यह पता चलता है कि इन 12 टेलीफोन कनेक्शनों से जो प्रत्याशित राजस्व आएगा वह वार्षिक आवर्ती व्यय का 40 प्रतिशत नहीं हो सकेगा। इसलिये इस योजना की मंजूरी देना संभव नहीं हो सका है। यह अनुमान लगाया गया है कि टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिये अपेक्षित शर्तों को पूरा करने हेतु कम से कम 18 कनेक्शनों की जरूरत है।

4. अगर राजधनवार में 6 आवेदन और दर्ज हो जाते हैं तो एक्सचेंज खोलने के लिए मंजूरी दी जा सकेगी। योजना के मंजूर हो जाने के बाद एक्सचेंज खुलने में आमतौर पर 18 से 24 महीने लग जाते हैं।

5. जहाँ तक जमुआ का संबंध है, अभी तक कोई आवेदन दर्ज नहीं हुआ है। योजना की मंजूरी के लिए मूल्यांकन तब किया जा सकता है अगर कम से कम 10 आवेदन दर्ज हुए हों।

वर्ष 1980-81 के लिये खरीफ की फसल

17. **श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खरीफ फसल की क्या स्थिति रहने की सम्भावना है और वर्ष 1980-81 के लिये खाद्यान्न का कुल कितना उत्पादन होने का अनुमान है; और

(ख) क्या यह सच है कि मन्त्रालय ने पूर्व निर्धारित लक्ष्य को कम कर दिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) वर्ष 1980-81 की खरीफ फसल की बुवाई के क्षेत्र तथा उत्पादन के पक्के अनुमान दिसम्बर के मध्य से राज्यों से प्राप्त होने की आशा है। तथापि, अस्थायी अनुमानों के आधार पर कहा जा सकता है कि 1980-81 में खरीफ खाद्यान्नों का उत्पादन लगभग 800 लाख मीटरी टन होगा।

(ख) जी नहीं। खाद्यान्नों के उत्पादन के 1350 लाख मीटरी टन के वार्षिक लक्ष्य में कोई परिवर्तन नहीं है, जिसमें खरीफ तथा रबी की फसलें शामिल हैं।

दालों के मूल्य में वृद्धि

18. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में सभी प्रकार की दालों के मूल्यों में वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस मूल्य-वृद्धि को रोकने के लिये अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (श्री बीरेन्द्रसिंह राव) : (क) तथा (ख) सरकार को दलहनों के मूल्यों में वृद्धि होने के बारे में जानकारी है। इसका मुख्य कारण यह है कि दलहनों की माँग में वृद्धि हो रही है, परन्तु उसकी सप्लाई स्थिर है अथवा कम हो रही है। सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि होने के साथ-साथ अधिक उपज देने वाली तथा लाभकारी धान्य फसलों के क्षेत्र की तुलतना में दलहन की फसलें सामान्यता उतने अधिक क्षेत्र में नहीं बोई जा रही है। इन प्रवृत्तियों को रोकने के लिए सरकार ने दलहनों के विकास के लिए 56 जिलों में एक गहन कार्यक्रम आरम्भ किया है। गेहूँ की कटाई के बाद ग्रीष्म मूंग की खेती को उत्तरी राज्यों

में विशेष अभियानों का आयोजन करके लोकप्रिय बनाया जा रहा है। पूर्वी तथा दक्षिणी राज्यों में धान की परती भूमियों में रबी के मूंग की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। दलहन फसलों के संबंध में अनुसंधान सम्बन्धी प्रयासों को भी तेज किया जा रहा है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कार्य-प्रणाली पर पैनल

*19. **श्री जनार्दन पुजारी :**

श्री एम. रामगोपाल रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि वह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कार्य-प्रणाली की जांच के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त पैनल नियुक्त करें; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (श्री बीरेन्द्रसिंह राव) : (क) सरकार का ध्यान एक प्रेस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शासी निकाय के एक सदस्य ने यह अनुरोध किया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कार्य प्रणाली की जांच पड़ताल के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त पैनल नियुक्त किया जाय।

(ख) इस सम्बन्ध में किसी पैनल की नियुक्ति का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कार्य की 1972 में गजेन्द्रगडकर समिति द्वारा पहले भी तथा लोक सभा की प्राक्कलन समिति द्वारा अपनी 35 वीं रिपोर्ट (छठी लोक सभा 1978-79) में हाल ही में समीक्षा की गई है।

मोगा डिवीजन में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में पड़ा खाद्यान्न

*20. **श्री समर मुखर्जी :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पिछले कई वर्षों से मोगा डिवीजन में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में अभी तक करोड़ों रुपये के मूल्य का खाद्यान्न पड़ा हुआ है और इस खाद्यान्न को वहां से नहीं भेजा गया है और वहां सड़ रहा है;

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा जरूरतमन्द राज्यों को खाद्यान्न समय पर न भेजे जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने उसके लिए जिम्मेदार भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (श्री बीरेन्द्रसिंह राव) : (क) फरीदकोट जिले के मोगा सब-डिवीजन में भारतीय खाद्य निगम के पास खाद्यान्नों का लगभग 2·71 लाख मीटरी टन स्टाक पड़ा है। इसमें से लगभग 6,000 मीटरी टन की मात्रा वर्ष 1977-78, लगभग 69,000 मीटरी टन 1978-79 और शेष मात्रा 1979-80 और 1980-81 से संबंधित है। यह कहना सही नहीं है कि ये स्टाक भेजे नहीं जा रहे हैं और वहां सड़ रहे हैं।

(ख) भारतीय खाद्य निगम प्रति वर्ष समर्थन मूल्य योजना के अधीन और लेवी के प्रति खाद्यान्नों के नये स्टाक की वसूली कर रहा है। खाद्यान्नों के अधिप्राप्त स्टाक और नई वसूली से प्राप्त नये स्टाक में से प्रति वर्ष खद्यान्नों का संचलन होता है। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से अन्य राज्यों को उन राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्टाक भेजने के

लिए प्रति मास संचलन सम्बन्धी कार्यक्रम बनाए जाते हैं। स्टाक के परिक्षण के लिए उचित सावधानी बरती जाती है ताकि वह गोदाम में अच्छी हालत में रह सके।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सामुहिक आवास समितियों के आवंटितियों के सांझे भागों की देख-भाल करने के लिए एक एजेन्सी

1. **श्री रामविलास पासवान :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के सामुहिक आवास आबटन नियमों के अन्तर्गत दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण के आवंटितियों को सांझे भागों की देख भाल करने के लिए एक एजेंसी गठित करनी होती है;

(ख) इस प्रकार बनाई गई एजेन्सी में प्रत्येक आवंटितों को क्या मासिक अंशदान देना पड़ता है और इसके लिए क्या कानूनी दण्ड है;

(ग) क्या उनके मन्त्रालय को एजेंसियों से आवंटितियों द्वारा शुल्क न दिए जाने के बारे में रिपोर्ट मिली है;

(घ) यदि हाँ, तो उनके मन्त्रालय ने किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार किया है कि उन आवंटितियों के आबंटन रद्द कर दिए जायें जिन्होंने एजेंसी के शुल्क अदा नहीं किए हैं;

(ङ) क्या इस कारण कोई आवंटन रद्द किया गया है या रद्द किए जाने का विचार किया जा रहा है; और

(च) आवंटितियों से एजेंसी के शुल्क की वसूली के लिए क्या अन्य कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नरायणसिंह : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकाश प्राधिकरण (आवास सम्पदा का प्रबन्ध तथा निपटान), विनियमन 1968 के साथ संलग्न माडल संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार, प्रत्येक सदस्य को जमा राशि के रूप में एक राशि देनी होती है, जो राशि एक महिने के प्रभारों की कुल राशि से कम नहीं होगी और जिसे प्राधिकरण सांझे भागों और सांझी सेवाओं के अनुरक्षण प्रभारों के लिए निर्धारित करें। इसके अलावा उसके प्रत्येक मास उक्त कुल राशि अग्रिम रूप से तथा अन्य ऐसे प्रभार अदा करने होते हैं जैसे कि निर्धारित किए जायें। ये उक्त विनियमनों में निर्धारित हैं। यदि कोई सदस्य अभिकरण द्वारा मांगी गई राशि अदा नहीं करता तो इस राशि को भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि आवंटियों द्वारा देय राशि न दिये जाने के बारे में अभिकरणों से रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं। देय राशि की वसूली के लिए राशि का भूगतान न करने वाले व्यक्तियों को पत्र लिख कर कार्यवाही की गई है जिसमें उनका ध्यान उक्त विनियमनों के विभिन्न उपबन्धों की ओर दिलाया गया है।

(घ) और (ङ) : जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) स्थिति, उपर्युक्त भाग (ख) और (ग) में दिए गये उत्तर के अनुसार है।

वेलु थैम्पी डालवा की सम्पत्ति

2. **श्री ए नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने भारत सरकार से अंग्रेजी के विरूद्ध पहले स्वतन्त्रता संघर्ष के शहीद वेलु थैम्पी डालवा के भूतपूर्व ट्रावनकोर राज्य में मकान, शस्त्रों और सम्पत्तियों के राष्ट्रीय स्मारक के रूप में संरक्षण का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने क्या कार्यवाई की है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी नहीं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को केरल सरकार से ऐसी कोई आकांक्षा प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

लक्षद्वीप के लिए आवास धनराशि

3 **श्री पी० एम० सईद** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने लक्षद्वीप के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए मकान बनाने हेतु, लक्षद्वीप प्रशासन को अभी तक प्रर्याप्त धनराशि नहीं दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) चालू वर्ष के दौरन इस कार्य के लिए कितनी धनराशि दी गई है; और

(घ) लक्षद्वीप के कमजोर वर्गों के लोगों के लिए इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार क्या योजनाएं तैयार कर रही है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायणसिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) 1980-81 की दो आवास योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए दी गई निधियां 3,50,000 रुपये की हैं ।

(घ) लक्षद्वीप में कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिए मकान निर्माण की दो आवास योजनाएं चालू हैं । प्रथम योजना ग्रामीण आवास परियोजना (ऋण) योजना योजना है, जिसके अन्तर्गत 1980-81 के दौरान 50,000 रुपये दिए गये हैं । दूसरी योजना पिछड़े वर्ग आवास (सहायता) कल्याण की है । इस योजना के अन्तर्गत चालू वर्ष के दौरान 3,00,000 रुपये दिए गये हैं ।

पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल बोर्ड के विनियमों का संशोधन

4. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल बोर्ड के लिए गैर सरकारी अध्यक्ष के निर्वाचन प्रावधान करने के लिए पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल बोर्ड के विनियमों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो कब और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायणसिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रस्ताव विचाराधीन है।

5. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 सितम्बर, 1980 को देश में चीनी की कितनी मात्रा उपलब्ध थी;

(ख) इस अवधि में खुले बाजार में तथा उचित दर की दुकानों के माध्यम से विकने के लिये दी गई चीनी का ब्यौरा क्या है;

(ग) आगामी मौसम में चीनी के कुल कितने उत्पादन की आशा है;

(घ) चीनी की उत्पादन लागत का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चीनी के थोक विक्रेताओं ने इस अवधि में चीनी को 8.50 रु० से लेकर 16 रु० प्रति किलो तक बेच कर कितना लाभ कमाया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन (क) पहली सितम्बर, 1980 को देश की चीनी फैक्ट्रियों के पास लगभग 9.1 लाख मीटरी टन चीनी थी

(ख) पहली सितम्बर से 15 नवम्बर, 1980 तक के 2-1/2 महीनों की अवधि के लिए स्वैच्छिक मूल्य विनियमन योजना के अधीन लगभग 3,90 लाख मीटरी टन मुक्त बिक्री की चीनी निमुक्त की गई थी। जहां तक लेवी का सम्बन्ध है, अतीत के महीनों में निर्मुक्त की गई मात्रा की समानता में सितम्बर से नवम्बर, 1980 तक उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरण हेतु 2,71 लाख मीटरी टन प्रति मास के हिसाब से लेवी चीनी निर्मुक्त की गई है।

(ग) मौजुदा अनुमानों के अनुसार, आशा है कि 1980-81 मौसम में चीनी का उत्पादन 52-54 लाख मीटरी टन के आस पास होगा।

(घ) क्योंकि 1980 में औद्योगिक लागत और मूल्य ब्युरों को चीनी उद्योग की जांच करने का कार्य सौंपा गया था और उनकी रिपोर्ट सितम्बर, 1980 में प्राप्त होनी थी। 1979-80 मौसम के अन्तिम कार्यकारी परिणामों के आधार पर उत्पादन लागत के बारे में कोई विस्तृत गणना नहीं की गई थी।

(घ) पहली सितम्बर से 15 नवम्बर, 1980 तक लागू स्वैच्छिक मूल्य विनियमन योजना के अधीन फैक्ट्रियों द्वारा 450 रुपये प्रति क्विटल के सहमत मूल्य, जिसमें उत्पादन शुल्क शामिल नहीं था, पर मुक्त बिक्री की चीनी बेची गई थी और इसे राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित खुदरा मूल्यों, जोकि सामान्यतया 5.50 रुपये से 6.50 रुपये प्रति किलो के रेंज में थे, पर वितरित किया गया था। ऊंचे मूल्यों पर बिक्री करने विषयक कदाचारों के कुछेक मामले हुए हो सकते हैं लेकिन इन्हें राज्य सरकारों द्वारा वर्तमान सांविधिक प्रावधानों के अधीन निपटया गया था।

पश्चिमी बंगाल के 24 परगना जिले में खोले गये शाखा डाकघर तथा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

6. **श्री मुकुन्द मण्डल : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल के 24 परगना जिले में चालू वर्ष के दौरान खोले गये शाखा डाकघरों तथा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की संख्या कितनी है, और

(ख) वर्ष 1980 के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) वित्तीय वर्ष 1980-81 के दौरान 24 परगना जिले में खोले गये शाखा डाकघरों की संख्या 4 हैं। 1-4-1980 से अब तक एक सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोला गया है।

(ख) वित्तीय वर्ष 1980-81 के दौरान 22 शाखा डाकघर और 6 सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने का लक्ष्य है। परन्तु भंडार उपलब्ध होने पर ही सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोले जा सकेंगे।

मिदनापुर में शाखा डाकघर तथा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

7. **श्री मोतीलाल हासदा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में चालू वर्ष के दौरान कुल कितने शाखा डाकघर तथा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोले गये हैं; और

(ख) वर्ष 1980 के लिये क्या लक्ष्य रखा गया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) वित्तीय वर्ष 1980-81 के दौरान मिदनापुर जिले में खोले गये शाखा डाकघरों तथा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की संख्या एक-एक है।

(ख) वित्तीय वर्ष 1980-81 के दौरान 8 शाखा डाकघर तथा 7 सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने का लक्ष्य है। भण्डारों के उपलब्ध होने पर ही टेलीफोन घर खोले जा सकेंगे।

दार्जिलिंग में शाखा डाकघर तथा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

8. **श्री आनन्द पाठक :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में चालू वर्ष के दौरान कुल कितने शाखा डाकघर तथा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोले गये हैं; और

(ख) वर्ष 1980 के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) चालू वर्ष के दौरान दार्जिलिंग में कोई शाखा डाकघर या सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र नहीं खोला गया है।

(ख) वित्तीय वर्ष 1980-81 के दौरान 3 शाखा डाकघर तथा 3 सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने का लक्ष्य है। भंडारों के उपलब्ध होने पर ही सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोले जा सकेंगे।

सूखे से प्रभावित राज्य

9. **श्री अमरसिंह बी. राठवा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि इस समय देश के कई भाग सूखे का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उन सूखाग्रस्त राज्यों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या किसी केन्द्रीय दल ने इन राज्यों में सूखे की स्थिति का अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इन राज्यों को दी गई सहायता क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) से (घ) राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तथा हरियाणा की सरकारों ने सूखे की स्थिति के बारे में सूचना दी है। आंध्र प्रदेश, हरियाणा तथा कर्नाटक की सरकारों ने विस्तृत ज्ञापन भेजे हैं, जबकि राजस्थान की सरकार से ज्ञापन प्राप्त होना है। राज्यों में स्थिति का मौके पर जायजा लेने तथा स्थिति से

निपटने के लिए धन की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने हेतु भारत सरकार एक केन्द्रीय दल को वहाँ भेजने के प्रश्न पर शीघ्र ही विचार करेगी। की मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त, आंन्ध्र प्रदेश तथा उड़ीसा के लिए लगभग 50·85 करोड़ रुपये के व्यय की अधिकतम सीमा संबंधी प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। केन्द्रीय दल की रिपोर्ट पर उच्च स्तरीय समिति द्वारा विचार कर लेने के पश्चात बिहार तथा कर्नाटक को सहायता देने के सम्बन्ध में विचार किया जाएगा।

राज्यों को केन्द्रीय आवास निधि

10. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने ग्रामीण आवास के लिए राज्य-वार कितनी-कितनी धनराशि मंजूर की है; और

(ख) राज्यवार, गत वर्ष कितने-कितने मकानों का निर्माण किया गया था और इस वर्ष कितने-कितने मकानों का निर्माण किया जाना है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) 'आवास' राज्य का विषय है। राज्य सरकारों को 'आवास' सहित राज्य क्षेत्र के कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता 'समेकित ऋणों' तथा 'समेकित अनुदानों' के रूप में दी जाती है। ये किसी योजना विशेष या विकास शीर्ष से संबंधित नहीं होती। चूंकि राज्य सरकारें अपनी अग्रताओं को निर्धारित करने में स्वतन्त्र हैं, इसलिए ग्रामीण आवास के लिए निधियों की राज्यवार स्वीकृति देना केन्द्रीय सरकार के लिये सम्भव नहीं है।

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 1979-80 के दौरान बनाये गये ग्रामीण मकानों तथा 1980-81 के दौरान बनाये जाने वाले प्रस्तावित मकानों के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

राज्य	1979-80 में बनाये गये ग्रामीण आवास	1980-81 में बनाये जाने वाले प्रस्तावित ग्रामीण मकान
1. गुजरात	1828	10666
2. हरियाणा	—	2000
3. पंजाब	—	222
4. तमिल नाडु	29 041	40,000
5. उत्तर प्रदेश	1,793	37,822
6. पश्चिम बंगाल	21,700	21,700

अन्य राज्यों की सूचना एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही सभा पटल पर रखी जायेगी।

उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में संचार और डाक सेवाओं का विस्तार

11. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1980-81 के दौरान सचार और डाक सेवाओं के विस्तार के लिए उड़ीसा के जिन आदिवासी क्षेत्रों का चयन किया गया है, उनका ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : 1980-81 के दौरान संचार सुविधाओं के विस्तार के लिये चुने गये उड़ीसा सर्किल के जन-जाति क्षेत्रों का ब्यौरा सलग्न विवरण में दिया गया है।

डाक सुविधाओं के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

विवरण

अनुबंध-I

1980-81 के दौरान उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्रों में दूर संचार सुविधाओं के विस्तार के लिए चुने गए स्थानों की सूची

जिले का नाम	स्थान का नाम
1. बालासोर	1. बहरामपुर
	2. मित्रपुर
2. गंजम	1. नौगोडा
	2. रामगिरी
	3. मोहना
3. कालाहाँडी	1. बिसवकलथपुर
	2. थुमाल रामपुर
	3. कोलामपुर
	4. लांचीगढ़
	5. चरबाहल
	6. लादूगाँव
4. क्योंझर	जंघीरा
5. कोरापुट	1. कल्याण सिंहपुर
	2. पोडिया
	3. कालीमेला
	4. मोतू
	5. चन्दरपुर
	6. काँगो
	7. हाटीवेदा
	8. नौकाटा
	9. अतीगांव
	10. बालीगांव
	11. बी. सिंहपुर
	12. कुजेन्द्री

6. मयूरभज	1. नलगाजा
	2. कुमारा
	3. जुगपाड़ा
	4. खिंचिज
7. फूलबनी	1. लीनेपेडा
	2. चाकापाडा
8. सुन्दरगढ़	1. जालदा
	2. रायबोगा
	3. तेनजा

टिप्पणी :—गंजम जिले के नुआगोडा और फूलबनी जिले के लीनापेडा में सार्वजनिक टेलीफोन-घर/संयुक्त डाक तार घर खोले जा चुके हैं। कोरापुट जिले में बोईपारीगुडामें 25 लाइनों वाला छोटा स्वचल एक्सचेंज खोला जा चुका है।

आई. आई. टी. कानपुर के एक छात्र द्वारा आत्म-हत्या

12. **श्री नारायण चोबे :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आई. आई. टी. कानपुर में पढ़ रहे एक छात्र ने 30 सितम्बर, 1980 को आत्म हत्या की थी :

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच की गयी है ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या यह सच है कि इससे पहले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के 9 छात्रों को निकाला गया था ;

(च) यदि हां, तो क्या उस समय प्रधान मंत्री ने हस्ताक्षेप करके छात्रों को वापस लेने के लिए कहा था ; और

(छ) यदि हां. तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस बी. चव्हाण) : (क) और (ख) भारतीय प्राद्योगिकी संस्थान, कानपुर के एक भूतपूर्व छात्र, श्री के. के. चौधरी को 30 सितम्बर, 1980 की शाम को उनके कमरे में ही छत के पंखे से रस्सी के साथ लटकते पाया गया था। पुलिस ने इसे आत्म हत्या का मामला बताया है।

(ग) और (घ) : जांच के आदेश देने का प्रश्न शासक मंडल के अध्यक्ष के विचाराधीन है।

(ङ) जी, हां। अनुसूचित जाति /अनुसूचित जन जाति के नौ छात्रों समेत 10 छात्रों को, उनका शैक्षिक निष्पादन घटिया होने के कारण, शैक्षिक कार्यक्रम छोड़ देने के लिए कहा गया था।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

शोध करने वाले इंजीनियरों के लिए छात्रवृत्ति/शोधवृत्ति

13 श्री एन. सेलवाराजु : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार मान्यता प्राप्त संस्थानों में शोध कार्य करने वाले इंजीनियरों को दी जा रही छात्रवृत्ति/शोधवृत्ति को बढ़ाये जाने के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्णय के परिणाम स्वरूप प्रशिक्षु स्नातक इंजीनियरों तथा इंजीनियरी में डिप्लोमा धारियों को दी जा रही प्रशिक्षु राशि को 250 रुपये तथा 150 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये तथा 300 रुपये करने का है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) प्रशिक्षु स्नातक इन्जीनियरों तथा इन्जीनियरी के डिप्लोमाधारियों को दी जा रही वजीफे की राशि को बढ़ाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

दिल्ली के स्कूलों में अध्यापकों की अपर्याप्त संख्या

14. श्री छोटू भाई वासवा : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 सितम्बर, 1980 के 'हिन्दुस्तान' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली के विभिन्न स्कूलों में अध्यापकों की पर्याप्त संख्या न होने तथा शिक्षा निदेशालय के अव्यवहार्य आदेशों के कारण सैंकड़ों छात्रों का विभिन्न विषयों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, और

(ख) क्या यह भी सच है कि विषय चयन करने की सुविधा भी दोषपूर्ण है, जो छात्रों के आगे अध्ययन करने के मार्ग में कठिनाई उत्पन्न करती है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) (क) जी, हाँ। तथापि इस वक्तव्य में कोई सच्चाई नहीं है कि अध्यापकों की पर्याप्त संख्या के अभाव में सैंकड़ों छात्र पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं। स्कूलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्टाफ संबंधी वर्तमान मानदण्ड पर्याप्त हैं।

(ख) जी, नहीं।

बाबा खड़गसिंह मार्ग, नई दिल्ली में चार-दीवारी

15. श्री भोखा भाई : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बाबा खड़गसिंह मार्ग पर हाल ही में बने नये क्वार्टरों (896-1090) के बाहर की तरफ की चार-दीवारी को यातायात से होने वाले शोर पर नियन्त्रण करने तथा सुरक्षा प्रयोजन की दृष्टि से ऊंचा करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

काम काजी महिलाओं के लिए होस्टल

1*. **श्री निहालसिंह :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा वर्ष 1980-81 में काम-काजी महिलाओं के लिए कितने होस्टलों की मंजूरी दी गई और प्रत्येक राज्य में उनकी संख्या कितनी है; और

(ख) काम-काजी महिलाओं को आवास प्रदान करने के लिए भिन्न-भिन्न स्थानों पर अब तक कितने होस्टल बनाये गए हैं और कहां-कहां पर बनाये गये हैं तथा उनमें से प्रत्येक में कितने-कितने कमरे हैं और उनकी दरें क्या-क्या हैं तथा काम काजी महिलाओं को ये कमरे किन परिस्थितियों में आवंटित किये जाते हैं ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) दो होस्टलों केरल और हरियाणा में एक-एक के निर्माण के लिए अनुदान मंजूर किए गये।

(ख) एक विवरण, जिसमें प्रत्येक स्थान पर उन होस्टलों की संख्या दी गई है जिनके निर्माण के लिए अनुदान मजूर किए गये हैं तथा उनकी क्षमता दर्शाई गई है, संलग्न है। स्थान में सिंगल कमरे, डबल कमरे तथा शयनागार शामिल हैं। अनुदान की शर्तें ये हैं कि सभी वर्गों की श्रमजीवी महिलाओं को, जिनकी मासिक आय 1,000 रुपए से अधिक नहीं है धर्म, जाति मत, जन्म स्थान अथवा भाषा के आधार पर बिना किसी भेदभाव के स्थान दिया जायेगा/ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था है। इन होस्टलों को मुनाफा न कमाने के आधार पर चलाया जाएगा तथा केवल उचित किराया ही लिया जाएगा जो सिंगल कमरे के मामले में श्रमजीवी महिला की कुल आय के 10 प्रतिशत, डबल कमरे में मामले में 7 प्रतिशत तथा शयनागार स्थान के मामले में 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

विवरण

नगर/उपनगर का नाम	अनुदान स्वीकृत किए गये श्रमजीवी महिलाओं के होस्टलों की संख्या	क्षमता
आन्ध्र प्रदेश		
गन्टूर	1	20
हानमकोंडा (वारंगल)	1	50
हैदराबाद	4	175
काकीनाडा	1	56
विजयवाड़ा	1	30
असम		
डिबरूगढ़	1	50
गोहाटी	3	282

1	2	3
बिहार		
जमशीदपुर	1	50
पटना	1	21
राँची	1	76
गुजरात		
अहमदाबाद	3	186
भावनगर	1	25
जामनगर	1	25
राजकोट	2	100
सूरत	1	25
वदोदरा	1	20
वाघवनसिटी	1	38
हरियाणा		
अम्बाला	1	50
गुड़गाँव	1	43
करनाल	1	43
पानीपत	1	43
सोनीपत	1	43
फरीदाबाद	1	43
जमुना नगर	1	50
मंडी डाबवाली	1	50
हिमाचल प्रदेश		
धर्मशाल	1	35
कुल्लू	1	35
मंडी	1	35
शिमला	1	40
सोलन	1	35
जम्मू तथा कश्मीर		
श्रीनगर	1	50
कर्नाटक		
बंगलौर	7	670
बेलगाम	1	30

1	2	3
हुबली-धारवार	1	100
माँडिया	1	42
मंगलौर	3	115
मसूर	1	50
केरल		
एलेप्पी	1	140
एलवेई	1	110
चंगानाचेरी	1	78
चलकाकुड्डी	1	95
कोचीन (अरनाकुलम)	6	1001
हरिनजालककुड़ा	1	90
कोटायाम	3	495
कसरगोडे	1	64
कोजीकोड (कालीकट)	5	362
पल्लाई	1	50
पालाघाट सिटी	1	94
पेरम्बूर	2	78
शरतलई	1	32
तेलीचेरी	2	236
थिरुवेला	1	20
त्रिवेन्द्रम	8	715
त्रिचूर	2	95
मध्य प्रदेश		
भोपाल	6	299
छिन्दवाड़ा	1	30
ग्वालियर	3	124
इन्दौर	1	48
जबलपुर	3	180
मन्सूर	1	30
नीमच	1	30
रायपुर	1	20
उज्जैन	2	125
विदीशा	1	32
दुर्ग-भिलाई	1	20

1	2	3
महाराष्ट्र		
बम्बई	6	662
अमरावती	2	50
कोल्हापुर	1	24
नागपुर	4	220
नासिक	1	26
पूना	5	255
सांगली शोलापुर	1	24
थाना	1	40
तपोवन	1	45
वर्धा	1	40
मनीपुर		
इम्पाल	2	90
मेघालय		
शिलांग	1	54
उड़िसा		
भुवनेश्वर	1	100
कटक	2	150
रूरकेला	1	50
पंजाब		
अबोहर	1	40
अमृतसर	1	150
भटिंडा	1	75
जालन्धर	2	246
लुधियाना	1	150
पटियाला	1	120
राजस्थान		
अजमेर	1	20
जयपुर	1	50
सिक्किम		
गंगटोक	1	96

1	2	3.
तमिलनाडु		
कोइम्बटूर	2	120
कांचीपुरम	1	24
मद्रास	7	261
मदुराई	3	100
सेलम	3	70
तिरुचिरापल्ली	1	32
तिरुनेलवली	1	50
त्रिपुरा		
अगरतल्ला	1	20
उत्तर प्रदेश		
इलाहाबाद	1	45
देहरादून	1	96
गोरखपुर	1	50
कानपुर	2	60
फिरोजाबाद	1	50
लखनऊ	2	60
मेरठ	1	200
पश्चिम बंगाल		
आसनसोल	2	20
कलकत्ता	3	140
केन्द्र शासित प्रदेश		
अरूणाचल प्रदेश		
इटानगर	1	25
अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह		
पोर्ट ब्लेयर	31	36
चण्डीगढ़	3	404
दिल्ली	5	930
गोवा—पानाजी	2	120
मिजोरम—एजवाल	1	40

बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिले में खोले गये सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

17. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाड़मेर और जैसलमेर जिलों तथा जोधपुर जिले की शेरगढ़ तहसील में अब तक खोले गये टेलीफोन एक्सचेंजों तथा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या हैं; और

(ख) अगले तीन वर्षों में कितने टेलीफोन एक्सचेंजों तथा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों के खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क)

बाड़मेर जिला	10 टेलीफोन एक्सचेंज एवं 19 सार्वजनिक टेलीफोन घर।
जैसलमेर जिला	2. टेलीफोन एक्सचेंज एवं 9 सार्वजनिक टेलीफोन घर।
शेरगढ़ तहसील	1. टेलीफोन एक्सचेंज एवं 7 सार्वजनिक टेलीफोन घर।

इनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) 5 टेलीफोन एक्सचेंज एवं 12 सार्वजनिक टेलीफोन घर।

विवरण

राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों और शेरगढ़ तहसील में कार्य कर रहे टेलीफोन एक्सचेंजों और सार्वजनिक टेलीफोन घरों के नामों की सूची।

जिला	टेलीफोन एक्सचेंज	सार्वजनिक टेलीफोन घर
बाड़मेर	1. असोदा	1. अस्तोरा
	2. बाड़मेर	2. बिसाला
	3. बालोतरा	3. गदरारोड
	4. बायाटू	4. गागरिया
	5. चोहटान	5. हरसानी
	6. धोरिमाना	6. कनारा
	7, पचपड़रा	7. कवास
	8. समदारी	8. कोतरा
	9. सिवान	9. महाबार
	10. सिंधरी	10. मजन
		11. मोकालसार
		12. मुनाबाओ
		13. नंद
		14. पदरू
		15. पारलू
		16. पटौदी
		17. रामसार
		18. शैदवा
		19. शिव

जैसलमेर	1. जैसलमेर	1. म्बमियाना
	2. पोखरन	2. कानो
		3. लाठी
		4. नोख
		5. फलसुन्द
		6. रामद्वारा
		7. रंमगढ़
		8. सोम
		9. संधर
जोधपुर जिले की शेरगढ़ तहसील	1. बलेसर	1, अगोलाई
		2. बैलावा
		3. डेचू
		4. साई
		5. सेखाला
		6. शेरगढ़
		7. तेना

बिना सहायता प्राप्त शिक्षा स्कूलों को चला रहीं समितियां

18. **श्री अजीत प्रतापसिंह** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली (दक्षिण जोन) में अद्यतन बिना सहायता प्राप्त शिक्षा स्कूलों को चला रही पंजीकृत शिक्षा समितियों के नाम क्या हैं और इन समितियों के न्यासधारी सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ख) इन बिना सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा घोषित लेखा-परीक्षा के वित्तीय वर्ष क्या हैं और सरकार द्वारा इनके लेखों की किस अवधि तक लेखा-परीक्षा की गई है; और

(ग) न्यासधारी सदस्यों द्वारा स्कूल की धनराशि का दुरुपयोग के खिलाफ इन बिना सहायता प्राप्त स्कूलों पर सरकार किस प्रकार नियंत्रण करती है।

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) अपेक्षित ब्यौरे अनुबन्ध-1 के रूप में संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये संख्या एल. टी.-1319/80)

(ख) दिल्ली स्कूल शिक्षा नियमावली, 1973 के अन्तर्गत गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को वार्षिक विवरण 31 जुलाई तक भेजने होते हैं जिनमें सामान्यतया पिछले वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च तक) संबंधित परीरिक्ष लेखे भी होते हैं।

(ग) दिल्ली स्कूल शिक्षा नियमावली, 1973 के उपबन्धों के अन्तर्गत गैर-सहायता प्राप्त प्राईवेट स्कूलों के लेखों और रिकार्डों की जाँच शिक्षा निदेशक द्वारा प्राधिकृत लेखा-परीक्षकों तथा निरीक्षण अधिकारियों तथा भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा भी की जा सकती है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों का आबंटन

19. **श्री के. प्रधानी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री डी. डी. ए. फ्लैटों के आबंटन के बारे में 4 अगस्त, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6622 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी तक पंजीकृत व्यक्तियों को डी. डी. ए. द्वारा किसी भी टाइप का कोई फ्लैट आबंटित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) विभिन्न श्रेणियों के कितने फ्लैट कहाँ-कहाँ पंजीकृत व्यक्तियों को आबंटित किए जाने के लिए तैयार हैं और वह निश्चित तारीख क्या है जब उन्हें पात्र व्यक्तियों को आबंटित किया जाएगा।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायणसिंह: (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि मध्यम आय वर्ग, निम्न आय वर्ग, जनता, स्ववित पोषित योजना और 1979 की न्यू पैटर्न स्कीम के अन्तर्गत 10,000 फ्लैटों को नवम्बर, 1980 के प्रथम सप्ताह में लोगों को देने की घोषणा की गई थी।

(ग) विभिन्न श्रेणियों के फ्लैटों की संख्या तथा जहाँ वे बने हैं की एक सूची संलग्न है। 1979 की न्यू पैटर्न स्कीम को छोड़कर अन्य योजनाओं की विवरणिका एक दिसम्बर, 1980 से उपलब्ध हो जायेगी। न्यू पैटर्न स्कीम के लिए विवरणिका जारी करने की तिथि शीघ्र ही घोषित की जायेगी।

विवरण

योजना का नाम	मध्यम आय वर्ग	निम्न आय वर्ग	जनता	योग
शालीमार बाग	900	524	—	1424
दिलशाद गार्डन	231	193	48	472
राजौरी गार्डन	256	360	—	616
त्रिलोक पुरी	1105	558	—	1663
शेख सराय	—	264	88	352
पश्चिम पुरी	—	—	1312	1312
पीतमपुरा	—	—	402	402
अवन्तिका	—	—	60	60
कालकाजी	—	—	554	554
जोड़	2492	1899	2464	6855

स्ववित्त पोषित योजना-1979

योजना का नाम	श्रेणी-I	श्रेणी-II	श्रेणी-III	योग
राजौरी गार्डन	50	408	—	458
कालकाजी	62	274	132	468

शेख सराय	48	—	—	48
मस्जिद मोठ	—	12	24	36
बसन्त बिहार	—	10	20	30
साकेत (मालवीय नगर विस्तार)	—	271	127	298
ईस्ट आफ कैलाश	—	68	136	304
जोड़	160	1043	439	1642

न्यू पैटर्न स्कीम-1979

योजना का नाम	मध्यम आय वर्ग	निम्न आय वर्ग	जनता	योग
बोडेला	.41	—	1362	1503
		कुल योग		10,000

समाज कल्याण विभाग द्वारा समस्तीपुर और इटावा में संस्थाओं को अनुदान दिया जाना

20. **श्री रामसिंह शाक्य** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1978-79 और 1679-80 के दौरान समाज कल्याण विभाग द्वारा बिहार में समस्तीपुर जिला तथा उत्तर प्रदेश में इटावा जिलें में किन-किन संस्थाओं को अनुदान दिया गया था और प्रत्येक मामले में अनुदान की राशि कितनी थी ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी चव्हाण) : समस्तीपुर जिले में 1978-79 के दौरान किसी भी संस्था को कोई अनुदान मंजूर नहीं किया गया था।

अखिल मुसाहर सेवा मंडल, राजेन्द्र आश्रम, रोजरा, डाकखाना और जिला समस्तीपुर, बिहार को 1979-80 के दौरान 48,375 रुपए का अनुरक्षण अनुदान दिया गया था।

उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में 1978-79 और 1979-80 के दौरान किसी भी संस्था को कोई अनुदान मंजूर नहीं किया गया।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की पशु-पालन, डेरी और पशु विज्ञान संकाय के वैज्ञानिकों का साक्षात्कार

21. **श्री एफ. एच. मोहसिन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की संस्थानों के पशुपालन, डेरी और पशु-विज्ञान संकाय के वैज्ञानिकों का दिसम्बर, 1977 को समाप्त होने वाली अवधि के मूल्यांकन के लिए जनवरी 1980 में साक्षात्कार लिया गया है;

(ख) क्या उन वैज्ञानिकों के समूह में से जिनका जनवरी, 1980 में साक्षात्कार लिया गया था केवल एक वैज्ञानिक के मामले को छोड़कर जो कृषि भवन में काम करता है, शेष परिणाम घोषित नहीं किए गए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो इस समूह के शेष वैज्ञानिकों के परिणाम घोषित न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या उन कृषि वैज्ञानिकों के मामलों में जिनका मूल्यांकन दिसम्बर, 1977 में हुआ था और साक्षात्कार अक्तूबर, 1979 में हुआ था उनका परिणाम जनवरी, 1980 में घोषित किया गया है;

(ङ) क्या बार-बार अनुस्मारक और तार देने के बाद भी इन वैज्ञानिकों के परिणाम अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं; और

(च) क्या ये परिणाम पदोन्नति के लिए असफल वैज्ञानिकों को दोबारा साक्षात्कार देने के लिए कहे जाने से पहले घोषित कर दिए जायेंगे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) कृषि अनुसंधान सेवा पशु विज्ञान में कुछ शाखाओं से सम्बन्धित विज्ञानियों को कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मण्डल द्वारा 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए पांच वर्षीय मूल्यांकन के संबंध में जनवरी, 1980 में व्यक्तिगत चर्चा के लिए बुलाया गया था।

(ख) यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मुख्यालय के एक विज्ञानी के अलावा, उपरोक्त (क) में जिन विज्ञानियों का हवाला दिया गया है, उनके परिणाम अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं।

(ग) शेष विज्ञानियों के परिणाम, जिनका हवाला उपरोक्त (क) में दिया गया है, घोषित नहीं किये जा सके क्योंकि कृषि अनुसंधान सेवा के सेवा नियमों में एक संदिग्धता प्रश्नगत विज्ञानियों के सम्बन्ध में कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मण्डल की सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात जानकारी में आ गई।

(घ) कृषि विज्ञानों की शाखाओं से सम्बद्ध विज्ञानियों के परिणाम सब मिलाकर जनवरी, 1980 में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से घोषित किए गए। यह कृषि अनुसंधान सेवा में संदिग्धता की जानकारी होने से पहले किया गया।

(ङ) उन विज्ञानियों के परिणाम, जिनका हवाला उपरोक्त (क) में दिया गया है, उपरोक्त (ग) में उल्लिखित कारण से घोषित नहीं किए जा सके।

(च) जिन विज्ञानियों को 31 दिसम्बर, 1977 की अवधि हेतु मूल्यांकन के आधार पर योग्यता पदोन्नतियां (मेरिट प्रोमोशंस) स्वीकार करने के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया उन पर उस समय तक प्रति वर्ष मूल्यांकन के लिए विचार किया जायेगा जब तक वे योग्यता पदोन्नति के लिए उपयुक्त हो जाएं। उनको इस प्रयोजन के लिए पूरक सूचनाएं प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय दिया जाएगा।

डी. डी. ए. में प्रतिनियुक्ति पर आये व्यक्ति

22. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं और उनके ग्रेडों और पदनामों का पूरा ब्योरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि बहुत से कर्मचारी दिल्ली विकास प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त हो जाने के बाद अभी भी कार्य कर रहे हैं जबकि नियमों के अनुसार उन्हें मूल कार्यालयों में वापस भेजा जाना चाहिए;

(ग) क्या यह सच है कि कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लेने के परिणामस्वरूप विभाग की कुशलता बढ़ने के बजाय घट गयी है और भ्रष्टाचार के बारे में बहुत सी शिकायतें भी आई हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस बारे में वर्तमान नीति बदलने का है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायणसिंह) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा है ।

(ख) जी, हां । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि ये कर्मचारी लोक हित में रोके गये हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों की नियुक्ति के मामले में यह केन्द्रीय सरकार की नीति का अनुसरण करता है । दिल्ली विकास प्राधिकरण का इस नीति में फिलहाल किसी प्रकार का परिवर्तन करने का विचार नहीं है ।

विवरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे व्यक्तियों के ब्यौरे :—

क्रम सं०	पदनाम	वेतनमान	व्यक्तियों की संख्या
1.	उपाध्यक्ष	2500-2700 रुपये	1
2.	वित्त सदस्य	2250-2500 रुपये	1
3.	इन्जीनियरी सदस्य	वही	1
4.	आयुक्त (योजना)	2000-2250 रुपये	1
5.	आयुक्त (भूमि)	1500-2000 + विशेष वेतन 300 रुपये	1
6.	मुख्य इंजीनियर	1800-2000 रुपये (पी. आर.)	1
7.	अपर मुख्य इन्जीनियर	1500-2000 + विशेष वेतन 150 रु.	
8.	मुख्य परियोजना इन्जीनियर	वही	1
9.	अधीक्षक इन्जीनियर	1500-2000 रुपये	7
10.	मुख्य लेखाधिकारी	1500-2000 रुपये	1
11.	वित्त सलाहकार, आवास	1200-2000 रुपये	1
12.	निदेशक (जे० जे०)	1200-2000 रुपये + विशेष वेतन 200 रुपये	1
13.	मुख्य विधि सलाहकार	1500-1800 + विशेष वेतन 200 रुपये	1
14.	मुख्य सतर्कता अधिकारी	1500-1800 रुपये	1
15.	निदेशक	1300-1700 रुपये	3
16.	अध्यक्ष के सचिव	1300-1700 रुपये	1
17.	अपर सचिव	1200-1600 रुपये	1
18.	उप निदेशक	1100-1600 रुपये	14
19.	एल ए. ओ. और उप निदेशक	1100-1600 रुपये	1
20.	कार्यपालक इन्जीनियर	1100-1600 रुपये	7
21.	अर्थशास्त्री	1100-1600 रुपये	1

22.	उपसचिव	1100-1600 रुपये	1
23.	सहायक इन्जीनियर	650-1200 रुपये	14
24.	लेखाधिकारी	840-1200 रुपये	19
25.	अधीक्षक विधि	550-900 रुपये	1
26.	एस. ए. एस. लेखाकार	500-900 रुपये	46
27.	कनिष्ठ इन्जीनियर	425-700 रुपये	17
28.	ड्राफ्ट्समैन ग्रेड-1 (सी)	वही	13
29.	नायब तहसीलदार	वही	4
30.	प्रवर ग्रेड आडिटर	वही	72
31.	ड्राफ्ट्स मैन ग्रेड-II (सी.)	330-560 रुपये	5
32.	आशुलिपिक	330-560 रुपये	1
33.	उच्च श्रेणी लिपिक	330-560	74

राजस्थान के अजमेर जिले में पानी की पूर्ति के लिए विश्व बैंक से ऋण

23. **आचार्य भगवान देव :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक अजमेर जिले के 130 गांवों में पीने के पानी की पूर्ति के लिए 4½ करोड़ रुपये की परियोजना के ऋण स्वीकृत करने को सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना पर कार्य के कब प्रारम्भ होने की सम्भावना है और यह कब तक पूरी हो जाएगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) राजस्थान जलपूर्ति तथा मल निकास परियोजना के लिए 800 लाख डालर के बराबर के ऋण के लिये भारत सरकार और विकास एसोसिएशन (विश्व बैंक) के बीच एक करारनामे पर हस्ताक्षर हो गये हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अजमेर के 10 जिलों के लगभग 2000 गांवों में शुद्ध पेय जल की व्यवस्था करना भी शामिल है।

(ख) इस परियोजना में बताई गई योजनाएं आसान होंगी जिसमें शोधन संयन्त्रों या नलकूपों से पानी पम्प द्वारा स्टोरेज टैंक तक ले जाना और सीमित संख्या में वितरण की मुख्य नालियां; कुछ हैण्ड पम्प योजनायें भी शामिल की जायेंगी।

(ग) इस परियोजना पर प्रारम्भिक कार्य पहले ही आरम्भ हो चुका है। परियोजना के 31 मार्च, 1985 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

पुनर्वास विभाग के दावों तथा मुआवजा रिकार्ड को नियन्त्रण में लिया जाना

24. **श्री धर्मदास शास्त्री :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने पुनर्वास विभाग के चालू दावों तथा मुआवजा रिकार्ड को अपने नियंत्रण में लेने का निर्णय किया है जबकि विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 अभी भी लागू है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : जी, नहीं।

किराया नियन्त्रण अधिनियम में संशोधन

25. **श्री आर. के. महालगी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को किराया नियंत्रण अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन के बारे में 'जागृत भाड़ेकारी पत्रिका' के सम्पादक और टेनेन्ट्स एसोसिएशन पूर्ण के आर्गेनाइजर से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;,

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) : चूंकि 'किराया नियन्त्रण' राज्य का विषय है, इसलिए जागृत भाड़ेकारी पत्रिका के सम्पादक और टेनेन्ट्स एसोसिएशन पुणे (महाराष्ट्र) के आर्गेनाइजर से प्राप्त दिनांक 22-10-1980 के ज्ञापन को मूलरूप में महाराष्ट्र राज्य सरकार को आवश्यक कार्यवाई के लिये भेज दिया गया है।

भारतीय खाद्य निगम में सहायक इंजीनियरों और कनिष्ठ इंजीनियरों के खाली पद

26. **प्रो अजीतकुमार मेहता** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम लि० के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में सहायक इन्जीनियरों (सिविल और इलेक्ट्रिकल) और कनिष्ठ इन्जीनियरों (सिविल और इलैक्ट्रिकल) के पद बहुत अधिक संख्या में खाली पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी श्रेणीवार और क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उनमें से कितने पद छः महीने से कम समय मे खाली पड़े हैं कितने छ महीने से अधिक समय से खाली पड़े है और कितने नये बनाए गए हैं;

(घ) इन खाली पदों को समय पर न भरे जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम के मुख्यालय ने मार्च, 1980 में अनुदेश जारी किया था कि उन सभी पदों को रद्द समझा जाय जोकि छः महीने से अधिक समय से बिना भरे पड़े हुए हैं। इन अनुदेशों को दृष्टि में निगम में सहायक प्रबन्धकों (सिविल और इलेक्ट्रिकल) और कनिष्ठ इंजीनियरों (सिविल और इलेक्ट्रिकल) के कोई भी पद खाली नहीं पड़े हुए थे। तथापि, गोदामों के निर्माण/अनुरक्षण कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए स्थिति की समीक्षा करने के बाद, निगम के मुख्यालय ने 12 नवम्बर 1980 को निम्नलिखित नये पदों की मंजूरी दी है :

	पद—
सहायक प्रबन्धक (सिविल और इलेक्ट्रिकल)	9
कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल और इलेक्ट्रिकल)	103

(ग) से (ङ), भारतीय खाद्य निगम अपने जोनल/क्षेत्रीय कार्यालयों से अपेक्षित सूचना इकट्ठी कर रहा है और प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

चीनी की उपलब्धता

27. **श्री एम. वी. चन्द्र शेखर मूर्ति :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर और अक्तूबर, 1980 में त्यौहार के दिनों में राशन कार्ड धारियों को देने के लिए उचित दर दुकानों पर चीनी की पर्याप्त मात्रा नहीं थी;

(ख) क्या काला बाजारी करने वालों तथा चीनी के बड़े व्यापारियों को इसके कारण तथा चीनी के संकट के कारण बहुत अधिक लाभ हुआ; और

(ग) क्या सरकार ने चीनी के संकट के बारे में कोई जाँच की है और इसके लिए कौन उत्तरदायी थे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन (क) राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, कुल मिला कर, सितम्बर, तथा अक्तूबर, 1980 के त्यौहार के महीनों के दौरान राशन कार्ड धारियों को उचित दर की दुकानों से लेवी चीनी की नियमित सप्लाई बनाए रखी गई थी।

(ख) और (ग) : क्योंकि लेवी चीनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उचीत दर की दुकानों/राशन की दुकानों के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा वितरित की जाती है और प्राईवेट व्यापार वितरण सम्बन्धी प्रबन्ध से किसी भी प्रकार सम्बद्ध नहीं है इसलिए काला बाजारियों और चीनी के बड़े व्यापारियों द्वारा कोई अनुचित लाभ उठाने का प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, उत्पादन में भारी गिरावट के फलस्वरूप इस वर्ष चीनी की बहुत कम उपलब्धता की स्थिति होने के कारण चोर बाजारी और स्टाक जमा करने आदि जैसी अन्य समाज विरोधी गतिविधियों के कुछ छुट-पुट मामले हो सकते हैं। राज्य सरकारों को निर्देश दिए गये थे कि वे निवारक नजरबन्दी अधिनियम का सहारा लेकर, यदि आवश्यक हो, नियंत्रण सम्बन्धी विभिन्न उपायों को कड़ाई से लागू करें, जमा किए गये स्टाक को बाहर निकलवाने के अभियान को तेज कर दें और अचानक छापे मारने की व्यवस्था करें ताकि और बाजारी में लगे समाज विरोधी तत्वों की गति विधियों को रोका जा सके। मालूम हुआ है कि बहुत सी राज्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में काफी उपाय किए हैं।

कृषि मूल्य आयोग के ढांचे में परिवर्तन

28. **श्री डी. पी. जदेजा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि मूल्य आयोग को वर्तमान ढांचे में कुछ परिवर्तन करने के प्रश्न पर विचार कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) इस समय सरकार कृषि मूल्य आयोग के वर्तमान ढांचे में परिवर्तन करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

जम्मू तवी में टेलीफोनों के कार्यकरण में खराबी

29. **श्री गिरधारी लाल डोगरा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार जम्मू तवी के टेलीफोनों, विशेषकर गांधीनगर क्षेत्र के

टेलीफोनों के कार्यकरण में सदैव रहने वाली खराबी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है; और

(ख) टेलीफोनों के कार्यकरण को सामान्य स्तर का बनाने में कितना समय लगेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जम्मू टेलीफोन प्रणाली में सुधार लाने के लिए निम्न उपाय किए जा रहे हैं :

(i) गाँधीनगर क्षेत्र में विद्युत क्रासिंग पर ऊर्ध्वस्थ लाइनों के बदले भूमिगत केबुल बिछाए जा रहे हैं।

(ii) नए कनेक्शन देने के लिए ड्राप तारों का प्रयोग किया जा रहा है।

(ख) बहिरंग संयंत्र को पुनर्व्यवस्थित करने का कार्य इस वर्ष के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है। इस उपाय तथा कि। जा रहे अन्य उपायों के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में टेलीफोन के कार्य में सुधार आएगा।

ग्रामीण तथा अर्ध-नगरीय क्षेत्रों में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करना

30 **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश के सभी भागों के ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्रीय विद्यालयों का अभाव है;

(ख) यदि हाँ, तो राज्यों सहित उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ऐसे विद्यालय स्थापित किए जाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ग्रामीण तथा अर्धनगरीय क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर ऐसे विद्यालय स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) और अधिक केन्द्रीय विद्यालय खोलने की माँग निरन्तर बनी रहती है।

(ख) वर्ष के दौरान खोले जाने वाले केन्द्रीय विद्यालयों (सेंट्रल स्कूलों) के स्थानों का निर्णय प्रतिवर्ष शैक्षिक सत्र शुरू होने से पहले किया जाता है।

(ग) इस बात का ध्यान रखे बिना कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के रहने के स्थान अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/उच्च शिक्षण संस्थाओं के स्थान ग्रामीण क्षेत्रों में हैं अथवा शहरी क्षेत्रों मे, केन्द्रीय विद्यालय उन स्थानों पर खोले जाते हैं जहां रक्षा और अर्ध सैनिक सहित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी पर्याप्त संख्या में रहते हों अथवा वहां सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/उच्च शिक्षण संस्थाओं के हों।

दिसम्बर के बाद खंडसारी इकाइयों द्वारा पिराई

31. **श्री जी. एम. बनातवाला** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को यह हिदायत दी है कि दिसम्बर समाप्त होने से पहले किसी भी खडसारी इकाई को पिराई का काम चालू करने की अनुमति न दी जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उपरोक्त निर्णयों से महाराष्ट्र की इकाइयों

पर सबसे अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में पिराई का मौसम नवम्बर में शुरू हो जाता है; जबकि उत्तर प्रदेश में यह दिसम्बर में शुरू होता है;

(घ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि बड़े क्षेत्र के हित में खांडसारी इकाइयों को प्रोत्साहित करना उचित नहीं होगा; और

(ङ) क्या सरकार का इस बारे में कोई नई नीति का विचार है और यदि हां, तो उक्त नीति की प्रमुख बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) और (ख) चीनी के उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से स्वीटनिंग तत्वों के उत्पादकों को गन्ने की संतुलित उपलब्धता सुनिश्चित करने और चीनी फैक्ट्रियों की बजाए अन्य यूनिटों को गन्ना बेचने की सम्भावना को रोकने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे खंडसारी यूनिटों को 31 दिसम्बर, 1980 से पूर्व कार्य शुरू करने की अनुमति प्रदान न करें।

(ग) से (ङ) तथापि, महाराष्ट्र सरकार ने अनुरोध किया है कि राज्य के खंडसारी यूनिटों में से कुछेक उनकी भोगोलिक स्थिति के कारण चीनी फैक्ट्रियों को गन्ना सप्लाई नहीं कर पाएंगे और इसलिए उनके मामले पर अलग से विचार किया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से ब्यौरे प्राप्त कर लिए गये हैं और वे विचाराधीन हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं में ऐसा कार्य जो उससे सम्बन्धित नहीं

32 **श्री रशीद मसूद** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी कोई परियोजनाएं हैं जिन पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कुछ प्रयोगशालाएं कार्य कर रही हैं परन्तु उनका सम्बन्ध उनके काम से नहीं है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिन पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाएं कार्य कर रही हैं;

(ग) इन परियोजनाओं के कार्यकरण पर कितना व्यय किया गया है; और

(घ) भारतीय कृषि अनुसधान परिषद की प्रयोगशालाओं द्वारा ऐसी परियोजनाएं लिये जाने के क्या कारण हैं जो इसके उद्देश्यों से सम्बन्धित नहीं।

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता।

(घ) प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता।

नेहरू युवक केन्द्र के समन्वयकर्त्ताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप

33. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पुरुलिया जिला, पश्चिम बंगाल के नेहरू युवक केन्द्र के समन्वयकर्त्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार के कोई आरोप प्राप्त हुये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) और (ख) नेहरू युवक

केन्द्र पुरुलिया (पश्चिम बंगाल) के युवक समन्वयक के विरुद्ध प्राप्त दो शिकायतों की जांच-पड़ताल की जा रही है।

भिखारी

34. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में अनुमानत: कुल कितने भिखारी हैं;

(ख) क्या भारत सरकार का इन लोगों के पुनर्वास के लिये कोई कार्यक्रम है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) 1971 की जनगणना के अनुसार भिखारियो, जिनमें आवारा व्यक्ति इत्यादि भी शामिल थे, की अनुमानित संख्या 10.11 लाख थी।

(ख) और (ग) भिक्षावृत्ति निरोधक कानून राज्य सरकारों द्वारा लागू किये जाते हैं। इस समय 15 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने भिक्षावृत्ति निरोधक कानून बना रखे हैं। देश में विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा 102 संस्थाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें 16350 भिखारियों को रखने की क्षमता है।

राज्यों में मरुस्थल विकास योजना के लिए निर्धारित की गई धनराशि

35. **श्री पी. नामग्याल** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मरुस्थल विकास योजनाओं के अन्तर्गत किन-किन राज्यों के लिये धनराशि निर्धारित की गई है तथा प्रत्येक राज्य के लिए और विशेषत: जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) इस योजना के आरम्भ किये जाने के बाद से अब तक जम्मू और कश्मीर राज्य के लेह और कारगिल जिलों के लिए अलग-अलग वर्ष वार कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई थी और कुल कितना व्यय किया गया है; और

(ग) अब तक की उपलब्धि क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मन्त्री (श्री बीरेन्द्रसिंह राव) : (क) मरुभूमि विकास कार्यक्रम को गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर और राजस्थान में कार्यान्वित किया जा रहा है। संबंधित राज्यों के लिये निर्दिष्ट की गई केन्द्रीय सहायता की धनराशि तथा वास्तविक रूप में बटित धनराशि विवरण-1 में दर्शाई गई है।

(ख) निर्धारित की गई कुल धनराशि (अर्थात प्रत्येक वर्ष हेतु अनुमोदित कार्यक्रम का आकार) तथा कार्यक्रम के अंतर्गत कुल व्यय विवरण-2 में दर्शाये गये हैं।

(ग) एक विवरण-3 सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण-I

राज्यों के लिए निर्दिष्ट की गई केन्द्रीय सहायता तथा वास्तविक बंटन*

(लाख रुपये में)

राज्य	1977-78	1978-79	1979-80**	1980-81**
1. हिमाचल प्रदेश	43·50	75·00	25·00	25·00
	(43·50)	(46·18)	(23·65)	—
2. गुजरात	45 00	285·00	82·50	15·08
	(45 00)	(43 32)	(82·50)	—
3. हरियाणा	140·70	382 00	195·00	153·81
	(140 70)	(168 00)	(48·75)	—
4. राजस्थान	429 00	1100·00	630 00	496·95
	(324·18)	(650·00)	(554·00)	—
5. जम्मू तथा काश्मीर	56 62	150 00	45·00	59·16
	(56·62)	(शून्य)	(23·50)	—
	714 83	1992 00	977·50	800·00
	(610 00)	(907·50)	(731·40)	—

* कोष्टकों में दिये गये आँकड़े वास्तविक रूप में बंटन धनराशि को दर्शाते हैं।

** 1979-80 से आगे केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम की लागत के 50 प्रतिशत तक सीमित है। शेष धनराशि में राज्य सरकार द्वारा अंशदान किया जाता है।

विवरण-2

लद्दाख मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमोदित कार्यक्रम का आकार तथा वर्ष वार व्यय।

(लाख रुपये में)

वर्ष	अनुमोदित कार्यक्रम का आकार	व्यय		
		लेह	कारगिल	योग
1977-78	56'62	शून्य	शून्य	शून्य
1978-79	104·01	1·0	1·01	2·02
1979-80	83·19	18 90	22·55	41·45
1980-81*	170·00	अप्राप्य	अप्राप्य	—
		19·91	24·56	43·47

* लेह तथा कारगिल जिलों मे बराबर विभाजित की गई। चूंकि 1979-80 के आखिर में लद्दाख को दो जिलों में विभाजित किया गया था अत: 1980-81 से पूर्व अनुमोदित कार्यक्रम अविभाजित लद्दाख से संबंधित हैं।

विवरण-3

लद्दाख मरुभूमि विकास कार्यक्रम में मुख्य गतिविधियों की सूची

यद्यपि मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1977-78 में शुरू किया गया था, तथापि लद्दाख में इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन 1978-79 के अन्त में परियोजना कर्मचारी-वर्ग की नियुक्ति होने पर शुरू किया गया। परियोजना के अन्तर्गत शुरू किये गये कार्य की कुछेक मुख्य मदें नीचे दी गई हैं :

1. लेह में सुधरे किस्म के बीजों तथा बीज के आलू की आपूर्ति।
2. खुरबाथंग (कारगिल जिला) के बीज-संवर्धन फार्म में कार्य शुरू किया गया।
3. खुरबाथंग (कारगिल) के पशु-फार्म तथा एलपाइन किस्म के बकरी फार्म में कार्य शुरू किया गया।
4. स्तारना (लेह) में बकरी फार्म की स्थापना का कार्य शुरू किया गया।
5. लेह में 43 मेमना शैडों का निर्माण किया गया।
6. लेह में 4 तालाब, 2 परियोजनाओं के 7 कूहल शीर्ष निर्माण कार्यों तथा 2 सुरक्षा बन्धों का निर्माण किया गया।
7. छगला (लेह) में बर्फ के पानी के रुख को बदलने की योजना पूरी की गई।
8. तीर्थ सिंचाई योजना (लेह) में कार्य शुरू किया गया।
9. हाफतास परियोजना (कारगिल) में कार्य शुरू किया गया।
10. बिरास खुल (कारगिल) की शीर्ष-पहुँच के निर्माण का कार्य शुरू किया गया।
11. दोनों जिलों में सहकारी गोदामों के निर्माण हेतु सहायता सुलभ की गई।
12. दोगली किस्म का प्रजनन कार्य शुरू किया गया।
13. दोनों जिलों में बागवानी विकास कार्य शुरू किया गया।
14. वन क्षेत्र (लेह में 60 एकड) में भूमि संरक्षण कार्य।
15. नीद्दे र (लेह) के शीत शुष्क चारे के फाम में कार्य शुरू किया गया।

गेहूं का समर्थन मूल्य

36. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा :**

श्री नित्यानन्द मिश्र : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आने वाले वर्ष के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य 150 रु. प्रति क्विंटल नियत करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) से (ग) सरकार ने 1981-82 के विपणन मौसम के लिए गेहूं के समर्थन मूल्य के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया है। कृषि मूल्य आयोग ने गेहूँ की मूल्य नीति सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और 24 अक्तूबर, 1980 को हुए मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में गेहूं का उत्पादन/खपत करने वाले प्रमुख राज्यों की राय ली गई थी। कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों, मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में व्यक्त किये गये विचारों, और योजना आयोग तथा संबंधित मंत्रालयों के सुझावों के आधार पर मंत्रिमंडल द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जाएगा।

दिल्ली में कटरों का सुधार

37. **श्री भीकूराम जैन :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के शहरी इलाकों के कटरो में सुधार के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई विशिष्ट योजनाएं क्या हैं;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि आज भी दिल्ली का शहरी इलाका दुर्गन्धपूर्ण है;

(ग) शाहजहांनाबाद (दिल्ली) के विकास के लिये कितनी धनराशि रखी गई है; और

(घ) सुधारात्मक परियोजना पर कार्य के कब शुरू होने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) चालू वित्त वर्ष के दौरान गन्दी बस्ती क्षेत्रों के पर्यावरणीय सुधार के लिये 1 करोड़ रुपये का बजट नियतन किया गया है जिसमें निजी कटरे शामिल हैं तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के गन्दी बस्ती विभाग के अधीन कटरों के संरचनात्मक सुधार के लिए 15 लाख रुपये का एक अन्य नियतन किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) तथा (घ) शाहजहाँनाबाद का अधिकतम भाग अधिसूचित गन्दी बस्ती क्षेत्र में है और वार्षिक नियतन पुरानी दिल्ली के गन्दी बस्ती क्षेत्रों, सदर पहाड़ गंज क्षेत्र तथा सब्जी मण्डी आदि के सुधार पर व्यय किया जाता है। यद्यपि, शाहजाँनाबाद के विकासार्थ अलग से कोई विशिष्ट बजट नियत नहीं किया गया है। नियत की गई राशि गन्दी बस्ती क्षेत्रों के सुधार पर व्यय की जा रही है जिसमें पुरानी दिल्ली का अधिकतम क्षेत्र शामिल है।

गरीबों में व्याप्त अर्ध भूखमरी का स्तर

38. **श्री के. पी. सिंह देव :** क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 अगस्त, 1980 के 'इकोनामिक टाइम्स' में प्रकाशित जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वारा किये गये अध्ययन की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि हालांकि 1950 में खाद्यान्नों का उत्पादन 500 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 1977 में 1230 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया था और 00 लाख मीट्रिक टन का सुरक्षित भंडार बनाया गया था तथापि 5 भारतीयों में से 2 भारतीयों के पास अभी भी पर्याप्त अनाज तथा दालें नहीं हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि देश में खाद्य उत्पादन बढ़ाने में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई है फिर भी खाद्यान्नों की मांग में वृद्धि करने और गाँवों में गरीबों में व्याप्त अर्ध भूखमरी के स्तर को कम करने के लिए काफी कार्य किया जाना है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार क्रमिक तरीके से अर्ध भूखमरी से भिड़ने और इसे समाप्त करने के लिए कोई योजना बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मन्त्री (श्री बीरेन्द्रसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) भारत की जनसंख्या का काफी भाग 'निर्धनता की रेखा' से नीचे निर्वाह कर रहा है और इन परिवारों की खाद्य सामग्री तथा अन्य मदों की खपत के स्तरों में पर्याप्त सुधार करने की आवश्यकता है। इसे केवल गरीब ग्रामीणों के लिए रोजगार के अवसर तथा

अतिरिक्त क्रय शक्ति सुलभ करके प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि विभिन्न क्षेत्रों में केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई लागत गतिविधियां सामान्यत: अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करती है फिर भी ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय निर्धनता को कम करने के निम्न-लिखित कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है जो केवल गरीब ग्रामीणों के लिए ही हैं :—

(1) **समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम** :—यह कार्यक्रम 1978-79 में देश के 2300 विकास खण्डों में शुरु किया गया था लेकिन इस वर्ष गाँधी जयती दिवस से इस कार्यक्रम का विस्तार भारत के सभी विकास खण्डों में कर लिया गया है। यह कार्यक्रम केवल निर्धनतम ग्रामीणों, जिनमें कृषि श्रमिक, ग्रामीण कारीगर व शिल्पी, सीमान्त किसान, लघु किसान और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्य शामिल हैं, के लाभ के लिए निर्धारित किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इस 'लक्षित वर्ग' के परिवारों को अपनी आय में वृद्धि करने के लिए परिसम्पत्तियों को अधिग्रहण करने तथा उद्यम शुरू करने हेतु सहायता सुलभ की जाती है। उद्देश्य यह है कि इस लक्षित वर्ग के चुने परिवारों को उनकी आय में पर्याप्त वृद्धि करने योग्य बनाया जाए ताकि वे हमेशा के लिए गरीबी की रेखा पार कर सके। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत परिवारों के चयन में यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि निर्धनतम व्यक्ति को सबसे पहले सहायता प्राप्त हो। छठी योजना अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 15 मिलियन परिवारों को सहायता सुलभ करने की प्रत्याशा है। औसतन, प्रत्येक खण्ड में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कम से कम 3000 परिवारों को प्रत्यक्ष रूप में सहायता दी जाएगी।

इस कार्यक्रम को सरकार द्वारा सुलभ किए गए उपदानों और सहकारी व वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों द्वारा संयुक्त रूप से वित्त दिया जाता है। चालू वर्ष में इस कार्यक्रम के लिए प्रति खण्ड 5 लाख रुपये का परिव्यय सुलभ किया गया है। 1981-82 में परिव्यय में प्रति खण्ड 6 लाख रुपये तक वृद्धि किए जाने की संभावना है और छठी योजना के शेष तीन वर्षों में परिव्यय की 8 लाख रुपये प्रति खंड होने की संभावना है। परिव्ययों को केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा बराबर-बराबर के आधार पर वहन किया जाता है। केन्द्र शासित क्षेत्रों में कार्यक्रम का सम्पूर्ण परिव्यय केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

लक्षित वर्ग के चुने परिवार योजना की लागत के $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत की दर से उपदानों के लिए पात्र हैं, यदि लाभभोगी कृषि श्रमिक अथवा सीमान्त किसान हो। छोटे किसान योजना की लागत के 25 प्रतिशत की दर से उपदान के लिए पात्र हैं। अनुसूचित जनजाति के परिवार योजना की लागत के 50 प्रतिशत की दर से उपदान के लिए पात्र हैं। एक परिवार उपदान के रूप में 3000/-रुपये तक प्राप्त कर सकता है। तथापि, जनजाति के लाभभोगी प्रति परिवार 5000 रुपये तक उपदान के लिए पात्र हैं।

(2) **काम के बदले अनाज कार्यक्रम** : ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्नों का उपयोग करके बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार सुलभ करने तथा स्थाई सामुदायिक परिसम्पत्तियाँ सुलभ करने के लिए वर्ष 1 77 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की योजनाएं शुरू करने के लिए राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों को खाद्यान्न सुलभ करा रही है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मजदूरी का भुगतान खाद्यान्नों के रूप में किया जाता है।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम की पुनरीक्षा की गई है और इसका नाम बदलकर 'राष्ट्रीय

ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम' किया गया है जो छठी पंचवर्षीय योजना का भाग होगा। संशोधित योजना के अन्तर्गत प्रत्येक खंड में प्रति वर्ष कम से कम 1000 गरीब व्यक्तियों के लिए रोजगार सुलभ करने का प्रस्ताव है। राज्यों को खाद्यान्नों के आबंटन कृषि श्रमिकों तथा सीमान्त किसानों की संख्या के आधार पर 75 प्रतिशत के हिसाब से किए जाएंगे तथा राज्यों में गरीबी के आयात के आधार पर 25 प्रतिशत आबंटन किये जाएंगे। खाद्यान्नों के रूप में मजदूरी की अदायगी प्रति व्यक्ति 3 किलोग्राम प्रतिदिन निर्धारित की गई है।

उर्वरकों की कुल खरीद में गिरावट

39. **प्रो. मधु दण्डवते** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1980 में मूल्य वृद्धि के बाद उर्वरकों की कुल खरीद में कमी हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो कितनी कमी हुई है; और

(ग) क्या इससे वर्ष 1980 81 के लिये 1350 लाख टन के खाद्यान्न लक्ष्य प्राप्त करने में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी स्वामीनाथन) : (क) उर्वरकों की खपत के बारे में उर्वरकों के मूल्यों में हुई वृद्धि के प्रभाव का अनुमान इतनी जल्दी नहीं लगाया जा सकता है। आशा कि वर्ष के दौरान समग्रत उर्वरकों की मांग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने फसलों के समर्थन/अधिप्राप्ति मूल्यों में पर्याप्त वृद्धि करके किसानों की पूर्णत: क्षति पूर्ति करने का निर्णय कर लिया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) इस बात के कोई संकेत नहीं मिलते हैं कि उर्वरकों की कुल खरीद का 1350 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों के उत्पादन के लक्ष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आरंभिक अनुमानों से पता चलता है कि खरीफ कार्यक्रम में 800 लाख मीटरी टन अनाज का उत्पादन हो जायेगा और शेष 550 लाख मीटरी टन अनाज रबी की फसलों से प्राप्त करने का लक्ष्य है। यदि मौसम की परिस्थितियां सामान्य रही तो इस लक्ष्य को उपलब्ध किया जा सकता है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों का आबंटन

40. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रेशन स्कीम आफ न्यू पैटर्न 1979 के अन्तर्गत सभी श्रेणियों के पंजीकृत व्यक्तियों को कब तक फ्लैटों का आबंटन किया जायेगा ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि धन और भवन निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता की स्थिति में न्यू रजिस्ट्रेशन स्कीम आफ न्यू पैटर्न, 1979 के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों को 5 से 7 वर्षों की अवधि में मकान देना सम्भव हो सकेगा।

चीनी

41. **श्री आर. वाई. घोरपाड़े** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उपलब्ध चीनी की डिलीवरी लेने तथा उपयुक्त वितरण को सही व्यवस्था करने के मामले में राज्य विफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो वास्तव में कितनी चीनी उपलब्ध की गई तथा चीनी उठाने वाले तथा वितरण करने वाले राज्यों में कितनी कमी है;

(ग) क्या यह सच है कि चीनी की देशव्यापी कमी को देखते हुये विशेष कर 1979-80 के मौसम के गत कुछ महीनों में चीनी के मूल्य बढ़ाने के मामले में उद्योगपति तथा व्यापारी एक दूसरे से मिले हुये थे तथा इस उद्योग को 10 करोड़ रुपयों का (शुद्ध) लाभ हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो किसानों को गन्ने का लाभप्रद मूल्य क्यों नहीं दिया गया तथा उपभोक्ताओं का शोषण क्यों किया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं। बताया जाता है कि राज्य सरकारों से कुल मिलाकर मुक्त बिक्री की सुपुर्दगी लेने और उसका उचित ढंग से वितरण करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की थी।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें राज्य सरकारों को सितम्बर और अक्तूबर तथा नवम्बर, 1980 के प्रथम पखवाड़े के लिये मुक्त बिक्री की चीनी के किए गए आवंटन का ब्यौरा दिया गया है। कारखानों से आबंटित मात्रा को उठाने और उसके वितरण करने की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की थी। वास्तविक उठान और कमी, यदि कोई हुई है, के बारे में ठीक-ठीक स्थिति की जानकारी नहीं है तथापि, जब कभी राज्य सरकारों ने कारखाना विशेष से चीनी प्राप्त करने के बारे में अपनी कठिनाई के बारे में सूचित किया, तभी वैकल्पिक प्रबन्ध किए गए।

(ग) पहली सितम्बर से 15 नवम्बर, 1980 तक लागू स्वैच्छिक मूल्य विनियमन योजना के अधीन फैक्ट्रियों द्वारा 450 रुपये प्रति क्विंटल, जिसमें उत्पादन शुल्क शामिल नहीं था, के सहमत मूल्य पर मुक्त बिक्री की चीनी बेची गई थी और इसे राज्य सरकारों द्वारा 6 रुपये प्रति किलो के आस-पास निर्धारित किए गए खुदरा मूल्यों पर वितरित किया गया था। ऊंचे मूल्यों पर चीनी बेचने विषयक कदाचारों के कुछेक मामले हुए हो सकते हैं लेकिन राज्य सरकारों द्वारा उनकी वर्तमान सांविधिक प्रावधानों के अधीन निपटाया गया था।

(घ) खेती की लागत और अन्य संगत बातों को ध्यान में रखने के बाद चीनी कारखानों द्वारा देय सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर गन्ने के उत्पादकों को लाभकारी मूल्य देना सुनिश्चित किया जा रहा है उपभोक्ताओं के हितों की भी पूरी तरह देख-भाल की जा रही है।

विवरण

सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर, 1980 के पहले पखवाड़े के लिए मुक्त बिक्री की चीनी (देशी तथा आयातित) के राज्यवार कोटे।

(मीटरी टन)

क्र सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	सितम्बर 1980	अक्तूबर 1980	नवम्बर 1980 का प्रथम पखवाड़ा	जोड़
1.	आन्ध्र प्रदेश	3736	4564	2000	10300
2.	असम	2881	3519	1600	8000
3.	अरुणाचल प्रदेश	90	110	50	250
4.	मिजोरम	90	110	50	250

5.	बिहार	2745	3354	1500	7600
6.	गुजरात	1350	16495	7500	37500
7.	महाराष्ट्र	30167	36839	16700	83700
8.	केरल	6258	7642	3400	17300
9.	लक्षद्वीप	—	30	20	50
10.	मध्य प्रदेश	6392	7808	3500	17 00
11.	तमिलनाडु	9589	11711	5300	26600
12	कर्नाटक	6528	7972	3600	18100
13.	उड़ीसा	1080	1320	600	3000
14.	पंजाब	13505	16495	7500	37500
15.	हरियाणा	48 2	5938	2700	13500
16.	चंडीगढ	315	385	170	870
17.	राजस्थान	59 7	7313	3300	16600
18.	उत्तर प्रदेश	12830	15670	7000	35500
19.	पश्चिमी बंगाल	10219	12481	5600	28300
20.	जम्मू तथा कश्मीर	675	825	350	1850
*21.	दिल्ली	1396	1704	2500	5600
22.	हिमाचल प्रदेश	13-0	1600	600	3550
23.	मणिपुर	45	55	30	130
24.	त्रिपुरा	90	110	50	250
25.	पांडिचेरी	165	195	80	440
26.	सिक्कम	45	55	30	130
27.	गोआ	490	590	250	1330
28.	दादर तथा नगर हवेली	45	55	30	130
29.	नागालैंड	135	165	80	380
30.	अण्डमान	—	30	20	50
31.	मेघालय	45	55	30	130
	जोड़	135255	165195	76140	376560

* सितम्बर और अक्तूबर, 1980 के प्रत्येक महीने के लिए दिल्ली प्रशासन को मुक्त बिक्री की 3500 मीटरी टन की अतिरिक्त मात्रा आबंटित की गई थी और नवम्बर, 1980 के पहले पखवाड़े के लिए 1000 मीटरी टन आबंटित की गई थी।

एन. डी. एस. इंस्ट्रक्टरों का खपाया जाना

42. **श्री जाम्बुवंत धोटे :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिनांक 11 मई, 1972 को दिल्ली प्रशासन के मुख्य सचिव के

कार्यालय में यह निर्णय दिया गया था कि एन. डी. एस. इंस्ट्रक्टरों को नियमित पद रिक्त होने पर खपाया जाएगा;

(ख) क्या यह भी सच है कि कार्यकारी परिषद ने भी यह निर्णय किया था कि जब तक 327 एन. डी. एस. इंस्ट्रक्टरों को खपाया नहीं जाता जब तक किसी नए व्यक्ति को पी. ई. टी./पी. टी. आई. के पदों पर नियुक्त नहीं किया जाएगा; और

(ग) क्या इन निर्णयों को क्रियान्वित कर दिया गया है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी, हां। दिल्ली प्रशासन ने निर्णय किया था कि उनके द्वारा अपने नियन्त्रण में लिए गए स्टाफ को धीरे-धीरे जूनियर शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के नियमित पदों में खपाया जाएगा तथा एन. एफ. सी. स्टाफ के खपाने को सुलभ बनाने के लिए सृजित अतिरिक्त पदों को भविष्य में नियमित पदों के खाली होने पर समायोजित किया जाएगा।

(ख) और (ग) कार्यकारी परिषद ने 23 अगस्त, 1978 को हुई अपनी बैठक में एन. डी. एस./एन. एफ. सी. अनुदेशकों के 50 प्रतिशत पदों को खपाए जाने समायोजना की तथा शेष 50 प्रतिशत पदों की सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने की सिफारिश की थी।

तदनुसार, एन. डी. एस. अनुदेशकों को दिल्ली प्रशासन द्वारा जूनियर शारीरिक शिक्षकों की रिक्तियों में खपाया जा रहा है।

बाघ परियोजना का पुनर्गठन

4. **डा. बसन्त कुमार पंडित** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'बाघ परियोजना' का पूर्णरूप से पुनर्गठन करने का निर्णय कर लिया है;

(ख) वर्ष 1973 से प्रत्येक वर्ष इस परियोजना के लिए कितनी-कितनी निधि का आबंटन किया गया है;

(ग) क्या विश्व वन्य जीवन निधि अथवा अन्य किसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था ने इस परियोजना के लिए वित्तीय सहायता दी है, यदि हां, तो गत पांच वर्षों में, वर्ष-वार कितनी-कितनी ?

(घ) क्या ऐसी गम्भीर शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि इन निधियों का कुप्रबन्ध किया गया है और गलत उपयोग किया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार ने कोई जाँच की है, और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहा और मामले में क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं।

(ख) 1973 में परियोजना की शुरूआत से चालू वित्तीय वर्ष तक कुल लगभग 545·28 लाख रुपये की धन राशि दी गई है। वर्ष-वार स्थिति विवरण में दी गई है।

(ग) अभी तक किसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था या संगठन से नकद रूप में कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, विश्व वन्य प्राणी निधि ने 31.12.1978 तक परियोजना के लिये लगभग 519.469 अमरीकी डालर के मूल्य के उपस्कर प्रदान किये हैं। वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

31.12.1978 तक विश्व वन्य प्राणी निधि से दी गई सहायता :

(अमरीकी डालर)

1975	1976	1977	1978	योग
23-,314	129,362	77,108	80,685	519,469

(घ) तथा (ङ) सहायता नकद रूप में प्राप्त नहीं हुई है, अत: निधि का दुरुपयोग करने का प्रश्न नहीं होता ।

विवरण

बाघ परियोजना के लिए निधि का वर्ष-वार आबंटन,

(लाख रुपये)

1973-74	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81	योग
								(अस्थायी)
2·219	37·997	58·698	89·85	96·67	123·57	65· 8	69·00	545·284

खाद्यान्न के वसूली मूल्य का निर्धारण

44. स्वामी इन्द्रवेश : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में खाद्यान्न का वसूली मूल्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो निवेश लागत, उर्वरक और डीजल मूल्यों में वृद्धि तथा खाद्यान्न के परिवहन की लागत में हो रही बढ़ोतरी को किस हद तक ध्यान में रखा गया है; और

(ग) इस बारे में किसानों की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी हां । सरकार ने हाल ही में खरीफ के अनाजों के लिए अधिप्राप्ति मूल्यों तथा तुर, उड़द तथा मूंग के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा की है ।

(ख) अधिप्राप्ति/समर्थन मूल्यों की सिफारिश करते हुए, कृषि मूल्य आयोग ने आदानों की लागतों में वृद्धि को पूर्ण रूप से ध्यान में रखा है । सरकार ने समर्थन मूल्यों के स्तर पर निर्णय लेते समय खाद्यान्नों के संचलन की लागत में हुई वृद्धि को विधिवत ध्यान में रखा है ।

(ग) कुल मिलाकर इस बारे में किसानों की प्रतिक्रिया अनुकूल रही है ।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम की उपयोग सम्बन्धी रिपोर्ट

45. श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अधीन विभिन्न राज्यों को दी गई सहायता में सम्बन्धित उपयोग सम्बन्धी रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चूककर्त्ता राज्य यदि कोई है तो कौन-कौन से हैं तथा उन्हें दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (श्री बीरेन्द्रसिंह राव):(क) और (ख)चालू

वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों द्वारा उपयोग में लाई गई सूचित मात्रा को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) दोषी राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों, जिन्होंने कोई उपयोगिता सूचित नहीं की है, से संबंधित सूचना भी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

राज्य सरकार द्वारा उपयोग में लाए गए सूचित खाद्यान्नों की मात्रा को दर्शाने वाला विवरण।

क्र. सं.	राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र	उपयोग में लाए गए सूचित खाद्यान्नों की मात्रा।	अवधि जिससे यह सम्बन्धित है।
1	2	3	4
1	आन्ध्र प्रदेश	72,568·7	अगस्त, 80
2.	असम	—	—
3.	बिहार	81,986·17	जून, 1980
4.	गुजरात	15,613·00	अगस्त, 80
5	हरियाणा	19,635·82	अगस्त, 80
6.	हिमाचल प्रदेश	10,471·78	जुलाई, 1980
7.	जम्मू तथा काश्मीर	असूचित	
8.	कर्नाटक	1,268 94	मई, 1980
9.	केरल	13,575·78	सितम्बर, 80
10.	मध्य प्रदेश	1,47,087·00	अगस्त, 1980
11.	महाराष्ट्र	56,079·00	जुलाई, 1980
12.	मणिपुर	—	—
13.	मेघालय	—	—
14.	नागालैंड	127 85	मई, 80
15.	उड़ीसा	1,01,607·87	सितम्बर 80
16.	पंजाब	2,600·35	अगस्त, 1980
17.	राजस्थान	1,81,600·00	जुलाई, 1980
18.	सिक्किम	42·48	अगस्त, 80
19.	तमिल नाडु	14,305·59	अगस्त, 80
20.	त्रिपुरा	6,619·00	जुलाई, 1980
21.	उत्तर प्रदेश	1 85,387·98	अगस्त, 1980
22.	पश्चिम बंगाल	45,188 00	अगस्त, 1980
23.	अंडेमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	—	—

24.	अरुणाचल प्रदेश	—	—
25.	चण्डीगड	—	—
26.	मिजोरम	—	—
27.	पांडिचेरी	579·27	अगस्त, 1980
	अखिल भारत	9,56,343 95	

चीनी के मूल्यों पर रिपोर्ट

46. **श्री त्रिदिब चौधरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चीनी मूल्यों पर औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो के चेयरमेन की प्रध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) क्या उक्त समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने लेवी चीनी के मूल्यों के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है और अन्ततः मूल्य निर्धारित किया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) समिति द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं :—

(क) लागत निश्चित करने के प्रयोजन के लिए देश को 16 भौगोलिक जोनों में विभाजित किया जाए जैसी कि फिलहाल स्थिति है;

(ख) गन्ने के सर्वाधिक न्यूनतम मूल्य पर आधारित जोनवार उत्पादन लागत को लेवी मूल्य के रूप में अधिसूचित किए जाने की सिफारिश की जाती है;

(ग) रिकवरी तथा अवधि जोकि पिछले पांच वर्षों के औसत की सूचक के नियमों के लिए टैरिफ, कमीशन रिपोर्ट (1973) की भांति एक रुपान्तरण लागत अनुसूची 1980-83 की अवधि के लिए इस्तेमाल करने हेतु प्रस्तुत की गई है। इस अनुसूची को प्रत्येक मूल्य निर्धारण के लिए अनुमानित। वास्तविक रिकवरी तथा अवधि के साथ समायोजित किया जाना चाहिए।

(घ) ब्याज तथा लाभ : ईक्विटी पर कर के बाद 12 प्रतिशत के आधार पर लाभ की व्यवस्था हो। इसके साथ चालू औसत दर पर ऋण पर ब्याज की व्यवस्था हो। कार्यचालन पूंजी 4-1/2 महीने की उत्पादन लागत पर सुलभ हो।

(ङ) प्रत्येक जोन में दो स्तरीय लेवी मूल्य होने चाहिएं अर्थात एक कुशल यूनिट (औसत तथा औसत से ऊपर) के लिए और दूसरा कम कुशल यूनिटों के लिए। कम कुशल यूनिटों का पता लगाने के लिए जो दो कसौटियां हैं वे इस प्रकार हैं—(क) प्रतिदिन 1250 मीटरी टन से कम गन्ना पेरने की क्षमता और (ख) संयंत्र की आयु 25 वर्ष से अधिक हो : इसके पीछे उद्देश्य यह है कि कमजोर यूनिटों को लाभ पहुँचे और वे कुशल यूनिटों के साथ मुकाबला कर सकें और अपने प्रबन्ध तथा परिचालन संबंधी कुशलता में सुधार कर सकें।

(च) विकास निधि बनाने के लिए 5 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से विकास उपकर लगाया जाए। यह राशि रुग्ण यूनिटों के पुनर्वास के लिए उपयोग की जाए।

(ण) उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार ने 1980-81 मौसम के उत्पादन के लिए चीनी फैक्ट्रियों को देय लेवी चीनी के मूल्यों को अधिसूचित किया है। जोनवार निर्धारित मूल्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

चीनी के ग्रेड डी-29 के लिए मौसम 1980-81 के लिए निर्धारित किये गये लेवी चीनी के जोनवार निकासी मूल्यों को बताने वाला विवरण।

(रुपये क्विंटल में)

	जोन	निकासी मूल्य
1.	पंजाब	317·67
2.	हरियाणा	308 75
3.	राजस्थान	311·97
4.	पश्चमी उत्तर प्रदेश	281·81
5.	मध्य उत्तर प्रदेश	294·35
6.	पूर्वी उत्तर प्रदेश	316·26
7.	उत्तरी बिहार	322·82
8.	दक्षिणी बिहार	344·90
9.	गुजरात	270·81
10.	मध्य प्रदेश	344·12
11.	महाराष्ट्र	270·18
12.	कर्नाटक	27>·17
13.	आन्ध्र प्रदेश	287·27
14.	तमिल नाडु तथा पांडिचेरी	297·14
15.	असम, उड़ीसा, प. बंगाल तथा नागालैंड	3.0 42
16.	केरल तथा गोआ	273·82

नोट :—गन्ने की 1250 मीटरी टन प्रति दिन से कम पिराई क्षमता वाले कमजोर यूनिटों और जो 25 वर्षों से भी अधिक पुराने हैं, के बारे में निर्धारित किये नये मूल्य उपर्युक्त उल्लिखित मूल्यों की तुलना में प्रत्येक जोन में 26 रुपये प्रति क्विंटल तक अधिक हैं।

छठी योजना में शिक्षा के लिए आबंटित राशि

47. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों ने छठी योजना में शिक्षा के लिये निर्धारित राशि का अनुमोदन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका राज्य वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. वी. चव्हाण) : (क) से (ग) शिक्षा के लिए राज्य सरकारों के छठी योजना के प्रस्तावों पर योजना आयोग द्वारा राज्यों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।

दिल्ली, कलकत्ता और पटना के बीच दोषयुक्त टेलीफोन प्रणाली

48. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली, कलकत्ता और पटना के बीच टेलीफोन प्रणाली में व्यवधान पैदा हो गया है और इससे टेलीफोन प्रयोगकर्त्ताओं की कठिनाइयां बढ़ गई हैं;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसी ही शिकायतें प्रायः समाचार पत्रों में छपती रहती हैं;

(ग) यदि हां, तो इस कुप्रबन्ध के क्या कारण हैं; और

(घ) टेलीफोन प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता । फिर भी इस प्रणाली और जाल-कार्य को अच्छी चालू हालत में रखने के लिए उपस्करों के लिए निर्धारित मानीटरिंग एवं स्तरीय अनुरक्षण नित्यचर्याओं को अपनाया जा रहा है ।

नारी निकेतन, दिल्ली

49. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 अक्तूबर, 1980 के 'इंण्डियन एक्सप्रेस' के नई दिल्ली संस्करण में दिल्ली स्थित नारी निकेतन की गतिविधियों के सम्बन्ध में छपे समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्योरा क्या है और स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) नारी निकेतन उद्धार की गई, परित्यक्त और निराश्रित महिलाओं की देख-भाल और सुरक्षा के लिए संस्था है । इसे दिल्ली प्रशासन द्वारा चलाया जाता है । इस मामले के तथ्य जो प्रेस रिपोर्ट की विषय वस्तु है, जैसे कि वे दिल्ली प्रशासन द्वारा बताए गए हैं, निम्न लिखित हैं :—

34 वर्षीय श्रीमती सविता वागले को नारी रक्षा समिति द्वारा प्रायोजित स्वयंसेवी मामले के रूप में उसकी एक 5 मास की लड़की के साथ 11 अगस्त, 1979 को नारी निकेतन में दाखिल किया गया था । नारी निकेतन में दाखिले के समय उसने कहा था कि उसके पति ने उसका त्याग कर दिया था । जांच करने पर उसके द्वारा बताया गया पता गलत पाया गया । उसे अपने ही अनुरोध पर 10 अक्तूबर, 1980 को संस्था से छोड़ दिया गया था । उसके द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच दिल्ली प्रशासन द्वारा की गई थी, परन्तु वे ठीक नहीं पाये गये ।

सरकार भी नारी रक्षा समिति से और पूछताछ कर रही है ।

गोबिचेट्टिपलयम, तमिलनाडु में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र

50. **श्री चिन्ना स्वामी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोबिचेट्टिपलयम्, तमिलनाडु में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र लगाने के लिये कदम उठाये जायेंगे;

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) तमिलनाडु में तुरन्त टेलीफोन कनेक्शन देने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) क्या टेलीफोन डाइरेक्टरियों के वार्षिक प्रकाशन का कोई प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) अभी गोविचेट्टिपलयम् की सेवा एक 480 लाइनों वाले हस्तबल एक्सचेन्ज द्वारा की जाती है। स्वचल एक्सचेंज उपस्कर की सीमित उपलब्धता के कारण अभी इस स्थान के लिए स्वचल एक्सचेंज की योजना सम्भव नहीं हो सका है।

(ग) मौजूदा सीमित साधनों के रहते हुये अनुमानित निकट भविष्य में मांग होने पर तत्काल टेलीफोन कनेक्शनों की व्यवस्था करने के लिए योजना बनाना संभव नहीं है। फिर भी छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतीक्षा अवधि को लगभग 2 वर्ष तक सीमित करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

(घ) जी हाँ।

नारियल की जड़ सुखाने वाला रोग

51. **श्री वी. एस. विजय राघवन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि नारियल के पेड़ों के जड़ सुखाने वाले रोग को राष्ट्रीय महत्व का रोग घोषित किया जाये;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र ने उस पर क्या निर्णय किया है; और

(ग) यदि केन्द्र ने इस रोग का सामना करने हेतु यदि राज्य सरकार को कोई सहायता दी है, तो कितनी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. बी. स्वामीनाथन) : (क) जी हाँ।

(ख) किसी रोग को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि इसके उपचार से सम्बन्धित लागत (रसायनिकों की लागत तथा उपयोग खर्च) के लिये केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त हो सके। इस उद्देश्य के लिए गठित तकनीकी समिति ने 3 नवम्बर, 1980 को हुई अपनी बैठक में इसे राष्ट्रीय महत्व के रोगों की सूची में शामिल करने की सिफारिश नहीं की क्योंकि इस रोग के कारणों तथा रोकने के उपायों के बारे में निश्चय नहीं हो सका।

(ग) इसके लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है जिसके अधीन 1980-81 के दौरान भारत सरकार के हिस्से के रूप में शकर पौध तथा उर्वरकों की सप्लाई के लिये 6·34 रुपये तक की केन्द्रीय सहायता उपलब्ध की जाती है। सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से इस जटिल रोग की रोक-थाम के लिये गहन अनुसंधान उपाय शुरू किये हैं।

उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालयों में स्वचालित एक्सचेंज सुविधायें दिया जाना

52. **श्री जैनुल बशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) उत्तर प्रदेश के उन जिला मुख्यालयों के नाम क्या हैं जहां पर स्वचालित केन्द्र सुविधा नहीं लगाई गई है;

(ग) क्या निकट भविष्य में इन जिलों में स्वचालित केन्द्र सुविधाएं लगाने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो उस परियोजना का विवरण क्या है और उसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) उत्तर प्रदेश के 56 जिला मुख्यालयों में से 17 जिला मुख्यालयों में स्वचल एक्सचेंज सुविधाएं नहीं हैं तथा इस समय उन्हें करचल टेलीफोन एक्सचेंज से सेवा मिल रही है।

(ख) यह प्रस्ताव है कि इन सभी में एक चरण बद्ध ढंग से स्वचल एक्सचेंज खोल दिए जाएं।

(ग) प्रथम चरण में, वर्ष 1983-84 तक 7 में स्वचल एक्सचेंज उपलब्ध कराने के लिए योजनाएं तैयार कर ली गई हैं। शेष में स्वचलीकरण कार्य अगले चरण में किया जाएगा।

जिन 17 जिला मुख्यालय स्थानों पर करचल एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं उनकी सूची दो भागों में नीचे दी जा रही है। एक सूची 7 की है, जिनके लिये स्वचल एक्सचेंजों की योजना बनाई गई है तथा दूसरी सूची उन 10 एक्सचेंजों की है, जिन्हें दूसरे चरण में लेने की योजना है।

भाग-I		भाग-II	
1.	अल्मोड़ा	1.	बांदा
2.	बिजनौर	2.	फतेहगढ़ (फर्रुखाबाद)
3.	चमोली	3.	फतेहपुर
4.	मथुरा	4.	गाजीपुर
5.	नैनीताल	5.	झांसी
6.	उत्तरकाशी	6.	ललित पुर
7.	प्रतापगढ़	7.	उरई
		8.	पौड़ी (गढ़वाल)
		9.	पिथौरागढ़
		10.	सुल्तानपुर

गन्ने के लिए उचित मूल्य

53. **श्री माधव राव सिन्धिया :**

श्री दयाराम शाक्य : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इन खबरों की जांच की है कि गत वर्ष जब गन्ने की कीमतों में भारी कमी हुई थी और किसानों को गन्ने के लिए उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो सका था तब गन्ने की खड़ी फसलों को जलाकर अथवा अन्यथा नष्ट किया गया था;

(ख) यदि हां, तो गन्ने की कितनी खड़ी फसल जलाकर अथवा अन्यथा नष्ट की गई थी; और

(ग) इस वर्ष यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये गये कि गन्ने तथा चीनी के उत्पादन को प्रोत्साहन देने और उसे बढ़ाने हेतु गन्ने की फसलों के लिये उनको उचित मूल्य प्राप्त हो ताकि अगले वर्ष चीनी की संकटपूर्ण स्थिति तथा कमी से बचा जा सके ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) और (ख) 1979-80 के दौरान जल। देने अथवा अन्यथा के कारण गन्ने की फसल की बर्बादी के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी। तथापि, समाचारों में 1977-78 मौसम के दौरान शेष रह गये गन्ने के बारे में कुछेक रिपोर्टें देखी गई थीं लेकिन किसी सरकारी रिपोर्ट की अनुपस्थिति में मात्रा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। शेष बचे गन्ने की पिराई को सुनिश्चित करने के लिये, 1977-78 के दौरान फैक्टिरयों को दीर्घकाल तक पिराई कार्य जारी रखने के लिये प्रोत्साहन दिये गये थे।

(ग) सरकार ने 8.5 प्रतिशत की रिकवरी पर तथा उस स्तर से अधिक रिकवरी पर पूर्ण आनुपातिक प्रीमियम देने की व्यवस्था कर गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य बढ़ाकर 13·00 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है जबकि गत वर्ष यह मूल्य 12·0 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था। फैक्ट्रियों की अधिक मूल्य दे पाने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए, प्रधान मंत्री ने भी परामर्श दिया है कि सभी राज्यों में फैक्ट्रियों द्वारा गन्ने का वास्तविक न्यूनतम मूल्य 16 00 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से दिया जाना चाहिए।

लघु किसान विकास एजेंसी और समेकित ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत किसानों को लाभ

54. **श्री जी. वाई. कृष्णन** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लघु किसान विकास एजेंसी और समेकित ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले लघु और सीमान्त किसानों की संख्या क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मन्त्री (श्री बीरेन्द्रसिंह राव) : लघु कृषक विकास कार्यक्रम तथा समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत छोटे किसानों, सीमान्त किसानों, कृषि श्रमिकों, ग्रामीण कारीगरों तथा अन्य व्यक्तियों, जो 'गरीबी की रेखा' से नीचे रहते हैं, को सहायता सुलभ की जाती है। लघु कृषक विकास एजेंसी कार्यक्रम के अन्तर्गत 1970-71 में इस कार्यक्रम के प्रारम्भ होने से लेकर जून, 1980 तक 80,33,802 परिवारों को लाभ पहुँचाये गये थे। समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 1978-79 में इस कार्यक्रम शुरू होने से लेकर जून, 1980 तक 22,26,886 परिवारों को सहायता दी गई थी।

दिल्ली में चीनी के खुले बाजार में मूल्य

55. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों के दौरान दिल्ली में खुले बाजार में और सुपर बाजारों में चीनी के मूल्य क्या-क्या रहे; और

(ख) अलग-अलग मूल्य होने के कारण क्या थे; इस बारे में क्या कदम उठाये गये और उसके क्या परिणाम रहे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) दिल्ली में पिछले तीन महीनों के दौरान मुक्त बिक्री की चीनी के थोक और खुदरा मूल्यों का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

(रु० प्रति किलो)

मास	थोक मूल्य	सुपर बाजार के मूल्य	खुले बाजार के (मूल्य खुदरा)
अगस्त	7·70	7·80	7·97
सितम्बर (3।9 से)	6 00	6·10	—
अक्तूबर	6·00	6·10	—
नवम्बर (15 तक)	6·00	6·10	—

(ख) 3.9.80 से पूर्व चीनी पर कोई स्वैच्छिक मूल्य विनियमन नहीं था। मुक्त बिक्री की चीनी के मूल्यों में उतार-चढ़ाव/घट-बढ़ प्रशन. कम सप्लाई और कुछ हद तक व्यापारियों द्वारा जमाखोरी और मुनाफाखोरी की प्रवृत्तियों के कारण थी। स्वैच्छिक मूल्य विनियमन योजना शुरू करने से, जोकि दिल्ली में 3 सितम्बर, 1980 को लागू की गई थी, दिल्ली प्रशासन ने थोक मूल्य 6 00 रुपये प्रति क्विंटल और खुदरा मूल्य 6·10 प्रति किलो निर्धारित किया था। मुक्त बिक्री की चीनी का वितरण स्वीकृत थोक चीनी लाइसेंसधारियों, सुपर बाजार और उसकी शाखाओं, दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक स्टोर, प्रमुख सहकारी स्टोरज, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी स्टोर समिति के माध्यम से और दिल्ली थोक उपभोक्ता सहकारी द्वारा नियत की गई चलती-फिरती गाड़ियों के माध्यम से विनियमित किया गया था।

राज्यों में चीनी की दर

6. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में उपभोक्ताओं को चीनी किस दर पर उपलब्ध कराई जा रही है; और

(ख) सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य दर पर चीनी की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जहां तक लेवी चीनी का सम्बन्ध है, इसे देश भर में 2·85 रुपये प्रति किलो के समान मूल्य पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध किया जा रहा है। 1-9-80 से 15-11-80 तक लागू उद्योग की स्वैच्छिक पेशकश के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को 450 रुपये प्रति क्विंटल के निकासी मूल्य, जिसमें उत्पादन शुल्क शामिल नहीं था, के आधार पर मुक्त बिक्री की चीनी उपलब्ध की गई थी। राज्य सरकारों द्वारा सितम्बर और अक्तूबर, 1980 के त्यौहारों के महीनों के दौरान मुक्त बिक्री की चीनी के वितरण हेतु निर्धारित किये गये खुदरा मूल्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) राज्य सरकारें लेवी चीनी का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उचित दर की दुकानों/राशन की दुकानों के अपने जाल के माध्यम से करती हैं। सितम्बर और अक्तूबर, 1980 के दौरान मुक्त बिक्री की चीनी का वितरण करने हेतु किए गए विशेष प्रबन्धों के अधीन राज्य सरकारों ने वितरण सम्बन्धी कार्य या तो अपने राज्य नागरिक पूर्ति निगमों को अथवा राज्य सहकारी एजेन्सियों को सौंपा था और कुछेक राज्यों में यह कार्य सामान्य व्यापार प्रणालियों

को सौंपा गया था। राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि उन्होंने उपभोक्ताओं को उनके द्वारा निर्धारित किये गये मूल्यों पर चीनी की पूर्ति करने की दिशा में आवश्यक पग उठाये हैं।

विवरण

सितम्बर-अक्तूबर, 1980 के दौरान आयातित/खुली बिक्री की चीनी के वितरण के लिए राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित चीनी के खुदरा मूल्यों को बताने वाला विवरण

राज्य	खुदरा मूल्य (रु. प्रति किलो)	राज्य	खुदरा मूल्य (रु. प्रति किलो)
1. आंध्र प्रदेश	6·00	17. राजस्थान	घरेलू उपभोक्ता 5·97
2. असम	6·50		वल्क उपभोक्ता
3. विहार	5·75 देशी	18. सिक्किम	6·15
	6·27 आयातित	19. तमिलनाडु	6·00
4. गुजरात	5·50 से 7·50 गरेलू	20. त्रिपुरा	सूचित नहीं किया गया
	उपभोक्ता	21. उत्तर प्रदेश	6·22 से 6·30
5. हरियाणा	5·95 वल्क उपभोक्ता	22. पश्चिमी वंगाल	5·97
6. हिमाचल प्रदेश	5·85	संघशासित प्रदेश	
7. जम्मू तथा काश्मीर	सूचित नहीं किया गया।	23. अण्डमान तथा निकोवार	सूचित नहीं किया
8. कर्नाटक	6·40 बढ़ाया गया	24. अरुणाचल प्रदेश	—
9. केरल	6·25	25. चंडीगढ़	6·00
10. मध्य प्रदेश	6·50	26. दादर तथा नगर हवेली	5·20 से 6·10
11. महाराष्ट्र	5·00	27. गोआ, दमन तथा दीव	5·65 से 5·60
12. मणिपुर	6·30	28. लक्षदीप	6·70
13. मेघालय	5·55 आयातित 5·80 से 5·90 देशी	29. मिजोरम	7·10
14. नागालैंड	सूचित नहीं किया गया	30. पांडिचेरी	5·83 से 5 85
		31. दिल्ली	6·10
15. उड़ीसा	जैसा कलेक्टरों द्वारा निर्धारित किया 5·95		
16. पंजाब	घरेलूउपभोक्ता 6·10 से 6·15 वल्क उपभोक्ता		

सरोजिनी नगर, नई दिल्ली में सरकारी मकानों में अनधिकृत निर्माण

57. **श्री क्रिस्टोफर एक्का :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि गत दो महीनों के दौरान सरोजनी नगर, नई दिल्ली के सी ब्लाक में टाइप 3 के सरकारी क्वार्टरों में कई अलाटियों ने अपने क्वार्टरों के पृष्ठ भाग (पिछवाड़े) में पक्के कमरे बना कर वृद्धि कर ली है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उस कालोनी के अन्य सरकारी क्वार्टरों के अलाटियों को भी इसी प्रकार की आज्ञा देगी; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे अलाटियों, जिन्होंने सरकारी क्वार्टरों से संबंधित नियमों का उल्लंघन किया है, के विरुद्ध सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाई क्या है और इस सम्बन्ध में जांच की जाएगी कि सीमेन्ट जैसी कमी वाली सामग्री ऐसे अलाटियों को कैसे मिली ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) । (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) सरोजिनी नगर के सी-ब्लाक के 7 क्वार्टरों के अलाटियों को अनधिकृत निर्माणों को हटाने के नोटिस दे दिये गये हैं । ऐसा न करने पर उनके आवंटनों को रद्द कर दिया जायेगा।

गन्ने के मूल्य का निर्धारण किया जाना

58. **श्री झारखण्डे राय : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आगामी पेराई मौसम के लिए गन्ने के मूल्यों का निर्धारण कर दिया है;

(ख) यदि हां तो क्या मूल्य निर्धारित किया गया है और इसे किस आधार पर आंका गया है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मूल्य से अधिक मूल्य निर्धारित किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) और (ख) गन्ने के न्यूनतम मूल्य उत्पादन लागत, वैकल्पिक फसलों से उत्पादक को लाभ, उपभोक्ता को उचित दर पर चीनी की उपलब्धता, गन्ने से चीनी की रिकवरी आदि को ध्यान में रखकर निर्धारित किये जाते हैं । गन्ने की उत्पादन लागत में वृद्धि पर विचार करने के बाद गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य को 8.5 प्रतिशत की रिकवरी पर तथा उससे अधिक रिकवरी पर पूर्व, आनुपातिक प्रीमियम देने की व्यवस्था कर 13·00 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है जबकि गत वर्ष यह मूल्य 12·50 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था ।

(ग) और (घ) समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के अनुसार बताया जाता है कि कुछेक राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए गए सांविधिक न्यूनतम मूल्य से गन्ने के अधिक मूल्यों की घोषणा की है । ऐसा प्रधान मंत्री के इस परामर्श के प्रत्युत्तर में किया गया है कि सभी राज्यों की फैक्ट्रियों द्वारा गन्ने का न्यूनतम मूल्य 16·00 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाना चाहिए ।

हैदराबाद में राष्ट्रीय चीनी संस्थान को अनुसंधान-सहसलाहकार सेल स्थापित करने के लिए सिफारिशें

59 **श्री पी. राजगोपाल नायडू** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में खन्डसारी चीनी की उत्पादन लागत का अध्ययन करने वाले दल ने इस बात की सिफारिश की थी कि खाण्डसारी उद्योग के लाभ के लिए हैदराबाद में राष्ट्रीय चीनी संस्थान का अनुसंधान-सहसलाहकार सेल स्थापित किया जाए; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाई की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) हैदराबाद में ऐसा सेल स्थापित करने के बारे में सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं किया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्य के लिए गेहूं की मांग

60. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए पर्याप्त मात्रा में गेहूं की पूर्ति के लिए विभिन्न राज्यों से मांग प्राप्त हुई है;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने इसके लिए आवेदन किया हैं;

(ग) इस प्रकार की मांग के कारण क्या हैं और स्थिति में सुधार के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण सिंचाई मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड तथा सिक्किम को छोड़कर सभी राज्यों ने आवेदन किया है।

(ग) कार्यक्रम के अन्तर्गत काफी अधिक निर्माण-कार्यों को शुरू करने के लिये अधिक खाद्यान्नों की मांग की गई है। हाल ही में 4 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों के अतिरिक्त आवंटन किये गये हैं।

'फारेस्ट्स फार प्लडर' शीर्षक से प्रकाशित समाचार

61. **श्री मूलचन्द डागा : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 अगस्त, 1980 के इण्डियन एक्सप्रेस में 'फारेस्ट्स फार प्लडर' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित सम्पादकीय लेख की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या वैज्ञानिक दृष्टि से 5 प्रतिशत क्षेत्र में वन होने चाहिए और यदि हां, तो देश का कितने प्रतिशत क्षेत्र वनों के अन्तर्गत शामिल है, और

(घ) पारिस्थितिक संतुलन को बनाये रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है और इसे किस प्रकार कार्यान्वित किया जा रहा है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) वन विकास निगम, मध्य प्रदेश, जो विश्व बैंक से सहायता प्राप्त बस्तर परियोजना को क्रियान्वित कर रही है, मध्य प्रदेश वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है। 'फारेस्ट्स फार प्लडर' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित सम्पादकीय लेख के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार से टिप्पणी मांगी गई है।

(ग) राष्ट्रीय वन नीति-1952 के अनुसार देश की कुल भूमि का एक तिहाई भाग वनों

के अन्तर्गत होना चाहिए। 1977-78 के दौरान वन के अन्तर्गत कुल क्षेत्र देश के भौगोलिक क्षेत्र का 22 7 प्रतिशत था।

(घ) पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाये रखने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित, केन्द्र एवं राज्य क्षेत्रों के अधीन वन रोपण की अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। असुरक्षित हिमालय क्षेत्र में वन तथा मृदा कटाव को रोकने के लिए हिमाचल क्षेत्र (आपरेशन सायल वाच) में मृदा, जल तथा वृक्ष संरक्षण स्कीम आरम्भ की गई है।

25-10 1980 को जारी किये गये वन (संरक्षण) अध्यादेश, 1980 के अनुसार कोई भी राज्य सरकार या कोई अन्य प्राधिकारी केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना निम्नलिखित बातों से संबधित कोई आदेश नहीं देगा :—

1. कि कोई आरक्षित वन या उसका कोई हिस्सा आरक्षित नहीं रहेगा।

2. कि किसी वन भूमि या उसका कोई हिस्सा, गैर-वन कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है।

यह अध्यादेश देश में वनों को काटने की गति को रोकेगा और पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाये रखने में सहायक होगा।

छठी योजना के दौरान खाद्यान्न उत्पादन

62 **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य क्या है, और

(ख) इस संबंध में बनाए गए कार्यक्रम का विवरण क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) और (ख) छठी पंचवर्षीय योजना (वर्ष 1980-85) आजकल तैयार की जा रही है। कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों के संबंध में छठी पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए योजना आयोग द्वारा गठित कर्णधार दल ने 1979-80 के दौरान आधार स्तर उत्पादन (प्रवृत्ति अनुमान) की तुलना में 1984-85 के अन्तिम वर्ष में 1536 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों के उत्पादन का लक्ष्य रखने का प्रस्ताव किया है। इसका अभिप्राय यह होगा कि उत्पादन में प्रतिवर्ष लगभग 4 प्रतिशत की मिश्रित दर से वृद्धि की जाए।

2. खाद्यान्नों के उत्पादन उपर्युक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली नीति में निम्नलिखित मुख्य तत्व शामिल होंगे :—

1. जैविक तथा गैर-जैविक दोनों प्रकार के उर्वरकों का अधिक उपयोग करना,

2. सुनिश्चित सिंचाई के अन्तर्गत क्षेत्र का विस्तार और उपलब्ध सिंचाई क्षमता का पूरा इस्तेमाल करना।

3. मुख्यत: बहु-फसली प्रणाली के माध्यम से सकल सस्य क्षेत्र में वृद्धि करना,

4. अधिक पैदावार देने वाली किस्मों के कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षेत्र का विस्तार करना।

5. कीड़ों और रोगों के आक्रमण से फसलों की होने वाली हानि को कम करने के लिए पर्याप्त वनस्पति-रक्षण उपाय करना,

6. मृदा और जल संरक्षण के उपायों और बारानी खेती की उन्नत प्रणालियों पर अधिक बल देना ।

7. बड़े पैमाने पर अनुसंधान और इसके प्रयोग को बढ़ाना,

8. पुनर्गठित और सशक्त विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से उन्नत तकनोलौजी में किसानों का प्रशिक्षण और शिक्षा, एवम्

9. आदानों और सेवाओं के लिए ऋण की अवस्थापना, विपणन, वितरण प्रणाली का विकास ।

3. कुछ प्रमुख आदानों के प्रस्तावित लक्ष्य इस प्रकार हैं :—

	19 9-80 (आधार स्तर)	1984-85 (लक्ष्य)
1. उर्वरक की खपत (लाख मीटरी टन) (एन+पी+के)	52.7	96.5
2. कीटनाशी दवाओं की खपत (हजार मीटर टन) (तकनीकी ग्रेड सामग्री)	60.0	80.0
3. अधिक पैदावार देने वाली किस्में (दस लाख हैक्टार) (धान, गेहूं, मक्का, ज्वार और बाजरा)	35.2	56.0
4. सकल सस्यगत क्षेत्र	तदैव 171.0	181.0
5. सिंचित क्षेत्र (छोटे बड़े और मध्यम कार्यों के माध्यम से)	तदैव 53.8	67.8
6. मृदा संरक्षण	तदैव 23.4	30.5

4. खाद्यान्नों के उत्पादन और आदानों के ऊपर दिए गए आंकड़े अनंतिम हैं और इनमें संशोधन हो सकता है । योजना आयोग द्वारा इन पर विचार किये जाने के पश्चात तथा छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत दिये जाने के पश्चात् इन आंकड़ों को पक्का कर दिया जाएगा ।

पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय घोषित करना

63. **श्रीमती कृष्णा शाही** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना विश्वविद्यालय देश के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक है;

(ग) क्या पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय करने की अनेक वर्षों से मांग की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय घोषित करने का है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं ।

इलैक्ट्रानिक स्विच प्रणाली नीति के संबंध में कार्यकारी दल की सिफारिशें

64. **श्री के. ए. राजन :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलैक्ट्रानिक स्विच प्रणाली नीति के संबंध में अन्तर विभागीय कार्यकारी दल ने जुलाई, 1979 में क्या सिफारिश की थी;

(ख) डाक-तार संचार मंत्रालय तथा इलैक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा किन सिफारिशों को स्वीकार किया गया है; और

(ग) स्वीकृत सिफारिशों को क्रियान्वित करने के बारे में क्या कार्यवाही की गयी है अथवा की जा रही है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क, इलैक्ट्रानिक स्विच प्रणाली नीति के संबंध में अन्तरविभागीय कार्यकारी दल द्वारा जुलाई 1979 में की गई प्रमुख सिफारिश निम्नलिखित हैं :—

1. कार्यकारी दल का विचार है कि देश के भीतर ही उत्पादन क्षमता पर्याप्त मात्रा में बढ़ाई जाये जिससे कि कम से कम सातवीं पंच वर्षीय योजना के मध्य तक स्विच उपस्कर के आयात पर रोक लगाई जा सके। इसके लिये इस दशक के दौरान प्रति वर्ष 10 लाख लाइनों की और उत्पादन क्षमता देश में स्थापित करने की आवश्यकता पड़ेगी।

2. तकनीकी दृष्टिकोण से इस समय देश में कार्य कर रही इलैक्ट्रो-मकेनिक प्रणालियों इलैक्ट्रानिक स्विच प्रणालियों पर्याप्त श्रेष्ठ हैं क्योंकि इनमे एक्सचेंजों का और सम्पूर्ण रूप से जाल कार्य का, कार्य निष्पादन बढ़ जाता है तथा वे उपभोक्ताओं को अधिक नई सुविधायें प्रदान करती हैं तथा इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों के मुकाबले में से कम खर्चीली हैं।

3. यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि इलैक्ट्रानिक स्विच प्रणाली कारखाने की स्थापना के लिए शिल्प विज्ञान का आयात करना आवश्यक होगा।

4. इसलिए कार्यदल की यह जोरदार सिफारिश है कि संचार मंत्रालय द्वारा चालू योजना के दौरान स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित दूसरे कारखाने की इलैट्रानिक एक्सचेंज उपस्कर की उत्पादन क्षमता 5 लाख लाइनें प्रति वर्ष होनी चाहिए।

5. इलैक्ट्रोनिक स्विच प्रणाली के निर्माण का शिल्पविज्ञान पैकेज इतना समकालीन एवं परिष्कृत होता है कि इन प्रणालियों के अविछिन्न विकास एवं प्रगति के लिये समुचित प्रबंध कौशल आवश्यक है इसलिए कार्यकारी दल का यह स्पष्ट विचार है कि इसका सबसे अच्छा हल यही होगा कि किसी मौजूदा यूनिट के साथ सम्बद्ध न करके उपरोक्त सुझाए गए तरीके से यथा संभव शीघ्र संचार मत्रालय के अधीन पूरी तरह नई तथा स्वतंत्र इकाई स्थापित की जाए।

6. इसलिए कार्यकारी दल की सिफारिश है कि इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज उपस्कर उत्पादन करने के लिए प्रति वर्ष 5 लाख लाइनों की क्षमता वाला एक नया स्विच कारखाना सातवीं पंच वर्षीय योजना के शुरू में स्थापित किया जाये ताकि 1985-86 तक उत्पादन आरम्भ हो सके।

7. तेजी से गतिशील इलैक्ट्रानिक स्विच प्रणाली शिल्पविज्ञान, जिसमें हर 3-4 वर्षों में परिवर्तन हो जाता है, के साथ-साथ चलने के लिए देशज अनुसंधान एवं विकास क्षमता सृजित करने के लिये एन. पी सी. 2 प्रणाली को विकसित करना नितांत आवश्यक है। अनुसंधान एवं

विकास क्षमता, जिसे बाहरी देशों की आधुनिकतम प्रवृत्तियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रखा जाता है, से यह संभव हो सकेगा कि आज आयात किये जा रहे शिल्प विज्ञान को, जहां उचित है नये शिल्प विज्ञान की चुनींदा खरीदों द्वारा स्थानीय विकास करके, लगातार आधुनिकतम बनाये रखा जाये।

कार्यकारी दल ने इन मुख्य सिफारिशों पर आधारित विधितन्त्र के विवरण देते हुये अन्य सिफारिशें भी की हैं।

(ख) सभी प्रमुख सिफारिशें डाक-तार विभाग, संचार मंत्रालय और इलैक्ट्रानिक विभाग द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं।

(ग) देश में इलैक्ट्रानिक स्विच उपस्कर के विनिर्माण की स्थापना के साथ-साथ सहयोग के लिये विश्व भर से निविदाएं आमन्त्रित करने के लिये विनिर्देशन की पद्धति के ब्यौरे को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

सुरक्षित भंडार के लिए गेहूं तथा चीनी का आयात

65. **प्रो. पी. जे. कुरियन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सुरक्षित भंडार (बफर स्टाक) बनाने के लिए गेहूं और चीनी का आयात करने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में गेहूँ और चीनी की वर्तमान कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) फिलहाल सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि बफर स्टाक तैयार करने के लिए गेहूँ और चीनी का आयात किया जाए।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जहां तक गेहूं का सम्बन्ध है, सरकारी एजेंसियों के पास हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त स्टाक है। चीनी का अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए कई पग उठाये गये हैं जैसे कि जल्दी पिराई के लिये उत्पादन शुल्क में राहत, गन्ने के मूल्य में वृद्धि, डखांसारी पर नियन्त्रण और चीनी फैक्ट्रियों को लाइसेंस देने पर लगे प्रतिबन्ध को उठाना।

1979-80 के दौरान चीनी का उत्पादन

66 **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1979-80 के दौरान चीनी मिलों द्वारा कितनी चीनी का उत्पादन किया गया और उस पर प्रति टन कितनी उत्पादन लागत आई;

(ख) 1979-80 के दौरान कुल कितने मूल्य की चीनी का उत्पादन हुआ और बिक्री के लिये जारी की गई चीनी का कुल मूल्य क्या था;

(ग) क्या चीनी मिलों ने चालू वर्ष में उत्पादन आरम्भ कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो चीनी मिलें राज्यों में किसानों को उनके गन्ने की क्या कीमत दे रही हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. बी. स्वामीनाथन) : (क) 1979-80 के दौरान देश की चीनी मिलों ने 38·50 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन किया है। दिसम्बर, 1979 में किये गये अनुमानित मूल्यांकन के अनुसार मौसम के प्रारम्भ में फैक्ट्री के द्वार पर चीनी की उत्पादन लागत लगभग 2560 रुपये प्रति मीटरी टन बैठती है।

(ख) उपर्युक्त उत्पादन लागत के आधार पर, 1979-80 के दौरान उत्पादित चीनी की कुल लागत लगभग 987·90 करोड़ रुपये बैठती है। क्योंकि 1979-80 के दौरान उत्पादित सभी चीनी निर्मुक्त कर दी गई है, निर्मुक्त की गई चीनी की लागत भी वही है अर्थात् 987 90 करोड़ रुपये।

(ग) जी हां। वर्तमान वर्ष के दौरान, 10-11-1980 तक विभिन्न राज्यों में 73 चीनी मिलों ने उत्पादन शुरू कर दिया है।

(घ) गन्ने के अधिसूचित किये गये न्यूनतम मूल्यों के आधार पर, विभिन्न राज्यों में गन्ने के दिये गये मूल्यों के रेंज का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। यह भी मालूम हुआ है कि संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श पर चीनी फैक्ट्रियां अधिसूचित किये गये न्यूनतम मूल्यों से विभिन्न दरों पर अधिक मूल्य दे रही है।

विवरण

1980-81 मौसम के लिये विभिन्न राज्यों में स्थित चीनी फैक्ट्रियों के लिये अधिसूचित गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य के रेंज को बताने वाला विवरण

राज्य	न्यूनतम अधिसूचित मूल्य (रु०/क्विंटल)
1. उत्तर प्रदेश	13·00 से 17·28
2. बिहार	13.00 से 16.52
3. पंजाब	14.53 से 17.28
4. हरियाणा	13.76 से 14.68
5. असम	13.00 से 13 15
6. पश्चिमी बंगाल	13.00
7. उड़ीसा	13.00 से 13 61
8. मध्य प्रदेश	13.00 से 15·45
9. राजस्थान	13.00 से 14.84
10. महाराष्ट्र	13.00 से 18.35
11. गुजरात	13.00 से 17.59
12. आन्ध्र प्रदेश	13.00 से 15 60
13. तमिलनाडु	13.00 से 16.06
14. कर्नाटक	13.00 से 17.13
15. केरल	13.00 से 13.15
16. पांडिचेरी	13.00
17. नागालैंड	13.76
18. गोआ	13.00

डाक तथा तार विभाग के विभागेतर कर्मचारियों की संख्या

67. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा तार विभाग के विभागेत्तर कर्मचारियों की संख्या और वर्गीकरण क्या हैं;

(ख) इनके ग्रेड और वर्गीकरण के अनुसार उपरोक्त कर्मचारियों का भुगतान और वेतन क्या है; और

(ग) उपरोक्त कर्मच रियों के पारिश्रमिक में सुधार लाने के लिए भारत सरकार के प्रस्ताव क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) (क) अपेक्षित सूचना विवरण-क में दी गई है।

(ख) विभागेतर एजेन्ट केवल अंशकालिक कर्मचारि होते हैं और उन्हें उनके द्वारा किए गये डाक यातायात कार्य तथा उनके कार्य के घण्टों के आधार पर निर्धारित भत्तों की अदायगी की जाती है। विभागेत्तर एजेन्टों की विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को निर्धारित भत्ता दिया जाता है जो विवरण-ख में दिया गया है।

(ग) अब से पहले विभागेतर एजेन्टों के कुल भत्तों का दो वर्षों में एक बार संशोधन किया जाता था। अब यह निर्णय लिया गया है कि उनके भत्ते वर्ष में एक बार संशोधित किए जाएं। वार्षिक संशोधन 1-9-1980 से किया जा रहा है।

विवरण-क

31-3-1980 की डाक तार विभाग के विभागेत्तर कर्मचारियों की संख्या

श्रेणी का नाम	संख्या
उप पोस्टमास्टर	9.960
शाखा पोस्टमास्टर	1,03,017
वितरण एजेन्ट	73,537
डाक वाहक	45,645
पैकर	13.957
संदेश वाहक	3,693
स्टैप बेंडर	3,349
रनर	7,122
पोर्टर	8
स्वीपर	202
वाटरमैन	58
चौकीदार	1,278
डाक चपड़ासी	2,136
लेटर बाक्स चपड़ासी	458
डाक वाहक/डी० ए० पैकर	6,098
अन्य	3,434
योग	2,75,950

विवरण-ख

1-8-1979 से विभिन्न श्रेणी के विभागेतर एजेन्टों को देय निर्धारित भत्ते ।

	न्यूनतम	अधिकतम
	रु०	रु०
विभागेतर उप पोस्टमास्टर	155.00	192.00
विभागेत्तर शाखा पोस्टमास्टर	108.00	136.00
विभागेतर स्टैंप वेंडर	108.00	136.00
विभागेतर डाक वाहक/विभागेतर वितरण एजेंट/विभागेतर पैकर/विभागेतर संदेशवाहक/विभागेतर चौकिदार आदि ।	105.00	130·00

दो घण्टे से कम कार्यभार के लिए 93.00 रु० निर्धारित किए गए हैं ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इन्डोर स्टेडियम का निर्माण

68. **श्री सतीश अग्रवाल :**

श्री अटलबिहारी वाजपेयी :

श्री एन० के० शेजवलकर :

डा० बसन्त कुमार पंडित : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एशियाई खेलों के सम्बन्ध में इन्द्रप्रस्थ स्टेट में एक इन्डोर स्टेडियम का निर्माण किया जायेगा;

(ख) इस परियोजना के लिए केन्द्रीय सहायता कितनी दी जायेगी और दिल्ली विकास प्राधिकरण इस पर कितनी राशि खर्च करेगा;

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण को अपने उन फण्डों को इस परियोजना के लिए उपयोग में लाये जाने के लिए प्राधिकृत किया जा रहा है । जो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा रिहायशी मकानों के निर्माण के लिए निर्धारित किए गए हैं;

(घ) यदि हाँ, तो उसका औचित्य क्या है; और

(ङ) फण्डों को इस प्रकार दूसरे कार्य में लगाये जाने के फलस्वरूप दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मकानों के निर्माण कार्य पर कितना प्रभाव पड़ा है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायणसिंह : (क) जी, हाँ ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि परियोजना की कुल अनुमानित लागत 14.35 करोड़ रुपये है । केन्द्रीय सहायता 2.5 करोड़ रुपये की है जिनको बढ़ाया जाय । शेष दिल्ली विकास प्राधिकरण पूंजी लगाई जायेगी ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) तथा (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ीसा के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में नल कूप

69. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के सूखाग्रस्त गाँवों में ग्रामवासियों को स्वच्छ पेय जल उपलब्ध करने के लिए 1979-80 और 1980-81 में कितने नलकूप आबंटित किये गये थे;

(ख) यदि हाँ, तो उन दो वर्षों में उड़ीसा को क्रमशः ऐसे कितने नलकूप आवंठित किए गये थे; और

(ग) पुरी जिले में भुवनेश्वर, खुर्दा और नयागड़ उप मण्डलों में किन-किन गाँवों को 1979-80 और 1980-81 में नलकूप लगाये गये हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायणसिंह) : (क) तथा (ख) : वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान उड़ीसा में सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों के ग्रामों को स्वच्छ पेय जल व्यवस्था हेतु आबटित नल कूपों की संख्या निम्नलिखित है :

1979-80	2647
1980-81	1992

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

उन ग्रामों की संख्या जहां बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में नलकूप खोदे गये हैं :

1979-80

नयागढ़ उप-मण्डल (सिविल)

क्रम संख्या	ब्लाक का नाम	जी. पी. का नाम	गांव का नाम	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	नौगांव	मैछेली	1. मानपाड़ा	
		मालीसाही	2.मालीसाही	
		दुरदुरा	3. दुरदुरा	
		कुपतपली	3. कुपतपली	
		कोराड़ा	5. कोराड़ा	
		जकाडा	6. जकाड़ा	
		नौगांव	7. सिंगीपुर	
2.	ओडागांव	सुनामुन्ही	8. सुनामुन्ही	
		श्रद्धापुर	9. मदनगाडिया	
		कजादियापली	10. संकंजुरी	
		गोटीशाही	11. गम्भररिढीह	
3.	दासापल्ला	दिहगांव	12. भुटामारा	
		कुंजाबेनगढ़	13. हरसिंहपुर	
		पोखरीगौछा	14. हालीसाही	

1	2	3	4	5
		कुन्जामेहन्दी	15. अम्बाबलिम्बा	
		छाडेपल्ली	16. सुरकबड़ी	
		बाणीगोछा	17. तालबड़ी	
		गौगादियापड़ा	18. गोगादियापड़ा	
		खामशाही	19. कदवा	
		टेण्डाबड़ी	20. टेण्डाबड़ी	
		गोलापोखारी	21. करडापाली	
		मध्यखण्ड	22. मदनपुर	
		तुमुण्डी	23. नेलीगुड़ा	
		जगदेवपुरपटना	24. मीठाखाई	
4	मापुर	कुरापाडा	25. टिकड़पाड़ा	
			26. कुरावाडा	
		बाघुआपल्ली	27. बाघुआपल्ली	
		वैगानिया	28. घालबन्ध	
		रकमा	29. रकमा	
		रकमा	30. बीजीपुर	
		पदमावती	31. छेलिया	
		पदमावती	32. पदमावती	
		बादसाना	33. काकादेयी	
		गोलपोखारी	34. ताराबोला	
		गोलपोखारी	35. गोलपोखारी	
			36. करडापल्ली	
		सालपाड़ा	37. सालपाडा	
		पत्थरचकड़ा	38. पत्थरचकड़ा	
5. खाण्डपाडा		खालीसाही	39. काटापोखरी	
		कन्टीलो	40. कन्टीलो	
		पन्छेली	41. मदरोज प्रसाद	
		खण्डापाड़ा	42. गोलपोखारी	
		जगन्नाथ प्रसाद	43 कडुआ पटना	
		सालझारिया	44. सालझारिया	
		गुनथुनी	45. गुनथुनी	
		बनवालीपुर	46. जगन्नाथपुर	
		ओसाका	47. तुहरखाड़ी	
		बानापुर	48. भरमारबार प्रसाद	

1	2	3	4	5
		रायतोघोलपारा	49. मनिशीबिन्दा	
		सिहपाडा	50. संखजारिया	
		वैंगाड़िया	51. तेनतुल्लीपल्ली	
6. गानिया		गानिया	52. पुरानाचन्द्रापुर	
		वेलपाडा	53. रासंगा	
		गोपीवलभपुर	54. आडकुटा	
		छामुण्डिया	55. मासाकाझला	
		वाड़ासिलिंग	56. धीपसाही	
7. भुवनेश्वर		इतिपुर	57. कल्याणपुर	
		इतिपुर	58. गगेश्वर	
		पत्तापड़ा	59. रेतंगा	
		आन्ध्रवा	60. नाहरकान्टा	
		आन्ध्रवा	61. पत्थरगड़िया	
		छंडाका	62. छंडाका	
		पेयीकरपुर	63. मालीपाड़ा	
		वही	64. पेयीकरपुर	
		वही	65. नौगाँव	
		वही	66. गोथापटना	
		दारुणथेंगा	67. दारुथेंगा	
		आन्ध्रवा	68. आन्ध्रवा	
		वही	69. दालुवा	
		वही	70. शिशुपाल	
8. जाटनी		जनला	71. जनला	
		वही	72. गोपालपुर	
		वही	73. गोआड़कांशीपुर	
		छेंगढ़	74. अलेकेड़ा	
		पधानसाही	75. पंचगाँव	
		वही	76. कुहा	
		वही	77. माधीपुर	
		जनला	78. हरेकृष्णपुर	
		कांटिया	79. बेरोनाह	
9. वलियन्ता		वेणुपुर	80. घामिलो	
		खुर्दा सिविल उप खण्ड		
10. तंगी		सोंदपुर	81. नुआपाडा	
		वाड़ापोखारिया	82. रतमाटी	

1	2	3	4	5
		वाडापोखारियों	83. बाड़ापोखिरिया	
		वही	84. मारमोरसिंह	
		वही	85. हरिपुर पटना	
		वही	86. रघुनाथपुर	
		वही	87. वृन्दावनपुर	
		सुन्दरपुर	88. उदयगिरी	
		वही	89. मंगलजोड़ी	
11. के० प्रसाद		नुआपाड़ा	90. नुआपाड़ा	
		फतेपुर	91. फतेहपुर-पाड़ा-अदलबाद	
		नुआपाड़ा	92. आरखकुड़ा	
		ब्रजकोटा	93. नुआपाड़ा-बलरामपुर	
		वही	94. पादशाहमन्त्रापुर	
		वही	95. उदयगिरी	
		वही	96. बज्रकोटा	
		वही	97. झाड़खोली	
		वही	98. कुन्देश्वर	
		वही	99. नरामण्डी	
		वही	100. कुआनरपुर	
		वही	101. नन्दला	
		वही	102. तालाताला	
		गियाल	103. नोगांव	
		मालुद	104. फतेपुर	
		वही	105. नालकाकुड़ी	
		वही	106. पत्थरगाड़िया	
		मालुद	107. मालुदपाड़ा महेश्वरी	
		वही	108. बुद्धिवाड़	
		वही	109. साहवाजपुर	
		वही	110. मालुदखास	
		सतपाड़ा	111. सतपाड़ा	
		वही	112. नोगांव	
		वही	113. प्रीजिपुर	
		वड़ाझरा	114. खीतीसाही	
		वही	115. तीतीपा	
12. खुरड़		मालीपुर	116. तोलाकेयी	
		वही	117. ताराबोई	

1	2	3	4	5
		मालीपुर	118. मालीपुर	
		वही	119. पोडपट	
		वही	120. पूतनी	
		हलदिया	121. हटशाही	
		वही	122. वही	
		वही	123. ब्रह्मबैरनी	
		वही	124. वासनला	
		वही	125. बालीसाही	
		वही	126. हलदिया बौड़ी शाही	
		वही	127. तारुकेयो बालीसाही	
		केरंगा	128. दिव्यसिंह प्रसाद	
		यही	129. केरंगा	
		वही	130. कुम्मीलो	
		वही	131. गौड़ापट	
		वही	132. बाड़ासाही	
		वही	133. ठाकुरपाड़ा	
12.	बोलागढ़	खजुरिया	134. गोपालपुर	
		दलहीसाही	135. हटसाही	
		पालंगा	136. पालंगापटना	
		फासोइडा	137. वृन्दावनपुर	
		वही	138. कोटापल्ली	
		वही	139. कुसापल्ला	
		दबरधुआपटना	140. कपासिया	
		वही	141. दबरधुआ	
		वही	142. छुडा	
		वही	143. दबाधुआपटना	
14.	चिल्लिका	निमीखेत	144. अंकुला	
		बाराकुला	145. बरकुला	
		वही	146. पत्थराला	
		वही	147. तोतापाड़ा	
		वही	148. नौगढ़	
		वही	149. बारीशाही	
		वही	150. असुरीपटना	
		वही	151. हातीबाड़ी	
	तंगी	सुन्दरपुर	152. नौपाड़ा	
		वही	153. मजगढ़	
		वही	154. चारींघरपटना	

1	2	3	4	5
15,	बेंगुनिया	बाघमारी	155. कन्थाखाँटिया	
		वही	156. बाघमारी	
		वही	157. अतरी	
		वही	158. पत्नीवार	
		बड़ावेरणा	159. काँटाबाद	
		दुर्गापुर	160. करड़ागाडिया	
		वही	1 1. दुर्गापुर	
के०	प्रसाद	सियाल	162. नुलाइपटना	
		वही	163· सिग्रान्दी	
	भुवनेश्वर	आन्ध्रवा	164. कुंजीमहल	
	जाटनी	जनला	165. लिपोरोशीकालोनी	
		वही	166. गेदियापटना	
		वही	167. बड़ा रघुनाथपुर	
		छानागढ़	168. कुसुमती	
		वहीं	169 गोविन्दपुर	
		वहो	170 उग्रसेन	
		नयागढ़ सिविल उप खण्ड		
		1980-81		
1. नयागढ़		सिन्दुरिया	1. सिन्दूरिया (करणसाही)	
		इटामाटी	2. इटामाटी	
		बाड़पाण्डासार	3. बाड़पाण्डासार (पी. एच. सी. के नजदीक)	
			4. बाडापाण्डासार	
2. गानिया		गानिया	5. करडापाड़ा	
		सालपड़ा	6. सालपड़ा	
3. ओडगांव		कोमाण्डा	7. कोमाण्डा	
		ओड़गाँव	8. ब्लाक कालोनी	
		गोटीपाड़ा	9. गोटीपाड़ा नजदीक एम. ई. स्कूल	
		कुराल	10. कुराल	
4. नोगांव		नोगाँव	11. महित्मा	
		महिपुर	12. डिमरीझा	
		दुरदुरा	13. रायपुर	
5. दासपल्ला		खापरसाही	14. हरिदाबाड़ी	
		वामीगोछा	15. कुलरकुम्पा	

1	2	3	4	5
5. दासपल्ला		के. वी. गढ़	16. ब्लाक कालोनी	
6. भापुर		बेगमिया	17. बेगमिया	
		भापुर	18. भापुर पी. एच. सी	
		फतेगढ़	19. मणिपुर	
		वही	20. फतेगढ़	
7. राँपुर		रामपुर	21. राँपुर	
		छतरपुर	22. छन्दापुर बाजार	
		सुखला	23. सुखला बाजार	
		खुर्द सिविल उप खण्ड		
1. तंगी		ओलासिह	1. गयाबन्ध	
		कामगुरु	2. छांगिरी	
			3. तंकोल	
2. बेगुनिया		दिजैर	4. राऊतपाड़ा	
		भनित्री	5. छानिया	
		कुंजुरिया	6. दत्ताडा	
3. खुर्द		जगीपाड़ा	7. विलकिशन नगर	
		हलदिया	8. हलदिया	
			9. कोआपटसासन	
		करंगा	10. कुण्डीलो	
		अर्जुनपुर	11. जयमगला	
		जगीपाड़ा	12. औरंगा	
		पालाटोटापाड़ा	13. जारीपतदुआ'साही	
4. छिक्की		बाराकुल	14. बुदुद्विपटना	
		बालुगन	15. पटनासाही	
		अंकुला	16. ब्रह्मण का साही	
		भुवनेश्वर सिविल उप खण्ड		
1. भुवनेश्वर		पाटिया	1. पाटिया रोतसाही	
		छन्दाका	2. छन्दाका	
		आन्ध्रुआ	3. रघुनाथपुर	
		मिन्धासल	4. छतरबाड़	

राज्यों में 'काम के बदले अनाज कार्यक्रम' को बन्द किया जाना :

70. श्री सूर्य नारायण सिंह : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य विभाग द्वारा 'काम के बदले अनाज कार्यक्रम' के लिये गेहूँ देने से मना कर दिये जाने के कारण सभी राज्यों में यह कार्यक्रम लगभग बन्द हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर वी. स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं। इसके विपरीत 4 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्नों का अतिरिक्त आवंटन पिछले महीने किया गया है। चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए खाद्यान्नों की कुल उपलब्धता अब 21 लाख टन है। गेहूँ की तुलना में चावल का और अधिक आवंटन किया जा रहा है परन्तु खाद्यान्नों की कुल आवंटित मात्रा को कम नहीं किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सितम्बर और अक्तूबर-1980 के दौरान चीनी वितरण की योजना

71. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ये कौन से कारण हैं जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को सितम्बर और अक्तूबर, 1980 के दौरान चीनी के आन्तरिक वितरण के लिये नई योजना की आवश्यकता पड़ी;

(ग) नई योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(घ) इस योजना के बावजूद उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकता को खुली बिक्री की चीनी पूरी करने में कठिनाई हो रही है; और

(घ) बल्क खपत करने वाले उपभोक्ताओं को इस योजना में कैसे समायोजित किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) और (ख) सितम्बर तथा अक्तूबर, 1980 के महीनों के दौरान मुक्त चीनी के वितरण की नई योजना उस समय बाजार में चल रहे ऊंचे मूल्य की दृष्टि में और इन त्योहार के महीनों के दौरान निर्धारित मूल्य पर उपभोक्ताओं के विभिन्न वर्गों को वितरित करने के लिये राज्य सरकारों के नामितों को 450 रुपये प्रति क्विंटल (उत्पादन शुल्क छोड़कर) के निर्धारित नकारी मूल्य पर मुक्त बिक्री की चीनी देने के लिए उद्योग द्वारा स्वेच्छा से की गई पेशकश के अनुसरण में अपनाई गई थी। इस योजना के अधीन राज्य सरकार के नामितों द्वारा फैक्ट्रियों से सितम्बर और अक्तूबर के महीनों के लिए मुक्त बिक्री की चीनी के कोटे उठाने और उपभोक्ताओं के विभिन्न वर्गों को उचित दर की दुकानों/सहकारी समितियों अथवा सामान्य व्यापार माध्यमों से उसका वितरण करने, साथ में राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित एकीकृत मूल्यों पर आयातित चीनी वितरित करने की व्यवस्था की गई थी जिसमें सरकार की पूर्व सहमति अपेक्षित थी। तथापि, वितरण संबंधी वास्तविक व्यवस्था करने और वितरण की मात्रा तय करने का कार्य संबंधित राज्य सरकारों के विवेक पर छोड़ दिया गया था।

(ग) राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों से विदित होता है कि कुल मिलाकर, इस विशेष योजना के अधीन कुल उपलब्धता के अन्दर उपभोक्ताओं के विभिन्न वर्गों को यथा सम्भव समान रूप से मुक्त बिक्री की चीनी वितरित करने के पर्याप्त प्रबन्ध किए गए थे।

(घ) बड़े पैमाने के यूनिटों के कुछ चुनींदा वर्गों को छोड़कर सभी 'बल्क' उपभोक्ता राज्य सरकारों द्वारा की गई वितरण सबंधी व्यवस्था के अंतर्गत आ गये थे और उन्हें आवंटित कोटे में से चीनी सप्लाई की गई थी। उपभोक्ताओं के छूट-प्राप्त वर्गों को केन्द्रीय सरकार द्वारा सीधे ही आवंटन किए गए थे।

पंजाब में बाजार में लाए गए धान की समस्त मात्रा का क्रय

72. **श्री देवेन्द्रसिंह गरचा : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि पंजाब में धान के क्रय के लिए उत्तरदायी एजेंसियां किसी न किसी बहाने से, बाजार में लाए गए धान की समस्त मात्रा न खरीद कर और घोषित क्रय मूल्य न देकर कृषकों के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाने में असमर्थ रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार के लिए कौन से उपाय तत्काल किए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) और (ख) जी नहीं। राज्य सरकार और भारतीय खाद्य निगम ने धान के लिए प्रभावकारी मूल्य समर्थन प्रदान करने हेतु व्यापक प्रबन्ध किए हैं। कुल मिलाकर सरकारी एजेन्सियों द्वारा 566 क्रय केन्द्र चलाए जा रहे हैं। पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि सरकारी एजेन्सियों ने मंडी में आई 29·58 लाख मीट्री टन की मात्रा में से 19·36 लाख मीट्री टन की मात्रा खरीदी है जोकि मंडी की आमद का 65 प्रतिशत से अधिक बैठती है। किसानों को सरकार की नीति के अनुसार मूल्य दिए जा रहे हैं बशर्ते कि उनका माल सरकार द्वारा निर्धारित की गई विनिर्दिष्टियों के अनुरूप हो। मंडी में निजी व्यापारी भी व्यापार करते हैं। स्थिति पर गहरी निगरानी रखी जा रही है और बताया जाता है कि अब तक वसूली संबंधी कार्य संतोषजनक रूप से चल रहा है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में पंजीकृत सांसद

73. **श्री के. राममूर्ति : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण में मध्यम आय वर्ग के अन्तर्गत फ्लैटों के लिए पंजीकृत भूतपूर्व ससद सदस्यों, संसद सदस्यों तथा भूतपूर्व महानगर पार्षदों के नाम क्या हैं;

(ख) उन भूतपूर्व ससद सदस्यों, समद सदस्यों तथा भूतपूर्व महानगर पार्षदों के नाम क्या हैं जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण से आबंटन पत्र तो प्राप्त हो गए हैं परन्तु जिन्हें अभी तक फ्लैटों के कब्जे नहीं दिये गये हैं और उसके कारण क्या हैं; और

(ग) क्या ऐसे लोगों को, जिन्होंने फ्लैटों की पूरी कीमत जमा कर दी है परन्तु दिल्ली विकास प्राधिकरण से जिन्हें अभी तक फ्लैटों के कब्जे नहीं मिले हैं कोई ब्याज दिया जायेगा ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जिन संसद सदस्यों, भूतपूर्व संसद सदस्यों और भूतपूर्व पार्षदों जिनकी धरोहर राशि दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास है उनके नामों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) संबंधित व्यक्तियों के नाम निम्न प्रकार से हैं :—

1. श्री चरण नरजरी
2. श्री मृत्युंजय प्रसाद
3. श्री बी. राजगोपाला राव
4. श्री राघवजी
5. श्री विजय कुमार जैन
6. श्री के. राममूर्ति

क्रम संख्या 1-5 तक के व्यक्तियों को फ्लैटों का कब्जा नहीं दिया जा सका क्योंकि

मामला सरकार के विचाराधीन था। निर्णय लिया जा चुका है और उनके मामलों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। श्री के. रामामूर्ति ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा मांगी गई फ्लैट की लागत का भुगतान नहीं किया है।

(ग) उन मामलों में जिनमें पूरा भुगतान कर दिया गया है और फ्लैट का वास्तविक कब्जा नहीं दिया गया है, सामान्य नियमों के अन्तर्गत उन्हें ब्याज का भुगतान किया जायेगा।

विवरण

1. मोहम्मद युनुस सलीम
2. श्री पियूम तिरकी
3. पी. कनन
4. श्री एम. एस. संजीवी राव
5. श्री गंगा भक्तसिंह
6. श्रीमती अजीजा विधवा श्री रब्बी इमाम
7. श्री अनन्त राम जायसवाल
8. श्री पी. पार्थासार्थी
9. श्री बलदेवसिंह
10. श्री लालनसिंह
11. श्री वीरेन्द्र प्रसाद
12. श्री विजय कुमार नारल पाटिल
13. श्रीमती जमुना देवी।
14. श्री एल. एल. कपूर
15. श्री माया प्रकाश सिन्हा
16. श्री वी. एन. पांडे
17. श्री बापू
18. श्री एम. ए. एच. अलहाज
19. मोहम्मद शमसुल हसन खाँ
20. श्री निरंजन प्रसाद
21. श्री हबीब तनवर
22. श्री गार्गी शंकर मिश्रा
23. श्री गुलाम मोहम्मद खान
24. श्री कमला पति त्रिपाठी
25. श्री नत्थी सिंह
26. श्री एल. जी हवनूर
27. श्री राम किंकर
28. श्री मुलतान सिंह वर्मा
29. श्री अनन्त डी. देवे
30. श्री राजशेखर एम कोलूर

31. श्री श्याम सुन्दर लाल
32 श्री के. एल. शर्मा
33. श्री सईद मुर्तजा
34. श्री श्याम सुन्दर लाल सोमानी
35. श्री तुलसी दास दासप्पा
36. श्री वृज भूषण तिवारी
37. श्री एस. पी. मण्डल
38. श्री वशीर अहमद
39. श्री पी चावान
40. श्री सुखदेव प्रसाद
41. बेगम खुर्शीद किदवई
42. मोहम्मद इस्माईल
43 श्री हरचरण सिंह

ग्रामीण आवस परियोजनाओं का कार्यान्वयन

74. **श्री के. टी. कोसलराम :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हुडको तथा राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम जैसी अन्य आवास विकास एजेन्सियों द्वारा जिन ग्रामीण आवास परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है अथवा सहायता दी जा रही है उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन योजनाओं के अन्तर्गत, तीन वर्षों के दौरान कितनी राशि लगाई गई है और अब तक कितने मकान बनाये गये हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) आवास तथा नगर विकास निगम की वित्तीय सहायता से बनाये गये टेनामेन्टों, परियोजनाओं को दी गई सहायता तथा की गई पूंजी निवेश का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण के रूप में दिया गया है।

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम ने कोई भी ग्रामीण आवास परियोजना का कार्यान्वयन नहीं किया न कोई सहायता दी।

विवरण

लोक सभा के दिनांक 17 नवम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 74 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक हुडको द्वारा ग्रामीण आवास परियोजना को दी गई सहायता का राज्यवार तथा वर्षवार ब्यौरा।

राज्य	1977-78		1978-79		1979-80			
	परियोजना की संख्या	ऋण की राशि (करोड़ रुपयों में)	स्वीकृत परिरिहायशी एकक की सं.	ऋण की राशि (करोड़ रुपयों में)	स्वीकृत परिरिहायशी एकक की संख्या	ऋण की राशि (करोड़ रुपयों में)	स्वीकृत परिरिहायशी एकक की संख्या	
आन्ध्र प्रदेश	1	0.03	249	—	—	—	1	3.83	23580

गुजरात	3	0.44	5827	3	1.13	6800	6	1.55	13790
कर्नाटक	1	5.00	50000	—	—	—	4	4.25	42500
केरल	1	5.00	25000	2	3.50	20000	1	1.00	5000
मध्य प्रदेश	—	—	—	2	0.08	400	—	—	—
पंजाब	1	0.79	3946	—	—	—	1	0.93	4637
तमिलनाडु	—	—	—	—	—	—	10	3.06	16491
पश्चिम बंगाल	—	—	—	1	0.04	200	—	—	—
	7	11.25	85022	8	4.75	27400	29	14.62	105998

समर्थन मूल्य पर धान की वसूली

75. **श्री जयराम वर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि समर्थन मूल्य पर धान की वसूली अभी तक उचित प्रकार से शुरू नहीं की गई है जिसके परिणामस्वरूप मंडियों में धान के मूल्य कम हो गये हैं और छोटे तथा गरीब किसानों को जिन्हें अपनी आवश्यकायें पूरी करने के लिए धान बेचना पड़ता है, हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो अब तक धान की वसूली के लिए उचित व्यवस्था न करने के क्या कारण हैं और इसके लिए व्यवस्था कब की जायेगी और प्रत्येक राज्य में इसकी वसूली के लिए लगी हुई एजेंसियों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि धान के लिये घोषित 105 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य से किसान संतुष्ट नहीं हैं जिसके परिणामस्वरूप वे उत्पादन बढ़ाने के लिये निरुत्साहित हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) और (ख) जी नहीं। हालांकि वसूली मौसम के प्रारम्भ में कुछेक राज्यों में कुछेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब उचित प्रबन्ध कर दिये गये हैं। अद्यतन सूचनानुसार वसूली कार्य पूरे वेग से चल रहे हैं। सरकारी एजेन्सियों ने 14-11.1980 तक 25.78 लाख मीटरी टन धान वसूल कर ली हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 14.71 लाख मीटरी टन की वसूल की गई थी अर्थात वसूली में लगभग 75 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। एक विवरण सलग्न है, जिसमें इस समय धान की वसूली करने में लगे एजेन्सियों का ब्यौरा दिया गया है। (विवरण)।

(ग) और (घ) सरकार ने केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य ही निर्धारित किया है और किसान अपना उत्पाद बाजार में अत्याधिक उपलब्ध मूल्य पर बेचने में स्वतन्त्र हैं । कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद तथा राज्य सरकारों के साथ परामर्श करने के बाद ही समर्थन मूल्य निर्धारित किए गए हैं । कुल मिलाकर, सरकार द्वारा निर्धारित किये गये समर्थन मूल्यों के बारे में प्रतिक्रिया अनुकूल रही है ।

विवरण

इस समय धान की वसूली करने में लगी एजेन्सियों को बताने वाला विवरण

राज्य	एजेन्सी
1. आन्ध्र प्रदेश	भारतीय खाद्य निगम, राज्य सिविल सप्लाई कारपोरेशन
2. हरियाणा	भारतीय खाद्य निगम, 'हफेड'
3. हिमाचल प्रदेश	भारतीय खाद्य निगम
4. जम्मू तथा कश्मीर	राज्य सरकार
5. महाराष्ट्र	राज्य सरकार
6. पंजाब	भारतीय खाद्य निगम, राज्य सरकार, 'पं. सप्लाई', 'मार्कफेड'
7. तमिलनाडु	भारतीय खाद्य निगम, राज्य सिविल सप्लाई कारपोरेशन, को आप०
8. उत्तर प्रदेश	राज्य सरकार, राज्य सिविल सप्लाई कारपोरेशन को आप.
9. दिल्ली	भारतीय खाद्य निगम
10. पांडिचेरी	भारतीय खाद्य निगम

समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई विदेश की यात्रायें

76 **श्री दयाराम शाक्य : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाज कल्याण विभाग के सचिव और अधिकारियों ने वर्ष 1978-1979 और 1980 के दौरान कितनी विदेश की यात्रायें की हैं उन अधिकारियों के नाम क्या हैं प्रत्येक ने कितनी यात्रायें की हैं और उनमें से प्रत्येक ने राज्यों में विभिन्न केन्द्रों की कितनी यात्रायें की हैं; और

(ख) उनकी विदेशों की यात्राओं पर वर्ष-वार कितना व्यय हुआ है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) एक विवरण, जिसमें उपसचिव तथा उससे ऊंचे दर्जों के अधिकारियों के सम्बन्ध में जानकारी दी गई है, संलग्न है ।

विवरण

समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई विदेशी यात्रायें दर्शाने वाला विवरण

क्र. स.	अधिकारियों का नाम और पदनाम	विदेशी यात्राओं की संख्या			राज्यों के विभिन्न केन्द्रों को की गई यात्राओं की संख्या			उनकी विदेश यात्राओं पर हुआ खर्च			टिप्पणी
		1978-1979-1980			1978-1979-1980			1978-1979-1980			
1		2			3			4			5
								रु०	रु०	रु०	
1.	श्री शरण सिंह, सचिव	1	1	3	20	14	4	9999	27152	33532	
2.	श्री एम. एम. राजेन्द्रन, संयुक्त सचिव	3	2	4	10	8	4	—* (क)	31856		*यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ते पर हुआ सारा खर्च विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा उठाया गया। (क) विमान द्वारा यात्रा के किराए, यात्रा दैनिक भत्ते इत्यादि पर खर्च जापान सरकार द्वारा उठाया गया।
3.	श्री भास्कर घोष संयुक्त सचिव	2	—	—	12	7	4	17516	—	—	

1	2			3			4			5
4. श्रीमती पदमा रामचन्द्रन, संयुक्त सचिव	1	—	—	9	—	—	(छ)	—	—	(छ) खर्च एशिया और पेसिफिक आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा उठाया गया।
5. श्रीमती निर्मला बुच	2	2	4	5	10	10	13059	42355	91152	
6. श्री जे. सी. जेटली, संयुक्त सचिव	—	—	2	—	—	—	—	—	11460	
7. कु. मजुमदार, निदेशक	2	—	—	1	11	—	38956	—	—	
8. डा. ए. बी. बोस, निदेशक	2	2	1	4	—	3	(ख)	(घ)	(च)	(च) खर्च वाणिज्य विभाग द्वारा उठाया गया। (ख) खर्च एस. डब्ल्यू. डी. सी. ए. पी./संयुक्त राष्ट्र द्वारा उठाया गया। (घ) खर्च ई. एस. सी. ए. पी./संयुक्त राष्ट्र द्वारा उठाया गया।
9. श्री एन. पी. नवानी, निदेशक	—	1	—	2	4	2	—	(ङ)		(ङ) यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते पर सारा खर्च विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा उठाया गया।
10. श्री बी. एन. बहादुर, निदेशक	—	—	—	7	7	4	—	—	—	
11. श्री एम. एस. दयाल, निदेशक	1	—	—	5	2	—	3680	—	—	
12. श्री एन. आर. पार्थासार्थी संयुक्त निदेशक	—	1	—	2	1	—	—	(च)	—	(च) खर्च संयुक्त राष्ट्र द्वारा उठाया गया।

1	2			4			5
13. श्री ए. एम. ऋुप संयुक्त निदेशक	—	—	—	—	1	—	
14. श्री एस. कपूर उप सचिव	—	—	—	4	—	—	
15. श्री ओ. पी. सिंह भाटिया,	—	1	—	—	1	3	— 8760 —
16. श्री एम. के. मिगलानी उप सचिव	—	1	—	1	3	2	— 11138 —
17. श्री एन. एस. खरोला	—	1	—	—	6	6	— (ज) — (ज) खर्च यूनिसेफ द्वारा उठाया गया।
18. श्री लाल अडवानी विशेष कार्य अधिकारी (एच)	1	1*	2**	4	6	—	14608 * **

*खर्च इंटरनेशनल फेडेरेशन आफ दि ब्लाइंड द्वारा उठाया गया।

**खर्च ई. एस. सी. ए. पी. आस्ट्रेलिया सरकार द्वारा उठाया गया।

गन्ने का विभिन्न उपभोक्ताओं के बीच बंटवारा

77. **श्री जी. एस. रेड्डी :**

श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि मिलों को सप्लाई किए गये गन्ने के लिए गन्ना उत्पादकों को न्यूनतम से अधिक मूल्य दिया जाये;

(ख) यदि हाँ, तो क्या मिलों द्वारा गन्ना उत्पादकों को गन्ने के लिए लाभप्रद मूल्य अदा न किए जाने की स्थिति में गन्ने भारी मात्रा में गुड़ तथा खांडसारी निर्माताओं को सप्लाई किए जाने की आशंका है, और

(ग) क्या सरकार का विचार गन्ने को सांविधिक उपायों द्वारा विभिन्न प्रयोक्ताओं के बीच बांटने का है ?

कृषी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन : (क) और (ख) सरकार द्वारा निर्धारित गन्ने के न्यूनतम मूल्य से अधिक मूल्य देने की फैक्ट्रियों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए प्रधान मंत्री ने सुझाव दिया था कि राज्यों के फैक्ट्रियों द्वारा देय गन्ने का वास्तविक न्यूनतम मूल्य 16 रुपए प्रति क्विंटल से कम नहीं होना चाहिए। इससे फैक्ट्रियों को गन्ना न भेज कर गुड़ तथा खांडसारी बनाने के लिए गन्ना भेजने की सप्लाई को रोकने में भी सहायता मिल सकेगी।

(ग) विभिन्न प्रयोक्ताओं के बीच सांविधिक तौर पर गन्ने के बांटे जाने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों, जहां राज्य सरकार द्वारा गन्ने की सप्लाई आबद्ध की जाती है, यहां प्रत्येक फैक्ट्री को सप्लाई करने के लिए कुछ क्षेत्र निर्दिष्ट कर दिए जाते हैं।

स्व-नियोजन के लिये ग्रामीण युवकों के प्रशिक्षण के अन्तर्गत युवक

78. **श्री ए. टी. पाटिल** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संस्थागत प्रशिक्षण में स्व-नियोजन के लिए ग्रामीण युवकों के प्रशिक्षण के अन्तर्गत और स्थानीय सेवाओं तथा औद्योगिक एकों, कुशल कारीगरों, शिल्पकारों और कुशल श्रमिकों के जरिए 15 अगस्त, 1979 से 14 अगस्त, 1980 के बीच राज्यवार, कितने युवक प्रशिक्षित किये गये हैं; और

(ख) इनमें से, राज्यवार अब तक कितने युवक प्राथमिक, माध्यमिक तथा तृतीय क्षेत्रों में रोजगार में हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) और (ख) : ग्रामीण युवकों के स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम (ट्राइसेम) के बारे में राज्य सरकारों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों पर आधारित उपलब्ध जानकारी को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। प्रश्न के भाग (क) व (ख) में मांगी गई विशिष्ट जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है।

विवरण

ग्रामीण युवकों के स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण (ट्राइसेम)

1979-80 के दौरान ग्रामीण युवकों के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण के अन्तर्गत उपलब्धियों की प्रगति

(सितम्बर, 1980 तक की स्थिति)

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	लक्ष्य 1979-80	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे व्यक्तियों की संख्या	प्रशिक्षार्थियों की संख्या जिन्होंने अपनी यूनिटें स्थापित कर ली हैं।
1.	2	3.	4.	5
1. आन्ध्र प्रदेश	6,480	1003	1541	134
2. असम	2,680	—	134	असूचित
3 बिहार	11,740	23	105	107
4. गुजरात	4,360	10636	—	असूचित
5. हरियाणा	1,740	594	191	232
6. हिमाचल प्रदेश	1,280	8	64	असूचित
7. जम्मू तथा काश्मीर	1,500	@	—	—
8. कर्नाटक	3,500	1361	असूचित	असूचित
9. केरल	2,880	100	40	असूचित
10. मध्य प्रदेश	9 160	612	724	33
11. महाराष्ट्र	5,020	4331	—	336
12. मणिपुर	520	30	—	—
13. मेघालय	480	@	—	—
14. नागालैंड	420	61	—	—
15. उड़ीसा	6,280	202	5500	असूचित
16. पंजाब	2,340	—	144	असूचित
17. राजस्थान	4,640	3954	1490	476
18. सिक्किम	88	@	—	—
19. तमिलनाडु	7,540	8164	असूचित	2889
20 त्रिपुरा	340	530	असूचित	असूचित
21. उत्तर प्रदेश	17,520	7909	17625	575
22. पश्चिम बंगाल	6,700	@	—	—
केन्द्र शासित क्षेत्र				
23. अण्डेमान तथा निकोबार द्वीप समूह	150	15	15	असूचित

1	2	3	4	5
24. अरुणाचल प्रदेश	960	@	—	—
25. चण्डीगढ़	20	—	30	असूचित
26, दादरा तथा नगर हवेली	20	@	—	—
27. दिल्ली	100	66	75	5
28. गोवा दमन तथा दीव	240	@	—	—
29. लक्षद्वीप	100	@	—	—
30. मिजोरम	400	@	—	—
31. पांडीचेरी	80	—	240	ससूचित
अखिल भारत *	1,(0,220	39,899	28,527	4789

* चूंकि यह योजना 15 अगस्त, 1979 से कार्यान्ति की गई थी, अत 1979-80 के लक्ष्य को कम करके आधा कर दिया गया है।

@ कार्यान्वित नहीं की गई है।

चीनी उत्पादन की सम्भावनाएं

79. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष गन्ने की अच्छी उपज के बावजूद भी चीनी उत्पादन की अच्छी सम्भावना नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त असंतुलन के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) और (ख) पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष गन्ने की अच्छी फसल को ध्यान में रखते हुए 1980-81 मौसम में चीनी का उत्पादन लगभग 52-54 लाख मीटरी टन होने का अनुपान है जबकि 1979-80 मौसम में 38.6 लाख मीटरी टन का उत्पादन हुआ था।

उज्जैन और अन्य नगरों के बीच टेलीफोन करने की सुविधा

80. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन विभाग के उज्जैन मंडल के अन्तर्गत रतलाम, मन्दसौर, जावरा तथा नीमच को एक विशेष सेवा व्यवस्था (समाक्ष प्रणाली) द्वारा बम्बई, दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद जैसे दूरस्थ नगरों से जोड़ने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां नीमच को छोड़कर।

(ख) रतलाम-जावरा-मन्दसौर, सहधुरीय केबुल योजना को मंजूर कर दिया गया है और इसे 1982 में इसकी स्थापना करने की योजना है। सूक्ष्मतरंग प्रणाली पर रतलाम पहले ही राष्ट्रीय दूरसंचार जालकार्य से जुड़ा हुआ है।

हरियाणा में ओल.वृष्टि से फसलों को क्षति

81. श्री सूरज भान : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में अक्तूबर, 1980 में हुई ओलावृष्टि से फसलों को भारी क्षति पहुँचने के कारण वहाँ के किसानों को जिले वार कितनी हानि हुई; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने प्रभावित किसानों को राज्य सरकार के जरिये कितनी वित्तीय सहायता दी है या देगी ?

कृषि मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) हरियाणा सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 8/9 अक्तूबर, 1980 की रात्रि को अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल तथा सोनीपत के जिलों के काफी बड़े क्षेत्रों में मामूली से तीव्र ओलावृष्टि हुई । इससे लगभग 275 गांव बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं । क्षति के जिलेवार अन्तिम आँकड़े गिर्दावारी के परिणामों के प्राप्त होने पर उपलब्ध होंगे जो इन जिलों में तैयार किये जा रहे हैं ।

(ख) हरियाणा सरकारण ने कोई केन्द्रीय सहायता नहीं माँगी है ।

राज्यों में निर्बाध बिक्री की चीनी का वितरण

82. श्री नवीन रवाणी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कौन-कौन से राज्य थे जो । सितम्बर, 1980 से निर्बाध बिक्री की चीनी की उचित वितरण व्यवस्था नहीं कर सके थे;

(ख) केन्द्र द्वारा प्रत्येक राज्य को कितना कोटा वितरित किया गया था; और

(ग) वितरण मशीनरी को सुदृढ़ बनाने के लिये क्या कदम उठाये गये थे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार हरियाणा, महाराष्ट्र और पजाब जैसे केवल कुछेक राज्य अपने प्रबन्ध को अन्तिम रूप दे सके हैं और पहली सितम्बर, 1980 से त्योहारी के महीनों के लिए बनाई गई नई योजना के अधीन चीनी का वितरण करना, शुरू कर सके हैं । तथापि, सितम्बर के पहले और दूसरे सप्ताह के दौरान, अधिकांश राज्य सरकारें वितरण सम्बन्धी उचित प्रबन्ध कर सकी थीं ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) राज्य सरकारों से कहा गया था कि वे अपने राज्य सिविल सप्लाई निगम अथवा सहकारी एजेंसियों के माध्यम से चीनी के उठाने की व्यवस्था करें और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उचित दर की दुकानों और राशन की दुकानों के बिछे अपने जाल का उपयोग करें । राज्य सरकारों को ये अनुदेश भी जारी किये गये थे कि वे चोर बाजारी आदि में लगे समाज विरोधी तत्वों की गति विधियों पर निगरानी रखते हुए अपनी वितरण संबंधी व्यवस्था में सुधार करें और चोर बाजार में चीनी के जाने के अवसरों को समाप्त करने के लिए निरीक्षण स्टाफ द्वारा समय-समय पर छापे मारने की व्यवस्था भी करें ।

विवरण

सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर, 1980 के पहले पखवाड़े के लिए मुक्त बिक्री की चीनी (देशी तथा आयातित) का राज्यवार कोटा।

(मीटरी टन)

क्र सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	पहला पखवाड़ा सितम्बर 1980	अक्तूबर 1980	नवम्बर 1980	जोड़
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	3736	4564	2000	10300
2.	असम	2881	3519	1600	8000
3.	अरुणाचल प्रदेश	90	110	50	250
4.	मिजोरम	90	110	50	250
5.	बिहार	2746	3354	1500	7600
6.	गुजरात	13505	16495	7500	37500
7.	महाराष्ट्र	30161	36839	16700	83700
8.	केरल	6258	7642	3400	17300
9.	लक्षद्वीप	—	30	20	50
10.	मध्य प्रदेश	6392	7808	3500	17700
11.	तमिलनाडु	9589	11711	5300	26600
12.	कर्नाटक	6528	7972	3600	18100
13.	उड़ीसा	1080	1320	600	3000
14.	पंजाब	13505	16495	7500	37500
15.	हरियाणा	4862	5938	2700	13500
16.	चंडीगढ़	315	385	170	870
17.	राजस्थान	5987	7313	3300	16600

वजीरपुर क्षेत्र दिल्ली में जनता फ्लैटों का आबंटन

83. **श्री नवल किशोर शर्मा : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 50 0 रुपये से 8000 रुपये तक की वार्षिक आय वाले गरीब तथा कमजोर वर्गों के लोगों के लिए वजीरपुर क्षेत्र में जनता फ्लैटों का निर्माण करा लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन फ्लैटों को अब गरीब तथा कमजोर वर्गों के लोगों के बजाये अमीर व्यक्तियों द्वारा ले लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस विषय में क्या कदम उठाने का विचार है और यदि

नहीं, तो क्या सरकार का इस सम्बन्ध में अविलम्ब जाँच कराने और आवश्यक कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उनके द्वारा वजीरपुर क्षेत्र में बनाये गये जनता फ्लैटों को नीचे दिये गये आय ग्रुप के पंजीकृत व्यक्तियों को आवंटित किया गया था :—

1. 1973 तक पंजीकृत किये गये व्यक्ति 3000 रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं
2. 1976 में पंजीकृत किये गये व्यक्ति 6000 रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं

(ख) जी, नहीं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उनको ऐसे अन्तरण का ज्ञान नहीं है। कोई भी आवंटी उनकी लिखित रूप में पूर्व अनुमति के बिना किसी भी फ्लैट को बेच/अन्तरण नहीं कर सकता। ऐसी कोई अनुमति नहीं दी गई है, तथापि, आवंटियों द्वारा अपने फ्लैटों को किराये पर देने में प्रतिबन्ध नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कम लागत के मकानों के सम्बन्ध में अनुसन्धान

84. **श्री केशवराव पारधी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन और केन्द्रीय भवन अनुसन्धान संस्थान ने कम लागत के मकानों के निर्माण के सम्बन्ध में अनुसन्धान किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायणसिंह) : (क) केन्द्रीय भवन अनुसन्धान संस्थान ने कम लागत के मकान बनाने सम्बन्धी अनुसंधान किया है जब कि राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन ऐसे अनुसंधान कार्य के व्यवहार में लाने के लिए प्रोत्साहन देने पर लगा हुआ है।

(ख) केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की द्वारा किये गये अनुसंधानों में से कुछ निम्नलिखित हैं :—

1. संस्थान ने पूर्व विरचित छत तथा फर्श एककों के बहुत से डिजाइनों को तैयार किया और विकसित किया है जो लागत और समय की बचत करते हैं और परम्परागत प्रबलित सीमेंट कन्क्रीट स्लेबों की बनिस्पत जिनमें लोहा और सीमेंट कम लगता है।

2. इसने कम लागत के मकानों के लिये एक पूर्व विरचित ब्रिक पैनल पद्धति का विकास किया है। दीवार पैनल केवल सिरों पर उठाने वाले हुकों सहित अप्रबलित हैं परन्तु छत के पैनल नाममात्र को प्रबलित हैं।

3. मकानों के लिये विकासित की गई पूर्व विरचित की दूसरी पद्धति निर्माण का एक कंक्रीट फ्रेम तथा क्रोर्ड आयताकार फिलरटाइप एकक है। इस पद्धति में, पूर्वनिर्मित घटक केवल पांच प्रकार के हैं।

4. इसने 30 सें० मी० × 20 सें० मी० × 15 सें. मी. की पूर्वनिर्मित पत्थर के चिनाई ब्लाक बनाने की एक स्कीम विकसित की है जिसमें 12 सें. मी. आकार तक पत्थर तथा सीमेंट

कंक्रीट का पतला मिलावा प्रयुक्त होता है। इन ब्लाकों का एक तरफ पत्थर मानिन्द है और इनका वजन लगभग 21 कि. ग्राम है।

स्कूलों में योग प्रशिक्षण

85. **श्री नन्द किशोर शर्मा :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूल शिक्षा के साथ अनिवार्य रूप से योग प्रशिक्षण सहित शारीरिक प्रशिक्षण देने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार के विचार क्या हैं और इस दिशा में सरकार कब तक कार्यवाही करेगी ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) तथा (ख) स्कूल शिक्षा की नई पद्धति के अन्तर्गत, शारीरिक शिक्षा अनिवार्य विषयों में से एक है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार की गई 'कक्षा I-X के लिये शारीरिक शिक्षा की प्रारम पाठ्यचर्या' में भी योग, जूटों तथा लोक नृत्य आदि जैसे कार्यकलाप शामिल हैं।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सभी केन्द्रीय विद्यालयों में प्रयोमात्मक आधार पर योग की एक स्वतन्त्र विषय के रूप में लागू करने का निर्णय किया है।

एशियाई खेलों का आयोजन

86. **श्री चन्द्रजीत यादव :**

श्री दौलत राम सारण : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में एशियाई खेल कब आयोजित करने का प्रस्ताव है;

(ख) एशियाई खेलों के लिये सुविधाएं जुटाने के लिये कौन-कौन सी राज्य सरकारें तैयारी कर रही है;

(ग) राज्य सरकारें किस प्रकार की सुविधायें उपलब्ध करेंगी और उन पर कितना खर्च आने का अनुमान है;

(घ) क्या सरकार एशियाई खेलों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करने में सरकारी खजाने पर पड़ने वाले भारी बोझ, देश की नाजुक आर्थिक स्थिति और अन्य प्राथमिकताओं को देखते हुये जिन पर सरकार द्वारा ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है; एशियाई खेलों को स्थगित करने पर विचार करेगी; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) 31, अक्तूबर, 1982 से 14 नवम्बर, 1982 तक।

(ख) तथा (ग) भारत सरकार तथा दिल्ली प्रशासन एशियाई खेलों के लिए सुविधाएं प्रदान करने हेतु सभी तयारियाँ कर रहे हैं। तथापि, जहां कहीं आवश्यक होगा राज्य सरकारों से सहयोग का अनुरोध किया जाएगा।

(घ) जी नहीं।

(ङ) सरकार 1982 में खेलों की मेजबानी करने से सम्बन्धित भारतीय ओलिम्पक संघ द्वारा की गई अन्तर्राष्ट्रीय बचनबद्धता को पूरा करना चाहती है।

केरल में कुछ बड़े सामान्य/प्रधान डाक कार्यालयों में स्थान की कमी

87. **श्री ए. ए. रहीम** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कुछ बड़े सामान्य/प्रधान डाक कार्यालयों में स्थान की बहुत कमी है;

(ख) केरल क्षेत्र में अब भी कितने प्रधान डाक कार्यालय किराये के भवनों में स्थित हैं; और

(ग) केरल में बड़े प्रधान डाक कार्यालयों के लिए बड़े और अच्छे भवनों का निर्माण करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) पांच प्रमुख मुख्य डाकघरों में स्थान की कमी पर्याप्त से लेकर सामान्य तक है।

(ख) 21 मुख्य डाकघर।

(ग) किराये के भवनों में खुले 5 मुख्य डाकघरों के लिये विभागीय भवनों का निर्माण चल रहा है। किराये के भवनों में खुले मुख्य डाकघरों के लिये तीन और भवनों का निर्माण उचित समय पर तब शुरू किया जाएगा जब इस प्रयोजन के लिए निधि उपलब्ध हो जाएगी। किराए के भवनों में काम कर रहे बाकी 13 मुख्य डाकघरों के लिये विभागीय भवनों का निर्माण करने हेतु भूमि अधिग्रहण करने के लिये कार्यवाई की जा रही है। जिस विभागीय भवन में पालघाट मुख्य डाकघर खुला है, उसके विस्तार का कार्य प्रगति पर है। त्रिवेन्द्रम के मौजूदा प्रधान डाकघर भवन का विस्तार करना सम्भव नहीं है क्योंकि इसके लिए पर्याप्त भूमि की कमी है। त्रिवेन्द्रम के प्रधान डाकघर के लिये राज्य सरकार से एक एकड़ भूमि प्राप्त करने के लिए कार्यवाई की जा रही है।

अशोक बिहार, दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम के बीच विवाद

88. **श्री राम बिलास पासवान** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली नगर निगम द्वारा अशोक बिहार, दिल्ली के केसी/केडी और 1 ए/बी सामूहिक आवास योजना के पाकेटों की दिल्ली नगर निगम प्रभार लेने पर दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम में उत्पन्न विवाद की जानकारी है;

(ख) यह विवाद कब से चल रहा है और इसके कब तक सुलझा लिए जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या यह सच है कि इसी विवाद के परिणामस्वरूप दिल्ली नगर निगम क्षेत्र से अपने सफाई कर्मचारियों को हटा लिया है; और

(घ) यदि हाँ, तो दिल्ली नगर निगम द्वारा सफाई कर्मचारियों को हटा लेने से निवासियों को होने वाली असुविधाएं दूर करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कौन-कौन से कदम उठाए हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री(श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और(ख)

ऐसा कोई विवाद नहीं है। अशोक विहार के इन पाकेटों में सेवाओं को देने का दिल्ली विकास प्राधिकरण का प्रस्ताव दिल्ली नगर निगम के पास 1977-78 से विचाराधीन है। दिल्ली नगर निगम से कुछ सूचनाएं और दिल्ली विकास प्राधिकरण से दस्तावेज मांगे गये हैं। इनकी प्राप्ति पर मामले को अन्तिम रूप दिया जायेगा।

(ग) और (घ) दिल्ली नगर निगम ने सूचना दी है कि जन स्वास्थ्य की दृष्टि से तथा पर्यावरणीय स्वच्छता के सुधार के लिए कभी-कभी सफाई कार्य ग्रुप कार्यक्रम में किया जाता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उचित सफाई कार्य के लिए पहले ही व्यवस्था है।

शैक्षिक संस्थाओं को क्रीड़ा और खेल-कूद सुविधायें

89. **श्री ए. नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विद्यार्थियों को अपने विद्यार्थी जीवन में क्रीड़ा और खेल-कूद सीखने और उनका अभ्यास करने योग्य बनाने के लिये शैक्षिक संस्थाओं में पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध करने के लिये वर्तमान शिक्षा प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन करने का है; और

(ख) क्या यह सच है कि शैक्षिक संस्थाओं के अधिकांश खेल-कूदों को गम्भीर उपेक्षा के कारण हानि पहुँच रही है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) और (ख) खेल राज्य का विषय है। अतः खेलों का विकास करना और उन्हें बढ़ावा देना मुख्यतः राज्य सरकारों का दायित्व है। केन्द्रीय सरकार की भूमिका सामान्यतः राज्यों को समन्वय और परामर्शी सेवाएं प्रदान करने तथा खेलों को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में मार्ग दर्शन देने तक ही सीमित है।

जहां तक केन्द्रीय विद्यालयों का सम्बन्ध है, खेल प्रत्येक छात्र के लिए अनिवार्य है।

शिक्षा की 10+2 पद्धति के अंतर्गत, शारिरिक शिक्षा, जो खेलों का ही एक हिस्सा है, एक अनिवार्य विषय है।

अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह में ग्रामीण विकास अधिकारी का पद

90. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के लिए ग्रामीण विकास अधिकारियों के पद बनाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो पद कब बनाया गया; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मन्त्री (श्री बीरेन्द्रसिंह राव) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) पद को सृजित करने का निर्णय ले लिया गया है।

ग्रामीण भारत में पेय जल

91. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने गांव हैं जिनमें पेय जल की सुविधायें नहीं हैं;

(ख) स्वाधीनता के बाद 1977 के अन्त तक कितने गांवों में पेय जल की सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं;

(ग) 1977 से 19 0 तक के दौरान ऐसे कितने गाँव हैं जिन्हें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के रूप में ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया गया है; और

(घ) पेय जल की सुविधा के बिना एक भी गाँव न रहे, इस बारे में देश अपना लक्ष्य किस तारीख तक प्राप्त कर लेगा ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायणसिंह) : (क) 1972 के दौरान किये गये एक सर्वेक्षण में निम्नलिखित कसौटी के आधार पर 1.53 लाख ग्रामों को समस्या-ग्रस्त ग्राम माना गया है।

1. जहां उचित दूरी (1.6 कि. मी) अथवा 15 मी. की गहराई पर पेय जल का कोई विश्वस्त स्त्रोत साधन नहीं है।

2. जहां अत्याधिक खारेपन, लोहा, फ्लोराइड अथवा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक अन्य विषाततत्वों से प्रभावित हैं।

3. वे, जहाँ जल स्त्रोत हैजा के कीटाणुओं अथवा नेहरुआ के कृमिकों के खतरों से ग्रस्त है।

तथापि, बहुत सी राज्य सरकारों ने बाद में उल्लेख किया कि 197_ का सर्वेक्षण अधूरा था इस कारण और बाद में सूखा परिस्थितियों से भी समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या बढ़ गई थी। राज्य सरकारों से 1-4-1980 तक शामिल किये जाने वाले बाकी समस्य-ग्रस्त ग्रामों की संख्या के बारे में सूचना भेजने का अनुरोध किया गया है। कई राज्य सरकारों से सूचना अभी आनी शेष है। तथापि यह अनुमान लगाया है कि 1-4-1980 तक शामिल किये जाने वाले समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या लगभग 2 लाख हो जाए।

(ख) 1972 के दौरान पहचाने गये समस्याग्रस्त ग्रामों में से लगभग 40,000 ग्रामों को मार्च, 1977 के अन्त तक पेयजल की सुविधा दी गई थी।

(ग) 1972 में पहचाने गए ग्रामों में से समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या 52,3/7 है।

(घ) छठी योजना (1980-85) के दौरान शेष सभी समस्याग्रस्त ग्रामों के लिये स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करने का लक्ष्य है।

मिथिला में खुदाई-कार्य

92. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या शिक्षा समाज कल्याण मंत्री मिथिला में खुदाई-कार्य के बारे में 4 अगस्त, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6707 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे खुदाई-कार्य इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायता करने के लिये उमां गांव खंड में कलना में मधुबनी जिले के बेनीपट्टी खंड में उच्चैठा में, दरभंगा जिले के जाले खंड में अहिला स्थान में तथा मिथिला क्षेत्र के अन्य प्राचीन स्थानों में आरम्भ करने का विचार है;

(ख) क्या विहार राज्य सरकार को ये खुदाई कार्य आरम्भ किये जाने में सलाह और मदद की जा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) से (ग) इस समय कलना, उच्छैठा, अहिल्या स्थान और मिथिला क्षेत्र में अन्य प्राचीन स्थलों पर खुदाई कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है और न कोई ऐसा प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त हुआ है।

खुदाई के मामलों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की यह नीति रही है कि केवल समस्या मूलक कार्यों का और विगत तीस वर्षों के दौरान उस क्षेत्र के स्थलों से जहां पहले खुदाई की जा चुकी है, प्राप्त परिणामों को ध्यान में रखते हुए उत्तरदायित्व लिया जाता है, प्रश्न में निर्दिष्ट स्थलों पर समाधान हेतु कोई पुरातत्वीय समस्या नहीं है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को 'अचीवमेंट आडिट कमेटी

93. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का विचार अपने नियन्त्रण में प्रत्येक अनुसधान संस्था के लिए संस्थाओं के कार्यकरण में सुधारों के सुझाव देने हेतु 'अचीवमेंट आडिट कमेटी' गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इन 'आडिट' कमेटियों के गठन में विलम्ब कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी हाँ श्रीमान्।

(ख) और (ग) एक यह सच्चाई नहीं है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अपने अनुसंधान संस्थानों के लिए लेखा-परीक्षा निकायों की स्थापना करने में विलम्ब कर रही है।

प्रथम उपलब्धि लेखा-परीक्षा तब देय हो गई थी जब कि संस्थानों ने, जिनका स्थानांतरण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में वर्ष 1966 में इसके पुनर्गठन के समय हो गया था, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद प्रणाली में अपने क्रिया-कलाप के पांच वर्ष पूरे कर लिए थे। तदनुसार, वर्ष 1970 में उपलब्धि लेखा-परीक्षा समितियों के क्रिया-कलाप के लिए पहला 'रोस्टर' तैयार किया गया और 22 सस्थानों के संबंध में उपलब्धि लेखा-परीक्षा वर्ष 1971-74 के दौरान की गई अर्थात् तीन वर्षों की अवधि में :

दूसरे चरण में, पांच अनुसंधान संस्थानों के लिए उपलब्धि लेखा परीक्षा समितियां वर्ष 1977 में गठित की गई। वर्ष 1980 के दौरान 13 उपलब्धि लेखा-परीक्षा समितियां संशोधित 'गाइड लाइंस' के अनुरूप गठित की गई। अन्य सात अनुसंधान सस्थानों के सम्बन्ध में उपलब्धि लेखा-परीक्षा समितियों की स्थिति को अन्तिम रूप दे दिया गया है और आदेश जारी करने के लिए सदस्यों की सहमति मांगी जा रही है। उन सात अनुसंधान संस्थानों के सम्बन्ध में भी उपलब्धि लेखा-परीक्षा समितियां गठित करने के लिये पग उठाये जा रहे हैं जिनकी लेखा-परीक्षा केवल 1981-82 में देय होगी।

देश में, राज्यवार खोले गये शाखा डाकघर तथा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की संख्या

94. **श्री समर मुखर्जी :**

श्री बसुदेव आचार्य : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान, राज्यवार, देश में कितने शाखा डाकघर तथा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोले गये हैं; और

(ख) वर्ष 1980 के लिये इनका राज्यवार लक्ष्य क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) तथा (ख) चालू वर्ष 1980-81 के लिये सर्कलवार लक्ष्य तथा 1-4-80 से 30-9-80 के दौरान खोले गये डाकघरों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। चालू वर्ष के दौरान खोले गये सार्वजनिक टेलीफोन घरों की संख्या और वर्ष 1980-81 के लक्ष्यों से सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है और इसको सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

विवरण

	वर्ष 1980-81 के दौरान खोले जाने वाले डाकघरों का निर्धारित लक्ष्य	1-4-80 से 30-9-80 की अवधि के दौरान खोले गये शाखा डाकघर
1. आन्ध्र प्रदेश	160	230
2. बिहार	125	164
3. दिल्ली	10	1
4. गुजरात	80	77
5. जम्मू व काश्मीर	75	3
6. केरल	75	3
7. कर्नाटक	90	52
8. मध्य प्रदेश	115	199
9. महाराष्ट्र } गोवा }	115	166 } 2 }
10. उत्तर पूर्वी सर्किल	100	
असम		24
अरुणाचल प्रदेश		—
मणिपुर		4
मेघालय		4
मिजोरम		—
नागालैंड		2
त्रिपुरा		—
11. उत्तर पश्चिमी सर्किल	110	—
पंजाब		71
हरियाणा		6
हिमाचल प्रदेश		27
12. उड़ीसा	125	31

13. राजस्थान	155	133
14. तमिलनाडु	90	16
15. उत्तर प्रदेश	100	18
16. पश्चिम बंगाल	75	3
	1500	1186

डाक-तार विभाग में पदोन्नति के अवसर

95. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) डाक-तार विभाग में वर्ष 1974 से लागू की गई 20 प्रतिशत पदोन्नति योजना का क्या हुआ है और क्या यह पर्याप्त है अथवा विभाग अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए और अधिक पदोन्नति के अवसरों पर विचार करने जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो वे योजनायें क्या हैं और उन्हें कब तक कार्यान्वित किया जायेगा;

(ग) क्या इस योजना का कार्यान्वयन देश भर के डाक-तार विभाग के समस्त संवर्गों के लिए किया जा रहा है;

(घ) यदि हाँ तो डाक विभाग में, इसके कार्यान्वयन की मण्डल-वार स्थिति क्या है;

(ङ) क्या पदोन्नति के आदेश समय पर दिए जा रहे हैं और पिछले वर्षों में इससे कितने प्रतिशत लोगों को लाभ पहुँचा है; और

(च) क्या डाक-तार विभाग में डाक विभाग के कर्मचारियों को स्थाई किये जाने की व्यवस्था है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क, से (च) डाक-तार विभाग में कर्मचारियों की पदोन्नति के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए 20% पदोन्नति योजना 1974 में चालू की गई थी। देश भर में विभाग के विभिन्न संवर्गों में यह योजना कार्यान्वित की गई है। पदोन्नति के आदेश सामान्यत: समय पर जारी कर दिये जाते हैं। अपने पदों पर कर्मचारियों की पुष्टि मौजूदा नियमों और सरकारी आदेशों के अनुसार की जाती है। जहाँ तक लाभांवित होने वाले कर्मचारियों (डाक) की संख्या, कर्मचारियों का प्रतिशत तथा सर्कल वार प्रतिशत का सम्बन्ध है सूचना एकत्र की जा रही है तथा उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा। अभी हाल में कर्मचारियों ने प्रत्येक को सेवा अवधि में कम से कम दो पदोन्नति प्रदान किये जाने के लिये अभ्यावेदन दिया है। विभाग इस पर तत्परता से विचार कर रहा है।

वर्दवान जिले में खोले गये डाकघर

96. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल के वर्दवान जिले में कितने शाखा डाकघर तथा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोले गये हैं; और

(ख) वर्ष 1980 के लिए इनका लक्ष्य क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) वित्तीय वर्ष 1 80-81 के

दौरान बरेत्ता जिले में कोई शाखा डाकघर अथवा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र नहीं खोला गया है।

(ख) वित्तीय वर्ष 1980-81 में एक शाखा डाकघर तथा 7 सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है। किन्तु मण्डारण उपलब्ध होने पर ही सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोले जा सकेंगे।

सरकारी कर्मचारी सहकारी भवन-निर्माण समिति लिमिटेड, बसन्त बिहार, नई दिल्ली

97. **श्री एस. एम. कृष्ण :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** सरकारी कर्मचारी सहकारी भवन निर्माण समिति लि. बसन्त बिहार, नई दिल्ली, के बारे में 9 जून, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 21 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सरकार का ध्यान शान्ति निकेतन के आवंटतियों द्वारा दिल्ली प्रशासन के साथ किये गये चिरस्थाई उप पट्टेदारी के खण्ड के उपबन्धों की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें यह व्यवस्था है कि ऐसे मामलों पर होने वाले किसी भी प्रकार के झगड़े को निपटाने के लिए उप-राज्यपाल को भेज दिया जायेगा;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया हुई है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार उपरोक्त उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए मामले पर फिर से विचार करवायेगी और इसे 'अन्तर समिति विवाद' का नाम देकर शान्ति निकेतन के आवंटतियों को पंजीयक सहकारी समितियां, दिल्ली की दया पर न छोड़ते हुये उनको आवश्यक राहत प्रदान करेगी तथा जाँच के परिणामों को बतायेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) तथा (घ) जी नहीं, क्योंकि दिल्ली प्रशासन के इस निर्णय को दिल्ली उच्च न्यायालय ने कायम रखा है कि शान्ति निकेतन में प्लाट के आवंटियों द्वारा वर्द्धित क्षतिपूर्ति देय है।

स्वीडन से 'क्रासबार सिस्टम' की सप्लाई के लिए बातचीत

98. **श्री एस. एम. कृष्ण :**

श्री हरिकेश बहादुर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने एल. एम. एरिक्सन द्वारा विकसित 'क्रास बार सिस्टम' की सप्लाई के बारे में बातचीत करने के लिए हाल ही में स्वीडन की यात्रा की थी और यदि हां, तो प्रस्तावित सौदे का ब्यौरा क्या है;

(ख) पुराने क्रास बार इलेक्ट्रो-मकेनिकल स्विचिंग सिस्टम; की बजाय 'इलेक्ट्रोनिक्स एक्सचेंज सिस्टम प्रोडक्ट लाइन्स' की प्राथमिकता न दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) स्वदेशी भारतीय क्रास-बार परियोजना (आई. सी. पी.) के प्रस्तावित विस्तार की इस समय क्या स्थिति है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) दूर संचार सेवाओं के

प्रचालन और दूर संचार उपस्करों को बनाने में अपनाई जाने वाली आजकल की पद्धतियाँ समझने के लिए संचार मन्त्री ने हाल ही में वहाँ की सरकारों के निमंत्रण पर स्वीडन सहित चार यूरोपीय देशों की यात्रा की थी स्वीडन की यात्रा, क्रास-बार प्रणाली की सप्लाई के लिए बातों के इरादे से नहीं की गई थी।

(ख) इलैक्ट्रो-मकेनिकल क्रासबार स्विचिंग प्रणाली संसार भर में बड़े पैमाने पर प्रयोग की जा रही है। इसे गई गुजरी या पुरानी संचार प्रणाली नहीं कह जा सकता। इलैक्ट्रो-मकेनिकल स्विचिंग उपस्करों की स्वदेशी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए पहले से बनी योजनाओं पर अमल के अलावा, जनता की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के उद्देश्य से मार्गस्थ और स्थानीय, दोनों एक्सचेंजों के लिये, इलैक्ट्रोनिक स्विचिंग प्रणाली के उत्पादन हेतु नए कारखाने लगाने का काम भी किया जा रहा है।

(ग) भारतीय माहौल में काम करने के लिये उपयुक्त स्थानीय तथा ट्रंक स्वचल एक्सचेंजों के लिए उपयुक्त प्रणाली का विकास, परिपथों का डिजाइन तथा उपस्करों का उत्पादन व उनकी प्रस्थापना के उद्देश्य से भारतीय क्रासबार परियोजना दल का गठन किया गया था। इस दल ने आई. सी. पी. किस्म की 2,000 लाइनों वाला स्थानीय एक्सचेंज स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। इसका काम संतोषप्रद है। आई. सी. पी. किस्म का 1000 लाइनों वाला ट्रंक स्वचल एक्सचेंज चालू भी कर दिया गया है।

'पोस्टल अथारिटीज फूल्ड बाई स्टेम्प' शीर्षक से प्रकाशित समाचार

99. **श्री एस. एम. कृष्ण** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 अक्तूबर, 1980 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' नई दिल्ली में पोस्टल अथारिटीज फूल्ड बाई स्टेम्प' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) प्रयुक्त की जा रही और डाक कर्मचारियों द्वारा न पता लगाई जा रही ऐसी जाली टिकटों को रोकने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

संचार मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हाँ।

(ख) एवं (ग) मौजूदा अनुदेशों और नियमों के अनुसार इस प्रकार के लेबल लगी वस्तुओं को 'बैरंग पत्र' माना जाना चाहिए था और पाने वाले से देय डाक शुल्क लिया जाना चाहिए था क्योंकि उक्त लेबल डाक टिकट नहीं था। वास्तव में इस प्रकार के लेबलों वाले कुछ पत्र पकड़े गये गये थे और उन पर अदत्त वस्तुओं की तरह शुल्क लिया गया था।

कर्मचारियों को नए अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि वे डाक का निपटान करने तथा इस प्रकार के मामलों को पकड़ने में और अधिक सावधानी बरतें।

बाबा खड़ग सिंह मार्ग, नई दिल्ली में पानी की भिन्न-भिन्न दरें

100. **श्री भीखा भाई** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बाबा खड़गसिंह मार्ग, नई दिल्ली में फ्लैट संख्या 896-1090 के निवासियों से जल सप्लाई के लिए प्रतिमास सोलह रुपये वसूल किये जा रहे हैं;

(ख) क्या इसी कालोनी के अन्य फ्लैटों के निवासियों से जल-सप्लाई के लिए प्रतिमास नौ रुपये वसूल किये जा रहे हैं;

(ग) यदि हाँ, तो भिन्न-भिन्न दरें वसूल किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) इतनी अधिक राशि वसूल किये जाने के लिये क्या मानदण्ड अपनाया जाता है और क्या अन्य कालोनियों में भी यही मानदण्ड अपनाया जाता है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायणसिंह) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बाबा खड्गसिंह मार्ग, नई दिल्ली में पानी की सप्लाई

101 श्री भीखा भाई : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाबा खड्गसिंह मार्ग, नई दिल्ली में बहु-मंजिले क्वार्टरों विशेषकर क्वार्टर संख्या 896-1090, में बहुत ही कम मात्रा में पानी सप्लाई किया जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये बहु-मंजिले क्वार्टर पहले पानी की पर्याप्त सप्लाई का प्रबन्ध किये बिना बनाए गये हैं; और

(ग) इन क्वार्टरों में नियमित रूप से पानी सप्लाई करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायणसिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) नई दिल्ली नगर पालिका से मिलने वाली जल पूर्ति को बढ़ाने के लिए गर्मी के मौसम से दो नलकूपों को चालू किया गया है । जल पूर्ति में और अधिक सुधार करने के लिए भूमिगत तथा उपरि टंकी लगाने के लिए भी कार्यवाई की गई है ।

डाकघर बचत बैंक खातों के ड्रा के परिणाम प्रकाशित करना

102. श्री निहालसिंह : क्या संचार मन्त्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या यह सच है कि डाकघर बचत बैंक खातों में कम से कम रु० 200 या इससे अधिक की राशि बनाए रखने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में निकाले जाने वाले ड्रा के परिणाम समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जमाकर्त्ताओं को ड्रा के परिणामों की सूचना नहीं मिल पाती;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसी व्यवस्था करने का है जिससे इन ड्रा के परिणाम समाचार पत्रों में प्रकाशित हो सकें; और

(ग) गत तीन वर्षों, 31 अक्तूबर, 1980 तक, के दौरन राज्यवार पुरस्कार पाने वाले जमाकर्त्ताओं का ब्यौर क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता .

(ग) 1,00,000 रुपये, 50,000 रुपये, 20,000 और 5,000 रुपये के प्रथम चार इनाम

जो 31-10-80 को समाप्त होने वाले गत तीन वर्षों के 6 ड्राओं के दौरान जीते गए हैं उनका राज्यवार विवरण संलग्न अनुबन्धों में दिया गया है। (ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये संख्या एल. टी.-13 0/80) 500 रुपये के पाँचवें इनाम और 50 रुपये के छठे इनाम को अहंकारी खातों की संख्या के अनुसार दिया जाता है। पहला इनाम प्रत्येक दस हजार खातों के लिए और बाद वाला प्रत्येक हजार खातों के लिए दिया जाता है इसलिए इन इनामों को विभिन्न राज्यों द्वारा प्रत्येक राज्य में अहंकारी खातों की संख्या अनुपात के अनुसार जीता जाता है।

ऑर्किड का संरक्षण और विकास

103. श्री एस. बी. सिदनाल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में निर्यातकर्त्ताओं द्वारा निर्मम ढंग से आपूर्ति करने और निर्वनीकरण तथा पेड़ गिराये जाने के कारण ऑर्किड को खतरा है, और

(ख) ऑर्किड का संरक्षण और विकास करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.वी. स्वामीनाथन) : (क) विगत समय में निर्यात के लिए ऑर्किड की कटाई निर्ममता से की गई तथा कुछ किस्में गम्भीर रूप से खतरे में पड़ गई हैं।

(ख) ऑर्किड के संरक्षण तथा विकास के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(1) 1976 में जब से भरत वन्य जीव जन्तुओं एवं वनस्पतियों की खतरे में पड़ी हुई जातियाँ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी सम्मेलन का सदस्य बना, तब से ऑर्किड का निर्यात इस सम्मेलन के अन्तर्गत सख्ती से विनियमित किया जाता है। वन्य मूल की ऑर्किड की खतरे में पड़ी हुई किस्मों के निर्यात पर अब पूर्ण प्रतिबन्ध है।

(2) वनों के रक्षण एवं सरक्षण को अत्याधिक महत्व दिया जा रहा है तथा दुर्लभ अथवा विशेष प्राकृतिक वनस्पति वाले वन क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे ऑर्किड की स्थिति में सुधार होने की संम्भावना है।

(3) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण तथा उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों ने प्रसार के लिए ऑर्किड की दुर्लभ जातियों को उगाने के लिए कार्यवाही की है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने शिलांग, उटकमंड तथा पौड़ी गढ़वाल में तीन ऑर्किडेप्यिम भी स्थापित कए गए हैं। जिन क्षेत्रों में ऑर्किड की दुलर्भ किस्में प्राकृतिक रूप से उगती हैं, उनमें प्रकृति आरक्षण क्षेत्र तथा आश्रय-स्थल बनाने के लिए भी कार्यवाही की जा रही है।

मिथिला विश्वविद्यालय को वित्तीय तथा अन्य सहाता

104. **श्री भोगेन्द्र झा : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** मिथिला विश्वविद्यालय को वित्तीय तथा अन्य सहायता के बारे में 11 अगस्त, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7508 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में अपने आश्वासनों को पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; यदि नहीं तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय के विकास के लिए की गई सिफारिशों को पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से अपनी स्वीकृति दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके पूर्ण होने की लक्षित तिथि क्या है तथा यदि नहीं तो इस सम्बन्ध में आगे क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) तथा (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार बिहार सरकार ने आयोग को यह सूचित किया था कि वर्ष 1979-80 तक राज्य सरकार एल. एन. मिथिला विश्वविद्यालय पर भवनों, पुस्तकों और पत्रिकाओं, उत्तर-स्नातक विकास, अनुसंधान, छात्र-कल्याण आदि के लिए 1.40 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी थी और यह 1980-81 के दौरान और 60-00 लाख रुपये खर्च करने के लिए बचनबद्ध थी। आयोग ने अक्तूबर, 1980 में राज्य सरकार से अनुरोध किया था कि वे विश्वविद्यालय में सृजित तथा भरे गये संकाय पदों की संख्या सहित उत्तर-स्नातक विभागों तथा छात्र-कल्याण पर किये गए खर्च के ब्यौरे भेजें। यह सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) आयोग राज्य सरकार से सभी अपेक्षित सूचना प्राप्त होने के पश्चात् ही विकास अनुदान की संस्वीकृति के प्रश्न पर विचार करेगा।

केन्द्रीय खेल कूद विधान का प्रारम्भ

105. **श्री ए. नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय खेलकूद विधान का प्रारम्भ तैयार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां तो उक्त प्रस्ताव अब किस चरण में है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) और (ख) केन्द्रीय खेल कूद विधान का प्रारुप तैयार करने का अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है।

बाबा खड़गसिंह मार्ग, नई दिल्ली में सप्लाई किया जा रहा पेय जल

106. **श्री भीखा भाई** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाबा खड़गसिंह मार्ग, नई दिल्ली पर निर्मित क्वार्टरों (896-1090 तक) को सप्लाई किया जा रहा पेयजल स्वाद में कड़ुआ है।

(ख) क्या यह भी सच है कि इन क्वार्टरों के निवासियों को सप्लाई किया जा रहा नलकूप जल स्वास्थ्य के लिए हानिकर घोषित किया गया था और स्वास्थ्य प्राधिकरण/नगर निगम ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को सलाह दी थी कि वह नलकूप के जल में आधी मात्रा में यमुना का पानी मिलाये।

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त जल की सप्लाई से पूर्व नलकूप के जल में यमुना से जल मिलाया जा रहा है, और

(घ) यदि हां तो इस बात की नियमित जांच करने के लिए कौन सा प्राधिकरण उत्तरदायी है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायणसिंह) : (क) जी नहीं।

तथापि, क्योंकि, जलपूर्ति आंशिक रूप से नलकूप के माध्यम से होती इसलिए इसका स्वाद नदी के पानी से थोड़ा सा भिन्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जल सप्लाई करने से पूर्व यमुना के जल को नलकूप के पानी के साथ मिलाया जाता है, क्योंकि नलकूप को उस हेडी से जोड़ा गया है। जहाँ नई दिल्ली नगरपालिका से भी पानी प्राप्त होता है।

(घ) पानी के नमूने को कभी कभी प्रयोगशाला भेज कर इसकी सामान्यतया जांच पड़ताल की जाती है।

पंडित पंत मार्ग नई दिल्ली पर अनधिकृत दुकानों का निर्माण

107. **श्री भीखा भाई** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि पंडित पंत मार्ग नई दिल्ली पर (योगाश्रम के सामने) बड़ी संख्या में अनधिकृत दुकाने बन गई हैं, और

(ख) यदि हां, तो उक्त अनधिकृत निर्माणों को हटाने और इस क्षेत्र को साफ-सुथरा रखने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं अथवा उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। वहाँ कुछ अनधिकृत दुकानें थीं जिन्हें हटा दिया गया है।

दिल्ली के स्कूलों के अध्यापकों की मांगें

108. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के अध्यापकों की ओर से एक प्रतिनिधि मण्डल ने 24 अक्तूबर, 1980 को मंत्री से भेंट की थी तथा उसने उनकी मांगों पर शीघ्र विचार करने के लिए अनुरोध किया था;

(ख) यदि हाँ तो उनकी मांगे क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि उनकी माँगों पर विचार करने के लिए 1979 में एक समिति गठित की गई थी;

(घ) क्या सरकार को समिति का प्रतिवेदन मिल गया है और यदि हाँ, तो उसमें क्या सुझाव दिए गए हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कब निर्णय किए जाने की सम्भावना है।

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी, हाँ।

(ख) दिल्ली अध्यापक संघ की संयुक्त परिषद् द्वारा रखी गई माँगे संलग्न विवरण में सूचीबद्ध दी गई हैं।

(ग) जी हाँ।

(घ) और (ङ) जी, हाँ मामला अभी विचाराधीन है।

विवरण

दिल्ली अध्यापक संघ की संयुक्त परिषद् द्वारा रखी गई मांगे

(1) वेतनमानों का संशोधन।

(2) आठ साल की सेवा के पश्चात् प्रवरण ग्रेड प्रदान करना ।

(3) जूनियर शिल्प अध्यापकों (2) जूनियर शारीरिक शिक्षा अध्यापकों (3) जूनियर गृह विज्ञान अध्यापकों (4) जूनियर भाषा अध्यापकों (6) जूनियर संगीत अध्यापकों (6) जूनियर नृत्य अध्यापकों तथा (7) प्राथमिक स्कूलों के मुख्य अध्यापकों के 425-640 रु के वेतनमान को 440-750 रु० के वेतनमान में बदलना ।

(4) अध्यापकों के लिए अर्जित अवकाश की व्यवस्था करना ।

(5) सभी अध्यापकों के लिए प्रतिपूर्ति योजना के स्थान पर चिकित्सा भत्ते की व्यवस्था करना ।

(6) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की पद्धति पर संवैधानिक अधिकारों सहित संयुक्त सलाहकार समिति की व्यवस्था करना ।

(7) अध्यापकों के बच्चों के लिए विश्वविद्यालय स्तर तक, जिसमें चिकित्सा, इन्जीनियरिंग आदि जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम शामिल हैं, निशुल्क शिक्षा प्रदान करना ।

(8) विश्वविद्यालीय अध्यापकों की पद्धति पर सेवा निवृत्ति की आयु बढ़ा कर 60 वर्ष करना जिसे बढ़ाकर 65 वर्ष किया जा सके ।

(9) दिल्ली के सभी स्कूलों को 10+2 शिक्षा प्रणाली के आधार पर 12 वर्षीय स्कूल में स्तरोन्नत करना ।

राज्यों में केन्द्र प्रायोजित समाज कल्याण योजना

109. श्री शिव कुमार सिंह : क्या शिक्षा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार जैसा कि "इण्डियन एक्सप्रेस" दिनांक 16 अक्तूबर 1980 में प्रकाशित हुआ है, देश में केन्द्र द्वारा प्रायोजित समाज कल्याण योजनाओं पर 400 करोड़ रुपये खर्च करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ तो उन योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है जिन पर यह धन राशि खर्च की जायेगी और मध्य प्रदेश में कितनी धनराशि खर्च की जायेगी : और

(ग) क्या राशि में वृद्धि करने के बारे में राज्य सरकारों से कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विशेष कर मध्यप्रदेश के बारे में ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) से (ग) : समाज कल्याण क्षेत्र के लिए छठी योजना परिव्यय के सम्बन्ध में अब तक अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

श्री लंका को दूर संचार सुविधायें

110. श्री शिव कुमार सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीलंका सरकार ने भारत सरकार से यह अनुरोध किया है कि वे उनकी अन्तराष्ट्रीय दूरसंचार सुविधाओं को बम्बई स्थित अर्थ स्टेशन से होकर जाने दें ।

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ।

(ग) क्या इस बारे में दोनों देशों के बीच कोई समझौता हुआ है और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(घ) इससे समुद्र पार के दोनों देशों को भारत की दूर संचार सेवा पर क्या प्रतिकूल/अनुकूल प्रभाव पड़ा है।

सचार मत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव : (क) जी हाँ। अस्थाई अवधि के लिए, जिसके दौरान श्रीलंका अर्थ स्टेशन पर संशोधन किए जायेंगे।

(ख) कोलम्बो और बम्बई के बीच प्रत्येक में 12 सर्किटों के तीन ग्रुपों की व्यवस्था करके आर्वी (पूणे के समीप) के उपग्रह अर्थ स्टेशन के माध्यम से श्रीलंका अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार यातायात को भेजने के लिए प्रबन्ध किए जा रहे हैं। अंशत: श्रीलंका में मौजूदा यू. एच. एफ जाल कार्य पर, अंशत: भारत श्रीलंका सूक्ष्मतरग योजना पर जो इस समय स्थापना की विकसीत अवस्था में है, और अंशत: भारतीय डाक तार घर स्थानीय सहक्षुरीय/सूक्ष्म तरग जाल-कार्य पर बम्बई तक परिपथ बनाये जा रहे हैं।

(ग) प्रचालन प्रशासनों के बीच पत्राचार के आदान प्रदान द्वारा समझौता हुआ था। उपरोक्त प्रबन्ध करने के लिए श्रीलंका प्रशासन ने भारतीय डाक तार तथा विशेष सचार सेवा से औपचारिक अनुरोध किया था। भारतीय डाक-तार जाल कार्य पर यातायात ले जाने के लिए 2.03 लाख रुपये प्रति वर्ष का अस्थाई किराया और तीन महीनों की न्यूनतम गारटी की अवधि उद्धृत की गई थी। श्रीलंका विदेश दूरसंचार सेवा ने इसे स्वीकार कर लिया था। बम्बई में अर्थ स्टेशन के माध्यम से यातायात को भेजने के लिए प्रभारों का हिसाब कामनवेल्थ लेखा प्रणाली के माध्यम से लगाया जायेगा।

(घ) इससे भारतीय विदेश दूरसचार यातायात पर प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि श्रीलंका यातायात का प्रबन्ध अरबी अर्थ स्टेशन में उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता से किया जायेगा।

दिवाली पखवाड़े के लिए चीनी का रिलीज किया जाना

111. **श्री शिव कुमार सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिवाली पखवाड़े में खुली बिक्री के लिये सरकार ने 90,000 टन चीनी रिलीज की है;

(ख) यदि हां, तो सितम्बर और अक्तूबर के महीनों में चीनी की 75-75 हजार टन रिलीज की गई मात्रा को ध्यान में रखते हुये इससे उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की कहां तक पूर्ति हो पायेगी; और

(ग) देश में चीनी के मूल्यों में कमी लाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं अथवा किये जाने का विचार है ?

कृषि मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) और (ख) पहली सितम्बर से 15 नवम्बर, 1980 तक लागू स्वैच्छिक मूल्य विनियमन योजना के अधीन सितम्बर और अक्तूबर, 1980 के दोनों महीनों के लिए राज्य सरकारों को आवंटित करने हेतु 3 लाख मीटरी टन मुक्त बिक्री की चीनी (देशी और आयातित) दी गई थी—अर्थात सितम्बर के लिए 1.35 लाख मीटरी टन और अक्तूबर के लिए 1.65 लाख मीटरी टन। इस आधार पर नवम्बर के प्रथम पखवाड़े के लिए दी गई चीनी की मात्रा 75,000 मीटरी टन बैठती थी जबकि 7.11.1980 को पड़े दिवाली के त्यौहार के कारण बढी हुई मांग को पूरा करने के लिए उक्त 15 दिनों के लिए 90,000 मीटरी टन की अधिक मात्रा निर्मुक्त की गई थी।

(ग) 1.9.1980 से 2-1/2 महीनों की अवधि के लिए उत्पादन शुल्क रहित 450 रुपये प्रति क्विंटल के सहमत मूल्य पर उक्त बिक्री की चीनी की बिक्री करने विषयक चीनी उद्योग की स्वैच्छिक पेशकश को सरकार ने इसलिए स्वीकार कर लिया था ताकि त्यौहार के मौसम के दौरान उपभोक्ताओं को मुक्त बिक्री की चीनी निर्धारित मूल्यों पर उपलब्ध की जा सके। यह योजना 15-11-1980 को समाप्त हो गई है और इसके बाद मुक्त बिक्री की चीनी पहली सितम्बर, 1980 से पूर्व चल रही पद्धति के अनुसार सामान्य व्यापार प्रणाली के माध्यम से बेची जा रही है। सरकार खुले बाजार में चीनी के मूल्यों की पद्धति पर निगरानी रखेगी और यदि मूल्य उपयुक्त स्तर से अधिक बढ़ने लगते हैं तो सरकार आवश्यक उपचारात्मक उपाय करेगी।

उड़ीसा में राहत कार्यों में विलम्ब

112. श्री एन. ई. होरो : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में समय पर बचाव तथा राहत कार्य करने में सरकारी तंत्र पूरी तरह असफल रहा और वहां देवी प्रकोप के तीन दिन बाद भी भूखे तथा बेघर लोगों की मदद के लिए कोई नहीं था;

(ख) क्या वहां बाढ़ की आशंका के बारे में लोगों को सूचना और चेतावनी नहीं दी गई जिसका परिणाम यह हुआ कि बाढ़ रात में आई और सोते हुए लोग बाढ़ की गिरफ्त में आ गये; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धित तथ्य क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. बी. स्वामीनाथन) : (क) से (ग) वसुन्धरा नदी के किनारे बसे तटवर्ती नगरों और गांव के निवासियों को बाढ़-समाचारों के माध्यम से समय पर चेतावनी दे दी गई थी। गुनुपुर में 17 तारीख को तीन बार चेतावनी दी गई थी और हर बार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया। गुनुपुर से अन्तिम वेतार-संदेश वहां की पुलिस के परिमण्डल निरीक्षक से 18 सितम्बर को प्रातः 7 बजे प्राप्त हुआ था जिसमें गुनुपुर के जलप्लावित/जलमग्न होने और गुनुपुर का सभी ओर से संचार सम्पर्क टूट जाने का समाचार दिया गया था। इन चेतावनियों से सीमा पार आन्ध्र प्रदेश के ग्रामीणों को भी सहायता मिली।

महानदी की बाढ़ से प्रभावित उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों में प्रायः हर घन्टे के बाद आकाश-वाणी द्वारा चेतावनी-संदेश प्रसारित किये गये थे। बाढ़ की चपेट में आ सकने वाले क्षेत्रों और बांधों के कमजोर हिस्सों का पता लगाया गया और प्रभावित होने वाले क्षेत्र के लोगों को सचेत करने के लिए जानकारी को बाकायदा प्रकाशित किया गया ताकि वे काफी पहले सुरक्षित स्थानों पर पहुँच जाएं। तटबन्धों के कमजोर हिस्सों की लगातार रात-दिन निगरानी करने की व्यवस्था भी की गई थी।

सभी बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर बचाव और राहत कार्यों की व्यवस्था की गई थी। रेल और सड़क संचार भग्न होने पर 8 सितम्बर को राज्य के राजस्व मंत्री ने राज्य के राहत कार्य आयुक्त और मुख्य अभियंता के साथ राज्य के वायुयान द्वारा वसुन्धरा नदी से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। राज्य सरकार द्वारा भेजे गये ज्ञापन में बताया गया था कि 18 से 20 सितम्बर तक गुनुपुर में उपलब्ध चावल के स्टाक को काम में लाकर राहत

कार्यों की व्यवस्था की गई थी। 19 और 20 सितम्बर को स्वेच्छिक संगठनों, स्थानीय अधिकारियों और अग्नि शमन सेवा द्वारा निशुल्क भोजनालय भी चलाए गये थे। 21 और 22 सितम्बर को गुनुपुर, गुडारी और काशी नगर क्षेत्रों में हवाई जहाज द्वारा लगभग 15 मीटरी टन खाद्य पैकेट, 500 किलोग्राम अषिधियां, असक्रांमक दवाएं फीनाइल और सर्प प्रतिरोधी टीके आदि गिराये गये। गुनुपुर से सड़क सम्पर्क पुनः कायम होने के पश्चात खाद्यान्नों, आवश्यक वस्तुओं, बांस, झूड़ा, नमक गुड़ इत्यादि से भरे ट्रक भेजे गये। मुख्यमंत्री ने 20 सितम्बर को बाढ़ पीड़ित नगर का दौरा किया था।

जहाँ तक महानदी से प्रभावित क्षेत्रों का सम्बन्ध है, बाढ़ की विपत्ति आने के कुछ ही घन्टों बाद, राज्य सरकार के राहत संगठनों की उपलब्ध सभी यंत्रचालित नौकाओं को बाढ़ पीड़ित गांवों और असहाय लोगों की सहायता के लिए काम पर लगा दिया गया था। हवाई जहाज द्वारा भोजन गिराने का कार्य 22 सितम्बर, 1980 को शुरू किया गया।

अतः स्पष्ट है कि सभी प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव सम्बन्धी कार्य किये गये और कोई समय गवांए बिना समस्त सरकारी मशीनरी को पीड़ित/प्रभावित लोगों को राहत पहुँचाने के कार्य पर लगा दिया गया था।

बिहार में बाढ़ से क्षति

113. श्री एन. ई. होरो : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बिहार में हाल ही में बाढ़ से हुई जान और माल की हानि के बारे में जानकारी एकत्रित की है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार इस सम्बन्ध में बिहार राज्य की सहायता करने के लिए आगे आई है; और

(ग) यदि हां तो इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में हाल की बाढ़ों के कारण निम्न प्रकार क्षति हुई है :—

1. प्रभावित क्षेत्र	19.20 लाख हैक्टार
2. शस्यगत प्रभावित क्षेत्र	9.96 लाख हैक्टार
3. प्रभावित मकानों/झोंपड़ियों की संख्या	81,015
4. मरे मनुष्यों की संख्या	67
5. मरे पशुओं की संख्या	42
6. सार्वजनिक सम्पत्ति की अनुमानित क्षति	54 करोड़ रुपये

(ख) तथा (ग) बिहार सरकार के अनुरोध पर एक केन्द्रीय दल ने 28 से 31 अक्तूबर, 1980 तक राज्य का दौरा किया था। उसका उद्देश्य राज्य में बाढ़ों से हुई क्षति का मौके पर अनुमान लगाना तथा स्थिति से निपटाने के लिए राज्य सरकार की धन सम्बन्धी जरूरतों का जायजा लेना था। केन्द्रीय दल ने 26.47 करोड़ रुपये तक के व्यय की सिफारिश की है। इस प्रस्ताव पर भारत सरकार विचार कर रही है।

राज्यों में सूखे तथा वर्षा के कारण खरीफ फसल को हुई हानि

114. श्री दौलत राम सारण : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रत्येक राज्य में ऐसा क्षेत्र तथा जनसंख्या क्या है जो हाल ही में सूखे तथा भारी वर्षा के कारण खरीफ फसल के नष्ट होने से प्रभावित हुई है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि गत 2-3 वर्षों से राजस्थान में अकाल की गम्भीर स्थिति है और सूखे के कारण 26 जिलों में से 21 जिलों के हजारों गांवों में अकाल के कारण इस वर्ष भी स्थिति गंभीर है,

(ग) क्या अकाल की गंभीरता के बारे में जानकारी देते हुए राजस्थान सरकार ने किसी सहायता की मांग की है और अन्य राज्य कौन कौन से हैं जिन्होंने अकाल के बारे में जानकारी दी हैं, और

(घ) देश के अकाल से प्रभावित हुए लोगों तथा उनके पशुओं की संख्या के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या प्रबन्ध किये गये हैं अथवा करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर वी. स्वामीनाथन) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश की सरकारों ने अपने राज्यों में सूखे की स्थिति की सूचना दी है और सूखे की स्थिति का मौके पर जायजा लेने तथा स्थिति से निपटने के लिए वित्तीय जरूरतों का मूल्यांकन करने के लिये केन्द्रीय दलों को दौरे पर भेजने का अनुरोध किया है। आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा तथा कर्नाटक की राज्य सरकारों ने ज्ञापन भेजे हैं। राजस्थान सरकार से अभी ज्ञापन प्राप्त होना है। भारत सरकार सूखे से प्रभावित राज्यों को केन्द्रीय दल भेजने के विषय में विचार करेगी।

विवरण

क्र. सं. राज्य	प्रभावित सस्यगत क्षेत्र (लाख हैक्टार)	प्रभावित आबादी (लाख में)
	1. बाढ़ पीड़ित राज्य	
1. आन्ध्र प्रदेश	0·24	1.76
2. असम	2.88	33.59
3 बिहार	9.96	74.45
4. गुजरात	2.74	27 02
5. हरियाणा	0 80	2,25
6. कर्नाटक	0.28	3.42
7. केरल	0.06	6.00
8. उत्तर प्रदेश	30.94	303.47
9. उड़ीसा	3.55	26.39
10. प० बंगाल	1.41	20·00
11. हिमाचल प्रदेश	नगण्य	0.06
12. महाराष्ट्र	0 03	0.02

13. पंजाब	0.45	0.85
14. राजस्थान	नगण्य	—
15. मणिपुर	मूल्यांकन किया जा रहा है।	3.00
योग	53·89	532.28
	2. सूखे से प्रभावित राज्य	
1. आन्ध्र प्रदेश	10.42	14.10
2. कर्नाटक	49.67	90.00
	(बिना बुआई के 21.11 क्षेत्र सहित)	
3. राजस्थान	××	151.27
4. हरियाणा	4.36	12.79

×× राज्य सरकार ने सस्य निरीक्षण रिपोर्टों के आधार पर 26 जिलों में से 25 जिलों के 18,959 गांवों को अभाव ग्रस्त घोषित कर दिया है।

दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण की नई बस्तियों में डाक सुविधा

115. **श्री कृष्ण प्रतापसिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की उन नई विकसित बस्तियों में सरकार ने क्या डाक सुविधायें प्रदान की है जहाँ दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अधीन भूखण्ड आवंटित किये थे;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली की इन बस्तियों में से कुछ में कोई डाक-घर सुविधा प्रदान नहीं की गई है तथा वहाँ के निवासियों की सुविधा के लिए 'लैटरबाक्स' भी नहीं टाँगे गये हैं; और

(ग) वहाँ डाकघर सुविधाएं कब तक प्रदान कराये जाने की सम्भावना है तथा वहाँ लैटरबाक्स कब तक टाँगे जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) से (ग) दिल्ली में 17 नई विकसित पुनर्वास बस्तियां हैं। इन बस्तियों में 27 डाकघर पहले से विभागीय इमारतों में कार्य कर रहे हैं। एक से अधिक ब्लाक/फैज वाली बस्तियों में एक से अधिक डाकघर हैं। इन बस्तियों में 3 और डाकघर खोलने के आदेश दे दिये गये हैं। पुनर्वास बस्तियों में 61 लेटर बाक्स टाँगे गए हैं। आवश्यकता बढ़ने के साथ और अधिक सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी।

संचार मंत्रालय में काम कर रहे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति कर्मचारियों सहित कर्मचारियों की संख्या

116. **श्री हीरालाल आर. परमार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय तथा उनके अधीनस्थ संगठनों में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है और उनमें से प्रत्येक संगठन में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति कर्मचारियों की संख्या कितनी है तथा इस बारे में पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या उनके मंत्रालय तथा उसके अधीनस्थ संगठनों में विभिन्न श्रेणियों के कुछ पद

खाली पड़े हैं और उनमें से कितने पद अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लिये आरक्षित हैं और उन पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) जानकारी देश भर में फैले एककों से इकठ्ठी की जा रही है। इसे लोक सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लि. में विदेशी सहायता

117. **श्री हीरालाल आर. परमार** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लि. में विदेशी सहायता से विद्युत टंकण मशीनों इलेक्ट्रानिक टेलीप्रिन्टरों और कम्प्यूटरों के फालतू पुर्जों का निर्माण करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान कोई प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजा गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिनिधिमडल ने कौन-कौन से देशों का दौरा किया था और इस प्रतिनिधिमंडल ने वापसी पर जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं उनका पूरा ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष	जिन देशों का दौरा किया उनके नाम।
1977-78	इटली, पश्चिम जर्मनी
1978-79	इटली, पश्चिम जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस।
1979-80	संयुक्त राज्य अमेरिका और इटली।

वापसी पर प्रतिनिधिमंडलों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का पूरा ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया है।

विवरण

हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लिमिटेड, मद्रास द्वारा पिछले तीन वर्षों (1977-78 से 1979-80) के दौरान विदेश भेजे प्रतिनिधिमंडलों की रिपोर्टों का ब्यौरा।

(एक) 1977-78

हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड के उप-प्रबन्धक (इलेक्ट्रोनिक्स) को मिलाकर बने एक प्रतिनिधिमंडल ने मैसर्स आलीवटी आफ इटली और मैसर्स सीमेन्स आफ वेस्ट जर्मनी के प्रतिनिधियों के साथ भारत में इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर व बिजली से चलने वाला टाइपराइटर बनाने के प्रस्ताव पर वहाँ जाकर बात की थी। इनकी दोनों कम्पनियों के प्रबन्धकों के साथ प्रतिनिधिमण्डल की बातचीत बहुत उपयोगी रही। इन दोनों कम्पनियों ने भारत में बिजली से चलने वाले टाइपराइटर बनाने के काम में हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड को तकनीकी जानकारी देने में सहयोग की इच्छा प्रकट की। मैसर्स आलावटी ने यह भी सुझाव दिया कि हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड उनके लाइसेंस के अधीन बिजली से चलने वाले टाइपराइटर बनाने का काम शुरू कर दे।

(दो) 1978-79

हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, वित्त प्रबन्धक तथा उत्पादन प्रबन्धक को मिलाकर बने प्रतिनिधिमंडल ने नीचे लिखी कम्पनियों के कारखानों का दौरा किया :—

1. मैसर्स आलीवटी आफ इटली
2. ,, ओलम्पिया वर्क्स आफ वेस्ट जर्मनी
3. ,, सीमेन्स आफ वेस्ट जर्मनी
4. ,, कोसोर इलैक्ट्रोनिक्स आफ यू. के.
5. ,, आई. टी. टी. क्रीड आफ यू. के.
6. ,, टेली आफ यू. के. तथा
7. ,, लोगाबक्स आफ फ्रांस

प्रतिनिधिमण्डल ने भारत में बिजली से चलने वाले डाइपराइटर और इलैक्ट्रोनि टेलीप्रिंटर्स बनाने की संभावनाओं पर इन कम्पनियों के उच्च स्तर के कार्यकारियों के साथ च की। इन चर्चाओं के आधार पर कम्पनी ने बिजली से चलने वाले डाइपराइटर बनाने के लि एक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की है। यह व्यवहार्यता रिपोर्ट अब सरकार के विचाराधीन है।

(तीन) 1979-80

हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड अपने उत्पादन में विविधता लाने के उद्देश्य से भारत कम्प्यूटर पेरिफेरियल्स बनाने के प्रश्न पर विचार कर रहा है। हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमि के अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, कम्पयूटर मेन्टेनेन्स कारपोरेशन के परियोजना प्रबन्धक अ हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स के उप प्रबन्धक (पेरिफेरियल्स) को मिलाकर बने एक प्रतिनिधिमण्डल जून 1979 में संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा किया तथा वहां नीचे लिखी कम्पनियों प्रतिनिधियों से बातचीत की :—

1. मैसर्स कन्ट्रोल डाटा कारपोरेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका
2. ,, डाटा प्रोडक्ट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका
3. ,, सुगार्ट एसोसिएट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका
4. ,, मेमोरेक्स कारपोरेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका
5. ,, कालकाम्प, संयुक्त राज्य अमेरिका, तथा
6. ,, डाटा 100 कारपोरेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका

इन चर्चाओं के आधार पर हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड, भारत में लाइन प्रिंटर्स औ फ्लोप्पी डिस्क ड्राइव्स् जैसे कम्पयूटर के पेरिफेरियल्स बनाने के कारखाने स्थापित करने के प्रस्त बना रहा है।

संकटग्रस्त महिलाओं के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण

118. **श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बत की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संकटग्रस्त महिलाओं और उनके बच्चों के लिए आवास सुवि सहित व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए मंत्रालय द्वारा तैयार की गई योज को लागू कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) इसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं;

(घ) इस योजना को कब तक लागू किये जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है जिसके अन्तर्गत 18 वर्ष से 50 वर्ष के आयु वर्ग की जरूरतमंद महिलाओं को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण देने और उनका पुनर्वास करने के लिए केन्द्र स्थापित करने हेतु मान्यता प्राप्त स्वयं सेवी संगठनों को सहायता दी जाती है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सामान्यतया 6 मास का होता है और प्रत्येक दल में 20 से 40 तक प्रशिक्षणार्थी होती हैं। सहायता में प्रशिक्षकों, कच्चे माल, मशीनरी, प्रशिक्षणार्थियों के लिए वजीफे, भवन के किराये पर होने वाला खर्च शामिल है। पाठ्यक्रम पूरा होने पर प्रति प्रशिक्षणार्थी 500 रुपये का पुनर्वास अनुदान भी दिया जाता है : प्रशिक्षण केन्द्र का दस प्रतिशत खर्च स्वयंसेवी संगठन द्वारा उठाया जाता है तथा शेष केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा बराबर-बराबर अनुदान के रूप में दिया जाता है :

(घ) यह योजना 1997-78 से चल रही है।

टेलीफोन उपकरणों का निर्यात

119. **श्री हीरालाल आर. परमार :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से अक्तूबर, 1980 की अवधि के दौरान इन्डियन टेलीफोन्स इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा देशवार, कितनी मात्रा में और मूल्य के टेलीफोन उपकरणों का निर्यात किया गया; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान किए गये निर्यात की तुलना में यह कितना न्यूनाधिक है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड ने जनवरी से अक्तूबर, 1980 की अवधि में कुल 109. 85 लाख रुपये की लागत के विभिन्न प्रकार के दूरसंचार उपस्करों का निर्यात किया। इसमें टेलीफोन उपकरण, एक्सचेंज उपस्कर, परिपथ उपस्कर और अतिरिक्त पूर्जे शामिल हैं। इस अवधि में किए निर्यात का देशानुसार खुलासा संलग्न विवरण में दिया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में इसी अवधि में किए गये निर्यात का कुल मूल्य नीचे दिया है।

अवधि	निर्यात का मुल्य
	(लाख रुपयों में)
जनवरी-अक्तूबर, 1977	215.66
जनवरी-अक्तूबर, 1978	165.82
जनवरी-अक्तूबर, 1 79	75.80

निर्यात में आई गिरावट का मुख्य कारण यह है कि सलाहकार सेवाओं के निर्यात आदेश प्राप्त करने का काम अब, संचार मंत्रालय के अधीन, एक अन्य सरकारी क्षेत्र का नया उपक्रम-टेलीकम्यूनिकेशन्स कन्सलटेन्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड कर रहा है।

विवरण

इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा जनवरी-अक्तूबर, 1980 के दौरान विभिन्न देशों को किए गए निर्यात का खुलासा

देश का नाम	निर्यात का मूल्य
	(रूपयों में)
1. अफगानिस्तान	1,14,400
2. आस्ट्रेलिया	1,000
3. बंगलादेश	9,100
4. भूटान	5,97,300
5. बर्मा	18,300
6. ग्रीस (यूनान)	300
7. जौर्डन	46,79,300
8. मलेशिया	7,300
9. नेपाल	57,300
10. नाइजेरिया	20,9[illegible],100
11. साउदी अरब	2,44,800
12. श्री लंका	24,58.600
13. सूरीनाम	2,30,000
14. तंजानिया	1,14,500
15. यमन अरब गणराज्य	13,400
16. भारत* (विश्व बैंक तथा पश्चिम जर्मनी में जमा धन	3.39,900
कुल मूल्य	1,09,85,400

* इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रील ने विदेशी मुद्रा अर्जित की।

एकीकृत ग्रामीण विकास के लिए योजना

120. **श्री चित्त बसु** : क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एकीकृत ग्रामीण विकास के लिए कार्यवाही की विस्तृत योजना तैयार कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी हां। विभिन्न चल रहे कार्यक्रम अर्थात् लघु कृषक विकास एजेंसी, समन्वित ग्राम विकास, विशेष पशुधन विकास कार्यक्रम, ग्रामीण युवकों के स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण (ट्राइसेम) आदि को समन्वित ग्राम विकास के एक व्यापक कार्यक्रम में मिला दिया गया है, तथा नए कार्यक्रम का देश के सभी खडों में विस्तार कर दिया गया है।

(ख) कार्यक्रम में यह परिकल्पना की गई है कि चालू योजना अवधि के दौरान प्रतिखंड

लगभग 3,000 परिवारों को सहायता पहुँचायी जाए, ताकि उनकी आय निर्धनता की रेखा से ऊपर हो सके। यह यह सहायता छोटे किसानों को 25 प्रतिशत सीमान्त किसानों को 33⅓ प्रतिशत और आदिवासियों को 50 प्रतिशत की दर से उत्पादन के रूप में दी जायेगी तथा निवेश की लागत की शेष धनराशि संस्थागत वित्त से पूरी की जायेगी यह कार्यक्रम मौजूदा लघु कृषक विकास एजेन्सी/सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम एजेन्सियों के आधार पर जिला ग्राम विकास एजेंन्सियों, जिन्हें देश के सभी जिलों में स्थापित किया जायेगा, द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। चालू वर्ष के दौरान प्रतिखंड 5 लाख रुपये का आवंटन किया जा रहा है, जिसे केन्द्र तथा राज्यों द्वारा बराबर-बराबर के आधार पर बांटा जाएगा।

पश्चिमी बंगाल से खाद्यान्नों का आवंटन

121. **श्री चित्त बसु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में लोक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्नों के आवंटन में हाल में कमी की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत 6 महिनों में राज्य की मासिक आवश्यकता के लिए वास्तव में कितना साद्यान्य दिया गया; और

(घ) सप्लाई की स्थिति में सुधार के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) सरकार के पास समूची स्टाक स्थिति, राज्य में निकासी और संचलन सम्बन्धी कठिनाइयों को दृष्टि में रखते हुए गेहूं के आवंटन का यूक्तियुक्तकरण कर दिया गया है। गेहूं के आवंटन की कमी को यथावश्यक सीमा तक चावल का अधिक आवंटन कर पूरा किया जा रहा है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) पर्याप्त पूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए पश्चिमी बंगाल को खाद्यान्नों का संचलन करने विषयक कार्य को तेज कर दिया गया है। 1979 की तुलना में, वर्तमान वर्ष के दौरान खाद्यान्नों का औसत मासिक संचलन लगभग 42 हजार मीटरी टन प्रति मास तक अधिक हुआ है।

विवरण

अप्रैल से नवम्बर, 1980 तक के महीनों के लिए पश्चिमी बंगाल की मासिक आवश्यकताओं के प्रति वास्तविक सुपुर्दगी को बताने वाला विवरण

(हजार मी० टन में)

माह	मांग		आवंटन		सप्लाई	
	चावल	गेहूँ सा. वि.	चावल	गेहूं सा. वि.	चावल	गेहूं सा. वि.
अप्रैल	150.0	250.0	150.0	150.0	71.4	40.0
मई	150.0	250.0	150.0	150.0	83.7	42.2
जून	156.6	250.0	156.6	150.0	81.4	44.8

जुलाई	150.0	250.0	150.0	150.0	99.6	67.9
अगस्त	150.0	250.0	175.0	100.0	79.7	63.5
सितम्बर	150.0	250.0	175.0	100.0	93.0	77.2
अक्तूबर	175.0	250.0	175.0	55.0	सू. द.	सू.न.
नवम्बर	175.0	150.0	175.0	55.0	सू. न.	सू.न.

सू. न. =सूचित नहीं किया गया ।

पश्चिम बंगाल में काम के बदले अनाज कार्यक्रम बन्द करना

122. **श्री चित्त बसु :**

श्री अमर राय प्रधान : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में अनाज की कमी के कारण काम के बदले अनाज कार्यक्रम की अनेक स्कीमें स्थगित कर दी गई हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने कार्यक्रम को जारी रखने हेतु अनाज की सुचारु सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए अब तक क्या उपाय किए गए हैं ।

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मन्त्री (श्री बीरेन्द्रसिंह राव) : (क) और (ख) पश्चिमी बंगाल के लिए खाद्यान्नों के आबंटन के बारे में कोई समस्या नहीं है । सितम्बर 1980 को इस राज्य के पास उपयोग में न लाए गए 95,000 मीटरी टन खाद्यान्न शेष रहते थे । 1980-81 के दौरान अब तक एक लाख मीटरी टन खाद्यान्नों की अतिरिक्त मात्रा आबंटित की गई है । इस प्रकार चालू वर्ष के दौरान कुल 1,95,000 मीटरी टन खाद्यान्नों की मात्रा उपलब्ध है । राज्य में वास्तविक रूप से उपयोग में लाई गई मात्रा आबंटित मात्रा के 50 प्रतिशत से भी बहुत कम है । अतः खाद्यान्नों के उपलब्ध न होने का प्रश्न ही नहीं उठता तथा अनेक योजनाओं को स्थगित करने का कोई कारण नहीं है ।

धान की वसूली मूल्य का निर्धारण

123. **श्री राजेश कुमार सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में धान का वसूली मूल्य निर्धारित किया है ।

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और धान का वसूली मूल्य किन आधारों पर निर्धारित किया गया है, और

(ग) इस बारे में किसानों की प्रतिक्रिया क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी हां ।

(ख) 1980-81 के विपणन मौसम के लिए धान का अभिप्राप्ति मूल्य 'सामान्य' किस्म के लिए 105 रुपये प्रति क्विंटल, 'उत्कृष्ट' किस्म के लिए 109 रुपये प्रति क्विंटल और 'सर्वोत्कृष्ट' किस्म के लिए 113 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है । ये मूल्य कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों और राज्य सरकारों और वित्तीय मामलों से सम्बन्धित मन्त्रालयों के परामर्श के आधार पर सामान्य तौर पर निर्धारित किए गये थे । आयोग ने अपनी सिफारिशें करते समय उत्पादन लागत, आदान मूल्यों में परिवर्तन, प्रतियोगी फसलों के मूल्यों में परिवर्तन,

व्यापार की शर्तों आदि के सम्बन्ध में उपलब्ध अद्यतन आंकड़े आदि अनेक बातों को ध्यान रखा था।

(ग) कुल मिला कर कृषकों की प्रतिक्रिया अनुकूल रही है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आदर्श (माडल) फ्लैटों और उद्यान पट्टी का आबंटन

124 **श्री राजेश कुमार सिंह :**

प्रो. अजीत कुमार मेहता :

श्री छांगुर राम :

श्री चन्द्रजीत यादव : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न कालोनियों में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित आदर्श फ्लैटों और उद्यान पट्टी की संख्या कितनी है जिन व्यक्तियों को यह आबंटित किए गये थे उनके क्या नाम हैं, और

(ख) यदि हाँ, तो वे तथ्य कौन-कौन से हैं जिनके आधार पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार का आबंटन किया गया।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह)। (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि वे न तो माडल फ्लैट बनाते हैं और न आबंटित करते हैं। तथापि, प्रत्येक स्कीम/कालोनी में एक फ्लैट नमूने के तौर पर आरक्षित किया जाता है जिसे बाद में आबंटित कर दिया जाता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने किसी भी कालोनी में किसी को भी उद्यान भूमि की पट्टी आबन्टित नहीं की है।

(ख) नमूने के फ्लैटों के आबंटन के लिए कोई खास बात ध्यान में नहीं रखी जाती है।

भारतीय खाद्य निगम का गेहूं तथा चीनी भण्डार

125. **श्री राजेश कुमार सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 1 अप्रैल 1980 तथा 31 अक्तूबर 1980 को भारतीय खाद्य निगम के पास (एक) गेहूँ तथा (दो) चीनी का कुल कितना भण्डार उपलब्ध था;

(ख) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित तिथियों की खुले बाजार में इन आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य क्या-क्या थे; और

(ग) खुले बाजार में गेहूँ तथा चीनी के मूल्यों में कमी लाने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) (क) पहली अप्रैल और पहली अक्तूबर, 1980 (31 अक्तूबर, 1980 तक की सूचना अभी उपलब्ध नहीं है) को भारतीय खाद्य निगम के पास गेहूं और चीनी के स्टाक की स्थिति का ब्यौरा नीचे दिया जाता है—

(हजार मीटरी टन में)

	1.4-1980 को	1-10-1980
1. गेहूँ	3728.4	3193.4
2. चीनी	108.5	109.9

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है।

(ग) खुले बाजार में चीनी के मूल्यों को कम करने के उद्देश्य से सरकार ने चीनी उद्योग की उस स्वैच्छिक पेशकश को स्वीकार कर लिया था जिसके अधीन फैक्ट्रियों ने उपभोक्ताओं के विभिन्न वर्गों में चीनी वितरित करने हेतु राज्य सरकारों के मनोनीत लोगों को उत्पादन शुल्क रहित निर्धारित किए गए 450/रुपये प्रति क्विंटल के निकासी मूल्य पर मुक्त बिक्री की चीनी देना मान लिया था। यह विशेष व्यवस्था इसलिए की गई थी ताकि त्यौहारों के मौसम में 15 नवम्बर, 1980 तक उपभोक्ताओं को उचित दर पर मुक्त बिक्री की चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

2. जहां तक गेहूं का सम्बन्ध है, 1979 के दौरान देश के विभिन्न भागों में व्यापक रूप से सूखा पड़ने के कारण, खाद्यानों के मूल्यों, विशेषतया गेहूँ के मूल्यो में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति आई थी। मूल्यों को उचित स्तर पर लाने के उद्देश्य से सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे उचित दर की और अधिक दुकानें खोल कर सशक्त कर दिया गया है, के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न सप्लाई किए जा रहे हैं।

विवरण

(रु. प्रति क्विंटल)

खुले बाजार के मूल्य

राज्य	किस्म	1-4-80	1-10-80	को 31-10-80
बिहार	मैक्सिकन	140-160	160-170	180-185
गुजरात	मैक्सिकन	145	160	160
	परम्परागत	149	195	185
हरियाणा	मेक्सिकन	128-135	128-135	132-137
	परम्परागत	135	144	140
कर्नाटक	परम्परागत	225	1[illegible]0	200
मध्य प्रदेश	मेक्सिकन	130-145	150-171	150-171
	परम्परागत	142	180	175
महाराष्ट्र	मेक्सिकन	158-260	160-170	165
	परम्परागत	155	163-175	166-120
पंजाब	मेक्सिकन	118-130	117-132	130-137
	परम्परागत	128	140	142
राजस्थान	मेक्सिकन	120-140	126-142	136-143
	परम्परागत	146-165	155-180	165-130
उत्तर प्रदेश	मेक्सिकन	120-155	131-150	135-160
	परम्परागत	118-150	129-168	135-170
पश्चिम बंगाल	मेक्सिकन	143	178	173

	परम्परागत	125	180	180
दिल्ली	मेक्सिकन	126	140	125
	परम्परागत	127	138	150

चीनी

आन्ध्र प्रदेश	550-565	850-890	900
असम	590	910	860
बिहार	540-550	उ. न.	उ. न.
गुजरात	560-580	उ. न.	उ. न.
केरल	590	उ. न.	1095
कर्नाटक	510-615	600-800	600-630
मध्य प्रदेश	568-590	638-900	1025
महाराष्ट्र	560-584	उ. न.	उ. न.
उड़ीसा	575-590	उ. न.	उ. न.
पंजाब	585	उ. न.	उ. न.
राजस्थान	550-558	उ. न.	उ. न.
तमिलनाडु	570-580	उ. न.	उ. न.
उत्तर प्रदेश	460-490	630-750	6:6-730
पश्चिमी बंगाल	540-560	920	585-950
त्रिपुरा	उ. न.	उ. न.	उ. न.
पांडिचेरी	577	775	700
दिल्ली	560	600	600

उ. न. उपलब्ध नहीं।

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान

126. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 18 अक्तूबर, 1980 के 'ब्लट्ज' (हिन्दी) में 'राष्ट्रीय संस्थान एक सफेद हाथी' शीर्षक से प्रकाशित समाचार को देखा है;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त उपक्रम के कार्यकरण की जांच करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : जी, हां।

(ख) तथा (ग) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में कार्यरत स्वायत्त संगठनों में से एक है। अलग-अलग अधिकारियों के विरुद्ध आरोपों से सारे संगठन के कार्यकरण की जांच का औचित्य सिद्ध नहीं होता। तथापि, स्वायत्त संगठन के दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाई सदैव एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। अतः संस्थान के कार्यकरण की जांच करना समयोचित नहीं समझा गया है।

चीनी तथा खंडसारी औद्योगिक लाइसेंस नीति में परिवर्तन

127. **श्री एस. एम. कृष्णा :**

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

श्री अरविंद नेताम : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम मात्रा में उपलब्ध गन्ने की खंडसारी एककों द्वारा पेराई को निरुत्साहित करने और नई चीनी मिलों को प्रोत्साहित करने—वर्तमान मिलों को अपनी क्षमता का विस्तार करने के लिये प्रेरित करने की दृष्टि से सरकार का विचार वर्तमान चीनी तथा खंडसारी औद्योगिक लाइसेंस नीति में कुछ परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी मुख्य रूप-रेखा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) और (ख) चीनी कारखानों को गन्ने की पर्याप्त पूर्ति सुनिश्चित करने और नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु दुर्लभ गन्ने की खंडसारी यूनिटों द्वारा पिराई करने को हतोत्साहित करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिखित पग उठाये हैं :—

1. राज्य सरकारों को परामर्श किया गया है कि वे खण्डसारी यूनिटों के कार्याचालन पर 31.12.80 तक पाबंदी लगा दें ।

2. चीनी और खडसारी पर उत्पादन शुल्क के बीच उत्पादन शुल्क के अन्दर को कम करने के उद्देश्य से खडसारी पर उत्पादन शुल्क को बढ़ा दिया गया है ।

3. सरकार ने 4-7-1980 को एक प्रेस नोट जारी किया है जिसमें छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान नये चीनी कारखाने स्थापित करने हेतु मार्गदर्शी सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है ।

सरकार फिलहाल वर्तमान चीनी और खंडसारी औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति में उपर्युक्त परिवर्तनों के अलावा कोई अन्य परिवर्तन करने का कोई इरादा नहीं रखती है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

लेवी चीनी का मूल्य

128. **श्री पीयूष तिरकी :**

श्री एम. रामगोपाल रेड्डी :

श्री कमला मिश्र मधुकर :

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का शीघ्र ही लेवी चीनी के मूल्यों में संशोधन करने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या लेवी चीनी के मूल्यों का निर्धारण होने के बाद यह बाजार में आसानी से मिलने लगेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) हाल ही में 1980-81 मौसम के उत्पादन के लिये अधिसूचित लेवी चीनी के निकासी मूल्यों में वृद्धि करने के फलस्वरूप

पहली दिसम्बर, 1980 से लेवी चीनी का उपभोक्ता मूल्य थी 2·85 रुपये से बढ़ाकर 3·50 रुपये प्रति किलोग्राम करने का विनिश्चय किया गया है।

(ख) प्रत्येक राज्य में लागू सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उचित मूल्य की दुकानों/राशन की दुकानों के माध्यम से लेवी चीनी का वितरण किया जाता रहेगा।

डी. डी. ए. द्वारा धन का अन्यत्र उपयोग

129. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जनता, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग आदि के लिये बनाये जाने वाले मकानों का निर्माण स्थगित कर दिया है और अपनी शक्ति को एशियाई खेलों के लिए स्टेडियम बनाने में लगा दिया है,

(ख) यदि हां, तो सही-सही स्थिति क्या है, और

(ग) उपर्युक्त फ्लैटों के शीघ्र निर्माण और आबटन के मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि मकानों के निर्माण का कार्यक्रम तेज कर दिया गया है और लगभग 32,000 मकानों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

पश्चिम बंगाल में चावल की वसूली

130. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में चावल की वसूली की ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : पश्चिमी बंगाल में गत तीन वर्षों के दौरान चावल की निम्नलिखित मात्राएं (चावल के हिसाब से धान सहित) वसूल की गई थी :—

विपणन मौसम	वसूल की गई मात्राएं (हजार मीटरी टन में)
1977-78	245
1978-79	145
1979-80 (30-9-1980 तक)	67

चावल का निर्यात

131. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अन्य देशों को कितना और किस किस्म का चावल निर्यात किया गया;

(ख) क्या अन्य देशों को निर्यात किया गया चावल भारत के बाजार में बेचे जाने वाले चावल से सस्ता है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें 1977-78. 1978-79 और 1979-80 के वर्षों के दौरान निर्यात किए गए दोनों बासमती और गैर-बासमती चावल के निर्यात का ब्यौरा दिया गया है।

(ख) और (ग) विदेशी मुद्रा कमाने के उद्देश्य के अलावा, निर्यात हेतु चावल के मूल्य को निर्धारित करने के प्रमुख तत्व चावल की इकनामिक लागत और अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों से चावल के चल रहे मूल्य हैं।

विवरण

1977-78, 1978-79 और 1979-80 वर्षों के दौरान बासमती तथा बासमती चावल के अलावा निर्यात को बताने वाला विवरण

(मात्रा मीटरी टन में)

वर्ष	बासमती	बासमती के अलावा
1977-78	10,000	42,226
1978-79	67,100	4-,393
(अस्थायी)	47,480	5,22,524

दक्षिण कन्नड़ में ब्रह्मवार में चीनी कारखाने की स्थापना

132. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण कन्नड़ (दक्षिण कवारा) के ब्रह्मवार में एक चीनी कारखाने की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) और (ख) जी हां। कर्नाटक राज्य के दक्षिणी कन्नड़ जिले में उपयुक्त स्थान पर 1250 टी. सी. डी. के एक चीनी कारखाना स्थापित के लिए दक्षिणी कन्नड़ सरकार सवखर कारखाना लि. को 6-11-74 को एक लाइसेंस दिया गया था। कर्नाटक सरकार द्वारा दी गई सूचनानुसार राज्य सरकार द्वारा 93 लाख रुपये सुलभ किए गए हैं और सहकारी समिति ने सदस्यों से शेयर पूंजी के प्रति 27 लाख रुपये इकट्ठे किए हैं। सहकारी समिति ने सितम्बर, 980 में वित्तीय संस्थाओं को 418 लाख रुपये के आवधिक ऋण देने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है।

चीनी मिलें स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन

133. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई चीनी मिलें स्थापित करने के काम को प्रोत्साहित करने और विद्यमान मिलों को अपनी क्षमता बढ़ाने की प्रेरणा देने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) और (ख) सरकार ने 4 अक्तूबर. 1980 को ऊंची पूंजीगत लागत पर स्थापित नई चीनी फैक्ट्रियों और विस्तार

परियोजनाओं के लिए पुनरीक्षित प्रोत्साहन योजना घोषित की है । योजना का ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिया जाता है ।

विवरण

भारत सरकार संयंत्र और मशीनरी में लागत में बढ़ोतरी के कारण अधिक पूंजी निवेश के संदर्भ में नई लाइसेंस शुदा चीनी फैक्ट्रियों और विस्तार परियोजनाओं को राहत देने के मामले पर विचार कर रही है ताकि उन्हें आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाया जा सके : श्री सी. एन. राघवन, संयुक्त सचिव (चीनी), कृषि मंत्रालय की अध्यक्षता में एक अन्तर मंत्रालयीय ग्रुप नियुक्त किया गया था । इस ग्रुप को 1 75 से लागू पहली योजना में पुनरीक्षण करना था । ग्रुप ने सरकार की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी । रिपोर्ट पर विस्तृत और बारीकी से विचार करने के बाद, सरकार ने अब नई चीनी फैक्ट्रियों और विस्तार परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने का निश्चय किया है । ये प्रोत्साहन अंशत: लेवी मुक्त चीनी के अधिक कोटे और अंशत: उत्पादन शुल्क में रियायत देने के रूप में होंगे । पुनरीक्षित प्रोत्साहन योजना की मुख्य बातें नीचे दी जाती हैं :—

1. यह योजना चीनी वर्ष 1980-8 से लागू होगी और नये यूनिटों के मामले में निम्न-लिखित श्रेणियों की चीनी फेक्ट्रियों पर लागू होगी :—

(क) पिछली प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत आने वाले सभी यूनिट अर्थात पहली नवम्बर, 1975 और अक्तूबर, 31, 1 80 के बीच की अवधि में उत्पादन प्रारम्भ करते हैं । जिन नये यूनिटों ने अक्तूबर 1, 1973 के बाद और नवम्बर 1, 1975 से उत्पादन प्रारम्भ किया था, वे भी योजना के लाभों को प्राप्त करने के पात्र हैं लेकिन ऐसे मामलों में यह रियायत फैक्ट्री चालू होने की तारीख से शेष अवधि के लिए लागू होगी ।

(ख) लाइसेंस शुदा नई चीनी फैक्ट्रियां जिन्होंने 1.10.1930 से 39 मास की अधिकतम अवधि के अन्दर उत्पादन प्रारम्भ किया है, भी योजना के लाभों को पाने के लिए पात्र होगी ।

(ग) छठी योजना में लाइसेंस प्राप्त करने वाली नई चीनी फैक्ट्रियां जो कि अपने लाइसेंस या आशय पत्र की तारीख से 39 मास की अवधि के अन्दर उत्पादन प्रारम्भ करेंगी इसमें जो भी पहले हो, प्रोत्साहन को प्राप्त करने की हकदार होंगी ।

(घ) विस्तार परियोजनाओं के मामले में, निम्नलिखित श्रेणियों पर यह योजना लागू होगी :

1. पिछली प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत आने वाले सभी यूनिट अर्थात नवम्बर 1, 1975 और अक्तूबर 31, 1980 के बीच की अवधि के दौरान उत्पादन प्रारम्भ करती है ।

2. जिन विस्तार परियोजनाओं को लाइसेंस मिल चुका है, जो कि 1.10.1980 से 39 मास की अधिकतम अवधि के अन्दर उत्पादन प्रारम्भ करती है, वे फैक्ट्रियां भी योजना के लाभों को पाने की पात्र होंगी ।

3. छठी योजना में लाइसेंस प्राप्त करने वाली लाइसेंस शुदा विस्तार परियोजनाएं जो कि अपने लाइसेंस या आशय पत्र की तारीख से 39 मास की अवधि के अन्दर उत्पादन प्रारम्भ करती हैं, इसमें जो पहले हो, प्रोत्साहन पाने के लिए भी पात्र होंगी ।

4. एक करोड़ रुपये और इससे अधिक कीमत वाली विस्तार परियोजनाओं को प्रोत्साहन दिए जाएंगे लेकिन खाद्य विभाग में स्थापित की जाने वाली समिति द्वारा विस्तार का अनुमोदन

करना होगा और संबंधित फैक्ट्री द्वारा विस्तार के प्रयोजन के लिए स्थापित की जाने वाली मशीनरी और संयंत्र की मदों के लिए शर्करा निदेशालय की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

क्योंकि विस्तार परियोजनाओं में मशीनरी की स्थापना करनी होती है जिससे मशीनरी बदलने/आधुनिकीकरण और विस्तार की मिली-जुली आवश्यकताएं पूरी होती हैं, इसलिए विस्तार परियोजनाओं में आधुनिकीकरण और प्रतिस्थापन शामिल होगा लेकिन प्रोत्साहन 'अतिरिक्त उत्पादन' पर लागू होगा जो कि केवल विस्तार से प्राप्त होता है।

2. अधिक लेवी मुक्त कोटा

(क) नये यूनिट

संयंत्र और मशीनरी की रेल निष्प्रभार, कुल 400 लाख रुपये या अधिक की लागत से सम्बद्ध लेवी मुक्त चीनी के कोटे की अधिक प्रतिशत इस प्रकार दी जाएगी :—

वर्ष	अधिक रिकवरी क्षेत्र	मध्यम रिकवरी क्षेत्र	कम रिकवरी क्षेत्र
पहला	90	100	100
दूसरा	80	100	100
तीसरा	70	100	100
चौथा	60	100	100
पांचवां	55	65	100
छठा	35	35	100
सातवां	35	35	100
आठवां	35	35	75

अधिक और मध्यम रिकवरी वाले क्षेत्रों के मामलों में प्रोत्साहन की अवधि मास की और कम रिकवरी के क्षेत्रों के मामलों में आठ वर्ष रखने का प्रस्ताव है। इन लेवी मुक्त कोटा की गणना उपयुक्त ढग से नये यूनिटों के मामले में की जाएगी जिनकी संयंत्र और मशीनरी की लागत 200 लाख रुपये और 400 लाख रुपये के बीच है। यह रियायत उन यूनिटों को नहीं दी जाएगी जिनके संयंत्र और मशीनरी की लागत 200 लाख रुपये से से कम है।

(ख) विस्तार परियोजाएं

विस्तार परियोजनाओं के अनुमेय लेवी मुक्त चीनी के कोटे की ऊंची प्रतिशतता इस प्रकार होगी :—

वर्ष	अधिक रिकवरी शेत्र	मध्यम रिकवरी क्षेत्र	कम रिकवरी क्षेत्र
पहला	40	60	90
दूसरा	40	60	90
तीसरा	40	60	75
चौथा	40	50	70
पाचवां	40	50	60

ये प्रोत्साहन पांच वर्ष की अवधि के लिए देने का प्रस्ताव है। ऊपर बताया लेवी मुक्त चीनी का अधिक कोटा केवल एक चीनी मौसम में उस 'अतिरिक्त उत्पादन' पर लागू होगा जो कि या तो (1) विस्तार परियोजना पूरी करने के वर्ष से पूर्व विभिन्न तीन वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक या (2) विस्तार पूर्व क्षमता के खाद्यान्नों को वास्तविक अधिक उत्पादन इसमें जो कम है (ऐसा वास्तविक उत्पादन विस्तार के बाद क्षमता के सिद्धान्त तक सीमित है)। यह योजना के शुरू होने की तारीख से लागू होगा।

3. फैक्ट्रियों पर योजना लागू होना जिन्होंने कुछ प्रोत्साहन पहले ही प्राप्त कर लिए हैं।

जो फैक्ट्रियां मूल योजना के अधीन प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र हैं लेकिन प्रोत्साहन लाभों को नहीं लिया था या उनको अंशतः लिया था, उन्हें भी नई योजना में फिट किया जाएगा। जिन्होंने प्रोत्साहन पहले ही ले लिए हैं, उनकी मात्रा में कमी के लिए उपयुक्त मुआवजा भी दिया जाएगा।

4. उत्पादन शुल्क में राहत

मुक्त बिक्री का अधिक कोटा देने के बावजूद नई चीनी फैक्ट्रियों और विस्तारित यूनिटों को खुली बिक्री की चीनी के अतिरिक्त कोटे पर लेवी चीनी की दरों पर उत्पादन शुल्क का भुगतान् करना होगा।

5. योजना के ब्यौरे उद्योग तथा राज्य सरकारों को बहुत जल्द भेजे जाएंगे। आशा है कि जिन उद्यमियों के पास नये यूनिट स्थापित करने या अपने मौजूदा यूनिटों का विस्तार करने के लिए लाइसेंस हैं, वे अब वित्तीय संस्थानों से अपेक्षित वित्तीय सहायता प्राप्त कर पायेंगे और बिना किसी विलम्ब के अपने लाइसेंसों को कार्यान्वित कर पायेंगे।

अनिवार्य शिक्षा

134. **श्री बौलतसिंह जी जदेजा :**

श्री रामलाल राही :

श्री नन्द किशोर शर्मा :

श्री केशवराव पारधी : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवार्य शिक्षा अधिनियम सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होता है;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं जिन्होंने इसे अभी तक अपनाया नहीं है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं और सरकार इसे बिना किसी चूक के पूरे देश में लागू करने के लिए क्या उपाय कर रही है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) से (ग) इस विषय के सम्बन्ध में कोई केन्द्रीय कानून नहीं है। ऐसे अधिनियम 19 राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा बनाए गए हैं। बिहार, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, दादरा और नागर हवेली, गोआ दमन और दीव, मिजोरम, लक्षद्वीप और पांडिचेरी राज्यों/संघ

शासित क्षेत्र प्रशासनों ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया। उन्होंने इस विषय के सम्बन्ध में कानून न बनाने के कारण नहीं बताए हैं।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम के स्वरूप को बदलना

135. **श्री डी. पी. जदेजा :**

श्री पी. के. कोडियन :

श्री सूर्य नारायणसिंह : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार काम के बदले अनाज कार्यक्रम के स्वरूप को बदलने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो नई परियोजना की मुख्य बातें क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (श्री बीरेन्द्रसिंह राव) : (क) काम के बदले अनाज कार्यक्रम को पहले ही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में बदल दिया गया है।

(ख) योजना की व्यापक रूपरेखा को दर्शाने वाले मार्गदर्शक सिद्धान्तों की एक प्रति विवरण और संलग्न है।

विवरण

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980-81 के बारे में मार्गदर्शक सिद्धान्त

काम के बदले अनाज कार्यक्रम की जनवरी, 1977 के शुरू में कल्पना की गई थी। उसके मुख्य उद्देश्य ये थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजित करने के लिए उपलब्ध खाद्यान्नों का उपयोग किया जाए और समाजार्थिक विकास हेतु ग्रामीण आधार भूत ढांचे को मजबूत बनाने के उद्देश्य से स्थाई सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन किया जाए।

2. गत तीन वर्षों के दौरान कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में कई त्रुटियों/कमियों का पता चला है। अतः इसमें उपयुक्त रूप से संशोधन किया गया है और इसे नया रूप दिया गया है। नए कार्यक्रम को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के नाम से जाना जाएगा।

उद्देश्य

3. कार्यक्रम के निम्नलिखित तीन मुख्य उद्देश्य होंगे :—

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार तथा अल्प रोजगार पुरुषों तथा महिलाओं के लिए अतिरिक्त लाभप्रद रोजगार का सृजन।

(2) ग्रामीण आधारभूत ढाँचे को मजबूत बनाने के लिए स्थाई सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में तेजी से वृद्धि होगी तथा गरीब ग्रामीणों के आय स्तरों में नियमित वृद्धि होगी।

(3) ग्रामीण लोगों के पोषाहार स्तरों तथा उनके रहन-सहन के स्तरों में सुधार।

कार्यान्वयन एजेंसियां

4. इस कार्यक्रम को केन्द्रीय सरकार के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसरण में राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा।

कार्यक्रम की विषय-वस्तु

5. सभी चल रहीं योजना तथा गैर योजना स्कीमें और निर्माण कार्यों की नई मदें जिनके परिणाम स्वरूप ग्रामीण इलाकों में स्थाई सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन होता है, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आती हैं। निर्माण कार्यों की वे मदें जिन्हें इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किया जा सकता है, अनुबन्ध में दी गई हैं। तथापि, सूची केवल निदर्शी हैं।

6. कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के निष्पादन में वरीयता पारिस्थितिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों विशेषकर उन क्षेत्रों जिनमें अधिकतर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, को दी जाएगी।

निर्माण कार्यों का मानक तथा विनिर्देशन

7. कार्यक्रम के अन्तर्गत निष्पादित किये जाने वाले निर्माण कार्यों का मानक तथा विनिर्देशन उसी प्रकार का होना चाहिए जैसा कि सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण विभाग आदि जैसे तकनीकी विभागों द्वारा अनुमोदित किया हुआ है। जहाँ पर मानक तथा विनिर्देशन अथवा किसी प्रकार के निर्माण कार्यों को निर्धारित नहीं किया गया है, वहाँ निर्माण कार्यों को निष्पादित करने से पहले इस सम्बन्ध में सम्बन्धित तकनीकी अधिकारियों का अनुमोदन लेना होगा।

परिसम्पत्तियों का रख-रखाव

8. कार्यक्रम के अन्तर्गत परिसम्पतियों के रख-रखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/केन्द्रशासित क्षेत्रों की होगी। कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों के रख-रखाव तथा उन्हें बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रावधान सम्पूर्ण योजना अवधि के लिए वर्षानुवर्ष आधार पर राज्य योजना बजटों में करना होगा।

संसाधन

9. केवल 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्यान्न राज्य सरकारों को उपलब्ध कराये गये थे। नये कार्यक्रम में स्थाई रूप मे सृजित की जाने वाली परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए सामग्री खरीदने हेतु नकद धनराशि का भी प्रावधान होगा। राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को दी जाने वाले खाद्यान्नों/नकद अनुदानों के मूल्य का अनुपात 2 : 1 होगा। इस प्रयोजन के लिए निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिये राज्य भी अपने बजटों में बराबर का प्रावधान कर सकते हैं।

कार्यक्रम पंचवर्षीय योजना का एक भाग

10. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना का भाग होगा। वर्ष 1980-81 के लिए 340 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है और शेष वर्षों में कार्यक्रम के लिए निधियों की उपलब्धता लगभग इसी क्रम में होगी। राज्यों को उनके अपने वार्षिक अंशों के लिए स्पष्ट संकेत दिया जाएगा ताकि कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू की जानी वाली निर्माण परियोजनाओं को सावधानी पूर्वक तैयार तथा निष्पादित किया जा सके और उनका प्रबोधन किया जा सके। तथापि, खाद्यान्नों की पर्याप्त भंडारण स्थिति तथा अन्य सम्बद्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम का आकार वर्षानुवर्ष आधार पर निश्चित किया जायेगा।

आबंटन के लिए मापदंड

11. एक ओर सीमान्त किसानों और कृषि श्रमिकों की जनसंख्या तथा दूसरी ओर

निर्धनता का प्रभाव राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को संसाधनों का आवंटन करने के लिए आधार होगा। हालांकि 75 प्रतिशत बल सीमान्त किसानों और कृषि श्रमिकों की जनसंख्या पर किया जाएगा, लेकिन 25 प्रतिशत बल निर्धनता के प्रभाव पर होगा। तदानुसार, राज्य सरकारें जिलावार आबंटन कर सकती हैं। तथापित, जिलों हेतु आबंटनों का निर्धारण करते समय चालू निर्माण-कार्यों का यथोचित ध्यान रखा जाएगा, ताकि वे विलम्ब अथवा हानि के बिना पूरे किए जा सकें।

अनेक परियोजनाएं

12. राज्य निरन्तर प्रक्रिया के रूप में प्रत्येक जिले/खण्ड हेतु काफी विस्तृत आधार पर कई परियोजनाएं तैयार करेंगे, ताकि विशेष कर आर्थिक तथा सामाजिक रूप से पिछड़े हुए ग्रामीण समुदाय की जरूरतों को योजनाबद्ध तथा प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा सके। समूचा उद्देश्य यह होगा कि स्थानीय संसाधनों के समुचित उपयोग के माध्यम से ग्रामीण आधारभूत ढांचे का क्रमबद्ध विकास किया जाए।

प्रत्येक खंड / जिले हेतु क्षेत्र विकास के लिए कई परियोजनाएं अथवा बृहद योजनाएं तैयार करने में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कृषि विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग महाविद्यालयों आदि जैसी स्थानीय तकनीकी संस्थाओं तथा स्वैच्छिक संगठनों की सुविज्ञता को उपयोग में लाया जा सकता है। परियोजनाओं में शामिल किए जाने वाले निर्माण-कार्यों का पता लगाने में निर्वाचित प्रतिनिधियों की खंड-स्तरीय समितियों को पूरी तरह से शामिल किया जाना चाहिये। इन परियोजनाओं की प्राथमिकता को दर्शाना अनिवार्य होगा। शेल्फ में शामिल की गई परियोजनाओं की आवधिक पुनरीक्षा तथा कार्यान्वयन के लिए प्रारम्भ की गई परियोजनाओं के प्रबोधन हेतु यथोचित प्रणाली विकसित करनी होगी।

प्रभावी कार्यान्वयन हेतु संगठनात्मक प्रबन्ध

13. कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राज्यों को खंड स्तर तथा उच्च स्तरों पर पर्याप्त तकनीकी कर्मचारी सुलभ करने होंगे। कुछेक राज्यों के पास खंड स्तर पर ग्रामीण इंजीनियरिंग संगठन अथवा कम से कम कुछ तकनीकी कार्मिक होते हैं। कार्यक्रम के आकार को देखते हुये मौजूदा कर्मचारी वर्ग की संख्या पर्याप्त नहीं है। कार्यक्रम के प्रभावी तकनीकी पर्यवेक्षण तथा नियमित प्रबोधन को सुनिश्चित करने के लिए खंड, जिला तथा राज्य के स्तरों पर कर्मचारियों की संख्या को यथोचित रूप से बढ़ाना अनिवार्य होगा।

प्राथमिकता वाले निर्माण कार्य

14. कार्यक्रम के अन्तर्गत सुलभ किए 10 प्रतिशत संसाधन वनरोपण, सामाजिक वानिकी, चारा तथा ईंधन के लिए पौधरोपण से सम्बन्धित निर्माण कार्यों हेतु रखे जायेंगे। अन्य 10 प्रतिशत संसाधन आवास-स्थलों के विकास, सामूहिक आवास, पेय जल कूपों तथा सिंचाई कुओं के विकास जैसे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुँचाने वाले निर्माण कार्यों हेतु रखे जाएंगे।

मजदूरी की मात्रा

15. मजदूरी की अदायगी आंशिक रूप से खाद्यान्नों तथा आंशिक रूप से नकदी में की

जाएगी । उन क्षेत्रों में जहां गेहूं मुख्य आहार है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के आबंटन में खाते से वस्तु के रूप में दैनिक मजदूरी की अदायगी एक किलोग्राम गेहू/मोटा अनाज तथा एक किलोग्राम चावल के रूप में होगी । मुख्य रूप से चावल का उपयोग करने वाले क्षेत्रों में अदायगी दो किलोग्राम चावल के रूप में होगी । उपरोक्त दो किलोग्राम खाद्यान्न के अलावा एक किलोग्राम गेहूं । मोटे अनाज के मूल्य के बराबर नकदी का भुगतान किया जाएगा तथा इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के आबंटन व्यय में डाला जाएगा । अतः केन्द्रीय अनुदान दो किलोग्राम गेहूं तथा एक किलोग्राम खाद्यान्न हेतु नकदी के रूप में होगा । सामान्यतया कामगार को मजदूरी के रूप में भुगतान किया जाने वाला तीन किलोग्राम का पूरा खाद्यान्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को सुलभ कराया जाना चाहिए था, किन्तु 1979 के सूखे के परिणाम स्वरूप भारतीय खाद्य निगम/राज्य सरकारों द्वारा खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति में इस वर्ष की कमी को देखते हुए एक किलोग्राम खाद्यान्न के स्थान पर नकदी में भुगतान करने के उपर्युक्त प्रबन्ध के बारे में निर्णय लिया गया है । उपर्युक्त दरों के अलावा, अतिरिक्त धनराशि का भुगतान राज्यों द्वारा स्वयं के संसाधनों में से किया जाएगा तथा वह राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के खाद्यान्नों तथा नकदी के खर्च में नहीं डाला जाएगा ।

पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी

16. चूंकि इस कार्यक्रम का उद्देश्य बुनियादी तौर पर निर्धन ग्रामीणों को रोजगार सुलभ करना, उनके आर्थिक स्तर में सुधार लाना, सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन करना तथा उनके माध्यम से ग्रामीण आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करना है, अतः यह उचित ही होगा कि इसके कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं को सक्रिय रूप से शामिल किया जाए । उचित तकनीकी तथा प्रशासनिक सहायता प्राप्त करने पर इन संस्थाओं में निर्माण कार्यों को कार्यान्वित करने, लोगों की आवश्यकताओं को व्यापक आधार पर पूरा करने की क्षमता है । निःसन्देह यह अनिवार्य होगा कि कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यान्वित किए जाने वाले निर्माण कार्यों पर निकट से तथा कड़ा पर्यवेक्षण तथा नियन्त्रण रखा जाए ताकि सम्भव सीमा तक कदाचार की सम्भाव्यता को कम किया जा सके । यह वांछनीय होगा यदि निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए विभिन्न राजनीतिक तथा अन्य घटकों का प्रतिनिधित्व करने वाली व्यापक आधारीय ग्रामीण पंचायत स्तर की समितियां गठित की जाएं ।

ठेकेदारों पर प्रतिबन्ध

17. इस कार्यक्रम के निष्पादन तथा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यों पर नियोजित मजदूरों को मजदूरी के रूप में खाद्यान्नों के वितरण में ठेकेदारों को पूरी तरह से वर्जित किया जाना है ।

ससाधन-अतिरिक्तता

18. कार्यक्रम के अन्तर्गत दिए गए खाद्यान्न तथा नकद सहायता राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को उनके योजना तथा गैर-योजना संसाधनों के अलावा उपलब्ध किये गये अतिरिक्त ससाधन हैं । अतः राज्य सरकारों को यह स्पष्ट करना होगा कि वर्तमान योजना तथा गैर-योजनाओं, पूंजी निर्माण कार्यों की नई मदों तथा सार्वजनिक निर्माण कार्यों के रख-रखाव, जैसा

भी मामला हो, सम्बन्धी व्यय में उन्हें खाद्यान्नों तथा नकद अनुदानों के रूप में उपलब्ध कराये गये अतिरिक्त संसाधनों की धनराशि में किस सीमा तक वृद्धि की गई है।

राज्य तथा जिला स्तरों पर संचालन समितियां :

19. मुख्य मंत्री अथवा ग्रामीण विकास तथा पंचायत के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर एक संचालन समिति होगी। संसद के कुछ सदस्यों जिनकी संख्या साधारणतया सात से अधिक नहीं होनी चाहिए और जो सभी हितों का प्रतिनिधित्व करते हों, को भी राज्य स्तरीय संचालन समिति का सदस्य नामित किया जाएगा/योजना को चलाने वाले अथवा कार्यक्रम के किसी भी पहलू से संबधित विभागों के सचिवों। विभागाध्यक्षों को समिति में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि तथा भारतीय खाद्य निगम का वरिष्ट क्षेत्रिय महाप्रबन्धक संचालन समिति के सदस्य होगें। समिति की बैठक तीन महिने में कम से कम एक बार होनी चाहिए ताकी कार्यक्रम के कार्यान्यन में हुई प्रगति विशेष रूप से कार्य की मात्रा और भण्डार स्थिति तथा खाद्यान्नों की किस्म मजदूरों का मजदूरी का भुगतान, हाजिरी रजिस्ट्रों का रख-रखाव तथा संवीक्षा, पुस्तकों तथा अन्य कार्य अभिलेखों का जायजा तथा क्षेत्रीय स्तरों से प्राप्त प्रगति रिपोर्टों की विस्तृत पुनरीक्षा की जा सके। समिति की कार्यवाही की एक प्रति नियमित रूप से ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय को भेजी जानी है।

20. इसी प्रकार, जिला स्तर पर जिलाधीश ! समाहर्ता की अध्यक्षता में एक संचालन समिति होगी। इसमें कार्यक्रम के अन्तर्गत जिले में शुरू किए गए निर्माण कार्यों से सभी संबंधित विभागाध्यक्षों को शामिल किया जाना है। जिलों से विधान मण्डल के सदस्य तथा विधान परिषद के सदस्य भी जिला स्तरीय संचालन समिति के सदस्य होने चाहिए। इसके अलावा, ससद सदस्य जिन्हें राज्य स्तरीय सचालन समिति में नामित नहीं किया गया है, भी जिला स्तरीय समिति के सदस्य होंगे। जिले में भारतीय खाद्य निगम का वरिष्ठतम अधिकारी, जिला परिषद अथवा जिला पंचायत का एक प्रतिनिधि, यदि इस प्रकार की चुनी निकाय जिले में काम कर रही हैं, स्वैच्छिक एजेंसियों, यदि कोई हो, जो योजना में भाग ले रही हों, को भी समिति में प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए। जिला स्तरीय समिति की बैठक महीने में एक बार होनी चाहिए।

समिति का मुख्य कार्य कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किए जाने वाले निर्माण कार्यों की योजना बनाना, खण्डों, पंचायतों तथा सरकारी एजेंसियां जो जिले में विभागीय निर्माण कार्यों को निष्पादित करती हैं, के लिए संसाधनों का आवंटन निश्चित करना है। इसे यह सुनिश्चित करना है कि इसके प्रभार के अधीन सभी क्षेत्रों के लिए संसाधनों का आवंटन निश्चित करना है। इसे यह सुनिश्चित करना है कि इसके प्रभार के अधीन सभी क्षत्रों के लिए संसाधनों का समान वितरण हो तथा इसमें किसी भी प्रकार का दुरुपयोग न हो। इसी स्तर पर विषय से सम्बन्धित मार्गदर्शक सिद्धान्तों की सावधानीपूर्वक अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक सतर्कता बरतनी होगी।

मासिक रिपोर्टें तथा विवरणिकाएं

21. यह अनिवार्य है कि प्रत्येक वर्ष के शुरू में चल रही योजना तथा गैरयोजना स्कीमों/ के लिए राज्य। केन्द्र शासित क्षेत्र के बजट में विद्यमान प्रावधान, बड़े निर्माण कार्यों की नई मदों

तथा सार्वजनिक निर्माण कार्यों के रख-रखाव जिनके लिए खाद्यान्नों को उपयोग में लाए जाने का प्रस्ताव है, के बारे में सूचना निर्धारित प्रोफार्मा-1 में भरी जानी चाहिए। प्रत्येक वर्ष के शुरू में भी कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किए जाने वाले प्रस्तावित निर्माण कार्यों का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण प्रोफार्मा-2 में भरना होगा। इसके अलावा, मासिक प्रगति रिपोर्ट को प्रोफार्मा-3 में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

विवरण-2

कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किए जाने वाले निर्माण-कार्यों की मदों को दर्शाने वाली सूची।

1. मध्यम तथा लघु सिंचाई निर्माण कार्य;

2. बाढ़ बचाव, नाले तथा जल लग्नता निवारक निर्माण-कार्य,

3. भू तथा जल संरक्षण, भूमि सुधार;

4. सरकारी तथा सामुदायिक भूमि जिनमें पंचायतों आदि जैसी स्थानीय निकायों की भूमि भी शामिल है, पर वनरोपण तथा सामाजिक वानिकी सम्बन्धी निर्माण-कार्य, सड़कों के किनारे वृक्षारोपण, नहरों के किनारों तथा रेलवे लाइनों आदि के दोनों ओर बेकार पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण, अनाच्छादित वन क्षेत्रों में तथा कृषि के काम न आने वाली अन्य भूमि पर वृक्षारोपण, ईंधन, चारा तथा फल वाले वृक्षों का रोपण।

5. सिंचाई परियोजनाओं के कमांड क्षेत्रों में मध्यम तथा मुख्य नालियों, खेत की नालियों का निर्माण तथा भूमि समतलीकरण आदि;

6. जल वाहकों आदि की सफाई, ग्रामीण सड़कें, मानक विनिर्देशनों के अधीन रहते हुए जंगलात की सड़क को सार्वजनिक उपयोग के लिए चालू नहर सेवाई सड़कों को चौड़ा करना तथा उन्हें मजबूत बनाना;

7. सरकारी अथवा स्थानीय निकायों जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतें तथा सामुदायिक निकाय भी शामिल हैं, से सम्बन्धित स्कूल के भवन, पंचायत घर, सामुदायिक केन्द्र अथवा जंगल वाले क्षेत्रों में जंगली पशुओं के लिए पेय जल साधन, पशुओं के लिए तालाब, पिंजर पोल, गऊ-शालाएं, ग्राम सेवकों के मुख्यालयों में सेवा-ई स्थल का निर्माण, विस्तार अधिकारियों के लिए आवास-गृहों का निर्माण और आवास स्थलों के विकास से सम्बन्धित निर्माण-कार्य और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सामूहिक आवास गृह, पेय जल कुएं / सिंचाई कुएं; और

8. उपयुक्त मदों के अन्तर्गत न लाए गए कोई अन्य कार्य लेकिन जिनसे गरीब ग्रामीणों के लाभ के लिए स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन होता हो, जैसे मानव उपयोग अथवा पशुओं के उपयोग तथा सिंचाई विकास अथवा मत्स्य पालन आदि के लिए जल उपलब्ध कराने हेतु ग्रामीण पोखर सुलभ करना अथवा विद्यमान तालाबों की मरम्मत करना, उन्हें गहरा करना तथा उनका नवीकरण करना ताकि ग्राम पंचायत की आय में वृद्धि हो सके। इस धनराशि को गावों में उपयुक्त सफाई अथवा सड़कों पर रोशनी उपलब्ध कराने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, स्थान विशेष हेतु निर्माण कार्य जैसे सिंचाई वाले तालाबों तथा नहरों, गंदे जल के मत्स्य तालाबों की सफाई और उस मिट्टी को जैविक साधनों में बदलना अथवा भण्डारण केन्द्रों का निर्माण।

डबल रोटी के मूल्य में वृद्धि

136. **श्री एम. रामगोपाल रेड्डी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में ब्रिटानिया तथा माडर्न डबलरोटी के मूल्यों में वृद्धि की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.वी. स्वामीनाथन) : (क) : केन्द्रीय सरकार ने सितम्बर, 1980 में दिल्ली में ब्रेड के सांविधिक निर्धारित मूल्य में पुनरीक्षण करने का दिल्ली प्रशासन का एक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। पुनरीक्षित मूल्य ब्रेड के सभी ब्रांडों पर लागू हुए हैं।

(ख) : यह बढ़ोतरी 5 और 15 पैसे के बीच है। यह वृद्धि इस लिए करनी पड़ी थी क्योंकि ब्रेड के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले मैदा, चीनी, तेल, खमीरा, रेपर और अन्य अवयवों की कीमतों तथा वितरण लागत में वृद्धि हो गयी थी।

चीनी सम्बन्धी नीति

1 7. **श्री एम. रामगोपाल रेड्डी** :

श्री जगपाल सिंह . क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से चीनी पर नियंत्रण पूरी तरह समाप्त कर देने और चीनी सम्बन्धी वर्तमान नीति का परित्याग करने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.वी. स्वामीनाथन : (क) जी हां। इस बारे में भारतीय चीनी मिल्स एसोसिएशन द्वारा सुझाव दिया गया है।

(ख) : सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, भारत सरकार ने निर्णय किया है कि दोहरी मुल्य निर्धारण प्रणाली के साथ आंशिक नियंत्रण की वर्तमान नीति को जारी रखा जाए।

चीनी की बहुत अधिक कीमत और अनुपलब्धता

138. **श्री बी.बी. देसाई** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जन्माष्टमी और दशहरा तथा ईद के अवसर पर चीनी का संकट अपनी चरम सीमा पर था ;

(ख) यदि हां, तो क्या चीनी की बहुत अधिक कीमत के बावजूद यह देश के बहुत से भागों में उपलब्ध भी नहीं थी;

(ग) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था और उनके विरुद्ध क्या करवाई की गई;

(घ) क्या सरकार ने खुले बाजार में चीनी का विक्रय मूल्य 6 20 रु0 प्रति किलोग्राम नियत किया था परन्तु व्यपारियों ने इस नियत कीमत की ओर ध्यान नहीं दिया और लोगों से 15/रु० अथवा उससे भी अधिक कीमत ली;

(ङ) क्या व्यापारियों द्वारा बड़े पैमाने पर तस्करी भी की गई थी और सरकारी एजेंसियों द्वारा भारी मात्रा में चीनी पकड़ी भी गई थी; और

(च) क्या इस वर्ष चीनी की भारी मात्रा के आयात के बावजूद चीनी की स्थिति बहुत नाजुक है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) और (ख) : सितम्बर और अक्तूबर, 1980 के त्यौहार के महीनों के लिए सरकार ने 6 रुपये प्रति किलो के आस-पास निर्धारित किए गए मूल्यों पर उपभोक्ताओं के विभिन्न वर्गों में वितरित करते हेतु राज्य सरकारों को उत्पादन शुल्क रहित निर्धारित 450 रुपये प्रति क्विंटल के निकासी मूल्य पर चीनी सुपुर्द करने विषयक उद्योग की स्वैच्छिक पेशकश के अधीन राज्य सरकारों की एजेंसियों के माध्यम से निर्धारित मूल्यों पर मुफ्त बिक्री की चीनी का वितरण करने हेतु सरकार ने विशेष प्रबंध किए थे। इस योजना की अनुपस्थिति में यह आशंका थी कि खुले बाजार में चीनी के मूल्य बहुत ऊंचे रहेंगे और इस योजना से उचित मूल्यों पर चीनी उपलब्ध करने में मदद मिली थी।

(ग) : राज्य सरकारों से अब तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, हरियाणा, में 25 व्यक्ति, उड़ीसा में 6 व्यक्ति और चण्डीगढ़ के संघ शासित प्रदेश में 3 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे।

(घ) : सितम्बर और अक्तूबर, 1980 के महीनों के दौरान मुक्त बिक्री की चीनी का वितरण राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किए गए 6 रुपये प्रति किलो के मूल्यों पर या तो उचित दर की दुकानों राशन की दुकानों अथवा सहकारी एजेंसियों के माध्यम से किया गया था। क्योंकि निजी व्यापारियों की इस योजना के अधीन किए गए वितरण संबंधी प्रबंधों से वास्तव में अलग कर दिया गया था, इसलिए व्यापारियों के प्रतिक्रिया दिखाने अथवा जनता को 10 रुपये या उससे अधिक मूल्य पर चीनी बेचने और व्यापारियों द्वारा भारी पैमाने पर तस्करी करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) : व्यापारियों द्वारा अपने पुराने स्टाक से ऊंचे मूल्यों पर चीनी बेचने के इक्के-दुक्के मामलों की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। तथापि, ऐसे असामाजिक तत्वों से कड़ाई से निपटने के लिए राज्य सरकारों ने पर्याप्त पग उठाए थे। राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, राज्य सरकारों द्वारा चीनी के पर्याप्त स्टाक पकड़ने के कुछेक मामले हुए थे।

(च) : 1979-80 मौसम में चीनी की कमी को पूरा करने के लिए चीनी की केवल 1,80 लाख मीटरी टन की सीमित मात्रा का ही आयात किया गया था। क्योंकि 1980-81 के नये मौसम के लिए चीनी के उत्पादन का कार्य पहले ही शुरू हो चुका है, और गत वर्ष की तुलना में गन्ने की फसल बेहतर है, इस लिए आशा है कि आगामी महीनों के दौरान चीनी की उपलब्धता स्थिति काफी सुगम हो जाएगी।

खाद्यान्नों का वसूली मूल्य

139. **श्री बी. वी. देसाई :**

श्री अमरसिंह बी. राठवा :

श्री माधव राव सिंधिया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्यान्नों के वसूली मूल्य की घोषणा कर दी है;

आयोजन हमेशा विदेशोंतथा विदेशी सहायता पर निर्भर रहा है। उस दृष्टिकोण और उस स्थिति से छुटकारा पाना चाहिए और हमें पंचवर्षीय योजना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और वार्षिक योजना सहित सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनना चाहिए। उसके बाद ही हमारे वैज्ञानिकों को राष्ट्रोद्धार के लिए अपनी सेवायें अर्पित करने का अवसर मिलेगा।

श्री बापू साहिब परुलेकर (रत्नागीरी) : उपाध्यक्ष महोदय इस महत्वपूर्ण विधेयक पर मुझे अपने विचार प्रकट करने का जो अवसर दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ, इस बारे में दो रायें नहीं हो सकती कि तकनिकी तथा वैज्ञानिक शिक्षा संस्थानों के राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित किया जाना चाहिये। सरकार की इच्छा सराहनीय हैं। लेकिन इस विधेयक के खण्डों का अध्ययन करने के बाद मैं समझता हूँ कि इस विधेयक का मसौदा ठीक नहीं है और इसमें कई त्रुटियां हैं।

क्या मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस तथ्य की ओर दिला सकता हूँ कि यदि हम संविधान के अनुच्छेद 246 तथा सातवीं अनुसूची की सूची 1 की मद संख्या 64 के अन्तर्गत आते हैं तो संसद तथा हमें इस प्रकार का विधान बनाने का अधिकार है। मैं यह अनुरोध केवल इसी दृष्टिकोण से कर रहा हूं कि कुछ लोग, जो इस विधेयक को पारित नहीं होने देना चाहते, न्यायालय में जाकर इसके पास होने में बाध्य डालना चाहेंगे। सातवीं अनुसूची की सूची की मद संख्या 64 में लिखा गया है :—

"वैज्ञानिक तथा तकनिकी शिक्षा सम्बन्धी संस्थायें"

मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि न तो उद्देश्य और कारणों के विवरण में न ही खंडों में और उनके भाषण में यह कहा गया है कि यह विशेष सस्थान, जिसके लिये आप कानून बना रहे हैं, एक ऐसा संस्थान है जिसके उद्देश्यों का विवरण सातवीं अनुसूची की सूची की मद संख्या 64 में दिया गया है। उदाहरण के लिए यदि आप उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण को देखें तो आपको पता चलेगा कि यह संस्था "1974 में ट्रावनकोरकोचीन लिवरेरी रफेरफईटीज एंड चेरीटेवल रफेरफईटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1955 के अधीन एक स्वायतशासी निकाय के रूप में स्थापित की गयीं। यदि आप खंड 2 देखें जिसमें घोषणा की गयी है कि यह राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। आपने केवल यही लिखा है :—

"जबकि श्री चित्रा तिरुनल मैडिकल सेन्टर रफेमाईती फार एडवांसड स्टडीज इन स्पेशेलटीज त्रिवेन्द्रनम के उद्देश्य"

ऐसी ही बात खंड 3 तथा खंड 4 के शब्दों की है। आपने उनकी व्याख्या कहीं भी नहीं की है यहां तक कि अपने भाषण में भी नहीं कि यह वैज्ञानिक तथा तकनिकी शिक्षा का संस्थान है। मैं इसका उल्लेख जानबूझकर कर रहा हूँ क्योंकि उच्च न्यायालय का निर्णय है कि यदि इस विधेयक के होते हुये इस विशेष खंड के अंश, सातवीं अनुसूची की सूचा 1 के मद 64 तथा संविधान की धारा 246, का यदि कोई पता न लगे तो कानून बनाने सम्बन्धी संसद के सामर्थ्य को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है तथा रोकादेश लिया जा सकता है। अत: हमारी इच्छाओं को विफल किया जा सकता है और इस कानून के पास होने में बाधा डाली जा सकती है। मुझे आशा है कि आपने इस विधेयक पर इस दृष्टि से विचार किया है। यदि नहीं, तो

की निर्धारित दरों पर दी गई निर्बाध बिक्री की चीनी की काफी मात्रा काले बाजार में जा रही है;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ङ) क्या सरकार की वृद्धनीति तथा उसका क्रियान्वयन दोषमुक्त है जिसके कारण यह गड़बड़ हुई है; और

(च) चीनी नीति को सुव्यवस्थित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं। राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि कुल मिलाकर मुक्त बिक्री की चीनी के वितरण की योजना सफल रही है।

(ख) से (घ) हालांकि मुक्त बिक्री की चीनी की मामूली मात्रा के वर्तमान तत्वों के माध्यम से काला बाजार में पहुंचने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, लेकिन राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों में देश-व्यापी काला बाजारी अथवा काला बाजार में भारी मात्रा में स्टाक के पहुंचने के बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तथापि, राज्य सरकारें असामाजिक तत्वों से कड़ाई से और प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिये अत्यधिक सतर्कता बरती जा रही है।

(ङ) और (च) सितम्बर और अक्तूबर, 1980 के त्यौहारों के महीनों के दौरान उपभोक्ताओं के विभिन्न वर्गों को उचित मूल्यों पर चीनी सुलभ करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों के नामिनों को उत्पादन शुल्क रहित निर्धारित 450 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर चीनी सुपुर्द करने विषयक उद्योग द्वारा स्वेच्छा से की गई पेशकश के अनुसरण में निर्धारित मूल्यों पर मुक्त बिक्री की चीनी की पूर्ति करने की नई प्रणाली अपनाई गई थी। कुल मिलाकर इस योजना का उद्देश्य पूरा हुआ है। यह योजना केवल 15 नवम्बर, 1980 तक लागू रही थी। 16-11-1980 से, अब तक लागू लेवी और मुक्त बिक्री के चीनी के कोटों की मासिक निर्मुक्तियों की नीति को पुन: चालू कर दिया गया है। अब मुक्त बिक्री की चीनी के मूल्य मांग और पूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा शासित होंगे।

शहरी भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम

141. श्री बी वी. देसाई :

श्री लक्ष्मण मलिक :

श्री नीलालोहिथा वसन नाडार : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शहरी भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम का संशोधन करने सम्बन्धी कोई अन्तिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी राज्य सरकारों के विचार प्राप्त कर लिए गए हैं;

(ग) अब तक केन्द्र को कितने राज्यों ने अपनी-अपनी सिफारिशें भेज दी हैं;

(घ) क्या-क्या परिवर्तन किये जाने की आशा है और क्या इन परिवर्तनों को राज्य सरकारों ने अपनी स्वीकृति दे दी है;

(ङ) क्या अनेक राज्यों ने केन्द्रीय सरकार को इस प्रस्ताव का विरोध किया है;

(च) क्या विरोध को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा इस विधान को चालू वर्ष में पुनःस्थापित न किये जाने की आशा है; और

(छ) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) से (छ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सहायता प्राप्त और पब्लिक स्कूलों का राष्ट्रीयकरण

142. **श्री चित्त महाटा** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सरकारी सहायता-प्राप्त और पब्लिक स्कूलों का राष्ट्रीयकरण करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) स्कूल शिक्षा मुख्यतः विभिन्न राज्य सरकारों का दायित्व है। अतः इस मामले की जांच करने का काम अलग-अलग राज्य सरकारों का है।

पश्चिम बंगाल को चावल

143. **श्री चित्त महाटा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल में केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि इस राज्य द्वारा पहले मांगे गये चावल की सप्लाई की जाये;

(ख) यदि हां, तो उस राज्य को अब तक कितना चावल सप्लाई किया गया है और उसकी मांग क्या थी; और

(ग) जनता की आवश्यकता को पूरा करने के लिये आगे क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) और (ख) पश्चिमी बंगाल सरकार को 1980 के दौरान मांगी गई मात्रा से अधिक चावल आवंटित किया गया है। तथापि, राज्य सरकार द्वारा चावल का उठान आवंटित मात्रा से कम है।

(ग) पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए पश्चिमी बंगाल को खाद्यान्नों का संचलन तेज कर दिया गया है। 1979 की तुलना में चालू वर्ष के दौरान खाद्यान्नों का औसत आंशिक संचलन प्रति मास लगभग 42 हजार मीट्रिक टन से अधिक रहा है।

छठी योजना में शिक्षा पर व्यय

144. **श्री चित्त महाटा** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा सम्बन्धी एक कार्यकारी दल ने केन्द्रीय सरकार से

पिछली योजनाओं की तुलना में छठी योजना के दौरान शिक्षा पर राष्ट्रीय आय का और अधिक भाग व्यय करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) शिक्षा और संस्कृति सम्बन्धी कार्य दल ने शिक्षा के लिए योजना क्षेत्र में और ऊंचे स्तर के निवेश का सुझाव दिया है ताकि सातवीं योजना के अन्त तक राष्ट्रीय आय के 6% का निवेश शिक्षा में करने के लक्ष्य को पूरा किया जा सके।

(ख) शिक्षा के लिए छठी योजना का परिव्यय निश्चित नहीं हुआ है। केन्द्रीय तथा राज्य योजनाओं के सम्बन्ध में योजना आयोग के साथ विचार-विमर्श चल रहा है।

इन्द्रप्रस्थ एस्टेट कम्पलेक्स, नई दिल्ली में स्टेडियम का निर्माण

146. **श्री चित्त महाटा :**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नगर परिवहन प्राधिकरण ने इन्द्रप्रस्थ एस्टेट काम्पलेक्स, नई दिल्ली में स्टेडियम के निर्माण का विरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाई की गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं। वास्तव में 'नगरीय परिवहन प्राधिकरण' नामक कोई संगठन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

चीनी मिलों के पते

146. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) 31 मार्च, 1980 तक प्रत्येक राज्य और संघ/राज्य क्षेत्र में चीनी मिलों के नाम व पते क्या थे;

(ख) निम्नलिखित फार्म में उपयुक्त मिलों/कारखानों का ब्यौरा क्या है; (एक) कार्यरत (दो) रुग्न (तीन) निर्माणाधीन और ऐसी मिलों/कारखानों के स्थानों के नाम क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार रुग्न मिलों/कारखानों का प्रबन्ध अपने नियंत्रण में लेने का है जो 31 मार्च, 1978 से बन्द पड़े हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) विवरण I संलग्न है, जिसमें प्रत्येक राज्य और संघ शासित प्रदेश में 31 मार्च, 1980 को चीनी मिलों के नामों और पतों का ब्यौरा दिया है। (**प्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल. टी. 1321/80**)।

(ख) (i) 1979-80 मौसम के दौरान संलग्न विवरण II में उल्लिखित आठ चीनी कारखानों को छोड़ कर विवरण-I में उल्लिखित सभी चिनी मिलों ने कार्य किया था। (**प्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 1321/80**

(2) केन्द्रीय सरकार ने देश की रुग्न चीनी मिलों की कोई सूची तैयार नहीं की है।

(3) विवरण-III संलग्न है, जिसमें 31-3-80 को नयी चीनी फैक्ट्रियां जोकि निर्माणधीन हैं : जिन्होंने उत्पादन कार्य शुरु करना है, स्थापित करने के लिए दिए गये लाइसेंसों तथा उनके स्थानों का ब्यौरा दिया है। (**ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल. टी. 1321/80**)

(ग) केन्द्रीय सरकार ने 31-3-1979 से बन्द पड़ी चीनी फैक्ट्रियों प्रबन्धकों को अपने अधिकार में लेने के बारे में कोई निर्णय नहीं किया है।

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम

147. **श्री जी. एम. बनातवाला** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल 1980 से राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वयंसेवी एजेन्सियों को कोई अनुदान दिए गए हैं और यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि के अनुदान जारी किए गये हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अनुसार उच्च स्तरों की बजाय 1979-80 के स्तर पर राज्य सरकारों को धन राशि जारी कर दी गयी है; और

(ग) राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के प्रति सरकार की नीति क्या है और अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष में प्रौढ़ शिक्षा के सम्बन्ध में क्या प्रस्ताव हैं ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी हां। अप्रैल, 1980 से स्वैच्छिक एजेंसियों को 63.48 लाख रुपये संस्वीकृत किए गए हैं।

(ख) राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों पर सरकार का निर्णय होने तक राज्य सरकारों को वर्ष 1980-81 के दौरान 979-80 के स्तर पर निधियां संस्वीकृत की जा रही हैं।

(ग) डा० डी. एस कोठारी की अध्यक्षता में अक्तूबर, 19 9 में नियुक्त एक समिति द्वारा राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की व्यापक समीक्षा की गई है। समिति ने अपनी रिपोर्ट 13 अप्रैल, 1980 को प्रस्तुत की थी। समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं। सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष बनाने से सम्बन्धित किसी भी घोषणा की जानकारी नहीं है।

तिरुरंगड़ी टेलीफोन एक्सचेंज को डायल प्रणाली से क्रासबार प्रणाली में बदलना

148. **श्री जी. एम. बनातवाला** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरुरंगड़ी टेलीफोन एक्सचेंज (केरल राज्य, मलाप्पुरम जिला) जो डायल प्रणाली से चल रहा था, को हाल ही में क्रासबार प्रणाली में बदल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब से और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को पता है कि क्रासबार प्रणाली के लागू किए जाने के बाद टेलीफोन और ट्रंक कालों का मिलना उत्तरोत्तर कठिन हो गया है;

(घ) क्या टेलीफोन प्रयोक्ताओं से शिकायतें मिली हैं;

(ङ) यदि हां तो प्रयोक्ताओं की उक्त कठिनाईयां दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) क्या डायल प्रणाली बहाल की जायेगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) जी नहीं। नये कनेक्शनों के लिए बकाया मांग को पूरा करने के लिए तिरुरंगड़ी टेलीफोन एक्सचेंज जो 90 लाइनों की क्षमता वाला एक छोटा स्वचल एक्सचेंज था, को दिनांक 27-3-80 को 150 लाइनों की क्षमता वाले हस्तचल एक्सचेंज में बदल दिया गया था।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ), से (च) : स्वचल एक्सचेंज में बदलने की मांगे प्राप्त हुई हैं। परन्तु एम. ए. एक्स II टाइप स्ट्रोजर उपस्करों की अत्यधिक कमी के कारण इस एक्सचेंज को स्वचल एक्सचेंज में शीघ्र बदलना संभव नहीं है।

तिरुरमगादी टेलीफोन एक्सचेंज के सामने कठिनाइयां

149. श्री जी. एम. बनातवाला : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरुरनगादी एक्सचेंज (केरल राज्य कालीकट डिवीजन) में बुक की गई कालीकट के लिए ट्रंक काल मिलने में होने वाली भारी कठिनाइयों के बारे मे सरकार को जानकारी है;

(ख) क्या उपर्युक्त ट्रंक मिलने में काफी और असाधारण विलम्ब होता है और क्या ट्रंक लाईने प्रायः खराब रहती हैं;

(ग) तिरुरनगादी एक्सचेंज में कालीकट के लिये कितनी ट्रंक लाइनें उपलब्ध हैं;

(घ) उपर्युक्त ट्रंक टेलीफोन सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) क्या कालीकट के लिये ट्रंक लाइनों की संख्या में वृद्धि की जायेगी ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जानकारी नहीं है।

(ख) कालों को लगाने में असाधारण विलम्ब नहीं होता है। एक ट्रंक काल की परिपक्वता में औसतन लगभग 20 मिनट लगते हैं। ट्रंक लाइनें अधिकतर सही हालत में हैं और औसतन उनकी क्षमता 75 प्रतिशत है।

(ग) कालीकट और तिरुरनगादी के बीच दो खुली तार ट्रंक लाइनें हैं।

(घ) ट्रंक लाइनों के बेहतर अनुरक्षण के लिये आदेश जारी कर दिये गए हैं।

(ङ) कालीकट के लिए अतिरिक्त ट्रंक परिपथों का औचित्य नहीं है।

केरल के तिरुरनगादी, बेंगरा, पारापांगादी और मालापुरम जिलों में ट्रंक एक्सचेंज की सुविधाएं उपलब्ध कराना

150. श्री जी. एम. बनातवाला : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल राज्य में तिरुरनगादी; बेंगरा, पारापान गाड़ी और मालापुरम एक्सचेंजों के लिए ट्रंक एक्सचेंज की अत्यधिक आकश्यकता है;

(ख) क्या उपरोक्त ट्रंक एक्सचेंज स्थापित करने के लिये अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) तिरुरनगडी, बेंगरा, परापानगडी और मालापुरम में ट्रंक एक्सचेंज खोलने का कोई औचित्य नहीं है।

(ख) हाल ही में इस कार्यालय में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली विश्वविद्यालय तथा कालेज परिसरों में हिंसा की घटनायें

151. **श्री रशीद मसूद :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि दिल्ली में कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में विगत कुछ समय से बार-बार हिंसा की घटनायें हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने शिक्षा संस्थानों में हिंसा की बढ़ती हुई घटनाओं के कारणों की कोई जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और इस स्थिति में सुधार के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय तथा दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार, विश्वविद्यालय परिसर तथा कालेजों में हाल ही के महीनों में, विशेष रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ और कालेज संघों के चुनावों के दौरान गुण्डागर्दी तथा अनुशासनहीनता की कुछ घटनायें हुई थीं।

(ख) और (ग) : जी, नहीं। तथापि, कुलपति ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की कार्यकारी समिति में 6, सितम्बर, 1980 को हुए सदस्यों के चुनाव से आरम्भ हुई अनुशासनहीनता और गुण्डागर्दी की तथाकथित घटनाओं की आन्तरिक जांच करने के लिए पंजाब उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति जी. डी. खोसला की नियुक्ति की है ताकि तथ्यों का पता लगा सके और ऐसे उपाय सुझाये जा सकें जिससे भविष्य में, ऐसी घटनाओं के होने को रोका जा सके तथा कुलपति द्वारा विचार किए जाने के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके। जांच चल रही है।

हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए सभी सम्भव एहतियाती उपाय किए गए हैं तथा दिल्ली प्रशासन द्वारा पर्याप्त पुलिस व्यवस्था की गई है। वे मामले, जिनमें प्रज्ञेय अपराध शामिल है, रजिस्टर में तत्काल दर्ज किए जाते हैं तथा उनकी छानबीन की जाती है।

ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सीटों का आरक्षण

152. **श्री रामविलास पासवान :** क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों में ग्राम पचायतों के चुनावों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये सीटें आरक्षित नहीं की गई।

(ख) क्या सरकार का विचार ग्राम पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए सीटें आरक्षित करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (श्री बीरेन्द्रसिंह राव) : (क) : जी

नहीं। वस्तुतः राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए पंचायती राज्य अधिनियमों में ग्राम पंचायतों के चुनाव में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये सीटों के आरक्षण की व्यवस्था पहले से ही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

टाईगर परियोजना के वनों के आस-पास रहने वाले ग्रामीणों की मांगें

श्री राम विलास पासवान : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाईगर परियोजना (केन्द्र सरकार की एक परियोजना) के वनों और वेल्टा (पलामू) के नेशनल पार्क (वन्य जीव शरणस्थल) में और उसके आस-पास रहने वाले लोग परियोजना और वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ उनके द्वारा की जा रही ज्यादतियों और दमनात्मक उपायों के विरुद्ध तथा अपनी मांगें उनके द्वारा न मानी जाने के कारण जून, 980 से आंदोलन करते आ रहे हैं;

(ख) क्या बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीणों को जिनमें अधिकांश हरिजन और आदिवासी हैं, झूठे मामलों में फंसाया गया है और उनके मामले समीक्षाधीन हैं;

(ग) यदि हां, तो ग्रामीणों की मुख्य मांगे क्या हैं और उन्हें न माने जाने के कारण क्या हैं; और

(घ) यदि हां, तो ग्रामीणों को कितने झूठे मामलों में फंसाया गया है और उनके हितों की रक्षा के लिए यह सुनिश्चित करने के लिये कि परियोजना और वन अधिकारियों द्वारा उन्हें तंग न किया जाये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) से (घ) बिहार सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कृषि विस्तार सेवा

154. श्री राम विलास पासवान : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि विस्तार सेवा का लाभ अधिसंख्यक किसानों को नहीं मिला है और उसके अपेक्षित परिणाम नहीं प्राप्त हुए है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने फार्म विस्तार सेवन की असफलता के कारणों का पता लगाने के लिए कोई प्रयास किये हैं; और

(ग) उसके क्या परिणाम रहे तथा इस सम्बन्ध में सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं होता। तथापि यह कहा जा सकता है कि फार्म विस्तार सेवा सम्बन्धी कार्य में सुधार करने के लिए सतत् प्रयास किये जा रहे हैं। विशेषकर विश्व बैंक की सहायता से विभिन्न राज्यों में विस्तार सेवा का पुनर्गठन करने तथा उसे मजबूत बनाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्यान्न का उपयोग न किया जाना

155. श्री नीरेन घोष : क्या ग्रामीण पुनर्निमाण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे राज्य कौन-कौन से हैं जिन्होंने काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित किए गए खाद्यान्न का उपयोग नहीं किया; और

(ख) जो राज्य सरकारें अपने कोटे का उपयोग नहीं कर सकी हैं, उनके द्वारा इस कार्यक्रम को कार्यान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (श्री बीरेन्द्रसिंह राव) : (क) चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र के अलावा किसी भी राज्य ने कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्हें दी गई खाद्यान्नों की कुल मात्रा के उपयोग की सूचना नहीं दी है।

(ख) कुछ राज्यों ने बताया है कि वे खाद्य निगमों के गोदामों में खाद्यान्नों के उपलब्ध न होने के कारण अपने पूरे कोटे का उपयोग नहीं कर सके।

लेवी चीनी के मूल्य वृद्धि का प्रभाव

156. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेवी चीनी के मूल्यों में की जाने वाली प्रस्तावित वृद्धि का असर राशन की दुकानों के माध्यम से बेची जाने वाली चीनी के मूल्यों पर भी पड़ेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) और (ख) हाल ही में 1980-81 सीजन के उत्पादन के लिए अधिसूचित लेवी चीनी के निकासी मूल्यों में वृद्धि करने के फलस्वरूप पहली दिसम्बर, 1980 से लेवी चीनी का उपभोक्ता मूल्य भी 2.85 रुपये से बढ़ाकर 3.50 रुपये प्रति किलोग्राम करने का फैसला किया गया है।

डी. डी. ए. फ्लैटों का अनियमित आबंटन

157. **श्री कमला मिश्र मधुकर :**

श्री नवल किशोर शर्मा :

श्री पी. के. कोडियन :

श्री एन. के. शेजवलकर :

श्री सतीश अग्रवाल : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत छह महीनों के दौरान पर्चियां निकाले बिना ही डी. डी. ए. के अनेक फ्लैटों का आवंटन किया गया है;

(ख) क्या इस मामले में मन्त्रालय द्वारा किसी जांच का आदेश दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई रिपोर्ट मिली है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायणसिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि पिछले छह महीनों के दौरान अनुकम्पा के आधार पर 35 फ्लैटों का आबंटन किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) तथा (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

जहरीली शराब के कारण मौतें

158 श्री छीतू भाई गामित : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छह महीनों के दौरान जहरीली शराब पीने से मरने वाले व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने राज्यवार किसी वर्ग विशेष का, जो बहुधा स्थानीय शराब (कच्ची शराब) पीते हैं, पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) यह जानकारी राज्य सरकारों से एकत्रित की जा रही है तथा उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

आवास तथा नगरीय विकास निगम द्वारा लोगों को आवास निर्माण के लिए ऋण दिया जाना

159. श्री अर्जुन सेठी : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लोगों को मकानों के निर्माण के लिए आवास तथा नगर विकास निगम के माध्यम से ऋण देने का निर्णय किया है;

(ख) क्या योजना आयोग से भी कहा गया है कि मकानों के निर्माण के लिए आबंटन में वृद्धि की जाए; और

(ग) यदि हां, तो विशेषकर समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले ऋण की शर्तों का ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जो लोग स्वयं सहकारी आवास समिति बनाते हैं और अन्य निर्धारित शर्तें पूरी करते हैं, वे संबंधित स्टेट एपैक्स हाऊसिंग फाइनेन्स सोसाइटी के माध्यम से आवास तथा नगर विकास निगम से आवासीय ऋण ले सकते हैं। जहां कोई एपैक्स सोसाइटी नहीं है, वहां आवास तथा नगर विकास निगम सीधे ही प्राथमिक सहकारी समितियों की वित्त व्यवस्था करता है।

(ख) सरकारी वित्तीय संस्थानों से आवास तथा नगर विकास निगम को साम्या पूंजी और ऋणों के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग से बढ़ाई गई राशियों का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए टेनामैन्टों के निर्माण/विकासार्थ ऋण की कुछ शर्तें इस प्रकार हैं :—

1. आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए मकान की समी सम्मिलित लागत 8,000/-रु. पर नियत की गई है जिसमें भूमि की लागत भी शामिल है।

2. ऋणों पर ब्याज दर 5% प्रति वर्ष है।

3. आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए स्थल एवं सेवाओं सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिये ब्याज की दर 4 प्रतिशत है।

4. ऋण लौटाने की अवधि अधिक से अधिक 20 वर्ष है।

5. 5,000/-रुपये तक की लागत वाले मकान के लिये शतप्रतिशत ऋण दिया जाता है।

पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय आवास निधि की राशि

160. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले वर्ष कितने मकान बनाए गये और इस वर्ष कितने मकान बनाए जाएंगे ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायणसिंह) : राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचनानुसार 1979-80 के दौरान पश्चिम बंगाल के ग्रामिण क्षेत्रों में 21,700 मकान बनाए गये थे। 1980-81 की अपनी वार्षिक योजना में राज्य सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों में 21,700 मकान बनाने के लक्ष्य का प्रस्ताव है।

ग्रामीण पुनर्निर्माण के अन्तर्गत ग्रामीण गृहों की परियोजना

161. **श्री राम लाल राही** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास, ग्रामीण पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में गृहविहीत ग्रामीण लोगों को आवासीय सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए, कोई परियोजना है; और

(ख) क्या अब तक लोगों को कोई उपयुक्त सुविधा उपलब्ध कराई गई है और यदि हां, तो उससे उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को लाभ मिला ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) आवास स्थल और झोंपड़ी निर्माण योजना के अन्तर्गत, ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों के परिवारों को लगभग 100 वर्ग गज वाले आवास स्थल दिये जाते हैं और मकान बनाने के लिए मिन्न दरों पर सहायता दी जाती है। उत्तर प्रदेश में, 12,40,340 पात्र परिवारों में से अब तक 12,37,096 परिवारों को आवास स्थल दिए गए हैं, 1,026 परिवारों को मकान दे दिये गये हैं और 689 मकान निर्माणाधीन हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान में राष्ट्रभाषा का प्रयोग

162. **श्री राम लाल राही** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के कामकाज में अंग्रेजी का प्रयोग करने और राष्ट्रभाषा अथवा अन्य भारतीय भाषाओं का प्रयोग न करने के क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मन्त्री (श्री बीरेन्द्रसिंह राव) : राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को खाद्य तथा कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय शिशु आपातकालीन निधि (यूनिसेफ), एशियाई तथा प्रशान्तीय क्षेत्र हेतु समन्वित ग्राम विकास केन्द्र तथा अन्य विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से सम्पर्क करना होता है। इन संगठनों की ओर से सामूहिक देशों की अनेक कार्यशालाएं/विचार गोष्ठियां आयोजित की जाती हैं तथा सभी देशों द्वारा स्वीकार्य तथा समझी जाने वाली संचार की भाषा केवल अंग्रेजी है। यह संस्थान राष्ट्रीय महत्वपूर्ण कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, कार्यशालाएं और गोष्ठियां आयोजित करता है, जिनमें केवल अंग्रेजी ही सम्पर्क की सभव भाषा होती है। इसके अलावा, संस्थान का गैर-हिन्दी भाषी राज्यों से भी सम्पर्क रहता है तथा इसलिए इसे उनके साथ पत्राचार

में अंग्रेजी का प्रयोग करना पड़ता है। अनुसंधान रिपोर्टें भी अंग्रेजी में ही रखनी होती है क्योंकि ये प्रकाशन सम्पूर्ण भारत तथा अन्तर्राष्ट्रीय परिचालन के लिये होते हैं।

तथापि, हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए संस्थान हिन्दी पत्रों का उत्तर हिन्दी में देता है। वार्षिक रिपोर्टें, कार्यवाही कार्यक्रम तथा अन्य प्रचार सामग्री हिन्दी में भी प्रकाशित की जाती हैं।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित किया गया गेहूं

163. **श्री अमरसिंह वी. राठवा :**

श्री मुकुन्द मण्डल : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को पहले छः महीनों (अर्थात अप्रैल-अक्तूबर, 1980) के दौरान गेहूं की कितनी-कितनी मात्रा दी गई है;

(ख) क्या खाद्य विभाग को आवंटित कोटा देने में कोई आपत्ति है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और कार्यक्रम के अनुसार गेहूं देने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (श्री बीरेन्द्रसिंह राव) : (क) अप्रैल से अक्तूबर, 1980 तक विभिन्न राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों को आवंटित/बंटित खाद्यान्नों की मात्रा को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। विभिन्न राज्यों केन्द्रशासित क्षेत्रों में गेहूं का कोई अलग आबंटन नहीं है. आबंटन हमेशा खाद्यान्नों के रूप में होता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

अप्रैल 1980 से अक्तूबर, 1980 तक सामान्य/विशेष काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को आबंटित खाद्यान्नों की मात्रा को दर्शाने वाला विवरण

विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को किये गये आबंटन

राज्य	अप्रैल, 1980	अक्तूबर, 1980	योग
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	63,000	42,000	1,05,000
2 असम	11,000	8,000	19,000
3. बिहार	1,10 000	54,000	1,64,000
4. गुजरात	10,000	12,500	22,500
5. हरियाणा	20 000	3,500	23,500
6. हिमाचल प्रदेश	18,000	2,500	20,500
7. जम्मू तथा काश्मीर	10,000	3,500	13,500

1	2	3	4
8. कर्नाटक	13,500	18,500	32,000
9. केरल	13,500	18,000	31,500
10. मध्य प्रदेश	1,99,000	29,500	2,28,500
11. महाराष्ट्र	40,000	32,000	72,000
12. मणिपुर	1,500	500	2,000
13. मेघालय	1,500	500	2,000
14. नागालैंड	2,000	400	2,400
15. उड़ीसा	82,000	18,500	1,00,500
16. पंजाब	6,000	5,500	11,500
17. राजस्थान	1,30,00	10,400*	1,30,000
18. सिक्किम	500	250	750
19. तमिल नाडु	27,000	33,000	60,000
20. त्रिपुरा	3,500	1,250	4,750
21. उत्तर प्रदेश	1,95,000	74,500	2,69,500
22. पश्चिम बंगाल	70,000	30,000	1,00,000
केन्द्र शासित केन्द्र			
23. अण्डेमान तथा निकोबार द्वीप समूह	750	300	1,050
24. अरुणाचल प्रदेश	650	300	950
25. चंडीगढ़	—	—	—
26. दादरा तथा नगर हवेली	—	—	—
27. दिल्ली	—	—	—
28. गोवा दमन तथा दीव	—	—	—
29. लक्षद्वीप	—	—	—
30. मिजोरम	1,250	300	1,550
31. पांडीचेरी	350	300	650
	10,30,000	4,00,000	14,19,600

* अग्रिम बंटन पहले ही किया जा चुका है तथा यह 1,30,000 मीटरी टन में शामिल है।

शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए राज्य

164. **श्री अमरसिंह वी० राठवा** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए राज्यों के नाम क्या हैं; और

(ख) आगामी पंचवर्षीय योजना के दौरान इनकी दशा में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाये जाने वाले कदम क्या है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्य हैं। आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू और काश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा राजस्थान उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

(ख) प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के कार्यक्रम के अन्तर्गत इन राज्यों को गैर औपचारिक शिक्षा के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता देना सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है। छठी योजना 1980.85 तैयार हो रही है। किए जाने वाले उपायों के ब्योरे बताने का समय अभी नहीं आया है।

स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम को लागू किया जाना

165. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा स्त्री तथा लड़की में अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, को लागू किए जाने के सम्बन्ध में कोई राज्यवार सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का सर्वेक्षण करने का विचार है?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) सरकार द्वारा कोई राष्ट्रीय सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तो भी, सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार देश के विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में 89 उद्धार/सुरक्षा गृह चलाए जा रहे हैं।

(ग) सरकार इस विषय पर एक अध्ययन करने पर विचार कर रही है।

वेश्यावृत्ति पर सर्वेक्षण

166. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वेश्यावृत्ति पर कोई देश व्यापी सर्वेक्षण किया है। और वेश्याओं की कुल संख्या कितनी है;

(ख) यदि हां, तो देश में वेश्यावृत्ति के खुले रूप में चल रहे अड्डों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ग) क्या सरकार के पास वेश्यावृत्ति में फंसी अभागी महिलाओं के पुनर्वास के लिए दीर्घावधि और अल्पावधि योजनाएं हैं ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी० चव्हाण) : (क) सरकार द्वारा ऐसा कोई राष्ट्रीय सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) वेश्यावृत्ति के अड्डों को रखना स्त्रियों और लड़कियों में अनैतिक पण्यन दमन अधिनियम, 1956 के अधीन विशिष्ट रूप से दण्डनीय बनाया गया है।

(ग) राज्य सरकारों द्वारा लागू किये जा रहे इस अधिनियम में वेश्यावृत्ति की शिकार स्त्रियों के लिए सुरक्षा गृहों और सुधार संस्थाओं को स्थापित करने के लिए उपलब्ध किया गया

ई। देश के विभिन्न भागों में ऐसी 89 संस्थायें चल रही हैं। संकट में फंसी ऐसी स्त्रियों की सहायता के लिए संस्थाएं स्थापित करने हेतु भी सरकार स्वयंसेवी एजेन्सियों को सहायता देती है।

खाण्डसारी मिलों का बन्द होना

167. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी सम्बन्धी नीति के अन्तर्गत सरकार ने पूरे देश में खाण्डसारी मिलों को बन्द करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री। (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) और (ख) जी नहीं। राज्य सरकारों से तो केवल यह कहा गया है कि वे 31 दिसम्बर, 1980 से पूर्व खाण्डसारी यूनिटों को पिराई का कार्य शुरू करने की अनुमति न दें।

मछली पकड़ने वाली नौकाओं के आयात के लिए लाइसेंसों के लिए नवीकरण के बारे में मतभेद

168. **श्री पी. एम. सईद** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मछली पकड़ने वाली नौकाओं के आयात के लिए लाइसेंसों को नवीकृत किए जाने के प्रश्न से समुद्री संसाधनों के विकास के सारे कार्यक्रम पर प्रभाव पड़ा है :

(ख) यदि हाँ तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) इस मामले में निर्णय लेने में आनी वाली बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) अब तक मछली पकड़ने वाले जलयानों के आयात का कोई अनुज्ञापत्र सम प्त नहीं हुआ है। अत: इसके नवीकरण का प्रश्न ही नहीं होता; इस मामले से समुद्रीय मात्स्यकी संसाधनों के विकास कार्यक्रम पर कोई असर नहीं पड़ा।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं होता।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत गेहूं और चावल दिया जाना

169. **श्री पी. एम. सईद** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्राय सरकार ने काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत और अधिक चावल तथा गेहूं देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कुल कितनी मात्रा सप्लाई की जायेगी।

(ग) अगस्त से अक्तूबर, 1980 तक, प्रत्येक राज्य को अब तक चावल और गेहूं की कितनी-कितनी मात्रा आवंटित की गई है; और

(घ) नवम्बर और दिसम्बर, 1980 के दौरान राज्य को कितना आवंटन किया जाएगा ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिचाई मन्त्री (श्री बीरेन्द्रसिंह राव) : (क) और (ख) जी हां विभिन्न राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों को हाल ही में 4 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों की मात्रा आवंटित की गई है।

(ग) अगस्त से अक्तूबर, 1980 की अवधि के दौरान किए गये आबंटनों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) माहवार आबंटन करने की कोई पद्धति नहीं है।

विवरण

राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों को आबंटित 4 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों की मात्रा को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्र शासित केन्द्र	खाद्यान्नों की मात्रा (मीटरी टन)
1.	आन्ध्र प्रदेश	42,000
2.	असम	8,000
3.	बिहार	54,000
4.	गुजरात	12,500
5.	हरियाणा	3,500
6.	हिमाचल प्रदेश	8,500
7.	जम्मू तथा काश्मीर	3,500
8.	कर्नाटक	18,500
9.	केरल	18,000
10.	मध्य प्रदेश	29,500
11.	महाराष्ट्र	32,000
12.	मणिपुर	500
13.	मेघालय	500
14.	नागालैंड	400
15.	उड़ीसा	18,500
16.	पंजाब	5,500
17.	राजस्थान	10,400
18.	सिक्किम	250
19.	तमिलनाडु	33,000
20.	त्रिपुरा	1,250
21.	उत्तर प्रदेश	74,500
22.	पश्चिम बंगाल	30,000
	केन्द्र शासित क्षेत्र	
23.	अण्डेमान तथा निकोबार द्वीप समूह	300
24.	अरुणाचल प्रदेश	300
25.	मिजोरम	300
26.	पांडीचेरी	300
	योग	4,00,000

लक्षद्वीप में काम के बदले अनाज कार्यक्रम

170. **श्री एम. सईद** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्षद्वीप समूह में भी काम के बदले अनाज कार्यक्रम आरम्भ किया जाएगा; और

(ख) यदि हाँ, तो उन्हें कितने खाद्यान्न का आवंटन किया जाएगा ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (श्री बीरेन्द्रसिंह राव) : (क) और (ख) लक्षद्वीप प्रशासन, जिससे केन्द्र शासित क्षेत्र में कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए अनुरोध किया गया था, ने कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कोई रुचि नहीं दिखाई है। यदि स्थानीय प्रशासन इसमें दिलचस्पी दिखाये तो केन्द्रशासित क्षेत्र में इस कार्यक्रम को शुरू किया जा सकता है।

विकास खण्डों को समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाना

171. **श्री पी. एम. सईद :**

श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के सभी 500 विकास खंडों को 2 अक्तूबर, 1980 से समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और कार्य किस सीमा तक कर लिया गया है;

(ग) प्रति वर्ष कितने परिवारों को कार्यक्रम के अन्तर्गत लिया जाएगा; और

(घ) प्रथम चरण के लिए कौन-कौन से गाँव चुने गये हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (श्री बीरेन्द्रसिंह राव) : (क) जी हाँ।

(ख) कार्यक्रम में चालू योजना अवधि के दौरान प्रति खंड लगभग 3000 परिवारों को सहायता देने की परिकल्पना की गई है ताकि वे अपनी आय को निर्धनता की रेखा से ऊपर उठा सकें। यह सहायता छोटे किसानों को 25 प्रतिशत सीमान्त किसानों को 33⅓ प्रतिशत, आदिवासियों को 50 प्रतिशत की दर से उपदान के रूप में दी जाएगी और निवेश की लागत की शेष राशि को संस्थागत वित्त के माध्यम से पूरा किया जाएगा। कार्यक्रम को वर्तमान लघु कृषक विकास एजेंसी/सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम एजेंसियों के आधार पर जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा जिन्हें देश के सभी जिलों में स्थापित किया जाएगा। चालू वर्ष में प्रति खंड 5 लाख रुपये का आवंटन किया जा रहा है जिसे केन्द्र तथा राज्यों द्वारा बराबर-बराबर के आधार पर वहन किया जाएगा। देश के सभी खंडों में कार्यक्रम का विस्तार करने का निर्णय 4 अक्तूबर, 1980 को सभी राज्यों को सूचित कर दिया था। राज्य सरकारों से भी कुछेक उपाय करने के लिए अनुरोध किया गया है ताकि चालू वर्ष में सभी खण्डों में कार्यक्रम का तुरंत कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। ये उपाय सभी जिलों में जिला स्तर की एजेंसी को स्थापित करने, राज्य तथा जिला स्तर पर उपयुक्त अधिकारियों की नियुक्ति करने और खण्ड प्रशासन को सुदृढ़ करने से संबंधित है। प्रशासनिक प्रबन्धों, कार्यक्रम के लक्ष्यों, कार्यक्रम की विषय-वस्तु, वित्तीय आवंटनों, निधियों के बंटन की प्रणाली आदि के सम्बन्ध में मार्गदर्शक सिद्धांत सभी राज्यों को भेज दिए गए हैं। इस कार्यक्रम का सभी खंडों में विस्तार करने के लिए

राज्यों को उनके पास खर्च न किये गये अधिशेषों और चालू वर्ष के बंटनों का उपयोग करने की अनुमति भी दी गई है।

समेन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम से संबंधित राज्य के सचिवों की एक बैठक 31 अक्तूबर, 1980 को हुई थी जिसमें कार्यक्रम के विस्तार की प्रशासनिक तथा वित्तीय अड़चनों और मार्ग-दर्शक सिद्धांतों में संशोधनों पर चर्चा हुई थी और राज्य सरकारों से सभी खंडों में कार्यक्रम को कार्यान्वित करने हेतु तत्काल कदम उठाने के लिए अनुरोध भी किया गया है।

(ग) प्रति खंड प्रति वर्ष कम से कम 600 परिवारों को इसके अन्तर्गत लाने का लक्ष्य है और चालू योजना अवधि के दौरान प्रति खंड 3000 परिवारों को अन्तर्गत ल.ए जाने का लक्ष्य है।

(घ) चूंकि कार्यक्रम का विस्तार सभी खंडों में कर दिया गया है। इसलिए किसी चरण की परिकल्पना नहीं की गई है।

उड़ीसा में चावल की पैदावार में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रयास

172. **श्री के. पी सिंह देव** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ने चावल की पैदावार में वृद्धि करने के लिए प्रयोग के आधार पर 'प्रयोगशाला से भूमि तक' सम्बन्धी योजना (लैब टू लैंड प्लान) पर कार्य शुरू किया था;

(ख) यदि हां, तो इस स्कीम को कितने क्षेत्र पर लागू किया गया और किस वर्ग के किसानों को इस विकसित फार्म तकनीकी का लाभ मिला; और

(ग) गत एक वर्ष के दौरान किए गए प्रयोग के क्या परिणाम रहे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी, हां, श्रीमान्।

(ख) केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ने उड़ीसा के पुरी जिले के पिपली ब्लाक में गांवों के एक समूह में 90 हैक्टर के क्षेत्रफल में 'प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 310 परिवार अपनाये गये हैं। इन परिवारों का वितरण निम्न प्रकार है :—

भूमिहीन	...67
आधे हैक्टर से कम	...58
0.5 से 1 हैक्टर तक	...63
1 से 1.5 ,, ,,	...41
1.5 से 2 ,, ,,	...17
2 से 3 ,, ,,	...24

(ग) मुख्य कार्यक्रम में चावल के उत्पादन के लिए नई प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित करना शामिल है। भूमिहीन परिवारों के लिए कार्यक्रम में मिश्रित मछली पालन प्रदर्शित करना शामिल है। खरीफ 1979 के दौरान, चावल के प्रदर्शनों में, धान की औसत उपज 4.7 टन प्रति हैक्टर प्राप्त की गई जबकि उच्चतम उपज 7.2 टन थी। रबी 1979-80 के दौरान धान की औसत

उपज 4.8 टन प्रति हैक्टर थी। खरीफ 1980 के मौसम में लगभग 5 टन प्रति हैक्टर उपज की अपेक्षा की जाती है।

मछली पालन में, इस कार्यक्रम में शामिल किये गये 1·5 हैक्टर के क्षेत्रफल से मछली का प्रति हैक्टर उत्पादन 1554 किलोग्राम प्राप्त किया गया।

दिल्ली में पट्टेदारी को समाप्त करना

173. **श्री के. पी. सिंह देव** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार दिल्ली में पट्टे पर दिये गये प्लाटों को पूर्ण स्वामित्व वाले प्लाटों में बदलने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय ले लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) यह मामला अभी भी सरकार के विचाराधीन है तथा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

चीनी की दोहरी मूल्य नीति का संशोधन

174. **श्री के. पी. सिंह देव** :

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार चीनी के सम्बन्ध में दोहरी मूल्य नीति के संशोधन पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस सम्बन्ध में 18 अगस्त, 1980 के इकनामिक टाइम्स में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) से (ग) सरकार ने प्रश्न में उल्लिखित समाचार को देखा है। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, दोहरी मूल्य निर्धारण नीति के साथ चीनी की आंशिक नियन्त्रण की वर्तमान नीति को जारी रखने का निर्णय किया गया है।

सहकारी चीनी संघ द्वारा चीनी के मूल्य कम करने की पेशकश

175. **प्रो. मधु दंडवते** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी चीनी संघ की फैडरेशन ने 13 अगस्त, 1980 को हुई अपनी बैठक में चीनी के मूल्य में कमी लाने में असमर्थ रहने पर सरकार तथा भारतीय चीनी एसोसिएशन की आलोचना की थी;

(ख) क्या सहकारी चीनी संघ ने इस मौसम के लिये खुली बिक्री की चीनी का अपना समस्त कोटा रु० 450 प्रति क्विंटल की दर से उपलब्ध करने की पेशकश की थी ताकि चीनी का खुदरा मूल्य रु० 5.50 प्रति किलोग्राम के आस-पास लाया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) से (ग) राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना संघ लि. ने अगस्त, 1980 में सरकार को 450 रु० प्रति क्विंटल, जिसमें उत्पादन शुल्क शामिल नहीं था, के निकासी मूल्य पर मुक्त बिक्री की चीनी का समस्त कोटा सुपुर्द करने की स्वैच्छा से पेशकश की थी। सरकार ने इस पेशकश को स्वीकार कर लिया था और आग्रह करने पर भारतीय चीनी मिल एसोसिएशन ने भी ऐसी पेशकश करना मान लिया था। तदानुसार सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर, 1980 के प्रथम पखवाड़े के लिए मुक्त बिक्री के समस्त कोटों को विभिन्न राज्य सरकारों को आवंटित करने के प्रबन्ध किए गए थे ताकि वे अपने नामितों के माध्यम से 450 रु० प्रति क्विंटल के सहमत मूल्य, जिसमें उत्पादन शुल्क शामिल नहीं था, पर फैक्ट्रियों से उठा सकें और उसे आयातित चीनी के साथ-साथ उचित दर की दुकानों/राशन की दुकानों अथवा सहकारी एजेंसियों के माध्यम से उनके द्वारा 6 रुपये प्रति किलो के आस-पास निर्धारित किए गए एकीकृत मूल्यों पर उपभोक्ताओं के सभी वर्गों में वितरित कर सकें। यह योजना अब 15-11-80 को समाप्त हो गई है।

केन्द्रीय मंत्रियों के लिए साधारण मकान

17. **प्रो० मधु दण्डवते : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछली निर्वाचित सरकार ने लम्बी वार्ता के बाद यह निर्णय लिया था कि मन्त्रियों के लिए राष्ट्रपति भवन की विशाल खाली भूमि पर साधारण मकान बनाये जायें;

(ख) यदि हां, तो क्या पूर्व निर्णय अब भी कायम है, और

(ग) यदि हां, तो उक्त निर्णय कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायणसिंह) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय मंत्रियों को निवास स्थल देने के लिये नये अपेक्षाकृत छोटे मकानों का निर्माण करने का एक प्रस्ताव पिछली सरकार के विचाराधीन था। साधनों और सामग्रियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए मौजूदा सरकार मामले पर नये सिरे से विचार कर रही है।

(ग) मामले के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिये, सरकार ने एक अध्ययन दल गठित किया था। अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। अध्ययन दल की सिफारिशों पर विचार करने के लिये एक शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया गया था ताकि वह सरकार के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत करे। शक्ति प्राप्त समिति के विचार प्राप्त हो गये हैं और सरकार उनका अध्ययन कर रही है।

एशियाई खेल आयोजन समिति

177. **श्री मुकुन्द मंडल :**

श्री पी. के. कोडियन : क्या शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवीं एशियाई खेल आयोजन समिति की मान्यता समाप्त कर दी गई है तथा यह मान्यता समाप्त किये जाने के बाद एक नई समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पूर्ववर्ती समिति तथा वर्तमान नवीं एशियाई खेल आयोजन समिति के चेयरमैन तथा सदस्यों के नाम क्या हैं ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) और (ख) भारतीय ओलंम्पिक संघ ने यह सूचित किया है कि फरवरी, 1979 में भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा गठित पहले की नौवीं एशियाई खेल आयोजन समिति 6 सितम्बर, 1980 को अधिलंघित की गई है और उसके स्थान पर भारतीय ओलम्पिक संघ की एक नई विशेष समिति का गठन किया गया है। नई विशेष समिति गठित करने के भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा दिए गए कारण निम्न-लिखित हैं:—

1. नौवीं एशियाई खेल आयोजन की पहली समिति निर्धारित प्रतियोगिताओं के समय के अनुसार सौंपे गये कार्य करने में असमर्थ रही हैं; और

2. भारतीय ओलम्पिक संघ की महा सभा के बहुमत की यह राय थी कि देश में बदली हुई परिस्थितियों के कारण पहली नौवीं एशियाई खेल आयोजन की समिति के लिये 1982 की एशियाई खेल चेम्पियनशिप आयोजित करने से संबंधित विभिन्न कार्यालापों के कठिन कार्य को कर पाना संभव नहीं होगा।

(ग) दोनों समितियों के अध्यक्षों और सदस्यों के नाम दर्शाने वाले विवरण सभा पटल पर रख दिए गए हैं। (ग्रंथालय में रखे गये, देखिये संख्या एल. टी.-1322/80)।

पश्चिम बंगाल में पोलिटेक्निक स्कूलों का खोला जाना

178. **श्री मुकुन्द मडल** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में पोलिटेक्निक स्कूल खोलने के बारे में केन्द्रीय सरकार को लिखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पश्चिम बगाल में पोलिटेक्निक स्कूल खोलने के बारे में सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी, हाँ। पश्चिम बगाल सरकार ने वर्ष 1978-79 में रायगंज और कंटाई में नये पालिटेक्निक खोलने के लिए इस मंत्रालय के पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय को लिखा था।

(ख) (1) **रायगंज में पालिटेक्निक** :—प्रस्ताव विचाराधीन है। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि अपने द्वारा किये गये तकनीकी जनशक्ति सर्वेक्षण के आधार पर पालिटेक्निक की स्थापना की आवश्यकता के संबंध में विशेष तर्क दें। राज्य सरकार से उत्तर की प्रतीक्षा है।

(2) **कंटाई में पोलिटेक्निक** :—मामले की जाँच करने और सिफारिश करने के लिए पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। राज्य सरकार से विशेषज्ञ समिति के दौरे के लिए तारीख निर्धारित करने के लिए अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार से उत्तर की प्रतीक्षा है।

(ग) नीति के तौर पर, केन्द्रीय सरकार आमतौर पर, नई संस्थाएं खोलने को प्रोत्साहन नहीं देती, क्योंकि वर्तमान वार्षिक दाखिला क्षमता को पर्याप्त समझा जाता है, तथापि सुपरिभाषित और सुसंस्थापित जनशक्ति की आवश्यकताओं के आधार पर, पिछड़े क्षेत्रों में नई संस्थाएं अपवाद रूप से खोली जाती हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में कार्य कर रहे वैज्ञानिक

179. **श्री मुकुन्द मण्डल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान, परिषद में कितने वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं;

(ख) संस्थान द्वारा किन-किन विभिन्न शाखाओं में अनुसन्धान कार्य किया जा रहा है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, संस्थान के कितने वैज्ञानिक विदेशों में गये थे और इस शीर्ष के अन्तर्गत सरकार द्वारा कितना व्यय किया गया है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के बाद संस्थान को छोड़ने वाले वैज्ञानिकों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन): (क) से (घ) करीब 4,100 विज्ञानी : सूचना एकत्र की जा रही है तथा लोक सभा के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

आर्गेनिक अपशिष्ट (वेस्ट) से पोषक तत्वों की उपलब्धता

180. **श्री डा. बसंत कुमार पंडित** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आर्गेनिक अपशिष्ट से पोषक तत्वों की अनुमानित उपलब्धता क्या है; और

(ख) उत्पादिकता और ग्रामीण आवश्यकताओं के लिये इसका उपयोग करने हेतु केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा बनाई जा रही योजनाएं क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) अपशिष्टों के जरिये पोषक तत्वों की वास्तविक उपलब्ध मात्रा का पता लगाना कठिन है, क्योंकि इस संबंध में कोई व्यवस्थित वैज्ञानिक सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) राज्य और केन्द्रीय सरकारें दोनों ही कम्पोस्ट आदि तैयार करके आर्गेनिक अपशिष्टों को फिर से तैयार करने की कृषकों की पुरानी पद्धति के अलावा विभिन्न कार्यक्रमों के जरिये पोषक तत्वों के इस महत्वपूर्ण स्रोत पर ध्यान दे रही है। भारत सरकार की 'स्थानीय खाद संबंधी संसाधनों का विकास' नामक योजना, जिसमें बायो गैस, हरी खाद, मल तथा कूड़ा-करकट यांत्रिक कम्पोस्ट संयंत्र आदि शामिल थे, 1979 में राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णयानुसार राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित किये जाने के बाद अनेक राज्य सरकारों द्वारा तैयार की जा रही अपनी छठी योजना में इसकी व्यवस्था की जा रही है। भारत सरकार छठी पचवर्षीय योजना के दौरान 50 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बायोगैस विकास का एक भव्य कार्यक्रम प्रारम्भ करने की योजना बना रही है।

सूरतगढ़ फार्म के लिए सोवियत संघ द्वारा मशीनरी का उपहार

81. **डा. बसन्त कुमार पण्डित** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ भारत को राजस्थान में सूरतगढ़ स्टेट फार्म में उपयोग करने के

लिये फार्म मशीनरी को उपहार में दे रहा है जैसा कि दिनांक 20 अप्रैल, 1980 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो इस मशीनरी का मूल्य कितना है और उपहार में दी जाने वाली मशीनरी तथा उपकरणों का ब्यौरा क्या है, और

(ग) सूरतगढ़ फार्म में उत्पादन को बढ़ाने के लिए यह मशीनरी किस सीमा तक उपयोगी होगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी हाँ। भारत सरकार के प्रतिष्ठान भारतीय राज्य फार्म निगम लि. को सोवियत संघ से उपहार रूप मशीनरी प्राप्त हो गई है।

(ख) विवरण में मशीनरी तथा उपकरणों का ब्यौरा तथा मूल्य दिया गया है।

(ग) नई मशीनरी के उपयोग से सूरतगढ़ फार्म का सस्यगत क्षेत्र जो 1978-79 में 10575 हैक्टार था, बढ़कर 1984-85 के अन्त तक 13000 हैक्टार हो जाएगा। इस मशीनरी की सहायता से तकनीकी व फसल कटाई के कार्य कलाप समय पर और कारगर ढंग से हो सकेंगे।

विवरण

उपहार के रूप में सोवियत संघ से प्राप्त मशीनरी तथा उपकरणों का ब्यौरा।

क्र. सं.	विवरण	मात्रा	प्रति एकक दर (रुबलों में) बीमा भाड़ा लागत बम्बई	कुल रुबल बीमा भाड़ा लागत बम्बई	भारतीय रुपया बीमा भाड़ा लागत बम्बई
1	2	3	4	5	6
1.	ट्रैक्टर एम. टी. जे-8	25	6800	1,70,000.00	17,00,000.00. रु.
2.	ग्रेन हारवेस्ट 'निवा'	15	14000	2,10,000.00	21,00,000.00 रु.
3.	फर्टिलाईजर सोवर	20	2400	48,000.00	4,80,000.00 रु.
4.	ट्रक	5	17700	88,500.00	8,85,000 00 रु.
5.	बीज छटाई की मशीन	5	3600	18,000.00	1,80,000.00 रु.
6.	बुलडोजर डी. जैड-42	2	25000	50,000.00	5,00,000.00 रु.
7.	मद संख्या 1 से 6 तक के लिए फालतू पुर्जों का सेट	8 टन	5000 प्रति टन	40,000.00	4,00,000.00 रु.
				6,24,500 00	62,45,000.00

दक्षिणी पत्तनों पर पड़ी हुई चीनी

182. **श्रीमती प्रमिला दंडवते :**

श्री हरिकेश बहादुर :

श्री केशवराव पारधी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दो वर्षों से तीन दक्षिणी पत्तनों पर 20 करोड़ रुपये मूल्य की 43,000 टन चीनी पड़ी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चीनी की कमी वाले क्षेत्रों में जरूरतमंदों और ग्रामीण लोगों को चीनी का वितरण करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. बी. स्वामीनाथन) : (क) और (ख) जी नहीं। अप्रैल, 1980 में तीन दक्षिणी पत्तनों पर 86.32 लाख रुपये के मूल्य की केवल 34.6 मीटरी टन चीनी पड़ी हुई है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

पत्तन	मात्रा (मी. टन)	मूल्य (रु./लाख)
मद्रास	2331	58,27
विजाग	674	16,85
न्यू तूतीकोरिन	461	11,20

(ग) बचनबद्ध निर्यात सौदों के प्रति जनवरी-मार्च, 1980 के दौरान चीनी का जहाजों द्वारा लदान पूरा करने के बाद वे स्टाक बच गये थे। एक सामान्य वर्ष में पत्तनों पर पड़े 'लेवी मुक्त' चीनी के स्टाक को टैंटर आमन्त्रित कर आन्तरिक बाजार में बेचा जाता है और लेवी' चीनी को नियंत्रित मूल्यों पर आवंटित किया जाता है। अप्रैल, 1980 में स्थिति में परिवर्तन हुआ जबकि 2 लाख मीटरी टन चीनी का आयात करने के लिये एक प्रतिबंधित ठेका किया गया था।

मई, 1980 में सरकार ने मालद्वीप को विशेष मामले के रूप में 1150 मीटरी टन चीनी सप्लाई करना मान लिया था। मद्रास पत्तन पर पड़े स्टाक को मालद्वीप भेजने के लिए नियत किया गया था लेकिन बाद में, मूल्यों की दृष्टि से वह सौदा पूरा नहीं हो पाया था।

जून, 1980 में जहाज द्वारा भेजने योग्य इस स्टाक को आयातित चीनी में कमियों, यदि कोई हुई हों, को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करने हेतु निर्णय किया गया था। वास्तव में, विदेशी सप्लाईकर्त्ता ने जहाज द्वारा 10 प्रतिशत कम मात्रा भेजने के अपने विकल्प का प्रयोग करते हुये ठेकाबद्ध 2 लाख मीटरी टन की मात्रा के प्रति 1.80 लाख मीटरी टन सुपुर्द की थी। यह आशंका थी कि क्षति आदि के कारण जहाज मार्ग में आयातित चीनी की मात्रा में और भी कमी हो जाएगी। वास्तविक आयातों में इस प्रकार की मामूली कमी को पूरा करने के लिए पत्तन पर पड़े इन स्टाक्स को अपने पास रखा गया।

सितम्बर, 1980 में सरकार ने सितम्बर-अक्तूबर, 1980 के महीनों के लिये अन्तरिक वितरण के लिए आयातित और 'लेवी मुक्त' देशी चीनी का एकीकरण करने की नई योजना की दृष्टि में इस स्टाक को कुछ समय और अपने पास रखना आवश्यक समझा था।

मद्रास पर रखे हुए 2331 मीटरी टन चीनी के स्टाक में से, तमिलनाडु राज्य को 1800 मीटरी टन चीनी सुलभ की गई है। इन पत्तनों पर पड़े हुए लगभग 1666 मीटरी टन के शेष स्टाक को अपने पास तब तक रहने दिया गया है जब तक कि नवम्बर और दिसम्बर, 1980 के महीनों के दौरान घरेलू मांगों को पूरा करने के लिये फसल वर्ष 1980-81 के दौरान चीनी का नया उत्पादन पर्याप्त स्तर तक पहुँच जाता है।

बम्बई में अस्थाई मकानों (हटमेन्ट) के निवासियों को केन्द्रीय सहायता

183. श्रीमती प्रमिला दण्डवते : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त, 1980 में बम्बई नगर में मूसलाधार वर्षा के कारण बम्बई नगर तथा उसके उपनगरों में अस्थाई मकानों में रहने वालों को बहुत क्षति हुई तथा अनेक लोग हताहत हो गये, और

(ख) यदि हाँ, तो क्या भविष्य में इस तरह की स्थिति को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता दी जाएगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायणसिंह) : (क) सूचना महाराष्ट्र सरकार से एकत्र की जा रही है ।

(ख) गन्दी बस्ती अन्मूलन/सुधार योजना राज्य क्षेत्र में है और राज्य सरकारों द्वारा राज्य प्लान के रूप में चलाई जाती है। राज्य प्लान योजनाओं के लिये केन्द्रीय वित्तीय सहायता समेकित ऋणों और समेकित अनुदानों के रूप में दी जाती है । राज्य प्लान के भीतर निधियों का अन्त: क्षेत्रीय नियतन राज्य सरकारों द्वारा भारत सरकार और योजना आयोग द्वारा निर्धारित मार्ग निर्देशनों को ध्यान में रख कर अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है । भारत सरकार द्वारा गन्दी बस्ती अन्मूलन/सुधार के लिए विशिष्ट रूप से कोई निधियाँ आवंटित नहीं की जाती ।

'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के अन्तर्गत 1980 के दौरान आवंटित गेहूं और चावल

184. श्री त्रिदिब चौधरी : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) 'काम के लिए अनाज' कार्यक्रम के अन्तर्गत 1980 के दौरान विभिन्न राज्यों को कितना गेहूं और चावल भेजा गया है; और

(ख) क्या वर्ष के शेष महीनों में खाद्यान्न सहायता की मात्रा में कमी करने या इसे बिलकुल स्थगित करने का प्रस्ताव है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मन्त्री (श्री बीरेन्द्रसिंह राव) : (क) और (ख) वर्ष 1980 के दौरान विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को आबंटित/बंटित खाद्यान्नों की मात्रा को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है । आबंटन को कम करने अथवा इसे बिलकुल स्थगित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

विवरण

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को सामान्य/विशेष काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटित/बंटित खाद्यान्नों की मात्रा को दर्शाने वाला विवरण ।

(मीटरी टनों में)

राज्य	विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को किया गया आबंटन			31 अक्तूबर, 80 तक बंटित मात्रा
	अप्रैल, 80	अक्तूबर, 80	कुल	
1	2	3	4	5
1. आन्ध्र प्रदेश	63,000	42,000	1,05,000	63,000

1	2	3	4	5
2. असम	11,000	8,000	19,000	5,500
3. बिहार	1,10,000	54,000	1,64,000	1,10,000
4. गुजरात	10,000	12,500	22,500	10,000
5. हरियाणा	20,000	3,500	23,500	20,000
6. हिमाचल प्रदेश	18,000	2,500	20,500	18,000
7. जम्मू तथा काश्मीर	10,000	3,500	13,500	10,000
8. कर्नाटक	13,500	18,500	32,000	13,500
9. केरल	13,500	18,000	31,500	13,500
10. मध्य प्रदेश	1'9 ,000	29,500	2,28,500	1,99,000
11. महाराष्ट्र	40,000	32,000	72,000	40,000
12. मणिपुर	1,500	500	2,000	—
13. मेघालय	1,500	500	2,000	750
14. नागालैंड	2,000	400	2,400	—
15. उड़ीसा	82,000	18,500	1,00,500	82,000
16. पंजाब	6,000	5,500	11 500	6,000
17. राजस्थान	1,30,000	10,400*	1,30 000	1,30,000
18. सिक्किम	500	250	750	500
19. तमिलनाडु	27,000	33,000	60,000	27,000
20. त्रिपुरा	3,500	1,250	4,750	3,500
21. उत्तर प्रदेश	1,95,00	74,500	2,69,500	1,95,000
22. पश्चिम बंगाल	70,000	30,000	1,00,000	20,000
केन्द्र शासित क्षेत्र				
23. अण्डेमान और निकोबार द्वीपसमूह	750	300	1,050	750
24. अरुणाचल प्रदेश	650	300	950	—
25. चंडीगढ़	—	—	—	—
26. दादरा और नगर हवेली	—	—	—	—
27. दिल्ली	—	—	—	—
28. गोवा, दमण और दीव	—	—	—	—
29. लक्षद्वीप	—	—	—	—
30. मिजोरम	1,250	300	1,550	—
31. पांडिचेरी	350	300	650	350
	10,30,000	4,00,000	14,19,600	9,68,350

* अग्रिम बंटन पहले ही किये जा चुके हैं और यह 1,30,000 मीटरी टन में शामिल है।

फार्म सम्बन्धी नई मूल्य नीति

185. **श्री अवधराय प्रधान** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छठी योजनावधि के दौरान देश में कृषि उत्पादन के लिये फार्म सम्बन्धी एक नई नीति बनाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : छठी पंचवर्षीय योजना अभी तैयार की जा रही है। कृषि मूल्य आयोग के संशोधित विचारार्थ विषयों से, जो सरकार ने मार्च, 1980 में अपनाये थे, छठी योजनावधि के दौरान कृषि उत्पादों के लिए फार्म सम्बन्धी नई मूल्य नीति काफी रूप से प्रभावित होगी। इस संशोधन से हुई दो प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं :—(क) जिन जिन्सों के लिए कृषि मूल्य आयोग खरीद/न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफारिश करेगा उसकी संख्या में वृद्धि और (ख) कृषि तथा गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार के रूप में परिवर्तनों पर कृषि मूल्य आयोग द्वारा विचार करना। उत्पादन की उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए उत्पादकों को प्रोत्साहन देने, उत्पादन के संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चिति करने, उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने तथा अर्थ-व्यवस्था की सभी आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में संतुलित व समेकित मूल्य संरचना के विकास सम्बन्धी मूल्य नीति के पूर्व उद्देश्यों का अनुसरण करना भी जारी रहेगा।

पश्चिम बंगाल के लिये चीनी

186. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकार की माँग पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जून से दिसम्बर, 1980 की अवधि के लिये पश्चिम बंगाल राज्य को खुले बाजार में बिक्री के लिये तथा लोक वितरण प्रणाली से बिक्री के लिये कितनी चीनी रिलीज की;

(ख) क्या यह सच है कि रिलीज की गई चीनी से पश्चिम बंगाल की जनता की माँग पूरी हो जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उस राज्य को शीघ्र अधिक चीनी सप्लाई करने का है।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) पश्चिमी बंगाल सरकार को जून से नवम्बर, 1980 की अवधि के लिए 21994 मी० टन लेवी चीनी का मासिक कोटा आबंटित किया गया है। दिसम्बर, 1980 के लिए लेवी कोटे की नियुक्ति यथा समय की जाएगी। पश्चिमी बंगाल सरकार ने 40,000 मी० टन के लेवी चीनी के मासिक कोटे के लिए अनुरोध किया था लेकिन 1979-80 मौसम में चीनी के उत्पादन में गिरावट को देखते हुये किसी भी राज्य को 16-8-80 को चीनी पर से नियंत्रण हटाने के तुरन्त पूर्व की आंशिक नियंत्रण की अवधि के दौरान दिए जा रहे उनके कोटे के स्तर से अधिक कोटा देना सम्भव नहीं हुआ है।

जहाँ तक मुक्त बिक्री की चीनी का सम्बन्ध है, पहली सितम्बर, 1980 से 15 नवम्बर, 1980 तक लागू स्वैच्छिक मूल्य विनियमन योजना के अधीन पश्चिम बंगाल सरकार को सितम्बर के लिए 10,219 मी० टन, अक्तूबर के लिए 12,481 मी० टन और नवम्बर, 1980 के प्रथम पखवाड़े के लिए 5,600 मी० टन मुक्त बिक्री का कोटा आबंटित किया गया था। पश्चिमी बंगाल सहित सभी राज्य सरकारों की जन-संख्या के लिये कुछेक समायोजनों के साथ अतीत में

मुक्त बिक्री की चीनी की खपत के स्वरूप के आधार पर ये कोटे आवटित किये गए थे। पश्चिमी बंगाल सरकार ने 15,000 मी० टन प्रति मास के हिसाब से मुक्त बिक्री की चीनी का कोटा देने के लिए अनुरोध किया था लेकिन चीनी की सीमित उपलब्धता की दृष्टि से उनके अनुरोध को स्वीकार करना सम्भव नहीं हुआ था।

(ग) पश्चिमी बंगाल सहित राज्य सरकारों के लेवी चीनी के मासिक कोटों में वृद्धि के विषयक उनके अनुरोध पर 1980-81 मौसम में चीनी के उत्पादन की पद्धतियों की दृष्टि में विचार किया जाएगा।

चीनी के मूल्य में वृद्धि के लिए राज्य सरकारों को निर्देश

187. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राज्य सरकारों को गन्ने के मूल्य में वृद्धि के लिए निर्देश दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) राज्यों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य के अलावा गन्ने का ऊंचा मूल्य देने के बारे में ऐसे कोई सरकारी निर्देश जारी नहीं किए गये हैं। तथापि, फैक्टरियों द्वारा गुड़ और खाण्डसारी निर्माताओं के साथ होड़ में गन्ने की पर्याप्त सप्लाई प्राप्त करने के लिये ऊंचे मूल्य दिए जाने की सम्भावना है।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम

188. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब से राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम आरम्भ किया गया था, तब से उसमें आशानुरूप प्रगति नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) भविष्य में इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को अक्तूबर, 1978 में शुरू किया गया था। कार्यक्रम के कुछ पहलुओं की व्यापक रूप से आलोचना हुई थी। तदनुसार अक्तूबर, 1979 में गठित पुनरीक्षण समिति द्वारा इस कार्यक्रम का व्यापक पुनरीक्षण किया जाना था। इस कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उपाय ढूंढे जा रहे हैं।

भारत सरकार के मुद्रणालयों में जे० सी० एम० का दौरा

180. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुद्रण निदेशालय के अन्तर्गत जे० सी० एम० के कुछ प्रतिनिधियों ने सरकारी खर्चे पर विभिन्न सरकारी मुद्रणालयों का दौरा किया था;

(ख) यदि हाँ, तो 1 जनवरी, 1978 से तारीख-वार, यूनिट-वार, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसमें सरकार की सम्बद्ध अग्रिम राशि क्या है तथा यह रियायत किन नियमों के अन्तर्गत दी गई थी ?

(ग) क्या यह अग्रिम राशि समय पर और विधिवत रूप से समायोजित की गई थी और यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन दौरों से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) सरकारी खर्च पर जे० सी० एम० के प्रतिनिधियों के दौरे दो प्रकार के थे। एक दौरा विभागीय परिषद् (जे० सी० एम०) द्वारा बनाई गई समिति के सदस्यों के रूप में जे० सी० एम० के सदस्यों का था जिन्हें परिषद् में उठाये गए विशेष मामले की जांच करनी थी और इस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। दूसरा दौरा मुद्रण निदेशक के निर्देशन के अन्तर्गत विशिष्ट प्रयोजनों के लिए भारत सरकार मुद्रणालयों में विभागीय परिषद् (जे. सी. एम.) के मुद्रण, लेखन सामग्री और प्रकाशन विंग के कर्मचारी पक्ष का नेता क था। पहली जनवरी, 1978 में विभागीय परिषद् (जे. सी. एम.) के सदस्यों ने समिति को भेजे गए कतिपय मामलों की जांच करने और सिफारिशें देने के लिये विभागीय परिषद् (जे. सी. एम.) द्वारा बनाई गई समिति के सदस्यों के रूप में 13-9-1979, 25-10-79 और 4-3-80 को क्रमश नासिक कलकत्ता और शिमला का दौरा किया। ये सरकारी दौरे थे और ये सदस्यगण सामान्य यात्रा, भत्ता/दैनिक भत्ता जैसा कि नियमों के मुताबिक अनुमेय है, के पात्र थे। नियमों के अनुसार, वे अपनी-अपनी यात्रा के लिये यात्रा भत्ता अग्रिम के भी पात्र थे। यात्रा भत्ता अग्रिम व्यक्ति के यात्रा भत्ता बिल में अनिवार्य रूप से समायोजित किया जाता है। चूंकि सदस्यगण शिमला, दिल्ली, नासिक और कलकत्ता स्थित भारत सरकार मुद्रणालयों के थे, इसलिए दिये गए अग्रिमों और किये गए समायोजनों के ब्यौरे तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं।

इसके अतिरिक्त, विभागीय परिषद् (जे. सी. एम.) में मुद्रण, लेखन-सामग्री तथा प्रकाशन विंग का प्रतिनिधित्व करने वाले कर्मचारी पक्ष के नेता को मुद्रण निदेशक के कहने पर लोकहित में 18-5-80 को शिमला और 7-9-80 को कलकत्ता का दौरा करना अपेक्षित था। इसलिए, इन दो यात्राओं को सरकारी यात्रा के रूप में माना गया और नियमों के अनुसार उन्हें शिमले की यात्रा के लिये 300.00 रु. और कलकत्ता के लिए 600.00 का यात्रा भत्ता अग्रिम दिया गया।

(ग) वास्तविक स्थिति जैसे कि भाग (ख) में पहले ही बता दी गई, तुरन्त उपलब्ध नहीं है। जे. सी. एम. समिति के सदस्यों को दिये गए अग्रिमों को जो सितम्बर 1979, अक्तूबर 79 और मार्च, 80 में उनकी यात्राओं से सम्बन्धित है और पूर्णतः पुराने हैं, सामान्य प्रक्रिया के अनुसार उनके यात्रा भत्ता दावों में समायोजित कर दिया जायेगा। कर्मचारी पक्ष के नेता ने जिन्होंने मई, 80 में शिमला और सितम्बर, 80 में कलकत्ता का दौरा किया था, अपना यात्रा भत्ता (समायोजन) बिल 22-7-80 को (मई, 80 में शिमला यात्रा के बारे में) और 4-10-80 को

(सितम्बर, 80 में कलकत्ता यात्रा के बारे में) पहले ही प्रस्तुत कर दिया है। ये बिल जाँचाधीन हैं।

(घ) जी, हाँ। जे. सी. एम. के सदस्यों का दौरा लाभदायक था क्योंकि उन्होंने प्रबन्धक/भारत सरकार और कर्मचारियों के मध्य सम्पर्क के रूप में कार्य किया। इसी प्रकार विभागीय परिषद् (जे. सी. एम.) में मुद्रण, लेखन सामग्री और प्रकाशन विंग का प्रतिनिधित्व करने वाले कर्मचारी पक्ष के नेता का शिमला और कलकत्ता स्थित भारत सरकार मुद्रणालय का दौरा उपयोगी था क्योंकि उन्होंने संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी के सदस्यों के नाते अपेक्षित अवसरों पर प्रबन्धकों तथा कर्मचारियों के मध्य सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य किया।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत सरकार के मुद्रणालयों के कर्मचारियों के लिए बोनस

190. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने रेल, रक्षा तथा कुछ अन्य विभागों से जुड़ा रक्षा तथा कुछ अन्य विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को उत्पादिता से जुड़ा हुआ बोनस देने का निर्णय किया है परन्तु भारत सरकार के मुद्रणालयों में काम करने वाले कर्मचारियों पर इस सम्बन्ध में विचार नहीं किया है,

(ख) क्या यह सच है कि भारत सरकार मुद्रणालय, अलीगढ़ को मुख्यतया डाक-घर विभाग की आवश्यकताएं पूरी करनी होती हैं,

(ग) क्या भारत सरकार मुद्रणालय, अलीगढ़ के सभी कर्मचारियों ने एक मांगपत्र पर हस्ताक्षर करके उसे बोनस दिये जाने हेतु मन्त्रालय को भेजा है, और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अलीगढ़, पटना तथा अन्य मुद्रणालयों के कर्मचारियों को प्रोत्साहन के रूप में उत्पादिता से जुड़ा हुआ बोनस देने का है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) : जी, हां।

(घ) : यह प्रस्ताव इस मन्त्रालय में विचाराधीन है। यह निर्णय जब कभी भी यदि किया तो यह मन्त्रालय के अधीन भारत के सभी मुद्रणालयों पर लागू होगा। फिर भी यह कहा जाता है कि पटना में इस समय भारत का कोई मुद्रणालय नहीं है।

अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम

191. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में "काम के बदले अनाज" योजना कब लागू की गई थी और भारत सरकार द्वारा कितनी मात्रा में चावल/गेहूं की मंजूरी दी गई है;

(ख) क्या उपरोक्त योजना के अन्तर्गत अंडमान और निकोबार प्रशासन ने सामग्री की लागत की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो कब और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) पोर्ट ब्लेयर, तहसील रंगत, तहसील फरारगंज, तहसील दिगलीपुर. तहसील मायाबुंदेर और लिटिल अंडमान तहसील में क्रमशः "काम के बदले अनाज" योजना के अन्तर्गत श्रमिकों को सप्लाई किए गए चावल की मात्रा क्या है; और

(ङ) यदि कोई असंगति है तो प्रत्येक तहसील में इसके क्या कारण हैं;

कृषि तथा ग्रामिण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में काम के बदले अनाज कार्यक्रम का कार्यान्वयन वर्ष 1979-80 में शुरू हुआ था। वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान केन्द्र शासित प्रशासन के लिए किए गए आवंटन/वंटन निम्न प्रकार हैं :—

	1979-80	1980-81
आवंटित मात्रा (मीटरी टन)	550	1050
वंटित मात्रा (मीटरी टन)	75	750

(ख) : जी हाँ।

(ग) : केन्द्र शासित क्षेत्र को 5 लाख रुपये की नकद धनराशि आवंटित की गई है।

(घ) और (ङ) : केन्द्र शासित प्रशासन से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में प्राथमिक पाठशालाएं

192. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** : निम्नलिखित जानकारी देने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) देश में राज्यवार ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में प्राथमिक पाठशालाओं की अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन पाठशालाओं की अपनी/सरकारी पक्की इमारतें हैं। इसमें आवश्यक सामान और पढ़ाई अध्यापन सुविधाएं हैं तथा इस संबन्ध में पूर्ण ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार है कि ग्रामीण क्षेत्र की इन सभी पाठशालाओं के लिये इमारतों के निर्माण की योजना बनाने का है और इस प्रकार शिक्षा को उद्देश्यपूर्ण तथा सुबोध बनाया जाये; और

(घ) यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) विवरण संलग्न है (विवरण I) **(ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल. टी. 1392/80)**

(ख) जी नहीं; सभी प्राथमिक स्कूलों के पास पक्के भवन, न्यूनतम उपस्कर, पाठ्यपुस्तकें आदि उपलब्ध नहीं हैं। दो विवरण संलग्न हैं। (ग्रंथालय में रखे गये, देखिये संख्या एल. टी 1392/80) इनमें से एक (विवरण II) में छः मुख्य वर्गों, अर्थात् खुले स्थान, तम्बू, झोपड़ियों कच्चा, आंशिक रूप से पक्का, और पक्का के अनुसार प्राथमिक स्कूल भवन ढांचों की राज्यवार संख्या दर्शायी गई है और दूसरे (विवरण-III) में ग्रामीण और शहरी-दोनों क्षेत्रों में प्रबन्ध के अनुसार छात्रों के लिए श्यामपट्ट, पाठ्यपुस्तक बैंक, पुस्तकालय तथा पर्याप्त फर्नीचर की सुविधाओं वाले प्राथमिक स्कूलों की कुल संख्या दर्शायी गई है।

(ग) और (ङ) सरकार को विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूलों की कमियों का पता है। राज्य सरकारों को 1980-85 के लिए अपनी छठी योजना के प्रस्ताव तैयार करते समय इन कमियों को ध्यान में रखने की सलाह दी गई है। तथापि, आर्थिक स्रोतों की कमी के कारण उस निश्चित समयावधि को बताना संभव नहीं है, जिसमें इस कमी को पर्याप्त रूप से पूरा किया जा सकता है।

धान की घबराहटपूर्ण बिक्री

193 **श्री आर. वाई. घोरपडे** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों से धान की घबराहटपूर्ण बिक्री की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या नई नीति के अनुसार 18 प्रतिशत से अधिक नई-धारिता वाली धान की वसूली करना मना है;

(ग) यह कैसे सुनिश्चित किया जाता है कि कर्मचारी इस निर्देश का कड़ाई से पालन करते हैं और धान की केवल निर्धारित किस्म की ही वसूली की जाती है;

(घ) क्या यह सच है कि धान का अधिकांश भडार चावल मिल के मालिकों द्वारा खरीद लिया गया है और केवल अधिक नमी-धारिता वाला धान सरकारी एजेंन्सी के लिए छोड़ दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या मनमाने ढग से धान की किस्म और इसमें नमी.धारिता घोषित करके किसानों को उचित मूल्य प्राप्त करने से वंचित करने वाले वसूली अधिकारियों और कमीशन एजेन्टों की मिली-भगत के ऊपर कोई उचित नियंत्रण है

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं। किसी भी राज्य सरकार से मजबूरी में बिक्री करने के बारे में कोई सरकारी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। मौसम के प्रारम्भ में पंजाब तथा हरियाणा में राज्य की एजेंसियों द्वारा धान की खरीदारी न करने के बारे में प्राप्त कुछ अभ्यावेदकों को राज्य सरकारों को उचित कार्रवाई करने के लिए भेज दिया गया था।

(ख) जी नहीं। हाल ही में नमी तत्व को 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है लेकिन पिछले वर्ष की भांति कटौती ज री रहेगी।

(ग) तकनीकी दृष्टि से योग्य और प्रशिक्षित स्टाफ, जोकि नमी.पीटरों से सुसज्जित होते है को बसूली कार्य पर नियुक्त किया जाता है।

(घ) जी नहीं। वस्तुतः पंजाब तथा हरियाणा में धान की अधिकांश खरीदारी सरकारी एजेंसियों द्वारा की गई हैं। पंजाब और हरियाणा के 12-11-1980 के 37.02 लाख मीटरी टन के कुल मंडी आवक में से सरकारी एजेंसियों ने 215.8 लाख मीटरी टन की खरीदारी की थी जोकि 58 प्रतिशत से अधिक बैठता है। अधिक नमी वाले जो स्टाक खरीदे गये हैं उन पर पूर्ववत अनुपातिक कटौती की जा रही है।

(ङ) वसूली मौसम के दौरान, विशेष स्क्वड तैनात किए जाते हैं। वे मंडियों में स्थल पर ही अचानक निरीक्षण करते हैं और किसानों की कठिनाइयों का पता लगाते हैं।

अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा चलाई जा रही शैक्षिक संस्थाओं में काम करने वाले अध्यापकों को सुरक्षा प्रदान करना :

194. **श्री सी. चिन्नास्वामी :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा चलाई जा रही शैक्षिक संस्थाओं में कार्य करने वाले अध्यापकों के हित की रक्षा करने के लिए संविधान में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धीत ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में वंसधारा नदी में बाढ़ आ जाने के कारण केन्द्रीय दल की गुनपुर की यात्रा

195. **श्री गिरीधर गोमांगो :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय दल ने उड़ीसा के कोरापुट जिले के बाढ़-प्रभावित गुनुपुर सब-डिवीजन में वंसधारा नदी के कारण हुई हानि और क्षति का अनुमान लगाने के लिये हाल में दौरा किया था ;

(ख) यदि हाँ, तो गुनुपुर सब-डिवीजन में दल ने क्या-क्या निष्कर्ष निकाले;

(ग) उन्होंने बाढ़-प्रभावित लोगों तथा सब-डिवीजन की समस्याएं दूर करने के लिये उनके मन्त्रालय तथा उड़ीसा सरकार को क्या सुझाव दिया; और

(घ) इस बारे में उनके मन्त्रालय और उड़ीसा सरकार ने क्या उपाय किये हैं;

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) एक केन्द्रीय दल ने 8 तथा 10 अक्तूबर, 1980 के बीच उड़ीसा के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया।

(ख) वसंधारा नदी ने 17 तथा 18 सितम्बर, 1980 को अभूतपूर्व क्षति पहुंचाई। 17 सितम्बर, को लगभग 11 बजे प्रातः यह 82.20 मीटर के खतरे के निशान को पार कर गई थी तथा लगभग 5 बजे सायं इसने शहर के सुरक्षा बांध (84.50 मीटर) को पार कर लिया था। उसके बाद अगले दिन शाम तक नदी का स्तर निरन्तर रूप से बढ़ता रहा। इसी बीच गुनुपुर तथा गंजम में काशीनगर के नदी के साथ वाले नगर भयंकर रूप से क्षतिग्रस्त हुए। इन दोनों शहरों तथा वसंधारा नदी के तट के कुछ गांवों की अनेक झोंपड़ियों के अतिरिक्त, भारी संख्या में पक्के मकान भी बह गये थे : दल ने पेड़ों की चोटियों पर पानी के बहाव के कारण अटकी वस्तुओं तथा क्षति होने से बचो शेष इमारतों की दीवारों पर पानी के निशानों से बाढ़ के स्तर का स्पष्ट प्रमाण देखा। बाढ़ से एक बड़ा पुल तथा बड़े संचार खम्भे गिर गए थे जिसके कारण नदी भी काफी बड़े सस्यगत क्षेत्र में फैल गई तथा इसके फलस्वरूप काफी अधिक कृष्य भूमि में भारी मात्रा में फैल गई।

(ग) तथा (घ) केन्द्रीय दल ने राहत तथा बचाव कार्यों, सार्वजनिक सम्पति की मरम्मत एव पुर्नस्थापन तथा श्रम प्रधान कार्यों को आरम्भ करने तथा सामुदायिक परिसम्पत्तियों के पुर्नस्थापन के लिए केन्द्रीय सहायता की सिफारिश की है। इसके अतिरिक्त, इसने उड़ीसा सरकार को अग्रिम योजना सहायता देने के लिए भी सिफारिश की है। केन्द्रीय दल की रिपोर्ट

पर राहत सम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति ने विचार कर लिया है तथा लगभग 43 करोड़ रुपए की व्यय सम्बन्धी सीमा को स्वीकृति देने से सम्बन्धित एक प्रस्ताव पर भारत सरकार विचार कर रही है।

केन्द्रीय सरकार ने सिफारिश की है कि राज्य सरकार को क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण के लिये लोगों को सहायता देने हेतु 'हुडको", जीवन बीमा निगम तथा राज्य आवास बोर्ड से आवास संबन्धी ऋण की व्यवस्था करने के लिए प्रयास करना चाहिए

गुनुपुर सब.डिवीजन के लिए सहायता देने के संबंध में कोई विशेष सिफारिश नहीं की गई है।

राज्य सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(1) बचाव तथा राहत कार्य।

(2) उन लोगों का पुनर्वास करना, जिनके मकान बह गए हैं अथवा पूर्णतया तथा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं।

(3) शिल्पियों तथा मछुआों को सहायता देना।

(4) रोजगार देने के लिए श्रम प्रधान कार्य आरम्भ करना।

(5) क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्ति की मरम्मत तथा पुर्नस्थापन।

(6) प्रभावित क्षेत्रों में कृषि उत्पादन को तेज करना।

अपना खुद का मकान रखने वाले कर्मचारियों के लिये सरकारी आवास

196. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गत दो दशाब्दियों से अधिक समय से जिन सरकारी कर्मचारियों को आवास अलाट नहीं किया गया है और जो अभी तक प्रतिक्षा सूची में हैं, उन्हें आवास दिलाने के लिये अपना स्वयं का मकान रखने वाले और प्रति माह 1000/-रुपये और इससे अधिक की राशि का किराया पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को आवास अलाट करने संबन्धी निर्णय को बदलने पर विचार कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो इस समय यह मामला किस अवस्था में है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

आई. आई. टी., मद्रास में आरक्षण आदेशों का अनुपालन

197. **श्री के. वी.एस. मणि** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई. आई. टी., मद्रास में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों संबंधी आरक्षण आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में स्थल पर ही जाकर कोई अध्ययन किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा स्थल पर जाकर अध्ययन कब किया जाएगा ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) और (ख) जी हां. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों, के आयुक्त के कार्यालय के एक अध्ययन दल ने 28-1-1978 को, आई.आई. टी. मद्रास में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति सम्बन्धी आरक्षण आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में अध्ययन किया।

जे. वी. एम. जी. आर. कालेज, चरखी. दादरी, हरियाणा को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान

1 8. **श्री चिरंजीलाल शर्मा** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री जे. वी. एम. जी. आर. कालेज को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान के बारे में 23 जून, 1980 के अतारांकित प्रश्न सख्या 1637 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चौथी योजना अवधि के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता से जे. सी. एम. जी. आर. कालेज के स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण में कतिपय अनियमितताओं की जाँच इस बीच पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) क्या अनुदान दे दिया गया है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) जाँच-रिपोर्ट प्राप्त होने पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कालेज से स्टाफ क्वार्टरों में पर्याप्त विद्युत सुविधाएं प्रदान करने तथा इस सम्बन्ध में एक प्रमाण-पत्र भेजने को कहा था। आयोग ने इस शर्त पर कालेज को विकास अनुदान देने पर लगे प्रतिबन्ध को सामान्य रूप से हटा लेने का निर्णय किया।

कालेज ने अब अपेक्षित प्रमाण-पत्र भेज दिया है। यद्यपि कालेज को स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिये अनुदान पहले ही अदा कर दिये गये हैं, किन्तु अभी पुस्तकालय भवन के निर्माण के लिये अनुदान प्रदान किये जाने हैं।

औद्योगिक लकड़ी तथा सामाजिक दृष्टि से उपयोगी वन

199. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में औद्योगिक लकड़ी की भारी कमी है;

(ख) क्या सरकार का विचार है कि वनों में अधिक उपज देने वाली इमारती लकड़ी की किस्में, विशेषकर मध्य अमरीकी जातियों के वृक्ष लगाये जायें;

(ग) क्या सरकार का विचार है कि ईंधन की लकड़ी की कमी को दूर करने के लिये गांवों में तथा उनके आसपास सामाजिक दृष्टि से उपयोगी वन लगाने के लिये पड़ती तथा बंजर भूमि को खेती योग्य बनाया जाये; और

(घ) क्या सरकार औद्योगिक लकड़ी तथा समाज-उपयोगी वन लगाने के कार्य को गति देने के लिये द्रुत कार्यक्रम आरम्भ करने के लिये विशेष धनराशि निर्धारित करेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी हाँ। देश में औद्योगिक लकड़ी की कमी है।

(ख) जी हाँ।

(ग) जी हां।

(घ) औद्योगिक लकड़ी उगाने के लिये कोई विशेष धनराशि निर्धारित नहीं की जाती। केन्द्रीय प्रायोजित योजना (सामाजिक वानिकी) के तहत ग्रामीण जनता को जलाने की लकड़ी सप्लाई करने के लिये ईंधन की लकड़ी के पेड़ लगाने के लिये राज्यों को सहायता देने के एक प्रस्ताव पर विचार हो रहा है।

धान के लिये खर-पतवार नाशी पदार्थों के आयात पर निर्भरता

200. **श्री ज्योतिर्मय वसु** : कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश धान के लिये खर-पतवार नाशी पदार्थों (बूटा-क्लोर-मोनसोनेटो केमिकल्स्, यू. एस. ए.) के आयात पर पूरी तरह से निर्भर है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य में इसे रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) और (ख) धान के लिये खरपतवार नाशी औषधियों का प्रयोग देश के कुछ सीमित भागों में ही किया जाता है। कृषकों द्वारा 2, 4-डी "पोपेनिल, "नाईट्रोफेन" आदि देश में बनी खरपतवार नाशी औषधियों तथा "बुटाचुंलोर" आयातित खरपतवार नाशियों का प्रयोग होता है। किसानों ने "बुटाचुंलोर"/ आदि खरपतवार नाशी को अधिक प्रभावकारी पाया है, अतः यह खरपतवार नाशी अच्छी औषधि है।

(ग) एक अन्य खरपतवार नाशी (जापान की बेंथिओकार्ब), जिसे समान रूप से प्रभावकारी कहा गया है, को अस्थायी तौर पर रजिस्टर किया गया है ताकि भारतीय कीट-नाशियों का निर्माण करने वाली कम्पनी विनिर्माण सम्बन्धी क्षमता को बढ़ा सके। इसके अलावा तकनीकी ग्रेड के बुटाचुंलोर के विनिर्माण के लिये तीन भारतीय फर्मों के लिये आशय पत्र जारी किये गये हैं। एक अन्य कम्पनी का मामला भारत सरकार के विचाराधीन है।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ? ...

प्रो. मधु दण्डवते (राजापुर) : हमने आपको स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था।...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप सब बैठ जाइए। (व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचित करना है कि मेरे पास रेल दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में बहुत से स्थगन प्रस्ताव के नोटिस आये हैं।

श्री बसुदेव आचार्य, श्री ए. के. बालन, श्री रूपचन्द पाल और श्री हरिकेश बहादुर से नोटिस प्राप्त हुए हैं। श्री बसुदेव आचार्य के निम्न प्रस्ताव को बैलट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जोकि इस प्रकार है :

"केवल दस दिन की अवधि में संगम एक्स प्रेस, सौराष्ट्र मेल और पंजाब मेल की दुर्घटनाओं के समाचार, जिनमें सैकड़ों यात्रियों की मृत्यु हुई तथा कई सौ व्यक्तियों को चोटें आईं।"

मैंने नियम 56 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दी है। श्री बसुदेव आचार्य स्थगन प्रस्ताव को पुर:स्थापित करने के लिए सभा से अनुमति ले सकते हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : अन्य प्रस्तावों का क्या बना ?

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : दूसरी भी पढ़िये। कम्युनल रायट्स वाली भी पढ़िये। यह बहुत गम्भीर मामला है। और कौन-कौन से एडजर्नमेंट मोशन आए हैं उनको भी पढ़िये।

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिये। क्या आपने नियम पढ़ा है ? (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जायेगा। (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप सभी अपने स्थानों पर बैठ जायें।

प्रो० मधुदंडवते (राजापुर) : मैं केवल यही जानना चाहता हूँ। कितने स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ? रेल दुर्घटना उनमें से एक है। रेल मंत्रालय में बहुत से परिवर्तन हुए हैं। शायद इसलिए आपने इसे लिया है। परन्तु अन्य प्रस्तावों के बारे में क्या स्थिति है। मूल्य वृद्धि के प्रस्ताव का क्या बना ? मैंने उसकी सूचना दी थी। हमें उसकी बहुत चिन्ता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी को स्वीकृति नहीं दे सकता।

प्रो. मधु दंडवते : क्या मंत्री महोदय इस पर वक्तव्य देंगे ? हमें इस बारे में बहुत चिन्ता है। मूल्य वृद्धि क्या महत्वपूर्ण मामला नहीं है ?

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : प्राइस राइज वाला सबसे महत्वपूर्ण मामला है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सभी बैठ जाइए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी रिकार्ड न किया जाये. (व्यवधान)**

प्रो मधु दंडवते : आपने इस मामले पर स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति क्यों दी है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह मेरा निर्णय है। आप बैठ जाइए। मुझे पता है कि बहुत से आवश्यक प्रश्न हैं। यदि हम सभी मामले साथ-साथ लेना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : प्रधान मंत्री सचिवालय से पूर्व अनुमति आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय : इसका प्रश्न नहीं उठता। मैं अपने निर्णय लेने के लिए किसी से परामर्श नहीं करता। यह मेरे पर एक आक्षेप है। इसे रिकार्ड किया जाना चाहिए, मैं इस पर ध्यान दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठिए। जब मैं बोल रहा हूं तब आपको मौन रहना चाहिए।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभी बातें एक साथ नहीं ली जा सकती। यदि आप हर समय व्यवधान डालते रहे तो मैं कैसे बोल सकता हूं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न नहीं उठता। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : परन्तु, आपको सभी बातों, प्रक्रिया पुस्तक में उल्लिखित नियमों तथा विनियमों पर ध्यान देना होता है। कृपया बैठ जाइए। आप बाधा क्यों डाल रहे हैं ? मैं हर प्रश्न, हर पहलू पर विचार करके सभी मामलों पर चर्चा की अनुमति दूंगा। परन्तु एक समय में एक ही मामला लिया जा सकेगा। आज सायं कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हो रही है उसमें चर्चा की जा सकती है। यह स्थगन प्रस्ताव एक माननीय सदस्य ने दिया है। स्थगन प्रस्ताव मैंने नहीं रखे माननीय सदस्यों ने रखे हैं। यदि मैंने आपका ही समय लिया होता तो अन्य बात थी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी किसी बात में व्यवधान न डालें। कृपया सुनिए। मुझे अपनी बात समाप्त करने दें। मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ कि आपको प्रत्येक मामले पर चर्चा का अवसर मिलेगा।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री राम विलास, आप मुझे इस प्रकार निदेश नहीं दे सकते। मूल्य वृद्धि है, साम्प्रदायिक दंगों के मामले हैं, असम की समस्या है। बहुत सी बातें हैं। सभी महत्वपूर्ण हैं। आप उनका महत्व कैसे घटा सकते हैं। यह मेरा कर्तव्य है जिसे मुझे निभाना है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं बोल रहा हूं अतः आप बैठ जाइए। हर बात पर चर्चा की जा सकती है परन्तु इस प्रकार नहीं।

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोत) : श्रीमान् मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उनका व्यवस्था का प्रश्न है।...(व्यवधान)

श्री मगन भाई बरोत : कृपया अध्याय 9 देखिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी समय दूंगा। मैंने श्री बसुदेव आचार्य को समय दिया है तथा उन्हें सभा से अनुमति लेने के लिये कहा है। पहले उन्हें बोलना चाहिये।

श्री ज्योतिमय बसु : मेरा एक नियम 56 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न है। क्या आप सभा को बतायेंगे कि किस दिन पहले पहल स्थगन प्रस्तावों के नोटिस प्राप्त हुये और आपको किस-किस समय ये नोटिस प्राप्त हुए और आपके द्वारा स्वीकार किये गये। इसका विवरण आप सभा को दें। जो पहले प्राप्त हुआ उसे पहले अवसर दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : देखिए, मेरे लिये किसी को कोई स्पष्टीकरण देना आवश्यक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : माफ कीजिये अध्यक्ष महोदय, आप मनमानी नहीं कर सकते। ...(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव (आजम गढ़) : मेरा नियम 60 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उनकी बात सुनकर मैं आपके व्यवस्था के प्रश्न पर ध्यान दूंगा।

(व्यवधान)

श्री मगन भाई बारोत : आप स्थगन प्रस्ताव के बारे में अध्याय नौ देख सकते हैं। (व्यवधान) कृपया मुझे अपनी बात कहने दें। (व्यवधान)

श्री ज्योतिमर्य बसु : जो मैंने पढ़कर सुनाया था, वह वर्णनात्मक भाग है। उसका व्यवहार्य भाग यह है कि यदि आप सभा को विश्वास में लेगें तब हम समझेंगे कि आप इन मामलों में राजनीतिक उद्देश्यों से कार्य नहीं कर रहे हैं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कौन से राजनीतिक उद्देश्य ? ···(व्यवधान) नितांत गलत बात। (व्यवधान) नहीं—नहीं आप···

एक माननीय सदस्य : क्यों नहीं ? (व्यवधान)

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसन्त साठे) : ऐसी टिप्पणी की अनुमति नहीं दी जा सकती। (व्यवधान) मैं अध्यक्ष के विरुद्ध उद्देश्यों के बारे में आरोप लगाने के विरुद्ध हूं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात सही है। व्यवस्था का प्रश्न उचित है।

श्री मगन भाई बारोत : कृपया अध्याय नौ में नियम 56 की पहली पंक्ति देखें। उसमें कहा गया है : 'इन नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये स्थगन प्रस्ताव···' शब्द एक प्रस्ताव और आपने कई प्रस्तावों में से 'एक प्रस्ताव' चुना है···(व्यवधान) कृपया सुनिये। मुझे अपनी बात कहने दे। आपको एक प्रस्ताव के चुनने का अधिकार है। आपके द्वारा उसका प्रयोग···

(व्यवधान)

श्री बसन्त साठे : उन्होंने बैलिट द्वारा चुना है।

श्री मगन भाई बारोत : कृपया नियम 57 और 58 देखें। नियम 58 में निहित है कि आप संबद्ध व्यक्ति से पूछेंगे। आपको प्रस्ताव के समर्थकों को समर्थन के लिए तथा विरोधियों को विरोध के लिए अवसर देना चाहिये। परन्तु अनुमति देने का मामला एक प्रस्ताव द्वारा रखा जा सकता है। (व्यवधान) नहीं, नहीं, श्री ज्योतिमर्य बसु आप हमें पढ़ाये नहीं। हम भी कुछ जानते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : केवल 'एक प्रस्ताव' है।

श्री चन्द्रजीत यादव : मेरा व्यवस्था का प्रश्न नियम 60 के अन्तर्गत है। आपको नियम 60 के अधीन अधिकार है कि किसी स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करें अथवा अस्वीकार करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मामला अविलम्बनीय लोक महत्व का होना चाहिए। मुख्य कसौटी यही है। मैं मानता हूँ कि आपके समक्ष बहुत से स्थगन प्रस्ताव हैं। आपने रेल दुर्घटनाओं के मामले पर प्रस्ताव स्वीकार किया है जिनमें सैकड़ों व्यक्ति, मारे गये हैं। एक अन्य प्रस्ताव साम्प्रदायिक दंगों के बारे में है जिसमें सैकड़ों व्यक्ति मारे गये। साम्प्रदायिक स्थिति के बारे में लोगों के मन आन्दोलित हैं। पूरे देश का सरकार से विश्वास उठ गया है। तीसरा प्रस्ताव बढ़ते हुये मूल्यों के बारे में है क्योंकि अभूतपूर्व मूल्य-वृद्धि से भारतीय समाज कष्ट उठा रहा है, जैसा कि आप जानते हैं चीनी का मूल्य 8 रुपये से बढ़कर 15 रुपये किलोग्राम हो गया है। मिट्टी के तेल का मूल्य 4 रुपये प्रति लिटर हो गया है। (व्यवधान) आपने इसे अस्वीकार कर दिया है तथा अपना निर्णय नियम 60 के पैरा 2 के अधीन लिया है जिसमें कहा गया है—

'परन्तु जब अध्यक्ष ने नियम 56 के अन्तर्गत अपनी सम्पति देने से इन्कार कर दिया हो य कि उसकी राय हो कि चर्चा के लिए प्रस्थापित विषय नियमानुकूल नहीं है।'

'...यदि वह आवश्यक समझे तो प्रस्ताव के नोटिस को पढ़ें तथा प्रस्ताव को स्वीकार न करने अथवा प्रस्ताव को नियमित न मानने के कारण बतायें।'

मैं कह रहा था कि यह मामले, अर्थात मूल्य वृद्धि तथा साम्प्रदायिक दंगें अधिक बहुत महत्व के हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि भले ही आपने अपनी समझ से इन दों राष्ट्रीय महत्व के मामलों को स्वीकार न करने के कारण न बतायें हों, हमने आपको लिखा है कि आप विपक्ष के नेताओं की बात सुने कि वे क्यों मूल्य वृद्धि एवं साम्प्रदायिक दंगों पर स्थगन प्रस्ताव के लिए आग्रह कर रहे हैं... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास विपक्षी ग्रुपों से सामग्री प्राप्त हुई है। मैं 30-3-72 का एक उदाहरण देता हूँ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह बहुत हाल ही का है।

श्री चन्द्रजीत यादव : क्या आप उसकी अनुमति नहीं देते। हमें आपके कार्यालय ने सूचित किया है कि आपने इसे सुने बिना मना कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : हम कार्य मंत्रणा समिति में विचार करेंगे कि किन मामलों पर कैसे चर्चा की जाए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप इस पर कार्य मंत्रणा समिति में विचार नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्तावों पर चर्चा की जा सकती है।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई-उत्तर पूर्व) : मुझे आपको सूचित करना है कि नियम 60 का उल्लंघन हुआ है। मैंने भी मूल्य वृद्धि पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था। यह आपके स्व-विवेक पर निर्भर करता है कि आप क्या बात स्वीकार करते हैं तथा क्या अस्वीकार करते हैं। हम आपके अधिकार को चुनौती नहीं देते। परन्तु आप सुविज्ञ व्यक्ति हैं तथा आप संसदीय प्रणाली पर लिखे गये शीघ्र-पत्रों से अवगत हैं। यह स्वेच्छा पूर्वक अधिकार आप मनमाने ढंग से नहीं बरत सकते। इसलिए इस विशिष्ट परिस्थिति में आपको कारण बताने चाहिये। सारा सदन जानना चाहता है कि आपने अन्य दो की तुलना में इसे वरीयता क्यों दी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिक्रम महाजन) : यह प्रश्न कि कौन सा स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किया जाये अथवा नहीं, अथवा किस मामले पर स्वीकार किया जाये यह पूर्णत: आपके स्वविवेक पर निर्भर करता है। यह बात नियम 59 में स्पष्ट है जिसमें उल्लेख है : 'परन्तु अध्यक्ष अपने स्वविवेक से ऐसे किसी विषय को उठाने की अनुमति दे सकता है। यह आपका स्वविवेक है कि किस मामले को लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूँ।

श्री बिक्रम महाजन : * दूसरे, जब आप किसी विशेष प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं, तो क्या आपको उसके कारण बताने होंगे। यह नियम 60 में स्पष्ट नहीं है जिसमें कहा गया है।

'60. (1) अध्यक्ष यदि नियम 56 के अन्तर्गत सम्पत्ति दे और यह ठहराय कि चर्चा के लिये प्रस्थापित विषय नियमानुकूल है तो वह सम्बन्धित सदस्य को पुकारेगा जो अपने स्थान पर खड़ा होगा और सभा के स्थगन का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति मांगेगा।'

इससे माननीय सदस्य को उनके द्वारा उठाई गई बातों का उत्तर मिल जाता है। आप कारण बताएं अथवा नहीं यह पूरी तरह आपके स्वविवेक का मामला है। इसलिए यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष जी, आपने रेल दुर्घटना के बारे में काम रोको प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं क्योंकि आप काम रोको प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दे रहे हैं। अभी तक हमारा ख्याल था कि आपने फैसला कर रखा है लेकिन मेरा निवेदन यह है कि काम रोको प्रस्ताव अपोजीशन की तरफ से आता है···

अध्यक्ष महोदय : मेरी तरफ से नहीं आया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यही मैं कहने जा रहा हूं कि अपोजीशन इसके लिए तैयार है कि रेल दुर्घटना से सम्बन्धित काम रोको प्रस्ताव को वापिस ले ले और प्राइज राइज से सम्बन्धित काम रोको प्रस्ताव पेश करने की अनुमति आप प्रदान करें।···(व्यवधान)

प्रो. मधुदण्डवते (राजापुर) : जब विपक्ष के नेता आपके कक्ष में आप से मिले थे, आपने हमें पूछा था "आप किन मामलों पर ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे ?' हमने आपको बताया था कि लोगों के समक्ष मूल्य वृद्धि का मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही उसपर चर्चा की अनुमति दे दी है। हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। मैं चर्चाओं पर कतई रोक नहीं लगाना चाहता।

श्री यशवन्त राव चव्हाण (सतारा) : मूल्य वृद्धि पर स्थगन प्रस्ताव पर आप से चर्चा हुई थी तथा आपने हमें चर्चा के लिए बुलाया था तथा मुझे विशेष रूप से याद है जब मैंने यह प्रश्न आपके समक्ष रखा था तथा कहा था ऐसा लगता है कि आपने स्थगन प्रस्ताव न स्वीकार करने का निर्णय कर रखा है। कृपया इस मामले पर इस सत्र में चर्चा करने के मामले पर पुनर्विचार करें।" आज जब हम स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करने को ही थे तो एक सदस्य ने सुझाव दे दिया। परन्तु आप तकनीकी तौर से मामले को नहीं ले सकते यदि आप पूरे विपक्ष के एक मत की अवहेलना नहीं करते हैं। हम सहयोग दे रहे हैं परन्तु आप इन्कार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं-नहीं (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आज की पुनरीक्षित कार्य सूची की मद 8 में उल्लेख है :

श्री सी के. जाफर शरीफ : 20,27 और 30 अक्तूबर, 1980 को हुई तीन गंभीर रेल दुर्घटनाओं के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

दूसरे शब्दों में पहले से परिचालित पुनरीक्षित कार्य सूची के अनुसार सरकार स्वतः ही तीन रेल दुर्घटनाओं के बारे में वक्तव्य दे रही है। जिस पर किसी अन्य व्यक्ति ने स्थगन प्रस्ताव रखा था। मैं आदर पूर्वक कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के मामलों का हम पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। मन्त्री महोदय यदि रेल दुर्घटनाओं पर संतोषजनक वक्तव्य देते हैं तब उस मामले पर स्थगन प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं रह जाती। आप उस पर 3-4 घंटे देना चाहते हैं ? (व्यवधान) निश्चय ही जब विपक्ष के बहुमत ने मूल्य वृद्धि पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है तब क्या आप हमें कारण भी नहीं बतायेंगे कि आप मूल्य वृद्धि पर स्थगन प्रस्ताव क्यों नहीं स्वीकार कर रहे जिस पर कि पूरा विपक्ष एकमत है।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : यह स्थगन प्रस्ताव हमारी पार्टी के एक सदस्य ने दिया है। हमने मूल्य वृद्धि पर भी स्थगन प्रस्ताव दिया है। आज पुरे देश में विपक्ष की भूमिका पर चर्चा हो रही है। मैं अपनी पार्टी की ओर से स्थगन प्रस्ताव वापस लेने को तैयार हूँ बशर्ते कि आप मूल्य वृद्धि पर स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दें। पूरा विपक्ष पूरी तरह सहयोग देगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री चव्हाण को सुना है हम सब जो मिलते हैं, इस लिये मिलते हैं कि बैठकर बात करें और जो समस्यायें हैं उनका समाधान हो। उसमें हम आप की राय लेते हैं और उस दिन भी सारी बातें आई थीं, क्या-क्या डिस्कस करना चाहते हैं। मैंने भी उस दिन यह निवेदन किया था कि मैं किसी डिस्कशन को दबाना नहीं चाहता हूं। मेरा रूख निष्पक्ष है। परन्तु जब मैंने एक बात पर निर्णय ले लिया है आप क्यों चाहते हैं कि मैं इसे बदलूं। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि इन सभी मामलों पर पूरी चर्चा की जायेगी तथा उसके लिए आपको पूरे अवसर दिये जायेंगे (व्यवधान) मंहगाई की बात भी करेंगे, मुरादाबाद की बात भी करेंगे। भूखमरी की बात करेंगे, सभी बातें करेंगे।

मैं सुझावों का स्वागत करता हूं। मैंने आश्वासन दिया था कि मैं सभा में किसी वाद-विवाद में रूकावट नहीं डालूंगा। मैं सभा के सभी सदस्यों को ऐसे महत्वपूर्ण मामलों पर एक-एक करके चर्चा करने का पूरा अवसर दूंगा। (व्यवधान)

प्रो. मधुदंडवते : जो आभास आपने अपनी बात में दिया है, मुझे उसे सही करने का अवसर दें। अभी आपने बताया कि जब आपने विपक्ष के नेताओं को बुलाया था तब आपने आश्वासन दिया था कि और सभी मामलों पर चर्चा का अवसर देंगे। परन्तु मुझे स्पष्ट करने दें कि जब विपक्ष के सभी नेता आप से मिले थे तब हमने बताया था कि हम स्थगन प्रस्ताव की दृष्टि से मूल्य वृद्धि को प्राथमिकता देते हैं। हम मात्र चर्चा ही नहीं करना चाहते हम सरकार की निन्दा भी करना चाहते हैं। इसी लिए हम यह स्थगन प्रस्ताव रखना चाहते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सहयोग देना चाहता हूं तथा मैंने आपको आश्वासन दिया था कि मैं इस मामले पर चर्चा करने पर सहयोग दूंगा।

श्री चन्द्रजीत यादव : परन्तु यदि वह उसे वापस लेते हैं तो इसमें बुराई ही क्या है? क्या सदस्य को वापस लेने का अधिकार नहीं है?

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना निर्णय नहीं बदलूंगा तथा सभी मामलों पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय देने संबन्धी आश्वासन पर कायम रहूंगा। (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमन, आपने कहा था कि एक अथवा दो प्रस्ताव लिए जायेंगे। परन्तु नियम 58 में यह उल्लेख है :

"एक बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव नहीं लिया जायेगा।" (व्यवधान) चूंकि माननीय सदस्य मूल्य वृद्धि के प्रस्ताव पर चर्चा करना चाहते हैं, जिस सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था वह वापस लेने को तैयार हैं··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : निर्णय बदलने का कोई पूर्व उदाहरण नहीं है। (व्यवधान) मैं चर्चा की अनुमति दूंगा।

श्री चन्द्रजीत यादव : उन्हें वापस लेने दें··· (व्यवधान) माननीय सदस्य वापस लेने

को तैयार है; यदि आप विपक्ष के सदस्यों का सहयोग चाहते हैं तो आपको परिवर्तन स्वीकार करना चाहिए··· (व्यवधान)

श्री बसन्त राव साठे : श्रीमान मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 60 में निहित है :

60 (1) अध्यक्ष यदि नियम 56 के अन्तर्गत सम्मति दें और यह ठहराय कि चर्चा के लिये प्रस्थापित विषय नियमानुकूल है तो वह सम्बन्धित सदस्य को पुकारेगा जो अपने स्थान पर खड़ा होगा और सभा के स्थगन का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति मांगेगा : दोनों स्थानों पर 'करेगा' शब्द का प्रयोग हुआ है। यदि वह चाहते हैं तो प्रस्ताव पुरः स्थापित कर सकते हैं। और यदि नहीं चाहते तो वह कह सकते हैं 'मैं अनुमति नहीं मांगता। परन्तु अध्यक्ष महोदय के समक्ष कोई विकल्प नहीं है कि वह कहें कि 'मैं प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति देता हूं···

(व्यवधान)

प्रो. मधु दण्डवते : रेलवे दुर्घटनाओं पर स्थगन प्रस्ताव के वापस लिये जाने के बाद क्या आप अपना निर्णय बदलेंगे ? (व्यवधान)

श्री बसन्त साठे : सदस्य स्वयं बाहर जा सकते हैं परन्तु प्रस्ताव वापस नहीं लिया जा सकता। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाईए। इनमें कोई विकल्प नहीं है (व्यवधान) आप अवसर देने की चेष्टा नहीं करते।

मैंने आपको बताया है कोई विकल्प नहीं है अपितु इसे जारी रखना ही होगा। यदि श्री वसुदेव अनुमति के लिए समक्ष नहीं आते तब यह उनकी इच्छा है। परन्तु मैं उन से नहीं कहूंगा। (व्यवधान) ऐसा कोई पूर्व उदाहरण नहीं···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्री बसुदेव ने अब क्या लिखा है, यह तो ठीक है कि उन्होंने दिया था। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते ? अगर हाउस ऐसे चलाने से चल सकता है तो चला लीजिए। (व्यवधान) मैं हरेक की बात सुन रहा हूं। मैं बार-बार यह बता रहा हूँ कि मैंने कोई तहैया नहीं किया हुआ है कि इस पर डिस्कशन नहीं होना है। (व्यवधान) इस तरह से आपके कहने से तो हाउस नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री राम बिलास पासवान : हम लोगों ने भी एडजोर्नमेंट मोशन दिया है।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु आज नहीं कर सकता। मैं एक ही स्वीकार कर सकता हूँ।

श्री चन्द्रजीत यादव : आप विपक्ष की सर्वसम्मत राय को स्वीकार नहीं करते···

अध्यक्ष महोदय : आप मेरा निवेदन स्वीकार नहीं करते।

श्री चन्द्रजीत यादव : क्योंकि आप मूल्य वृद्धि के मामले पर चर्चा की अनुमति नहीं देते, जिसके कारण कि पूरी जनता कष्ट उठा रही है, इसलिए हम सभा को त्यागते हैं।

इस पर श्री चन्द्रजीत यादव और कुछ अन्य सदस्य सभा से उठ कर चले गये।

(व्यवधान)

श्री बापूसाहिब परुलेकर (रत्नगिरी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है। आपने बताया कि आप चर्चा के लिए रख सकते हैं। परन्तु आपके अधिकारियों ने सूचित किया है कि हमारे

सभी स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार कर दिये गये हैं। हमें यह नहीं बताया गया कि यह अध्यक्षपीठ के विचाराधीन हैं। क्या आपने हमारे सभी स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार कर दिये हैं। हम केवल यही प्रश्न पूछ रहे हैं परन्तु कोई उत्तर नहीं दिया गया। हमने स्थगन प्रस्ताव दिये थे तथा हमें सूचित किया गया है कि प्रस्ताव अस्वीकार कर दिये गये है। और आप कहते हैं कि आप चर्चा के लिए अवसर देंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव विद्यमान हैं। नियम 184 में (19) के अन्तर्गत हमारे समक्ष अन्य प्रस्ताव हैं। इस प्रकार के कई प्रस्ताव हैं।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : स्थगन प्रस्ताव का क्या बना ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दी है।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : अल्प प्रस्तावों का क्या बना ? क्या आपने उन्हें अस्वीकार कर दिया है ? उसके कारण क्या हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे कारण बताने की आवश्यकता नहीं है।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : परन्तु आपने रेलवे दुर्घटनाओं पर स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किया है। मैं जानना चाहता हूं कि रेल संबन्धी स्थगन प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ था। (व्यवधान)

श्री बापूसाहिब परुलेकर : क्यों नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह मालूम नहीं है कि अन्य कहाँ से आये हैं। तथ्य तो यही है वह सदस्यों से ही आते है।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : यदि आप यह बता देते हैं तो क्या इससे कोई हानि होगी ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने नहीं दिया था। मुझे देने की आवश्यकता नहीं है (व्यवधान)

श्री बापूसाहिब परुलेकर : इस पर कोई रोक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : श्री रूप चन्द पाल···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाये···(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह पूर्णत्या गलत, झूठ तथा बेबुनियाद है।

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी,) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

नियम 60 के अन्तर्गत स्थिति विचित्र है। आपने एक स्थगन सम्बन्ध के प्रबन्ध में अपनी अनुमती दे दिया ही है जिसे प्रस्तुत नहीं किया गया था। हमने अनेक स्थगन प्रस्तावों की सूचनाये दी है उनमें साम्प्रादायिक दंगे सम्बन्धी एक मेरा स्थगन प्रस्ताव भी हैं। आप कम से कम हमें यह तो बता दीजिये कि आप इसे प्रस्तुत क्यों नहीं कर रहे ताकि हम प्रतिदिन इसके बारे में बार-बार प्रश्न न उठाते रहे।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आईये। मेरे लिए यह आवश्यक नहीं है···

श्री जी. एम. बनातवाला : मैं साम्प्रदायिक दंगों सम्बन्धी अपना स्थगन प्रस्ताव फिर भेज दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : वह आपकी स्वेच्छता पर निर्भर करता है।

श्री जी. एम बनातवाला : हमें कारण बताईयें कि आप इसकी अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

भारतीय तार (चौथा तथा पांचवा संशोधन) नियम, 1980

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : मैं भारतीय तार अधिनियम 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं

(1) भारतीय तार (चौथा संशोधन) नियम, 1980 जो दिनांक 27 अगस्त 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. सं. नि. 492 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) भारतीय तार (पांचवा संशोधन) नियम, 1980 जो दिनांक 25 सितम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. सं. नि. 549 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। (ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल. टी. 1293/40)

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बम्बई का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) मैं निम्न पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ।

(1) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(2) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। (ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल. टी. 1294/80)

श्री राम जेठमलानी (बम्बई उत्तर पश्चिम) : सभा पटल पर रखे गये पत्रों के सम्बन्ध में मुझे टिप्पणी करने का अधिकार है। (व्यवधान)

आचार्य भगवान देव : (अजमेर) मैं जानना चाहता हूँ कि माननीय जेठमलानी जी ने वाक आऊट किया है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय: वह बैठे हुये हैं। कैसे वाक आउट हुआ ?

श्री राम जेठमलानी : मैं बाहर चला गया था और अब मैं वापिस आ गया हूं।

(व्यवधान)

श्री राम जेठमलानी : मैं स्वयं अपने दल का ध्यान रखता हूं। इन लोगों को मुझे परामर्श देने की आवश्यकता नहीं है।··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाईये।

श्री राम जेठमलानी : मैं ऐसे लोगों से परमामर्श लेता हूं जिनकी जानकारी मेरे से अधिक होती है, इन जैसे भद्र पुरुषों से नहीं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने जो कुछ कहा है नियमानुसार कहा है।

श्री राम जेठमलानी : मुझे सभा-पटल पर रखे गये प्रपत्रों के प्रबन्ध में दो टिप्पणियाँ करनी है···वह टिप्पणियाँ जिन्हें नियम 305 बी के अन्तर्गत नहीं लिया गया है।

सर्वप्रथम ही मैं यह कहना चाहता हूं जो पत्र सभा-पटल पर रखे गये हैं, उनमें 10 महत्वपूर्ण अध्यादेश में शामिल है जिनको पिछले ही दिनों में जारी किया गया था जबकि संसद कर सत्र होने ही को था...:

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अभी सभा-पटल पर नहीं रखा गया है। वह पद्य संख्या 5 है जिसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी होगी।

श्री राम जेठमलानी : मैं इनकी परेशानी के लिए प्रतीक्षा करूंगा।

बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 1980
राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश, 1980,

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 1980 आदि, आदि तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण (सुधार प्रभार की दर निश्चित करने के कारण) नियम, 1980 :

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : मैं निम्न पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (क) के अन्तर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) राष्ट्रपति द्वारा 21 अगस्त, 1980 को प्रख्यापित बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 1980 (1980 का संख्या 10)।

(दो) राष्ट्रपति द्वारा 22 सितम्बर, 1980 को प्रख्यापित राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश, 1980 (1980 का संख्या 11)।

(तीन) राष्ट्रपति द्वारा 23 सितम्बर, 1980 को प्रख्यापित दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 1980 (1980 का संख्या 12)।

(चार) राष्ट्रपति द्वारा 13 अक्तूबर, 1980 को प्रख्यापित मारुति लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अध्यादेश, 1980 (1980) का संख्या 13)।

(पाँच) राष्ट्रपति द्वारा 13 अक्तूबर, 1980 को प्रख्यापित एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) अध्यादेश, 1980 (1980 का संख्या 14)।

(छः) राष्ट्रपति द्वारा 13 अक्तूबर, 1980 को प्रख्यापित चाय (संशोधन) अध्यादेश, 1980 (1980 का संख्या 15)।

(सात) राष्ट्रपति द्वारा 15 अक्तूबर, 1980 को प्रख्यापित हिन्द साईकिल्स लिमिटेड और सेन रैले लिमिटेड (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश, 1980 (1980 का संख्या 16)।

(आठ) राष्ट्रपति द्वारा 25 अक्तूबर, 1980 को प्रख्यापित वन (संरक्षण) अध्यादेश, 1980 (1980 का संख्या 17)।

(नौ) राष्ट्रपति द्वारा 25 अक्तूबर, 1980 को प्रख्यापित दि बर्ड एण्ड कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण तथा अन्य सम्पत्तियां) अध्यादेश, 1980 (1980 का संख्या 18)।

(दस) राष्ट्रपति द्वारा 10 नवम्बर, 1980 को प्रख्यापित ओरोविले (आपात उपबंध) अध्यादेश, 1980 (1980) का संख्या 19)। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी 1295/80)।

(2) दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 58 के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण (सुधार प्रभार की दर निश्चित करने के कारण) नियम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 27 नवम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधि-

सूचना संख्या सां. सां. नि. 1007 में प्रकाशित हुए थे। ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या 1296/80)।

अध्यक्ष महोदय : श्री राम जेठमलानी।

श्री राम जेठमलानी : मैं जो दो टिप्पणियां करने जा रहा हूं, वह इस प्रकार है।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री बूटासिंह) : किस नियम के अन्तर्गत।

अध्यक्ष महोदय : मैंने नियम पढ़ने के बाद ही उन्हें बोलने की अनुमति दी है।

श्री राम जेठमलानी : श्रीमान जी, आप इस सदन की गरिमा तथा प्राधिकार के संरक्षक है। मेरी प्रथम टिप्पणी तो यही है कि आपने इस सत्र की अवधि को घटाने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का विरोध नहीं किया है। आपका यह कर्तव्य है कि महत्वपूर्ण मामलों पर विचार करने के लिए सदन को प्रर्याप्त समय उपलब्ध करवाया जाये। यह खेद की बात है कि सत्र की अवधि बढ़ाने की अपेक्षा कम कर दी गई है। इसका आशय संसद की संज्ञा तथा उसमें विरोध प्रकट करने के अधिकार को कम करने का है।

मेरी दूसरी आपत्ति यह है कि जो अध्यादेश जारी किये गये हैं उनसे सरकार की संसदीय प्रणाली को खतरा हो गया है।

(श्रीबूटा सिंह) : वह गुणो-दोषों की चर्चा कर रहे हैं।

श्री राम जेठमलानी : जो सरकार अध्यादेश जारी करने की आदी हो गई हो, वह संसदीय लोकतंत्र तथा संसदीय गरिमा के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ इन अध्यादेशों को जारी करके अनुच्छेद 123 के साथ खिलवाड़ किया गया है। मैं चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय सरकार के प्रति अपना असंतोष व्यक्त करते हुये कहे कि शासन करने का तरीका नहीं है। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप सदन की गरिमा के रक्षक होने के नाते सरकार के प्रति अपना असतोष व्यक्त कर देंगे।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगन भाई बारोत) : मैं यह जानता हूं कि श्री जेठ मलानी को नियमों की जानकारी नहीं है परन्तु मैं यह नहीं जानता कि वह नियमों के प्रति इतने अनभिज्ञ हैं। अध्यादेश जारी करना तो सरकार का अधिकार है। सदन ने अभी इसके सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं किया है। इन पर विचार किया जायेगा। इसका निर्णय करना सदन का कार्य है। वह आरोप लगा रहे हैं। यदि वह चाहते हैं तो उनमें इन अध्यादेशों को असफल बनाने का साहस होना चाहिये।

श्री राम जेठमलानी : मैं श्री मगनभाई बारोत से अनुरोध करता हूँ कि वह 'कोल एण्ड शकधर' द्वारा लिखित पुस्तक पढ़ें जो कि उन्होंने नहीं पढ़ी है। उन्हें कम से कम घर पर यह पुस्तक भी पढ़नी ही चाहिये।

श्री मगनभाई बारोत : मुझे यह मालूम नहीं था कि वह नियमों के प्रति इतने अनभिज्ञ है।

श्री एच के. एल. भगत (पूर्वी दिल्ली) : श्रीमान जी मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री बापू साहिब परुलेकर (एनगिरी) : आप किस नियम के अन्तर्गत पूछ रहे हैं? इस प्रकार से भेदभाव नहीं बरता जाना चाहिए।

श्री एच. के. एल. भगत : श्रीमान जी, आपने श्री जेठमलानी का सदन में चल रही कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रश्न पूछने की अनुमति दी थी। इस अनुमति की आड़ में उन्होंने आप पर

आरोप लगाने शुरू कर दिये। उन्होंने कहा कि आप सदन की प्रतिष्ठा को बनाये रखने में असमर्थ रहे हैं। अध्यक्ष पर लगाया गया यह गंभीर आरोप है जिसकी अनुमति किसी भी नियम के अन्तर्गत नहीं दी जा सकती। हम इसे सहन नहीं कर सकते। उन्हें पहले आप से क्षमा मांगनी चाहिये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह आरोप नहीं लगा सकते।

श्री एच. के. एल. भगत : वह अध्यक्ष के साथ इस प्रकार नहीं बोल सकते। हम इसे सहन नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : कोई आरोप नहीं लगायेगा।

श्री एच. के. एल भगत : इन्हें यह समझ लेना चाहिये कि यह बात करने का तरीका नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : कोई भी आरोप मत लगाईये। कृपया बैठ जाईये।

श्री राम जेठमलानी : न तो मैंने कोई आरोप लगाया है और न ही आपको आरोप लगा है।

श्री एच. के. एल. भगत : यह एक ऐसा तथ्य है जिसे आप बदल नहीं सकते।

(व्यवधान)

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (मंजेरी) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी जो राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश सभा-पटल पर रखा गया है, मैं उसके सम्बन्ध में टिप्पणी करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जो नाम निश्चित समय से पूर्व मेरे पास आ गये थे, मैं केवल उन्हीं लोगों को बोलने की अनुमति दूंगा अन्य लोगों को नहीं। (व्यवधान)

श्री बूटासिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री बूटासिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि सदस्य महोदय ने आप से अनुमति···

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने मेरे पूर्व अनुमति मांगी थी और वह मैंने दे दी है।

श्री बूटासिंह : मैं भी नहीं कह रहा हूं। उन्होंने कार्यवाही सूची के कुछ नियमों के बारे में कहने की आप के पूर्व अनुमति मांगी थी। उन विषयों के बारे में वह केवल तकनीकी और संवैधानिक आधार पर ही आपत्ति उठा सकते हैं। वह अध्यादेश की गुण-दोष के आधार पर चर्चा कर रहे हैं जो वह नहीं कर सकते ×

अध्यक्ष महोदय : किसी असंसदीय आरोप की अनुमति नहीं दी जायेगी। हां, श्री जेठमलानी आप अपनी बात जारी रखिये।

श्री रामजेठमलानी : मेरे मित्र कुछ कठोर तथा अश्लील होने के अतिरिक्त बिल्कुल ठीक हैं। मैं पत्रों की संवैधानिकता के सम्बन्ध में टिप्पणी करना चाहता हूँ। मेरी संवैधानिक टिप्पणी यही है कि यह अध्यादेश संविधान के अनुच्छेद 123 पर किया गया खिलवाड़ है। इनमें से अधिकांश अध्यादेशों जिनमें कि मारुति अध्यादेश भी शामिल है, जिसके माध्यम से लोगों को उनकी धनराशि से वंचित रखा गया है, वह गैरसंवैधानिक तो है, वह संसद की शक्ति के विपरीत है।

× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

मैं आशा करता हूं कि संवैधानिक प्रश्नों से सम्बद्धता को दृष्टिगत रखते हुए आप इन अध्यादेशों पर विचार करने के लिए पर्याप्त समय देंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री चित्त बसु।

श्री राम जेठमलानी : यह कह कर मैं एक बार फिर सदन से बाहर जा रहा हूं।

(इसके पश्चात श्री रामजेठमलानी सभा से बाहर चले गये) :

श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ : मैं यह कहना चाहता हूं कि संविधान के अनुच्छेद 123 (क) के अन्तर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को सभा-पटल पर नहीं रखा जा सकता क्योंकि कुछ···

अध्यक्ष महोदय : आप पहले अपना नाम भेजते और फिर मेरी अनुमति मांगते तो मैं आपकी अनुमति दे देता परन्तु अब नहीं दे सकता। आपने मुझे पूर्व सूचना नहीं दी थी··· (व्यवधान) नहीं··· (व्यवधान) ×

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही मामले की जांच करली है। मेरे योग्य पूर्वाधिकारी भी समय-समय पर इस सम्बन्ध में अपने निष्कर्ष देते रहे हैं। उन्होंने संसद का सत्र आरम्भ होने के अवसर पर अध्यादेश जारी करने को ठीक नहीं माना। मैं भी उनके साथ सहमत हूं।

अध्यादेशों के स्थान पर विधेयक प्रस्तुत करने का संकेत सरकार ने पहले ही दे दिया है। जब सदन में सम्बद्ध विधेयकों पर विचार किया जायेगा, उस समय सदस्य अपने विचार सदन के समक्ष रख सकते हैं।

अत: आज उन अध्यादेशों के सदन को सभा-पटल पर रखने में कोई आपत्ति नहीं है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन-भाग दो, तथा विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण और अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा बन और बागान विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 1977-78 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा और विलम्ब के कारण बताने वाले विवरण

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : मैं श्री वीरेन्द्रसिंह राव की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं।

(1) (एक) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन – भाग दो (प्रशासन तथा वित्त) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी.) 1297/80**)।

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह बन तथा बागान विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

+ कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(दो) अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह वन तथा बागान विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर का वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। (ग्रंथालय में रखे गये : देखिये संख्या एल. टी. 1298/80)।

"छठी पंचवर्षीय योजना, 1980-85– एक प्रारूप"

योजना तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : मैं छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 "एक प्रारूप" (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1299/80)।

अक्तूबर, 1980 में हुई तीन रेल-दुर्घटनाओं के बारे में विवरण।

रेल मंत्री (श्री केदार पाण्डे): मैं 20 27 और 30 अक्तूबर, 1980 को हुई तीन गंभीर रेल दुर्घटनाओं के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1300/80)।

भारतीय डेरी निगम बड़ौदा के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन तथा विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण :

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : मैं निम्न लिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय डेरी निगम, बड़ोदा के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय डेरी निगम, बडोदा का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। (ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 1301/80)।

श्री आशुतोष कौशिक नामक विद्यार्थी की मृत्यु के कारणों की जांच सम्बन्धी प्रतिवेदन और उस पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी ज्ञापन तथा दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 की कुछ धाराओं को निलम्बित करने सम्बन्धी अधिसूचना :

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. बेंकटसुब्बैया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) कश्मीरी गेट पौलिटेकनिक के एक छात्र श्री आशुतोष कौशिक की मृत्यु के कारणों की जांच करने के लिए गठित जांच आयोग का प्रतिवेदन।

(दो) उपरोक्त प्रतिवेदन के निष्कर्षों पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी ज्ञापन। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1302/80)।

(2) अधिसूचना संख्या सां. आ. 804(ङ) हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 20 सितम्बर, 1280 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसमें दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1 66 की धारा 31 के अन्तर्गत 20 सितम्बर, 1980 को राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया आदेश सामिल है, जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के कतिपय उपबंधों को 21 सितम्बर, 1 80 से और छः महीने के लिए निलम्बित किया गया है। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1303/80)।

31-12-7 को समाप्त होने वाली कालावधि के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रतिवेदनऔर भारत सरकार द्वारा अक्तूबर, 1980 में जारी किये गये बाजार ऋणों के परिणामों को बताने वाला विवरण :

वित्त मन्त्रालय में उ. मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : मैं (1) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तर) अधिनियम, 1970 की धारा 10 की उपधारा (8) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) की एक-एक प्रति पुन. सभा पटल* पर रखता हूं।

(एक) सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के 31 दिसम्बर, 1979 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(दो) बैंक आफ इंडिया के 31 दिसम्बर, 1979 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(तीन) पंजाब नेशनल बैंक के 31 दिसम्बर, 1979 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(चार) बैंक आफ बड़ौदा के 31 दिसम्बर, 1979 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(पांच) यूनाइटेड कमर्शल बैंक के 31 दिसम्बर 1979 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(छ) केनरा बैंक के 31 दिसम्बर, 1979 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(सात) यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया के 31 दिसम्बर, 1979 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(आठ) देना बैंक के 31 दिसम्बर, 1979 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(नौ) सिंडिकेट बैंक के 31 दिसम्बर, 1979 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बंधी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

*प्रतिवेदन पहले 8 अगस्त 1980 को सभा पटल पर रखे गये थे।

(दस) यूनियन बैंक आफ इंडिया के 31 दिसम्बर, 1979 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन। (ग्रंथालय में रखे गये . देखिये संख्या एल. टी. 1244/80)।

(ग्यारह) इलाहाबाद बैंक के 31 दिसम्बर, 1979 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(बारह) इंडियन बैंक के 31 दिसम्बर, 1979 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(तेरह) बैंक आफ महाराष्ट्र के 31 दिसम्बर, 1979 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(चौदह) इंडियन ओवरसीज बैंक के 31 दिसम्बर, 1979 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन। (ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 1244/80)।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा अक्तूबर 1980 में जारी किये गये बाजार ऋणों के परिणामों को बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1304/80)।

(इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म. प. तक के लिए स्थगित हुई)।

लोक सभा मध्याह्न भोजन पश्चात 2 बजकर 5 मिनट पर पुनः समेत हुई)।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)।

सदस्य की गिरफ्तारी

(श्री जार्ज फर्नान्डीस)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को सूचना देनी है कि मुझे पुलिस निरीक्षक, पुलिस थाना, नासिक का दिनांक 15 नवम्बर, 1980 का निम्न तार प्राप्त हुआ है :

"आज 15-11-1980 को 11.00 बजे श्री जार्ज फर्नान्डीस, संसद सदस्य को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 143/147 और बम्बई पुलिस अधिनियम की धारा 135 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने और गैर-कानूनी रूप से इकट्ठा होने आदि के कारण नासिक में गिरफ्तार किया गया। सरकारवाडा पुलिस थाने के थानाध्यक्ष, पुलिस निरीक्षक देशपांडे ने गिरफ्तारी की। श्री जार्ज फर्नान्डीस को 17 नवम्बर, 1980 तक मजिस्ट्रेट की हिरासत में रखने के लिये दो दिन का रिमांड लिया गया।"

सदस्य की रिहाई

(श्री ए. के. राय)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को सूचना देनी है कि मुझे धनबाद जेल से दिनांक 13 नवम्बर, 1980 का निम्न तार प्राप्त हुआ है :

"श्री ए. के. राय, सदस्य, लोक सभा को 13 नवम्बर, 1980 को मध्याह्न पूर्व 9.05 बजे जेल से रिहा किया गया।"

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री मंडल के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को लिया जायेगा।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : जब तार 13 तारीख को प्राप्त हो गया था तो इसकी घोषणा मध्याह्न काल से पूर्व क्यों नहीं की गई ?

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें कोई खास बात नहीं है। श्री मंडल।

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

विदेशियों के मामले में असम में लगातार गतिरोध

श्री धनिक लाल मन्डल (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर गृह मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"असम में विदेशियों के मामले पर लगातार गतिरोध बने रहने, जिससे लोगों को कठिनाइयां हो रही हैं तथा राज्य की ओर समूचे देश की अर्थ-व्यवस्था बिगड़ रही है, के समाचार।"

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़े अफसोस की बात है कि सरकार द्वारा बड़े सहनशील तथा उचित रवैया अपनाने के बावजूद असम में 27 अक्तूबर, 1980 से फिर से आन्दोलन तेज किया गया है।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : डिप्टी स्पीकर साहब, हमको जो काफी दी गई है स्टेटमेंट की, जिन्होंने कि मोशन मूव किया है, उसमें कुछ अलग है और मंत्री जी पढ़ कुछ अलग रहे हैं। या तो यह इससे अलग है या अगर पढ़ने में कठिनाई हो रही है तो बात दूसरी है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो गृह मंत्री पर निर्भर करता है।

श्री सतीश अग्रवाल : क्या वह अन्य कुछ भी पढ़ सकते हैं ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो उन्हीं पर निर्भर करता है। क्या आपका कहने का तात्पर्य यह है कि वह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अतिरिक्त कुछ पढ़ रहे है ?

श्री सतीश अग्रवाल : जी हाँ, श्रीमान् जी, आप इसके बारे में अपना विनिर्णय दीजिए। अभी आपने कहा कि वह चाहे कुछ भी पढ़ सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अग्रवाल, आपने यह भी नहीं कहा, कि वह ध्यानाकर्षक के अतिरिक्त कुछ पढ़ रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : उपाध्यक्ष महोदय, जो विवरण हमें उपलब्ध करवाया गया है उसका शीर्षक है "गृह मत्री श्री जैलसिंह द्वारा दिया जाने वाला वक्तव्य" मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्हें पूरक टिप्पणियां करने का अधिकार है। परन्तु विवरण का शीर्षक है, "गृह मंत्री द्वारा दिया जाने वाला वक्तव्य।"

उपाध्यक्ष महोदय : जब कार्यालय द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है तो इस समय यह केवल गृह मंत्री द्वारा दिये जाने वाला वक्तव्य ही कहलाता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इन्हें यह वक्तव्य देने की आवश्यकता नहीं है। हम इसके बारे में जानना चाहते हैं क्योंकि ऐसा करके वह नई पद्धति स्थापित करने जा रहे हैं। अन्यथा हमें यह मामला किसी अन्य स्थान पर उठाना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय मैं मंत्री महोदय को बुला चुका हूं और अब वह उत्तर दे रहे हैं।

(व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह) : डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे खयाल में इंग्लिश और हिन्दी, दोनों स्टेटमेंट की कापियां तकसीम की गई थीं। हो सकता है उसमें कुछ अन्तर हो लेकिन वैसे मेरा हक बनता है कि मैं क्या शब्द काट दूं। फिर भी मैं आनरेबल मेम्बर साहबात को कोई शिकायत का मौका नहीं देना चाहता, जो तकसीम किया गया है उसी को पढ़कर सुना देता हूं।

महोदय, यह बड़े अफसोस की बात है कि सरकार द्वारा बड़े सहनशील तथा उचित रवैया अपनाने के बावजूद असम में 27 अक्तूबर, 1980 से फिर से आंदोलन शुरू कर दिया गया है। विधायकों का उनके होस्टल तथा जिलों के अन्य स्थानों में घेराव किया गया है। यह एक आंदोलन चलाने का प्रजातांत्रिक तरीका नहीं है। बन्द तथा असहयोग के बार-बार आह्वान से असम में सामान्य जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। इसके अतिरिक्त समुदायों तथा वर्गों में तनाव कटुता, संदेह और अविश्वास बढ़ता जा रहा है। आंदोलन शुरू होने के बाद से सात और जानें गई हैं जिससे अगस्त, 1979 के पश्चात हिंसा के कारण मारे गये व्यक्तियों की कुल संख्या 224 हो गई है। इसके अलावा 240 से अधिक व्यक्ति अभी लापता हैं।

साल भर से चले आ रहे आन्दोलन से देश की आर्थिक व्यवस्था को इतना नुकसान हुआ है कि इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। असम और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अन्य राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के विकास कार्यों को बड़ा धक्का लगा है। यातायात के अस्त-व्यस्त होने से आम आदमियों को अपनी रोजमर्रा की जरूरी चीजों को प्राप्त करने में बहुत अधिक कठिनाई हो रही है। आन्दोलन से असम की आर्थिक और वित्तीय व्यवस्था खतरे में पड़ गई है। कच्चे तेल की नाकाबन्दी और गोहाटी और डिगबोई रिफाइनरी के रुक जाने के कारण देश को जनवरी तथा सितम्बर, 1980 के दौरान लगभग 35 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल की हानि हुई है। उत्पादन की अनुमानित हानि लगभग 626 करोड़ रुपये है। एक अवस्था में उर्वरक संयन्त्र को कच्चा माल उपलब्ध कराने में कठिनाइयों के कारण 6 उर्वरक संयन्त्रों को बन्द करना पड़ा; उत्पादन में कटौती और फ्यूल आयल के लाने लेजाने में गड़बड़ी के कारण बिजली उत्पादन की हानि हुई है जिससे बहुत सी महत्वपूर्ण वस्तुओं, जैसे इस्पात, सीमेंट इत्यादि के उत्पादन में कमी हुई है।

सरकार असम में लोगों की वास्तविक शंकाओं के प्रति पूरी तरह जागरूक है और असम में विदेशियों की समस्या का शीघ्र समाधान निकालने के लिये उत्सुक रही है। उन्हें यह आश्वासन दिया गया है कि असम को सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषायी विशिष्टता को बनाये रखा जायेगा। आंदोलनकारियों की लगभग सभी मांगों को स्वीकार कर लिया गया है। निम्नलिखित उपाय भी शुरू किये गये हैं।

(एक) अवैध घुसपैठ को कारगर ढंग से रोकने के लिये सुरक्षात्मक प्रबन्धों को और कड़ा किया गया है;

(दो) सीमा के नदी तटीय क्षेत्र को गश्त के लिए आउट बोर्ड मोटरों सहित तेज चलने वाली नावों की व्यवस्था की गई है :

(तीन) मतदाता सूचियों में संशोधन करने के बाद असम में मतदाताओं को पहचान पत्र जिस पर फोटोग्राफ लगी होगी देने के प्रबन्ध किये जाएंगे ।

(चार) मतदाता सूचियों से उन व्यक्तियों के नाम हटा दिये जाएंगे जिन्हें अन्ततः विदेशी ठहराया जाएगा :

(पांच) भविष्य में नागरिकता प्रमाण पत्र केन्द्र सरकार के प्राधिकारियों द्वारा दिए जाएंगे और इसकी रूप रेखाएं तैयार की जा रही हैं :

(छः) असम में अचल सम्पत्ति प्राप्त करने के सम्बन्ध में विदेशियों पर पाबन्दी लगा दी गई है ।

सभी पहलुओं पर विचार करने और असम में सामान्य हालात बहाल करने की अधिक जरूरत को ध्यान में रखते हुये सरकार ने आन्दोलनकारी नेताओं को इस बात पर राजी करने का भरसक प्रयत्न किया है कि ऐसा सन्तोषजनक हल निकाला जाये जो सभी को मान्य हो । आन्दोलन चालू रहने से विदेशियों का पता लगाने और उन्हें निष्कासित करने का सामान्य कार्य भी जो कि आन्दोलनकारियों का उद्देश्य बताया जाता है, पूरी तरह रुक गया है । अतः सरकार मे निर्णय किया है कि मार्च, 1971 के बाद असम में आए विदेशियों का पता लगाने के कार्य को भरसक रूप से और प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा । इस उद्देश्य के लिये ऐसी मशीनरी स्थापित की जाएगी जिस पर सभी का विश्वास हो ।

सरकार ने हमेशा समस्या का बातचीत द्वारा समाधान करने पर विश्वास किया है और इसके लिये अपने दरवाजे खोल रखे हैं । उम्मीद है कि अन्ततः आन्दोलनकारी समझदारी से काम लेंगे और आन्दोलन का रास्ता त्याग देंगे ।

श्री धनिक लाल मंडल : श्रीमन् ···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मंडल जो कुछ कह रहे हैं केवल वही कार्यवाही वृतांत में शामिल किया जायेगा ।

श्री धनिक लाल मंडल : श्रीमन, असम की समस्या बहुत ही गम्भीर है, भावना से जुडी हुई है और संवेदनशील है । साल से ऊपर हो गया है कि यह समस्या ऐसी ही लटक रही है और आज तक उसका हल नहीं हो पाया है । हम बिना किसी अत्युक्ति और अतिशयोक्ति के कह सकते हैं कि आसाम जल रहा है और इससे न केवल आसाम का बल्कि पूरे देश का नुकसान हो रहा है । कभी-कभी हम लोग आपस में बातचीत करते हुए घबड़ा से जाते हैं क्योंकि ऐसा लगने लगा है कि कहीं आसाम भारत से अलग न हो जाये । इसलिये देश की एकता और अखण्डता का प्रश्न भी हमारे सामने आ जाता है । समस्या यह डाइमेंशन है । इसलिए इस समस्या पर बड़ी संजीदगी से सरकार को और पूरे सदन को विचार करना चाहिये । मैं कुछ सवाल माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा ।

अव्वल तो यह है कि इस बात को सरकार भी मानती है और हम लोग भी जब आपस में बात करते हैं, तो कहते हैं कि आसम का जो आन्दोलन है, वह ठीक है, उचित है बल्कि यहां तक कहते हैं कि आसाम देर से जागा और बहुत देर तक सोता रहा है ।···(व्यवधान) * आप

भी कहते हैं जब हम आपस में बात करते हैं।...(व्यवधान)* ये माननीय सदस्य जो उधर बैठे हुए हैं, वे भी आपस में बातचीत में, इस बात को कबूल करते हैं, तसलीम करते हैं।...

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : वह मंत्री महोदय से कुछ स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। अन्य सदस्यों को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आप मंत्री का स्थान नहीं ले सकते। इस प्रकार से सदन की कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती। मैं किसी को इसकी अनुमती नहीं दे रहा हूं।

श्री धनिक लाल मडल : यह सरकार का बयान है। सरकार का ब्यान मैं पढ़ रहा हूं।

'सरकार असम में लोगों की वास्तविक शंकाओं के प्रति पूरी तरह जागरूक है।

यह सरकार का बयान है।...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर देने का दायित्व मत्री का है। यह कार्य आप नहीं कर सकते। आप कृपया प्रक्रिया को समझने का प्रयत्न कीजिये। आप कार्यवाही को सुचारू ढंग से चलाने में सहायता कीजिये।

श्री धनिक लाल मंडल : श्रीमन् यह सब कोई मानते हैं कि वे देर से जागे। क्या कोई आसामवासी या दूसरे प्रदेश के लोग इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि वह प्रदेश किसी देश की कोलोनी बन जाए ?

असम की जो समस्या है, उसकी गहराई में आप जाएं। असम की यहसमस्या है कि असम धीरे-धीरे दूसरे की कालोनी, उपनिवेश बनता चला जा रहा है। इसे कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। जब मैं यहां गृह मंत्रालय की मांगों पर कटौती मोशन पर बोल रहा था तो उस समय मैंने यह बात आंकड़ों से सरकार को दर्शायी थी। 75 हजार से लेकर एक लाख लोग असम में हर साल बंगला देश से चले आ रहे हैं। असम की आबादी दो करोड़ है। प्रत्येक वर्ष बाहर से एक लाख लोग वहां चले आते हैं। क्या यह असम की समस्या नहीं है ? क्या इससे असम के एक कालोनी बनने की सम्भावना उत्पन्न नहीं होती है ? क्या इसे कोई अस्वीकार कर सकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया मुझे सम्बोधित कीजिये। उनकी ओर मत देखिये।

श्री धनिक लाल मडल : संसदीय प्रथा के अनुसार प्रत्येक सदस्य को चाहे वह सदन के इस ओर का हो या उस ओर का, उसे हस्तक्षेप करने का अधिकार है। मैं इससे इंकार नहीं करता।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में ऐसा नहीं किया जा सकता।

श्री धनिक लाल मंडल : यह असम की वास्तविक समस्या है, कल्पित समस्या नहीं है। इससे हर मानव की सहानुभूति है। खुद सरकार ही अपने बयान में कह रही है कि उसको भी उनसे सहानुभूति है। इस सम्बन्ध में बार-बार सरकार के बयान आये हैं कि उनकी मांगों से

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ·

सरकार को सहानुभूति है और उनकी बहुत सारी मांगें उचित हैं। यह सरकार ने माना है और इसमें खुद लिखा भी है। यह मैं नहीं कह रहा हूं।

महोदय, असम की जो समस्या है इसका समाधान दोनों पक्षों की सहमति से होना चाहिए। असमवासियों के मन में भय है, जो डर है, उनकी जो आशाएं और अपेक्षाएं हैं उनकी और राष्ट्र के हित तथा असम के हित को भी ध्यान में रखकर असम की समस्या का हल निकालना होगा। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस समस्या का समाधान दोनों पक्षों को मिल-बैठकर, बातचीत से करना है। असम के हित और राष्ट्र के हित दोनों को ही ध्यान में रखकर असम समस्या का समाधान हो सकता है, मिलिट्री से यह समाधान नहीं हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है?

श्री धनिक लाल मंडल : मैं उसी पर आ रहा हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप जरा जल्दी कीजिये।

श्री धनिक लाल मंडल : यदि आप मुझे न टोकें तो मैं शीघ्र उसी पर आ रहा हूँ। महोदय, दोनों हितों को ध्यान में रखकर और मिल-बैठकर इस प्रश्न को तय किया जाना चाहिए। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सेना की मदद से, आतंक से और दबाववाजी के तरीके अपनाकर सरकार इस आन्दोलन को दबाना चाहती है। आप सेना पर निर्भर कर रहे हैं। आपने होली में, दिसपुर में, नारंगी में सेना को तैनात कर रखा है। पूरे असम में सेना तैनात की हुई है। सेना का काम बिल्कुल भिन्न है। सेना का काम यह नहीं है। लेकिन आप सेना के बल पर उन पर कोई समाधान लादना चाहते हैं। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि यह ठीक काम नहीं है। दोनों ही तरफ के माननीय सदस्य यह नहीं चाहेंगे कि असम भारत से अलग हो जाए। इसलिए ऐसा कोई काम हमको वहां नहीं करना चाहिए। (व्यवधान)

महोदय, दूसरा सवाल उठता है कि क्या सरकार इस समस्या का समाधान बातचीत के द्वारा करना चाहती है या ताकत के बल पर करना चाहती है? आज सरकार यह कह रही है। असम का प्रश्न केवल असम का ही नहीं है, यह एक राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है तो इसके लिए राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। आज सरकार को इस समस्या का समाधान करने की उतनी चिन्ता नहीं है जितनी चिन्ता सरकार को यहां कांग्रेस सरकार बनाने की है। इसी से यह स्पष्ट होता है कि सरकार का दृष्टिकोण राष्ट्रीय नहीं है, पार्टी का दृष्टिकोण है। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि सरकार ने यदि पार्टी दृष्टिकोण से काम लिया तो इस समस्या का हल नहीं निकलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछिये।

श्री धनिक लाल मंडल : वही प्रश्न है।

सरकार समस्या को हल करने के बजाय कांग्रेस सरकार को थोपने का प्रयास कर रही है। वह ऐसा क्यों कर रही है? इससे समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। यही बात मैं कह रहा हूं।

अब प्रश्न यह है कि बातचीत में गतिरोध उत्पन्न हो गया वह किस बात को लेकर हुआ? गृह मंत्री महोदय का जो पूरा बयान है उसमें कहीं भी इस बात की चर्चा नहीं है। कहीं भी इस

उल्लेख नहीं है। सिर्फ एक जगह बयान में कहा है कि आंदोलनकारियों की लगभग सभी मांगों को स्वीकार कर लिया गया है। बिना किसी संदर्भ के यह उक्ति है। केवल एक वाक्य जोड़ दिया है लेकिन उसके पहले इन्होंने यह बताने की चेष्टा नहीं की है कि इन लोगों के दरमियान जो बातचीत हुई उसमें गतिरोध कहां उत्पन्न हुआ ? उसमें किस तरह से व्यवधान उत्पन्न हुआ, यह बताने की चेष्टा नहीं की है।

महोदय, सरकार ने यह कहा है कि आसाम की जो सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई, जो भी उनकी इंटेग्रिटी है, उसको मेंटेन किया जाए। सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई, जो उनका भय है, उसको खत्म किया जाएगा और उनकी अखण्डता को रखा जाएगा, उसकी सुरक्षा की जाएगी। यह कैसे होगा ? यह केवल बयान देने से नहीं होगा, प्रयास करने से होगा। इन्होंने प्रयास करने के जो एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, स्टेप्स गिनाए हैं, ये अच्छे हैं। इनको मैंने देखा है और इन्होंने घुसपैठ को रोकने के लिए कदम उठाए हैं। जो नदिया हैं उनमें पेट्रोलियम के लिए जो मोटर-बोट की व्यवस्था की गई है या मतदाताओं को पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देने की बात कही है, वह सही है, सही दिशा में कदम है, ऐसा मैं मानता हूं, लेकिन यह समस्या इतनी कठिन है, सवाल तो आगे-पीछे बयान का है। आगे आप कह रहे हैं कि हम यह सारे काम करेंगे और इस ढंग से सील कर देंगे, बगला देश से या दूसरे देशों से किसी को आने नहीं देंगे, लेकिन पीछे वाली बात का इन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया है कि क्या करना है। एक बात कह दी है कि 1971 के बाद जो आने वाले विदेशी हैं, उनकी पहचान की जाएगी, उनको निकाल दिया जाएगा, लेकिन उनको पहचाना कैसे जाएगा, उसके बारे में कहीं चर्चा नहीं की है, सवाल यही है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जो आसाम के आंदोलनकारी हैं, उनका क्या कहना है ? उनकी मांग यही है कि संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार और जो 1951 का नेशनल रजिस्टर है और 1952 की वोटर लिस्ट है उसके आधार पर कौन विदेशी हैं, उनकी पहचान होनी चाहिए और उन्हें निकाल दिया जाना चाहिए। लेकिन इस बात का कहीं खुलासा नहीं किया गया है। हम लोग तो अखबार से जानते हैं और वह यही जानते हैं कि 1951 के नेशनल रजिस्टर को और 1952 की वोटर लिस्ट को ये स्वीकार नहीं करते। सिटिजनशिप का जो कानून है, उसको स्वीकार नहीं करते। जो बयान दिया है उसमें ह्यूमन कंसीडरेशन क्या है, नेशनल कमिटमेंट्स क्या हैं इंटरनेशनल कमिटमेंट्स क्या हैं इनका खुलासा नहीं किया गया है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इसको मानने में क्या कठिनाई है ? 1951 के रजिस्टर को मानने में क्या कठिनाई है, वोटर लिस्ट को आधार मानने में क्या कठिनाई है ? हिन्दुस्तान के कानून के अनुसार जो नागरिकता का अधिकार है, उसको मानने में क्या कठिनाई हो रही है ? इसमें इंटरनेशनल कंसीडरेशस क्या हैं, यह हम लोग जानना चाहते हैं। क्या मंत्री महोदय उन सारे दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखेंगे ताकि यह पता चल सके कि इंटरनेशनल कमिटमेंट्स क्या हैं और इस मामले में क्या वह सदन को और देश को विश्वास में लेंगे ?

क्या वह फर्म कमिटमेंट भी देंगे कि इस समस्या का समाधान ताकत के बल पर नहीं बल्कि बातचीत के द्वारा किया जाएगा और बातचीत का दरवाजा खुला रखा जाएगा ? असम के आंदोलनकारियों ने उनको असम बुलाया बातचीत करने के लिए लेकिन इन्होंने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया कि वहां जायेंगे या नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि इसको आप इज्जत का प्रश्न

न बनाएं। अपने देश के अन्दर इज्जत का प्रश्न नहीं है। यदि असम के आन्दोलनकारी आपको असम बुला रहे हैं बातचीत के लिए तो आपको वहां जाना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि इस पर सरकार को क्या कहना है ?

श्री जैल सिंह : आनरेबल मेम्बर ने रेपीटीशन बड़ा किया है। जिन बातों का मैंने जवाब दे दिया उन बातों को लेकर भी सवाल कर दिए हैं। उन्होंने पूछा है कि गवर्मेंट बातचीत करना चाहती है या ताकत से दबाना चाहती है। मैंने अपनी स्टेटमेंट में कहा है : सरकार का सदा यह विश्वास रहा है कि समस्याओं का समाधान बातचीत के माध्यम से किया जाये और हमने इसे सदा दृष्टिगत रखा है।

श्री धनिक लाल मंडल : क्या असम नहीं गए ?

श्री जैल सिंह : सारी बातें बताऊंगा।

यह आन्दोलन अगस्त 1979 में शुरू हुआ था और अक्तूबर 1979 में इसको कुछ आगे बढ़ाया गया और दिसम्बर में यह आन्दोलन पूरे जोबन पर आ गया। 12 जनवरी 1980 तक मंडल जी गृह मन्त्रालय में स्टेट मिनिस्टर के तौर पर रहे। अब हमें वह यह बताना चाहते हैं कि उनकी बात क्यों नहीं मान ली जाती मैं कहना चाहता हूं कि आप ही अक्तूबर में मान जाते, अगस्त में मान जाते, दिसम्बर में मान जाते जब आप शासन में थे। उस वक्त तो आपको सूझी नहीं, उस वक्त तो आपको कुछ पता नहीं चला कि हमें क्या करना चाहिये, जैसे आन्दोलन चल रहा था, चलता छोड़ कर उधर चले गए और अब हमसे पूछते हैं कि क्या मामला आप नैगोशिएशंज से सुलझायेंगे या ताकत से ? दुनिया की कौन सी सरकार है जो अगर नैगोशिएशंज से, बातचीत से कोई मामला न सुलझा सके तो अपने कर्त्तव्य को छोड़ देगी, देश के टुकड़े करवा लेगी, लोगों को मरवा देगी ? वह कहते हैं कि सेना को क्यों भेजा ? आप शायद भूल गए हैं त्रिपुरा में क्या हुआ ? छः सौ से ज्यादा लोगों की जानें चली गईं। अगर वहां पर पहले से ज्यादा मजबूत प्रबन्ध कर लिए जाते और सरकार हमको कहती कि वहां कुछ करो तो हम वहां भी सेना को भेज देते। आखिर में सेना को भेजना पड़ा। सेना की मांग की गई और सेना को भेज दिया गया। इस तरह से वहां सेना को भेजना पड़ा। सेना लोगों की रक्षा के लिए जाती है, अमन और शान्ति के लिए जाती है, लोगों को मारने के लिए नहीं जाती है। अपनी स्टेटमेंट में मैंने बताया है कि 226 लोग इस आन्दोलन के कारण मारे गए हैं। आप चाहते हैं कि लोगों को मरने दिया जाए और साधु बन जाओ। सरकार का कर्त्तव्य है कि वह लोगों पर जुल्म न करे, लोगों को तंग न करे। लेकिन बेसहारा, कमजोर लोगों की रक्षा करना भी सरकार का कर्त्तव्य है और इसको देखने के लिए उसका यह भी कर्त्तव्य है कि वह वहां अपनी फोर्स को रखे।

मैं उनको दोष नहीं देता। वह बेचारे नहीं कर सके और टैम्पोरैरी थे और चले गए---

श्री धनिक लाल मंडल : आपको भी पता लग जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जैल सिंह, आप उन्हीं के एलान पर आये हैं। उनका पर्दाफाश मत कीजिये।

श्री जैल सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, यह जो गैब की खबर है, वह तो खुदा के सिवाय किसी को नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतनी खबर जरूर है, मैं भरोसे से कहता हूं कि कुछ भी हो

जाये. मंडल जी अब दोबारा मिनिस्टर नहीं बन सकते और न ही उनकी पार्टी कभी सत्ता में आ सकती है। यह दो बातें मेरी लिख लीजिये।

एक माननीय सदस्य : क्या आप ज्योतिषी हैं ?

श्री जैल सिंह : मैं ज्योतिषी नहीं हूँ।

एक माननीय सदस्य : आपके यहाँ भी बहुत सारे मिनिस्टर नहीं रहे। (व्यवधान)

श्री जैल सिंह : यह चलेगी, इसको खतरा नहीं। यह विशफुल थिंकिंग आपकी रही है, आपको मुबारिक हो, लेकिन यह चलेगी।

जिस रोज मंडल साहब केयरटेकर गवर्नमेंट में होम मिनिस्टर थे, पहले भी थे, वह एडजस्ट कर लेते हैं, जनता में भी थे, चरण सिंह की सरकार में भी थे, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई थी कि होम डिपार्टमेंट में एक बैकवर्ड क्लास का मिनिस्टर आफ स्टेट तो है। अब भी मुझे बहुत हमदर्दी है उनके साथ। (व्यवधान)

बहुत अच्छा रहेगा, अगर कोई शंका उठती है। (व्यवधान) मैं मंडल साहब का जवाब दे रहा हूँ। मंडल साहब को दोबारा टाइम आप दे सकते हैं, लेकिन यह तरीका ठीक नहीं है कि हरेक दोस्त बोले। इससे लुत्फ ही नहीं आता बोलने का। आपकी बात कोई सुनता भी नहीं है। इसलिये आप भी डिग्नीफाइड परसन है, खामोशी से बैठें, मैं गलती करूं तब समझा दीजिये, मेरी मदद कीजिये मुझे आशा है आपकी मदद की।

एक बात पर मुझे बड़ा अफसोस हुआ जो कि मैं मंडल जी के मुंह से नहीं सुनना चाहता था। वह कहते हैं कि अगर ऐसी भावना रही तो वह देश से भी अलग होने का फैसला कर सकते हैं। यह बात उनको बिल्कुल नहीं कहनी चाहिये। हम उन पर एतबार करते हैं। वह एजीटेशन करते हैं, हमारा कहना नहीं मानते, लेकिन हम यकीन रखते हैं कि वह हिन्दुस्तान से अलग नहीं होंगे। हमने जब बातचीत शुरू की तो एक बात उन्होंने कही कि आप इसको मानते हैं कि यह नेशनल प्राब्लम है मैंने कहा कि बिल्कुल नेशनल प्राबलम है। मैंने कहा कि आप एक बात मानते हैं कि इंडियन सिटीजन किसी भी सूबे का हो, वह किसी भी सूबे में रह सकता है, किसी स्टेट के सिटीजन को बाहर निकालने की बात नहीं है। उन्होंने यह मान लिया। अब दिल में उनके क्या है, लेकिन उनके मानने के बाद मैं समझता हूँ कि मैंने एतबार किया क्योंकि कोई भी देशभक्त कहीं भी यह नहीं कह सकता है कि एक सिटीजन एक सूबे में है तो दूसरे में नहीं रह सकता। खैर, यह बात आप भी महसूस करते हैं, हम भी महसूस करते हैं कि यह मसला बातचीत से निपट जाये, लेकिन कोई हद होती है। बहुत मुद्दत हो गई, हमने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है, सबके साथ बातचीत की है, सलाह-मश्विरा किया है।

अब भी मंडल जी ने कहा कि सन् 51 के नेशनल रजिस्टर को मानने से क्या आपत्ति हो सकती है। जब हमारी बातचीत हुई तो दोनों तरफ से यह हुआ कि हम जो बातचीत कर रहे हैं, यह पैकेज-डील है, पीसमील नहीं है कि कुछ बातें करने के बाद समझौता करने के बाद वह कह दें कि हमारे साथ आपने कर लिया, हमने नहीं किया। मैं नैगोसियेशन की बात आपको कहता हूँ, उन्होंने कहा कि नेशनल रजिस्टर को रखा जाये। हमने कहा कि नेशनल रजिस्टर की कापियां अब प्राप्त नहीं है। अगर है भी तो सारी की सारी नहीं है। एक तो नुक्स यह है। दूसरे गोहाटी हाईकोर्ट ने जो अपना डिसीजन दिया तो उसने कहा कि नेशनल रजिस्टर सबूत

देने के काबिल नहीं है। हमने कहा कि इन दोनों बातों का ध्यान कीजिये ; लेकिन अगर रैलेवेन्ट रिकार्ड, गवर्नमेंट या प्राइवेट सिटीजन होने का, या किसी को विदेशी करार देने के लिये दिया जायेगा तो उसमें नेशनल रजिस्टर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, उस पर हमने कोई पाबन्दी नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि सन् 52 की वोटर लिस्टों को आधार माना जाये। वहाँ दूसरे लोग ऐसे भी हैं जो इस एजीटेशन के साथ नहीं हैं। उन लोगों ने कहा कि अगर 952 को आधार मानना है, तो 1952 के बाद 1957, 1962, 1967, 1972, 1977 और 1978 तक वोटर्ज लिस्ट्स तैयार होती रही और वोट पड़ते रहे। एक भी सुबूत नहीं है कि 1977 के इलैक्शन में किसी ने चैलेंज किया कि फलां विदेशी है, उसे वोट नहीं डालने देंगे। इस इलैक्शन में तमाम पार्टियों ने हिस्सा लिया था, इंडिपेंडेंट भी खड़े हुए थे लेकिन किसी ने चैलेंज नहीं किया। वोट पड़े और उन वोटों की वजह से लोग चुने गये : 1972 के बाद पांच साल तो पूरे नहीं हुए बेचारों के, लेकिन मेम्बर्ज आफ पार्लियामेंट बने। 1978 में एसेम्बली का इलैक्शन हुआ और लोगों ने वोट दिये।

दूसरा खयाल यह है कि अगर 1952 की वोटर्ज लिस्ट लेनी है, तो उसकी शायद प्राप्ति न हो, वह शायद न मिल सके, तो जो लिस्ट प्राप्त है, जो मिल सकती है, वह 1978 की वोटर्ज लिस्ट लो और फिर देखो कि कितने विदेशी निकलते हैं। इस आर्ग्युमेंट पर हम तो गौर करने के लिए तैयार हैं। हमने कहा था कि हम इस पर गौर करने के लिए तैयार हैं लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं सुना और वापस जाते ही उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि हम इस बात के लिए तैयार नहीं है।

माननीय सदस्य ने कहा है कि हम आसाम जाने से इंकार करते हैं। आसाम जाने से इन्कार करने की कोई बात नहीं है। वह हमारे देश का हिस्सा है। जिस तरह हम दिल्ली में बैठ सकते हैं, जिस तरह हम जयपुर या बम्बई जा सकते हैं, उसी तरह हम गौहाटी भी जा सकते हैं। यह हमारे लिए कोई प्रैस्टीज का सवाल नहीं है। सवाल सिर्फ यह है कि अगर हमने बातचीत, नेगोशिएशन्ज से, इस मामले को निपटाना है, तो जब हमने सब बातों को रिलैक्स कर दिया, तो ऐजीटेटर्ज का भी फर्ज है कि अगर वे ऐजीटेशन को विदड्रा नहीं करते हैं, तो सस्पेंड ही कर दें, ताकि तक्कीर के काम और दूसरे काम चल सकें।

श्री मंडल ने पूछा है कि उनकी तमाम डिमांड्ज को कैसे मान लिया। जब वे आये, तो उनकी 8-पायंट डिमांड्ज थीं। उनकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आनरेबल मेम्बर्ज इन बातों को अच्छी तरह जानते हैं। वे मेमीरेंडम को देख लें। ये बातें अखबारों में भी आ चुकी हैं। मैं इशारतन बताना चाहता हूं कि मांग यह है कि विदेशियों को डिटेक्ट किया जाये, उनको छांटा जाये और उनके नाम वोटर्ज लिस्ट्स से डिलीट किये जायें। उसके बाद उन्हें देश से निकाल देने का यत्न किया जाये और जहां-जहां से वे आये हैं, उन्हें वहां-वहां भेज दिया जाये। हमने इस बात को इन प्रिंसिपल मान लिया। सवाल यह रह गया कि हम कहते हैं कि स्टार्टिंगपायंट मार्च, 1971 होना चाहिए।

आप एग्री करेंगे कि हिन्दुस्तान की पार्टीशन की जो आबलिगेशय है, वह हिन्दुस्तान को मंजूर करनी पड़ेगी—हर स्टेट को मंजूर करनी पड़ेगी। अगर कोई कहे कि आसाम वाले क्यों करें, तो दिल्ली की आबादी 1947 में छः और सात लाख के बीच थी, जबकि आज वह 60 लाख के

करीब हो गई है। अगर कल दिल्ली वाले कहें कि इन लोगों को बाहर निकाल दिया जाये, तो उन्हें कैसे निकाला जा सकता है ? आपको यह मानना पड़ेगा कि दूसरे मुल्कों को लोग गये भी हैं और वहां से आये भी हैं। उन लोगों को शरण दी गई और इस बारे में गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान किये गये : बंगला देश के बनने से पहले भी लोग आये थे और वापस भी गये। बहुत से लोग रह गये। सरकार की कमिटमेंट्स 1971 तक चली आती हैं।

जो लोग साधारण किस्म के थे, वे इस खयाल से यहां रह गये कि हमें हिन्दुस्तान में शरण मिल गई है। या वे पहले हिन्दुस्तान में रहते थे और उन्हें आशा थी कि हमें यहां का सिटिजेन बनाया जायेगा। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, इंटरनैशनल कमिटमेंट्स, नैशनल कमिटमेंट्स और इंटरनैशनल ऑब्लिगेशन्ज से कोई काम बरी नहीं हो सकती हैं। इस मुहज्जब जमाने में, इस लाइटनिंग स्पीड से, तेज रफ्तार से चलने वाली दुनिया में जब संसार को हम नजदीक कर रहे हैं तो संसार के अन्दर कुछ रवायतें बनती हैं, वह भी हमें माननी होंगी। भारत की परम्परा यह नहीं रही कि किसी को मार दिया जाय। अगर कोई देश कबूल नहीं करता न करने की वजह से हमने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि आसाम के ऊपर बोझा न पड़े, हम दूसरे प्रान्तों के लोगों से बात करेंगे, सरकारों से बात करेंगे, उनको वहां भेज देंगे। लेकिन आप अन्दाजा लगाइए, 51 से लेकर 81 होने वाला है, तीस साल के अन्दर जो लोग इस आशा से बसते रहे, टेकनिकली उनकी कोई गलती हो, लेकिन इन्फिल्ट्रेटर न हों साजिश से न आए हों, कोई बहाना बनाकर न आए हों, विदेशी होते हुए भी यहां न बैठे हों, ऐसे लोगों को आप एक रजिस्टर लेकर निकालना शुरू कर दें यह कहां तक मुनासिब है ? एक मेम्बर ने बातचीत करते हुए कहा, मैं उनका नाम नहीं लेता, गुस्से में थे, कहने लगे कि वे आफत बंगाल में डाल दे उनको.....

(व्यवधान)

प्रो. मधु दण्डवते : यह तो गनी खां चौधरी ने वेस्ट बंगाल सरकार के बारे में कहा था।

श्री जैल सिंह : मैं यह बात आपसे कहना चाहता हूं कि कुछ कठिनाइयां जो हमारे सामने आती हैं उनको देखें। हां, 71 के बाद भारत सरकार की कोई कमिटमेंट नहीं है कि लोग मुसीबत के मारे आ रहे हैं, हम उनको सहारा देंगे, यह हमारा कमिटमेंट नहीं है। इसके लिए वचनबद्ध हैं, और पौलिटिकल पार्टीज से जितनी बार भी बात हुई तो उसमें सिवाय एक पार्टी के, आज दूसरी पार्टी के एक आदमी मंडल निकले हैं, बाकी सब यही कहते रहे हैं कि इसका समाधान निकालने की कोशिश करें बातचीत से लेकिन 71 से पीछे नहीं जाना चाहिए। इससे बहुत तकलीफें पैदा हो सकती हैं और इम्प्रैक्टिकेबल भी है। आप जानते हैं कि इंडियन सिटिजेनशिप ऐक्ट जो 1955 में बना उसके अनुसार कोई विदेशी जोड़ा हिन्दुस्तान में रहता है, उसके बच्चे हो जाते हैं और वह यह कहना नहीं कि इन बच्चों को इस देश का सिटिजेन न बनाओ तो वह आटोमेटिकली हिन्दुस्तानी बन जाते हैं। सिटिजेनशिप उसको मिल जाती है। 51 से लेकर 81 तक जो पैदा हुए उनको आप किसी कानून के आधार पर निकाल नहीं सकते, कोई रास्ता नहीं कि उनको निकाल सकें और उनकी कोई जगह नहीं कि कहां निकाले जा सकें।

ऐसी बातों को देखकर हमने उनसे यह भी कहा कि एन. आर. सी. भी हो, बैंक का सार्टिफिकेट भी हो, स्कूल, कालेज और यूनिवर्सिटियों के सार्टिफिकेट हों, कोआपरेटिव के हों, लैंड रिकार्डस हों, विलेज रजिस्टर हों, जो भी चीजें इसमें रेलिवेंट हों ले आएं, वह लेकर हम

उन लोगों को निकालने की कोशिश करेंगे। यह भी हमने कहा कि एन आर. सी. जिसको हाईकोर्ट रद्द कर चुका है, पर तुम्हारी जिद की वजह से उसके पेपर भी कोई दाखिल करना, चाहे तो कर दे, हमें उस पर भी कोई एतराज नहीं है। यह बात चलती रही। बातचीत लम्बी थी।...(व्यवधान)...मेरे दोस्त गौर से सुनेंगे, यह तो नेशनल सवाल है, कोई पार्टी का सवाल नहीं है। मंडल साहब को मैं क्या कहूं, उनको बाद दूं या उनके ऊपर रहम करूं ?

एक माननीय सदस्य : एक शेर सुना दीजिए।

श्री जैल सिंह : नहीं, मैं शेर नहीं कहूंगा। जब शेर वाला कोई मेम्बर आएगा तो कह दूंगा।

मंडल साहब कहते हैं कि कांग्रेस को अपनी सरकार बनाने की जरूरत पड़ी है। मुझे बहुत दुख है कि उनको सरकार याद आ रही है। लेकिन उनको तो वह समय मिलेगा नहीं और यह मेरे बस की बात नहीं है। इस वक्त जो असेम्बली है उसमें मैंने कोई उपाय नहीं किया और न मेरे बस की बात है। 12 दिसम्बर से पहले सरकार बनानी पड़ेगी। मैंने सभी पार्टियों और ग्रुप लीडर्स को बुलाया और उनसे डिस्कशन की। सभी का एक मत था कि असेम्बली को रिवाइव किया जाए। फिर हमने कहा कि जो भी अपनी सरकार बनाना चाहते हैं वे तैयार होकर आ जाएं। इसमें मेरे बस की क्या बात है ? आप जाइये आसाम में और अपनी पार्टी के लोगों को समझाइये कि सरकार किसकी बननी है। लेकिन मेजारिटी कांग्रेस आई के पास है और वह सरकार बनायेगी तो इसमें मेरे बस की क्या बात है ? लेकिन आपका यह खयाल बिल्कुल गलत है कि हमको सरकार बनाने की जल्दी है। हम तो मजबूरन सरकार बनाने की इजाजत दे रहे हैं। हमने सरकार बनाने की कोई जल्दी नहीं की। आपको याद होगा कि दो बार प्रधान मंत्री ने मीटिंग बुलाकर सभी पार्टियों के नेताओं से बातचीत की। एक बार अलाहदा-अलाहदा बात की। जब मैंने बातचीत शुरू की तो जो दिल्ली में लीडर्स थे उनसे मैं मिला, उनसे मश्विरा और राय ली। मैं तो यह भी नहीं कहता कि हमारी बातचीत टूट गई लेकिन बातचीत में कुछ विघ्न पड़ गया और उस वक्त भी मैंने कहा कि आप भी और सोचिए, हम भी सोचेंगे। मैं तो अब भी कहता हूं कि 1971 कट-आफ नहीं है बल्कि स्टार्टिंग प्वाइन्ट है ताकि काम आगे चल सके। हमने यह कहा कि आप हमको कन्विन्स करो और दूसरी पार्टीज के लीडर्स को कन्विन्स करो तो एजिटेशन लीडर्स ने कहा कि हिन्दुस्तान की पोलिटिकल पार्टीज आसाम में इरेलिवेन्ट हैं, उनसे हम बातचीत नहीं करेंगे। मैंने जनता पार्टी के नेता श्री चन्द्रशेखर से मिलकर बात की और कहा कि आप एजिटेटर्स से बात करें तो उन्होंने कहा कि मैं क्या बात करूं, वे तो कहते हैं कि हम रेलिवेन्ट ही नहीं हैं।

ऐसी हालत में आप सोचें कि इस मूवमेंट में सिवाय इसके कि मूवमेंट चलाने के लिए ही मूवमेंट चलाया जाए, और क्या बात रह जाती है ? वह कौन-सी बात है जो सरकार नहीं मानती ? उनका यह कहना कि 1951 से सभी को निकालो, चाहे कोई साइग्रेटेड हो, डिसप्लेस्ड पर्सन हो, रेफ्यूजी हो—क्या आप ऐसा कर सकते हैं ? मेरे खयाल से यह हाउस हमको ऐसा करने की इजाजत नहीं देगा। हम न तो कोई डिक्टेटर हैं न कोई बादशाह हैं. हम जो भी फैसला करेंगे वह आपके सामने आयेगा। मैं मण्डल साहब से कहना चाहता हूं कि आप वाकिफ हैं, आप बिचौलिया बन जाइये और जाकर बातचीत कर लीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बी. बी. देसाई। कृपया विषय से सम्बन्ध प्रश्न ही पूछियेगा। आप सीधे प्रश्न पूछना शुरू कीजिये।

श्री बी. वी. देसाई (रायचूर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में मेरा नाम विरोध-पक्ष के चार सदस्यों के बीच आ गया है। वास्तविकता तो यह है कि गृह मंत्री ने अभी जो कुछ बताया वह विरोधी दल के लिए पर्याप्त होना चाहिये क्योंकि उन्होंने यह तो बता ही दिया है कि यह समस्या केवल दल की समस्या नहीं है अपितु यह तो राष्ट्रीय महत्व की समस्या है। तथ्य तो यह है कि सरकार द्वारा आज तक जो कार्यवाही की गई है उसमें कुछ मूल-भूत सिद्धांत निहित है और उन्हें पहले ही माना जा चुका है। मैं समझता हूं कि श्री जैल सिंह द्वारा अपने वक्तव्य में जो आधारभूत धारणा व्यक्त की गई है, उसके साथ यदि विरोधी-पक्ष वाले सहयोग करें, तो समस्या का समाधान करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। परन्तु उन्होंने हमे यह भी बताया कि आन्दोलनकारी यह समझते हैं कि भारतीय राजनीतिक दलों- विरोधी या कांग्रेस (ई) का इस समस्या के साथ कोई सरोकार नहीं है। मैं यह नहीं जानता कि वह इस निष्कर्ष पर कैसे पहुँचे हैं। सम्भवतः इतने लम्बे समय तक बिना किसी परिणाम के बातचीत करके वह निराश हो गये हैं। मैं सरकार से यह आग्रह करना चाहताहूं कि वह शीघ्र से शीघ्र बातचीत द्वारा इस समस्या का हल निकालने का भरसक प्रयत्न करें। जैसा कि सुझाव दिया गया है, इस प्रकार के मामलों के साथ ताकत से नहीं निपटा जा सकता। तथ्य तो यह है कि उन्होंने पहले ही इस बात का उल्लेख कर दिया है कि मार्च, 1971 तक यहां आने वाले विदेशियों का पता लगाने का कार्य और अधिक तीव्र गति से किया जायेगा। उन्होंने अपने स्पष्टीकरण में यह बताया है कि इस तारीख को विदेशियों का पता लगाने की आधार-तिथि के रूप में नहीं माना जा रहा अपितु इसे तो केवल कार्य आरम्भ करने की दृष्टि से माना जा रहा है जिससे कि सभी दलों तथा आन्दोलन-कारियों इस समस्या का बातचीत द्वारा राजनीतिक हल खोजने का अवसर प्राप्त हो सके।

जहां तक हमारे देश में अन्य राज्य का संबन्ध है अन्तर्राष्ट्रीय तथा संघ सरकार के दायित्वों राष्ट्रीय के प्रति अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहते। सम्भवतः अन्य राज्य भी इसमें भागीदार बनने के लिए तथा जितनी भी अधिक जनसंख्या को वह अपने राज्य में ले सकें, उसे लेने के लिए तैयार हो। मैं चाहता हूं कि सरकार यह स्पष्ट कर दे कि देश में किसी भी राज्य के नागरिक को इस दृष्टि से किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप चुनाव रजिस्टर का पुनःरीक्षण कर सकते हैं, उनकी जांच कर सकते हैं और नामों को कटवा सकते है, परन्तु उस रजिस्टर में केवल ऐसे ही नागरिकों के नाम होने चाहिये जो बिना बैध-आज्ञा प्राप्त करके ही हमारी सीमा में घुसे हों। ऐसी स्थिति में भी जहां तक सम्भव हो, माननीय कारणों को भी दृष्टिगत रखा जाना चाहिये।

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि क्या वह यह आश्वासन देगी कि आसाम राज्य के भौगोलिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों को बनाये रखा जायेगा क्योंकि इतना सब कुछ कहने तथा करने के बाद भी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होने के नाते हमें अन्य विभिन्न राज्यों की आस पास की परिस्थितिजनक आवश्यकताओं को भी दृष्टिगत रखना चाहिये। वह सिद्धांतवादी है और उनका कोई नापाक इरादा नहीं है, यह एक ऐतिहासिक सत्य है। इस सदन का कोई भी जिम्मेवार सांसद इस बात की अवहेलना नहीं कर सकता। इस प्रकार का व्यापक निर्णय लेते समय इसे दृष्टिगत रखा ही जायेगा ताकि आने वाली सन्तति यह न कहे कि उन लोगों ने गलत निर्णय लिया था जिसे कि हमें भुगतना पड़ रहा है। अतः मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री इस

सम्बन्ध में आश्वासन दें कि आसाम की भोगोलिक-राजनीतिक परिस्थितियों को सुरक्षित रखा जायेगा।

मैं गृह मन्त्री से जानना चाहता हूँ कि क्या इस आन्दोलन में विदेशियों का हाथ है ? यदि हां, तो फिर इस सम्बन्ध में कारगर कदम क्यों नहीं उठाये जा रहे हैं।

मैं मंत्री महोदय से यही मुख्य प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री जैल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो तकरीर की हैं, वे तकरीबन वही बातें हैं तो असलियत में हैं और मेरा ख्याल है कि वे भी उनका जवाब नहीं चाहते हैं और यह हाउस भी नहीं चाहता है, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है।

एक बात उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कही और वह है फारेन हैण्ड की। इसके प्रति हमारे बहुत से पार्लियामेंट के मैम्बरों ने भी कहा और कुछ ग्रुप लीडरों ने भी कहा तथा मैंने पहले भी हाउस में कहा था कि आज कल दुनिया में विदेशी दखल जब देते हैं, तो बड़ी होशियारी से देते हैं। वह होश्यारी ऐसी होती है कि पैसा विदेशी होता है, लेकिन इस्तेमाल करने वाले, लाने वाले सब देसी होते हैं और उस देसी को हम ऐसा नहीं कहते कि तुम कहाँ जाते हो, क्यों घूमते हो। जो मुल्क दुनिया में अपनी सी.आइ.डी. का अच्छा जाल बिछा सकते हैं और जिन के मन में यह लालसा है कि दुनिया में जिन मुल्कों की ताकत बढ़ रही है, उनके रास्ते में कोई न कोई रुकावट रहे और वे उसमें जाहिर भी न हों वे ऐसा करते हैं- ऐसा लोग कहते हैं लेकिन इस में शुबहा भी हो सकता है। शुब्हे के आधार पर, सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह किसी का नाम न ले और इस के बिना पर मैं नाम नहीं लेता हूं। लेकिन इस में महत्वपूर्ण पर्सनेलिटीज और जिम्मेदार लोगों की तरफ से यह बात कई बार कही गई है कि वहां पर विदेशी हाथ है, साथ ही कुछ रियासतो में, खास कर छोटी रियासतों में तो जाहिर था कि विदेशियों ने दंगे खड़े किये, इन्सजेन्ट कराये, लड़ाई करवाई, झगड़े करवाये, खास तौर से त्रिपुरा में उन्होंने दखल दिया और दंगे करने वाले विदेशों में जा कर ट्रेनिंग लेते रहे, दौलत मिलती रही, सब कुछ होता रहा। हम इस को रूल आउट नहीं कर सकते कि आसाम में भी वे किसी तरीके मे घुस गये हों और शरारत की हो। लेकिन मैं यह बात नहीं कह सकता कि किस देश का और किस तरीके से उनका हाथ है।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने गृहमंत्री द्वारा पढ़े गये वक्तव्य और श्री धनिल लाल मंडल तथा श्री देसाई द्वारा उठाये गये प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने जो कुछ कहा है, मैंने उसे बहुत ध्यानपूर्वक सुना है।

मैं इस समस्या के समाधान में गतिरोध को बनाये रखने सम्बन्धी कारणों तथा व्यक्तियों के बारे में अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। इस विषय पर सदन में अनेक अवसरों पर विचार किया जा चुका है और माननीय सदस्य इस विषय से सम्बद्ध विभिन्न समस्याओं के प्रति पूर्णतया जागरूक हैं। मैं इस समस्या तथा अन्य समस्याओं के बारे मे पूर्ण विनम्रता के साथ गृह मंत्री का यह स्मरण करवाना चाहता हूं उन्हें यह ध्यान रखना चाहिये कि वह पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं है और इस समय वह उस पद पर आसीन है जहाँ कभी सरदार बल्लभ भाई पटेल आसीन थे। इसलिए गृहमंत्री को या इस पद पर आसीन किसी भी व्यक्ति को अपने भाषा तथा अपनी शेरो-शायरी तथा कही जाने वाली अन्य शब्दों पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिये। उन्हें श्री मंडल

या किसी अन्य व्यक्ति की बात पर उत्तेजित नहीं होना चाहिये और न ही उन्हें मुख्य विषय से विमुख होना चाहिए।

इस विनम्र निवेदन के साथ मैं माननीय मंत्री महोदय से विभिन्न भागों में यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि 2 फरवरी, 1980 को प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन दिया गया था और यदि हां, उसमें क्या मांगें की गई थी और सरकार ने गत 9 महीनों के दौरान उन मांगों पर क्या कार्यवाही की ?

मेरे प्रश्न का (ख) भाग यह है कि क्या यह सच नहीं कि आपने अनेक अवसरों पर यह कहा कि लगभग सभी मांगों को स्वीकार कर लिया गया है ? इतना ही नहीं, श्रीमान जी ? आज भी यही कहा गया है कि आन्दोलनकारियों की सभी मांगों को स्वीकार कर लिया गया है। मैं गृहमंत्री से यह जानना चाहता हूं कि कुल कितनी मांगें थी और उनमें से कितनी तथा किन-किन मांगों को स्वीकार किया जा चुका है। कृपया भगवान के नाम पर इस प्रकार का भ्रम पैदा मत फैलाइये। आप स्थिति स्पष्ट कीजिये कि आपने उनमें से एक, दो, तीन या चार मांगों को स्वीकार कर लिया है या आप अमुक मांगों को स्वीकार करने जा रहे हैं। यदि आप उन मांगों में से कुछ को स्वीकार नहीं करते तो मैं आपसे यह अनुरोध नहीं करता कि आप उन्हें स्वीकार कीजिये। यह मेरे सामर्थ्य से बाहर है और यह आपके सामर्थ्य में भी नहीं है, क्योंकि इस समस्या का समाधान प्रधानमंत्री के स्तर पर होगा और उन्होंने कल कांग्रेस दल की बैठक को सम्बोधित करते हुये यह स्पष्ट कर दिया है कि वह इसका समाधान किस प्रकार करने जा रही हैं ? इसलिए मैं यह नहीं पूछ रहा कि इस मामले में क्या करने जा रहे हैं। मैं केवल उनके वक्तव्य के बारे में कुछ स्पष्टीकरण ही मांग रहा हूं। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि उनकी लगभग सभी मांगों को स्वीकार कर लिया गया है इसलिए पहले तो आप यह बताइये कि 2 फरवरी, 1980 को प्रधान मंत्री को दिये गये ज्ञापन में विद्यार्थियों ने क्या मांगें की थी। उनमें से कितनी मांगों को सरकार ने स्वीकार तथा अस्वीकार किया है और कितनी सरकार के विचाराधीन हैं ? यह प्रश्न का (ख) भाग है।

जहां तक वार्ता का सम्बन्ध है, सरकार ने कुछ वार्तायें की हैं। फिर गतिरोध हुआ और वार्तायें विफल हुई। मैं गृहमंत्री से जानना चाहता हूं कि वार्ता विफल होने का मुख्य कारण क्या था और गतिरोध क्यों पैदा हुआ ? क्या गतिरोध दूर नहीं हो सकता ? क्या सरकार इसे प्रतिष्ठा का मामला बनाये बिना वार्ता को जारी रखना चाहती है ? मंत्री महोदय ने अभी कहा कि वे सभी दलों के साथ वार्ता करने को तैयार हैं, तो मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि एक दिन पहले गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने, जो तीन महीने में केवल एक बार इस विषय पर बोलते हैं, श्री मकवाना की तरह सप्ताह में एक बार नहीं कहा था कि सरकार इसके विरुद्ध नहीं है। आपने क्या श्री वेंकट सुब्बया का प्रेस वक्तव्य पढ़ा है ? श्री वेंकट सुब्बया ने 11 नवम्बर को कहा कि सरकार गोहाटी जाने के विरुद्ध नहीं है लेकिन दूसरे दिन गृह मंत्री ने कहा कि हम गोहाटी नहीं जायेंगे। वे दोनों गृह मंत्रालय के अंग होने पर भी दो भाषाओं में क्यों बोलते हैं ? एक दिन पहले गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री कहते हैं। सरकार इसके विरुद्ध नहीं है, हम हल ढूंढ़ने के लिए गोहाटी जायेंगे; अभी हम संसद अधिवेशन में व्यस्त हैं। मेरे विचार में आप एक सप्ताह या दस दिन के अंदर हल ढूंढ़ सकते हैं। यदि आप हल ढूंढ़ने के लिए गोहाटी जा

सकते हैं तो संसद दस दिन के लिये आपकी अनुपस्थिति स्वीकार कर सकती है। सभी लोग ऐसा समाधान चाहते हैं जिसे आप ठीक समझें। मैं हल का सुझाव नहीं दे रहा हूँ। आपको किसी न किसी तरह हल निकालना है। लेकिन भगवान के लिए इस मामले को भ्रम में न डालें। सभी पर चौकसी न रखने के कारण आपने 1950 के बाद समस्या पैदा की। आपने इसे पैदा किया और अधिक पेचिदा बताया और अब आप इसे अधिक पेचिदा बना रहे हैं। मैं इसके इतिहास के बारे नहीं बोलना चाहता। आपकी सरकार तथा प्रधानमंत्री ने समस्या को पहचाना है। कल ही उन्होंने अपने वक्तव्य में स्वीकार किया कि वहाँ विदेशी नागरिकों की समस्या है। चाहे 1951, 1961 या 1971 या कोई और वर्ष हो, विदेशी राष्ट्रियों की समस्या बनी हुई है। आसाम में विदेशी राष्ट्रिक हैं। वे कब आये ? वे क्यों आये ? उन्हें कौन लाया और उनकी रक्षा किसने की ? यह समस्या किसने पैदा की ? आपने तथा आपकी पार्टी ने यह समस्या पैदा की। अपने उस समस्या को पेचिदा बनाय ···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इसका उत्तर देंगे।

श्री अरिफ मोहम्मद खां (कानपुर) : लेकिन ये केवल आरोप पर आरोप ही लगाये जा रहे हैं। आप उन्हें नियमों का पालन करने के लिये कहें।

उपाध्यक्ष महोदय यदि कोई आरोप हो तो मंत्री उसका जवाब देंगे।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : लेकिन क्यों। पहले तो आप उन्हें बोलने की अनुमति दें।

श्री सतीश अग्रवाल मैं सभा में बोल सकता हूँ। मैंने कोई आरोप नहीं लगाये। मैंने एक, से, तीन-चार आदि-आदि स्पष्टीकरण माँगे। मैंने कहा था—'आप समस्या का हल ढूंढे। सभा आपकी अनुपस्थिति को स्वीकार कर लेगी, आसाम जाएं और हल ढूंढें, जैसे भी आप उचित समझें। मैं हल का सुझाव नहीं दे रहा। यह आपकी समस्या है।' आपने इस बच्चे को खुद पैदा किया। आपको समस्या का समाधान ढूढना चाहिए ; आप श्री धनिकलाल मंडल लोकदल कांग्रेस अथवा पिछले वर्ष की अस्थाई सरकार पर दोष लगा कर इस जिम्मेदारी से छुटकारा नहीं पा सकते। बहाना बनाने की कोशिश न करें। आपको समस्या का समाधान निकालना है और आप इसका समाधान निकालें वे जरूर असफल हुये होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात संक्षेप से कहें।

श्री सतीश अग्रवाल : मेरे प्रश्न का आखरी भाग यह है कि आसाम के समूचे आंदोलन को दबाने के लिए वहाँ क्या आंशिक आपत्तकालीन स्थिति लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकट सुब्बया) : मैं अपने वक्तव्य के सम्बन्ध में मित्र श्री सतीश अग्रवाल की गलत धारणा को ठीक करना चाहता हूं, जो कुछ मैंने कहा है, उसका कुछ और अर्थ लिया गया है। मैंने यही कहा था कि सरकार किसी प्रतीक्षा के प्रश्न पर खड़ी नहीं है, और आसाम तथा किसी अन्य क्षेत्र में वार्ता के लिए जाने के विरुद्ध नहीं है वशर्ते कि वातावरण ठीक हो और आंदोलनकारी सरकार की समस्याओं को सुनने तथा समझौते करने के लिए तैयार हों। यदि ठीक वातावरण न पैदा किया जाये तो यह ठीक नहीं है।

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह) : भूतपूर्व वित्त राज्य मंत्री का और दूसरे मेम्बरों का मैं बड़ा

मशकूर हूं कि वे मुझे भी कभी-कभी अच्छी बातें कह कर प्रेस कर देते है। आनरेबल मेम्बर ने जहां और बातें कहीं वहां हमें एक अच्छा मशविरा भी दिया कि मैं सरदार पटेल के स्थान पर बैठा हूं इसलिए मुझे छोटी-छोटी बात पर उत्तेजित नहीं होना चाहिए, मुझे गंभीरता से काम करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। यह शिक्षा उन्होंने दी इसलिए मैं उनका बहुत मशकूर हूं।

मैं सरदार पटेल की बराबरी तो नहीं करता और न करना चाहता हूं। वे बड़े बलवान् एडमिनिस्ट्रेटर थे, देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, देश को बचाया। लेकिन मुझे इस बात का एहसास जरूर है कि जिस स्थान पर मैं बैठा हूं उस स्थान से, जो देश की परिस्थितियां हैं उनको पूरी जिम्मेदारी से निभाने की कोशिश करूं। मैं अपने दोस्तों को यह भी कहना चाहता हूं कि बिला शुबहा अगर जरूरत पड़ेगी तो सरदार पटेल की तरह भी एक्शन लिया जाएगा।

उनका कहना यह है कि बातचीत जो टूट रही है उसका ब्यौरा मेम्बरों के सामने आना चाहिए। यह ठीक बात उन्होंने कही। इसके बारे में मैंने अपनी स्टेटमेंट में इसका थोड़ा सा इशारा किया, ज्यादा नहीं किया। मैं अब आपकी इजाजत लेकर कुछ बातों को ब्रेफली कहूंगा। खुलासा करने से मुझे डर है कि जो मेरी आशा है वह न टूट जाए। खुलासा करने से यह भी होगा कि प्रश्न यह उठे कि हमने यह कहा और उन्होंने यह कहा।

जब बातचीत चल रही थी तो उसके दौरान में मैंने दोनों पार्टियों के नेताओं से, जो कि तकरीबन 24 और 22 हैं, यह कहा था कि यह अच्छा होगा कि अगर हम आफिसरों के बगैर और आप अपने फोलोअर्स के बगैर बैठें। जो आपके नेता हैं वे और हम बातचीत करें और कोई कमिटमेंट न हमारी हो और कोई कमिटमेंट न आपकी हो, इससे हम कोई रास्ता निकालें या किसी रास्ते के नजदीक पहुंच जाएं। वह वह बात नहीं कर पाये। तीन-तीन अलहिदा-अलहिदा पार्टियों के आने थे। तीन-तीन में फिर झगड़ा हुआ है, एक के फिर चार आ गए। हमने बैठ कर बातचीत की। बातचीत यहां तक हुई कि 1951 से लेकर 1961 तक छोड़ दिया जाए और 1961 से लेकर 1971 के लोगों को डिटेक्ट किया जाए लेकिन डिटेक्शन के बाद जो विदेशी साबित हो जाए उनको सिटिजनशिप बेशक दे दी जाए, मगर आसाम में नहीं रखा जाए। हमने कहा यह बात दुरुस्त नहीं है। इसमें एग्रीमेंट नहीं हो सकता। 1971 के बाद डिटेक्ट करना, वोटर लिस्ट से डिलीट करना, डिपार्टेशन करना, मेरी राय एक थी हमने समझा कि हम बहुत नजदीक आ गए हैं कोई रास्ता निकाल लेंगे। उन्होंने कहा कि एक दिन हमको दीजिए हम रिकार्ड देखेंगे कि इण्टरनेशनल कमिटमेंट्स क्या हैं, नेशनल कमिटमेंट्स क्या हैं, ह्यूमन कंसीडरेशंस क्या हैं, इन सब बातों की हमको व्याख्या करके दीजिए। बीच में हमने एक दिन की तारीख आगे डाल दी। फिर तीसरे दिन उनको रिकार्ड दिखा दिया गया जो भी हमारे पास एवलेबल था। हमने उनको यह भी कहा कि गोहाटी हाई कोर्ट का नेशनल रजिस्टर के सम्बन्ध में जो फैसला है उसको भी आप देखिये। यहां जो हमारे पास रिपोर्ट है, आधा रजिस्टर एवलेबल नहीं है। कहीं चला गया, कहीं पुराना हो गया, उसके बाद रजिस्टर बना नहीं। यह भी हमने कहा कि अगर आप रजिस्टर को बेस मानना चाहेंगे तो हमारे पास यह भी मेमोरेंडम आया है कि 51 को बेस मान लीजिए और रजिस्टर रखने के बजाए सेंसस जो कि हर 10 साल बाद होती है उसको मानना पड़ेगा। सेंसस आखिरी बार 71 में हुई। 71, 61, 51 इन सेंसस को भी सामने रखा जाए तो उन्होंने

कहा कि यह भी हम नहीं मानते। वोटर लिस्टों का भी वैसा ही हाल है। हर दो साल बाद पुरानी लिस्ट खत्म हो जाती है। आखिर हमने सोचा कि रास्ता निकले। आखिरी दिन सब के सब आ गये और जब सब के सब आ गए तो फिर आप जानते हैं कि उनकी कुछ मजबूरी होती है। इस तरह से दुनियाँ में कोई भी काम नहीं होता है। जब तक किसी का एक नेता न हो और उस नेता की बात कोई मानता न हो, मुझे उनसे हमदर्दी है, लेकिन मेरे खयाल में उन्हें एजीटेशन के लिए ही नेता बनाया गया है, फैसला करने के लिए नहीं। फैसला शक्ति कर नहीं सकती। दुनियाँ में बहादुर आदमी ही लड़ सकते हैं और बहादुर आदमी ही सुलह कर सकते हैं। कमजोर दिल के लिए यह बड़ा मुश्किल होता है। मेरी बहुत बार बात हुई और मेरे तो वे बहुत प्रेमी हो गए हैं। मैं उनके खिलाफ बात कहता नहीं। अब हम आशा रखते हैं कि वे दूर अंदेशी से काम लेने के लिए तैयार हो जाएंगे और हम भी तैयार हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम कोई बात नहीं मानते। 1951 से लेकर डिटेक्शन, डिलीशन, डिपोर्टेशन हो। अगर आप इनको रखना ही चाहते हैं तो आसाम से बाहर निकाल दीजिए। आसाम में नहीं रखे जाएंगे। इस बात पर हमने कहा कि यह प्रेक्टिकेबल नहीं है आप रीजनेबल बात करके इस बात को निपटाइए। हमारा यह फर्ज बनता है कि आसाम के लोगों की शंकाएं जो हैं वे न रहें। उनको माइनारिटी में नहीं होने दिया जाए। उनके रस्मो-रिवाज, उनकी भाषा, उनका कल्चर, वहाँ के रहने वाले जो ट्राइब्स हैं उनके रस्मो-रिवाज उनका कल्चर इत्यादि सब बरकरार रखे जाएं यह हमारा फर्ज बनता है। उसमें जो भी तय करना चाहिए वह हम करने के लिए तैयार हैं। मैंने कहा कि हम बात कर लेते हैं और आज भी वक्त ले लें, 2, 3 4, दिन का तो उन्होंने सबने मिल कर कोई फैसला नहीं दिया।

(श्री हरी नाथ मिश्र पीठासीन हुए)

परसों बात करेंगे, किसी ने कहा कि बातचीत करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, किसी ने कागजों को छाती से लगा कर कहा कि आना हो तो गोहाटी आना, हमें कुछ सोचना नहीं है, हम नहीं सोचेंगे, आप सोचें। मैंने कहा कि आप गुस्से न हों, नाराज न हों, कोई बात ऐसी नहीं है, हम यह विचार करके उठें कि हमारी बातचीत में विघ्न पड़ पड़ गया है, वह टूटी नहीं है, प्रेस को न कहें कि टूट गई है। कोई भी ऐसा दुनिया में मसला नहीं है जो टेबल पर बातचीत के जरिये सुलझाया न जा सकता हो। एजीटेशन करोगे तो हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे। इससे नुकसान होगा। यह अच्छी बात नहीं है। दोनों का नुकसान एक जैसा नुकसान है। यह नहीं होना चाहिये। मैंने यह भी कहा कि मैं आप से अपील नहीं करता। मैं आपको मश्विरा देता हूँ। आप एजीटेशन को विदड्रा नहीं कर सकते हैं तो न करें लेकिन इसको सस्पेंड कर दें। काम एटमसफीयर में हम बैठेंगे, जो हमारी मदद करना चाहते हैं उनसे हम मदद लेंगे और कोई हल निकालने की कोशिश करेंगे। बार-बार मैंने उन्हें यह कहा है। पहले रोज भी कहा था। आज भी कहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी पार्टी की भावना से, मजहबी भावना से, कम्युनल नुक्तेनजर से, जातपात के नुक्तेनजर से बिल्कुल नहीं सोचती है और न ही फैसला करना चाहती है। वह समझती है कि यह एक कौमी फैसला है और कौम के लिए करना है।

माननीय सदस्य ने पूछा फर्स्ट मैमोरेंडम में क्या कहा था। उनकी जो डिमांड्ज हैं उनको मैं पहले सुना चुका हूं। अगर चाहें तो इसको मैं तक्सीम भी करवा दूंगा। मेरे खयाल में सुनाने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो मैमोरेंडम मैं आपको भिजवा दूंगा।

श्री सतीश अग्रवाल : आलमोस्ट आल आपने कहा है कि मान ली हैं। वे कौन-कौन सी है ?

श्री जैलसिंह : डिटैक्शन की बात मान ली है। डिफैक्ट रह गया है तारीख के बारे में कि कौन सी तारीख से हो। डिलीशन की मान ली है। वोटर लिस्ट में आइडेंटिटी कार्ड वाली बात और फोटो फिक्स करने वाली उनकी बात मान ली है। बोर्डर को स्ट्रेंथन किया जाय, इसको भी मान लिया गया है। सिटिजन-शिप के सर्टिफिकेट देने का जहां तक सम्बन्ध है हमने हर स्टेट को अखत्यार दे रखा है। उनका कहना था कि त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल को हक न दिया जाए। इन्होंने जो सर्टिफिकेट दिए है उनको हम कैंसल कर सके। हम एग्रो हो गए कि कैंसल भी न करें लेकिन आइंदा के लिए सिटिजनशिप सर्टिफिकेट किसी स्टेट को नहीं बल्कि सैंट्रल गवर्नमेंट अपनी अथोरिटी से दे। ये सब बातें उनकी मान लीं। कोई इसमें रोक नहीं। मैंने यह भी कहा कि पुलिस को तो अलग नहीं किया जा सकता है लेकिन डिटैक्शन का काम ऐसी मशीनरी के माध्यम से करें जिसको आपका सलाह-मशिवरा मिलता रहे दूसरे लोगों का भी लें। इसका कारण यह था कि किसी सिटिजन को गैर सिटिजन बना कर निकाल दिया जाए तो यह भी बुरा लगेगा और कोई विदेशी धोखे से हिन्दुस्तानी बन कर हमारे मुल्क के साथ धोखा करे यह भी ठीक नहीं है। हम सब मिल-जुल कर कोई ऐसा हल निकालेंगे, ऐसी मशीनरी बनाएंगे जो तकरीबन सब को काबिले कबूल हो। यह सब बातें हो गई। सरकार अब भी कायम है। ऐसी बात नहीं है कि इनको सरकार को नहीं करना है। जो देश हित की बात है वह सरकार करेगी। बोर्डर को स्ट्रेंथन करना है केवल असम के बोर्डर को ही नहीं, नार्थ ईस्टर्न इंडिया के बोर्डर को भी तो वह भी करेंगे माननीय सदस्य जानते होंगे लेकिन बहुत से जानते नहीं भी होंगे और उनको मैं बताना चाहता हूं कि इस पर अरबों रुपया खर्च अगर करना पड़े तो नेशन को करना चाहिये। यह नेशन का धर्म है। और काम बेशक पीछे कर लें लेकिन बोर्डर को स्ट्रेंथन करना हमारा धर्म है, उनका भी धर्म है। मैंने उनको कहा कि ये सब काम वही हैं जो सरकार को करने हैं और उसको करने ही चाहियें. आप क्रेडिट क्यों नहीं लेते कि हमारे कहने से सरकार ने इन कामों को—करना मान लिया है ? वे नहीं लेते तो मैं क्या कर सकता हूँ। इस बात की घोषणा भी कर दी है। घोषणा भी आपके सामने है और स्टेटमेंट भी है। पहले भी जो होम डिपार्टमेंट की तरफ से कम्युनिक गया था उनमें भी ये सब चीजें हैं। आप हिन्दुस्तान की जनता के नुमाइंदे हैं आप मुझे आशा है रीजनेबल बात को मानेंगे और कोशिश करेंगे कि उनसे भी मनवाएं। वे गलत काम न करें, देश को बरबादी के रास्ते पर न ले जाएं, यह आप भी उनको समझायें। तीन करोड़ का नुकसान आयल बूलावेड से हो गया है। टी, वुड, बैम्बू प्लाईवुड वगैरह के कई कारखाने भी हैं।

यह भी मैं आपको बताऊं कि जो साथ की रियासतें हैं. मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आदि, उनको भी बहुत तकलीफ हो रही है, वह भी बेचारे पीछे जा रहे हैं। बेकारी बढ़ रही है, वहां एक साल बच्चों का बरबाद हो गया। हमने बार-बार कहा, लेकिन उन्होंने नहीं माना। बाद में असम के लोगों को ख्याल आया, 1500 से करीब विद्यार्थी हिन्दुस्तान में और जगहों पर दिल्ली, चंडीगढ़, मद्रास और अलीगढ़ में आये और वह एजुकेशन ले रहे हैं। जब गरीब लोगों को ख्याल आया कि हम पीछे रहे गये, हमारे बच्चों की एजूकेशन बरबाद हो गई. अमीरों ने अपने बच्चों को बाहर भेज दिया। अब स्कूल, कालेज और यूनिवर्सिटी खुली हैं। अब फिर यह किया

जाये कि उन्हें बन्द कर दें, सड़क, रेल, हवाई यातायात बन्द कर दें तो इसमें किसका भला है। यह सब तब करते हैं जब सरकार बात करने को तैयार न हो।

मेरे एक दोस्त ने यह भी पूछा, मिनिस्टर आफ स्टेट ने तो अपना जवाब दे दिया, मुझसे भी पूछा कि एक बार आपने कहा कि नहीं जाऊंगा, दूसरी बार कह दिया कि जा सकता हूं। मैंने दो स्टेटमैंट नहीं दिये। प्रेस वालों ने पूछा कि गोहाटी जा रहे हैं, मैंने कहा कि नहीं, दिल्ली जा रहा हूँ, गोहाटी नहीं जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी क्यों, मैंने कहा कि पार्लियामेंट का सैशन आ रहा है, दिल्ली जा रहा हूँ। फिर जब स्टेटमैंट छप गया तो मैंने समझा कि अच्छा नहीं किया कि इन्कार किया। उन्होंने कहा कि गोहाटी नहीं जाना चाहते; मैंने कहा कि प्रैस्टिज का सवाल नहीं है। मगर जो उन्होंने लैटर लिखा, उसमें जिद की कि एन. आर. सी. को बेस मानो, 52 का बेस मानो और 51 से डिटैक्शन शुरू करो। जब बातचीत शुरू करें और वह कहें कि एजीटेशन हम जारी रखेंगे, फिर भी बात करनी है तो यहां आ जाओ, तो क्या ऐसी हालत में आप हमको मशविरा देंगे कि हम वहां चले जायें। क्या बातचीत होगी, और क्या उसका फायदा होगा।

मेरा ख्याल है कि आनरेबल भूतपूर्व मंत्री जी महाराज हमारा साथ देंगे, क्रैडिट भी लेंगे। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि मुझे दो तीन बातों में आज उनकी सहायता मिली। मैं जब हिन्दी में स्टेटमैंट करने लगा तो उनको कुछ शक पड़ा कि मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ। अच्छा हुआ वह संभल गये, अगर शकोशुबाह पड़ जाये तो उसमें और समय खराब होता।

उन्होंने बार-बार मुझे याद दिलाया कि मैं सरदार पटेल की जगह पर बैठा हूं, अपनी जिम्मेदारी को समझूं। मेरे एक दोस्त ने कहा कि शेर पढ़कर सुनाओ, मुझे याद आ गया कि ज्यादा शेर नहीं पढ़ने चाहियें। मैं अपनी सारी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए अपनी प्रधानमंत्री की रहनुमाई में जो काम करता हूं, उसमें संजीदगी से काम करता हूं लेकिन एक बात जरूर है---

जमाने की अजीयतें मुझे रुला नहीं सकती,
मैं क्या करूं मुझे आदत है मुस्कराने की।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : गृह मंत्री का भाषण सुनने के बाद भी हम नहीं जान सकें कि अब सरकार क्या करने पर विचार कर रही है। बाद की वार्ता के दौरान आंदोलनकारियों के प्रति अपनाये गये रवैये से मैं पूर्णत. सहमत हूँ। लेकिन मुझे इस बात का खेद है कि यद्यपि कहा जाता है कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है फिर भी इसे सारे देश के लिये अभी तक राष्ट्रीय समस्या नहीं समझा गया है। अब भी कुछ महीने से सरकार इसे अपने तथा आंदोलनकारियों के बीच की समस्या मानती है। याद मुझे ठीक याद हो तो 20 जनवरी को लोक सभा चुनाव के बाद सरकार ने दिल्ली में विज्ञान भवन में एक बैठक बुलाई जिसमें आसाम विधान सभा में विभिन्न दलों के सदस्यों को बुलाया और वे आये। विभिन्न दलों के संसद सदस्यों को भी बुलाया गया और विचार-विमर्श हुआ। उस बैठक में हम लोगों ने जो कुछ बातें कहीं और जिन्हें नहीं समझा गया और उस समय स्वीकार्य नहीं माना गया, मुझे खुशी है कि सरकार अब उस दिशा में सोच रही है। बाद में उस प्रकार की कोई भी बैठक नहीं बुलाई गई। बाद में

आसाम के लिये एक सलाहकार समिति बनाई गई । इस समिति की एक ही बैठक हुई और उसके बाद कोई भी बैठक नहीं बुलाई गई ।

मैं इन बातों को यह स्पष्ट करने के लिए कह रहा हूं कि वास्तव में सरकार का रवैया इस प्रकार का हो गया है जैसे कि उसने वार्ता के दरवाजे बन्द कर लिए हों । आंदोलनकारियों के साथ वे ही निपटेंगे और यद्यपि इसे एक राष्ट्रीय समस्या माना गया है, फिर भी अब पहले की तरह संसद में उपस्थित अन्य राष्ट्रीय दलों से सुझाव नहीं मांगे जाते और न ही उनकी राय ली जाती है । मेरे विचार में यह एक शोचनीय बात है ।

दूसरी जिस बात का पता मुझे वक्तव्य से लगा है वह यह है कि गतिरोध समाप्त करने के लिए वे आसाम में कांग्रेस मंत्रिमंडल स्थापित करने जा रहे हैं । क्या वह समाधान है ? आप चाहें तो मंत्रिमडल का गठन कर सकते है । मैं समाचार पत्रों में पढ़ता हूं कि बड़े पैमाने पर दलबदल किया जा रहा है ताकि आपको बहुमत हो सके । लेकिन क्या आसाम में कांग्रेस मंत्रिमडल के गठन से वह बुनियादी समस्या हल हो जाएगी जिसके कारण आंदोलन हो रहा है । इससे यह समस्या हल नहीं होगी । ऐसा करना आपके राजनैतिक हितों से प्रेरित है । मुझे पता चला है कि आल आसाम स्टुडेंट यूनियन तथा अन्य संस्थाओं ने एक प्रेस वक्तव्य द्वारा कहा है कि आसाम में सरकार की स्थापना करना उनकी मांगो तथा आंदोलन को कुचलना है । यदि यही दृष्टिकोण अपनाया जाता है तो इससे समस्या हल नहीं होगी और इससे सामान्य स्थिति कायम नहीं होगी । यह देखना आपका कर्तव्य है कि क्या संविधान के अनुसार 12 दिसम्बर तक मन्त्रालय स्थापित करना जरूरी है या नहीं । लेकिन मुझे यह भय है कि आप कोई हल ढूढने के बजाय मंत्रिमंडल स्थापित करने की ओर अधिक ध्यान दे रहे हैं । मेरे विचार में सरकार के पास कोई भी ठोस बात कहने के लिए नहीं है, क्योंकि वे मंत्रिमंडल स्थापित करो तथा अपनी ओर अधिक विधायक खींचने में अधिक व्यस्त हैं और इसी कारण इस समस्या को हल करने में कम प्राथमिकता की जायेगी । यह अच्छी बात नहीं है ।

सरकार ने मानवीय घटनाओं सम्बन्धी कुछ अन्य बातों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है । इसे दोहराने का कोई लाभ नहीं है । असंख्य लोगों ने शरणार्थियों के रूप में आसाम को छोड़ा है । आप उस बारे में जानते ही हैं । इस सभा में भी इस प्रश्न को कई बार उठाया गया है । उत्तरी बंगाल के कूच-बिहार शिविर में 4 हजार लोग रह रहे हैं, जिन्हें आसाम से बाहर निकाला गया है और वे दयनीय दशा में रह रहे हैं । यह बात बार-बार कही गई है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत सरकार से अपील की है कि इन शरणार्थियों की देखभाल, पालन-पोषण सम्बन्धी व्यय के भार को केन्द्रीय सरकार को अपने ऊपर लेना चाहिए । उस समय आप भूल जाते हैं कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है । इन सब बातों की जिम्मेवारी पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर आ गई है । क्यों ? वहां 11 हजार लोग हैं और अधिक भी आ सकते हैं । मेरे विचार में यह आन्दोलन हिंसा का हो जायेगा । पिछले एक वर्ष से चल रहा आन्दोलन और प्राप्त हो रहे समाचार विघटनकारी हैं । लेकिन पहले की तरह इसमें लोग भारी संख्या में भाग नहीं ले रहे हैं । उन्होंने निश्चय किया था कि समझौता होने तक शिक्षा संस्थाएं नहीं खोलने दी जायेंगी । लेकिन जब कुछ स्कूल खुलने शुरू हुये तो बच्चों को स्कूल जाने से रोकने के प्रयत्न किये गये जिसके फलस्वरूप मुठभेड़ें हुई और कई जानें गयीं । जैसे कि गृह मंत्री ने भी जिक्र किया, राज्य का

सारा वातावरण शिक्षा सस्थाओं को खोलने के पक्ष में हो गया ताकि बच्चों की शिक्षा को कोई नुकसान न पहुँचे । उन्हें शिक्षा संस्थाए खोलने के लिए मजबूर किया गया और अन्त में आल आसाम स्टूडेंट यूनियन ने आह्वान किया कि इस-इस तारीख से शिक्षा संस्थायें पुनः खोली जायें। वहाँ ऐसा हो रहा है । इसी तरह से वहाँ कर्मचारी संघ था ।

वह यूनियन कर्मचारी परिषद् है जोकि गणसंग्राम परिषद् का एक घटक है । उन्होंने इस बात का आह्वान किया था कि राज्य सरकार के कर्मचारियों का कोई भी कर्मचारी संघ इस गण-संग्राम परिषद की अनुमति के बिना आसाम पे कमीशन को ज्ञापन नहीं देगा । उन्हें इसका बहिष्कार करना चाहिए । उन्हें कोई भी ज्ञापन प्रस्तुत नहीं करना चाहिए । परन्तु 90 प्रतिशत कर्मचारी संगठनों ने गण-संग्राम परिषद की अनुमति के बिना आसाम पे कमीशन को अपने ज्ञापन दिए हैं । इसलिए मैं समझता हूं कि वह इस बात का एक संकेत है कि वातावरण बदल रहा है और यह एक नैतिक पराजय है । परन्तु यह उस नेतृत्व से अलग है जो आन्दोलन को पुराने रूप में जारी रखना चाहता है । विधायक आवासों तथा अन्य स्थानों की यात्रा की है, इन विधायकों को बाहर से आने से रोकने की कोशिश करने और वास्तव में उनका बहिष्कार करते हुये जो धरने किए जा रहे हैं उनमें भी, धरने में भाग लेने वाले लोगों की संख्या निरन्तर कम होती जा रही है । इसलिए मुझे प्रसन्नता है और मैं महसूस करता हूँ कि उस भावना में आन्दोलन पहले जैसे उत्साह को बनाए रखने में समर्थ नहीं हो रहा है । परन्तु वहाँ इस बात का खतरा है कि आन्दोलन में शामिल उग्रवादी तत्व आगे हिंसा का दौर शुरू करने का प्रयास कर सकते हैं । उन्हें यहाँ मिल-बैठकर आराम से इस बात पर विचार करना है कि वहाँ 12 दिसम्बर तक कांग्रेस सरकार गठित हो जाएगी । पहले से ही भावी मुख्यमत्रो के नामो की चर्चा की जा रही है तथा और इसी तरह की अन्य बातों की चर्चा हो रही है । आपकी पसन्द और आपकी अपनी पार्टी के लोगों के विरुद्ध मुझे कुछ नहीं कहना है, आप जो चाहें कर सकते हैं और यदि वह मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री हो जाती है तो मैं नहीं समझता कि वह किसी समस्या को हल कर सकती है । यद्यपि मुझे इससे प्रसन्नता होगी तथापि मैं नहीं समझता कि वह किसी समस्या का समाधान कर सकती हैं । परन्तु आखिरकार वह एक उस अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बद्ध हैं जो इन आन्दोलनों का शिकार भी है । इसलिए आप कृपा करके हमें यह बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं । आप कहते हैं कि जब तक आन्दोलन वापस नहीं ले लिया जाता या स्थगित नहीं हो जाता हम गौहाटी नहीं जा रहे हैं । कुछ व्यक्ति कम से कम उन व्यक्तियों में से जो इस आन्दोलन के सक्रिय अंग हैं, बहुत से लोग यदि आवश्यक हो तो कुछ हिंसा या अधिक हिंसा पैदा करके आन्दोलन को जारी रखने के लिए कटिबद्ध हैं और आप यहाँ बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि 12 दिसम्बर तक हमें वहां सरकार अवश्य बनानी है । इस बात को कैसे हल किया जा रहा है । हम आसाम सम्बन्धी सलाहकार समिति से और ज्यादा विचार करने में समर्थ नहीं हैं । आप यहाँ विचार करने के लिए अथवा उनकी राय का सुझाव सुनने के लिए विभिन्न दलों को नहीं बुला रहे हैं और अब आप एक कार्य करने जा रहे हैं जिसमें कि वहां गतिरोध है । यह अत्यन्त गभीर स्थिति है क्योंकि हर रोज यह आन्दोलन जारी है । यह बहुत बुरी बात है, सम्पूर्ण उत्तर-पूर्वी क्षेत्र पर इसका नकारात्मक प्रभाव होगा, देश के अन्य भागों का तो उल्लेख ही नहीं किया जाए । इसका प्रभाव विघटनकारी और विनाशक है । यह वस्तुतः उस राष्ट्रीय एकता के सभी आधारभूत

मूल्यों से खिलवाड़ करना है जिसे कि हम सभी इस देश में चाहते हैं। इसलिए, अब मैं इस शरणार्थियों के अलावा जोकि उत्तरी बंगाल में पड़े हुए हैं, जिन पर कि आप अब तक एक पैसा खर्च करने से इन्कार कर रहे हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आसाम के भीतर की यह तेल-शोधक कारखाना और अन्य कारखाने जोकि आन्दोलन के फलस्वरूप बन्द कर दिए गए हैं और जिससे बिहार के, बरौनी के तेल-शोधक कारखानों, बरौनी के खाद के कारखानों पर बुरा प्रभाव पड़ा है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के इन कर्मचारियों को, जोकि अस्थायी तौर से बेकार हो गए हैं, कम से कम उनके वेतन का भुगतान किया जा रहा है। यही कारण है कि वहां उनकी तरफ से कोई हल्ला-गुल्ला नहीं हो रहा है। परन्तु आसाम की सैकड़ों फैक्टरियां जोकि निजी क्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं, गैर सरकारी मालिकों, गैर सरकारी प्लेईवुड मालिकों द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। अभी हाल में मुझे उन प्लायवुड फैक्ट्रियों के मजदूरों की यूनियन से अभ्यावेदन मिला। वे अत्यन्त ही दयनीय स्थिति में हैं। वे बुरी तरह से भूखों मर रहे हैं। सभी फैक्ट्रियां इन लोगों द्वारा बन्द कर दी गई हैं। कोई प्लाईवुड बाहर नहीं भेजा जा रहा। इन मजदूरों को अपने वेतन का एक पैसा भी नहीं मिल रहा है, उनके परिवार भूखों मर रहे हैं।

मैं एक बात कहूंगा। आपने यह नहीं बताया है कि आपने इस बारे उनसे क्या कहा है कि आप आर्थिक पिछड़ेपन और आर्थिक विकास तथा रोजगार के अवसरों के बारे में उनकी न्याय संगत शिकायतों को किस प्रकार दूर करना चाहते हैं? क्या दूसरे राज्यों में वे समस्याएं नहीं हैं। हमारे देश के अनेक राज्यों में ये समस्याएं हैं; वे सामान्य रूप से हैं अविकसित हैं। हमारी अर्थव्यवस्था में असंतुलन है। इसमें कोई सदेह नहीं है। उस बात को छोड़िए। आसाम के लोग, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लोग उस कारण से अवसरों की कमी के बारे में, आर्थिक विकास तथा इसी तरह की अन्य बातों के बारे में परेशानी महसूस करते हैं। उस क्षेत्र का विकास करने के लिए सरकार क्या करना चाहती है? उस सम्बन्ध में आपने उनसे क्या कहा है? आप हमें यह बताएंगे कि क्या आपने उन लोगों को कोई ठोस आश्वासन दिया है और उस सम्बन्ध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरा विश्वास है कि यही वास्तविक परेशानी है। जो श्री मंडल ने कहा वह वास्तविक परेशानी नहीं है कि उन्हें किसी का उपनिवेश बन जाने का खतरा है। उन्हें किसी का उपनिवेश बन जाने का खतरा नहीं है वहाँ कुछ विदेशी नागरिक हैं जो सीमा पार से आए हैं। हम सभी इस बात से सहमत हैं कि उनकी जाँच की जानी चाहिए। प्रश्न केवल जाँच करने की प्रक्रिया के बारे में है इसको किस तरह कार्यान्वित किया जाना चाहिए। इसका ऐसा तरीका निकाला जाना चाहिए जो व्यावहारिक हो, जिस पर कार्य किया जा सके। जो लोग तीस वर्ष पूर्व यहाँ आगए उनको खदेड़ने का बेतुका विचार यह तरीका नहीं हो सकता। उन्हें विदेशी नागरिकों की पहचान करने का कुछ व्यावहारिक तरीका खोजने का प्रयास करना चाहिए।

परन्तु यदि आसाम के कुछ लोग यह बताना चाहते हैं कि वे उन लोगों द्वारा उपनिवेश बनाए जा रहे हैं जो कि भारत के दूसरे राज्यों से आ रहे हैं? वे उतने ही अच्छे भारतीय नागरिक हैं जितने कि वे साथ हैं। वे दूसरे राज्यों से हैं और वह जाते रहे थे और इसलिए वहाँ उपनिवेश बन जाने का खतरा है। मैं नहीं जानता कि ऐसे ही अन्य तमाम राज्यों के बारे में क्या कहा जाए। इससे शृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगी और लोग यह माँग करना शुरू

कर देंगे कि दूसरे राज्यों के लोगों को हर जगह से खदेड़ दिया जाएगा। यही कारण है कि कलकत्ता में आगरा बंगाली तथा अन्य दूसरे संगठन दीवारों पर लिख रहे हैं—यदि बंगालियों को आसाम में रहने की अनुमति नहीं है। तो हमें गैर-बंगालियों को कलकत्ता से बाहर कर देना चाहिये। क्या हम उस तरह की बातों को प्रोत्साहित कर रहे हैं ? इससे काम नहीं चलेगा। दृढ़ता के साथ उनको यह बात बताई जानी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति पर जो कि किसी भी दूसरे राज्य का एक भारतीय नागरिक है। उंगली उठाने का कोई प्रश्न नहीं है।

मैं कहना चाहता हूं कि लाखों लोग बंगला देश और पूर्वी पाकिस्तान से आसाम की अपेक्षा पश्चिम बंगाल में आए हैं। परन्तु हम सभी समस्या को समझते हैं। वे लोग जो सीमा पार से आए हैं मूल रूप से बंगाली हैं क्योंकि विभाजन से पूर्व सारा बंगाल एक था। दूसरी ओर से लोग शरणार्थी के रूप में बंगाल में आए हैं और वर्षों से ऐसा हो रहा है। इतने अधिक लोग आ गये हैं कि हम उनकी गणना नहीं कर सकते। आपने उनमें से कुछ को दण्डाकरण में खदेड़ दिया। क्योंकि संयोग से वे मूल रूप में वे जाति, मूल व भाषा की दृष्टि से बंगाली है, बंगाल में कोई भी इस बारे में बावेला नहीं मचाता।

क्योंकि आसाम की सीमा पार कर कुछ लोग आसाम में आ रहे हैं। उन्होंने यह सवाल उठा दिया है। मुझे यह कहने में दुख है कि वर्षों से पहले आसाम के इतिहास में समय-समय पर बंगाली विरोधी आंदोलन और दंगे होते रहे हैं। हर कोई इसे जानता है। मैं यह नहीं कह रहा कि इसके लिए किसको दोष दिया जाये और किसको दोष नहीं दिया जाये। यह केवल उस श्रृंखला में है। यदि आप लोगों की उस संख्या को देखें जो बंगाल आए तो आपको जानकारी हो जाएगी। हमें इस बारे में अत्यन्त सजग रहना चाहिए।

मैं जानता हूं, वहां कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो यह कहती रही हैं कि जो व्यक्ति सीमा पार से आए हैं उन्हें दो श्रेणियों मे बांटा जाना चाहिए। उन व्यक्तियों को शरणार्थी माना जाना चाहिये जो उस ओर के अत्याचारों अथवा सांप्रदायिक दंगों या ऐसी ही किसी दूसरी बात के कारण आये हैं। दूसरे व्यक्तियों को नहीं। इसका मतलब है कि उन्हें हिन्दू और मुसलमान दो श्रेणियों में बांट दिया गया है। हम इस तरह के नजरिए का बिल्कुल समर्थन नहीं करते।

इसलिए, मैं कहना चाहता हूं कि उन विघटनकारी एवं पृथकतावादी प्रवृतियों से तथा ऐसी उन सभी बातों से जिनका कि प्रचार किया जा रहा है, राजनीतिक रूप से संघर्ष किया जाना चाहिए, सेना के द्वारा उनसे नहीं लड़ा जा सकता। वहां सेना विशेष प्रयोजन के लिए है। मैंने अनेक अवसरों पर इस सदन में, इस तरह के प्रयोजन के लिए सेना के प्रयोग पर दुख व्यक्त किया है क्योंकि यह सेना के लिए भी अच्छा नहीं है। परन्तु कभी-कभी स्थिति खतरनाक हो जाती है। परन्तु मैं यह कह रहा हूं कि विगटनकारी तथा पृथकतावादी प्रवृतियों के खिलाफ राजनीतिक तौर से संघर्ष किया जाना है। मैं आपको बता सकता हूं कि आसाम की छः या सात छोटी-छोटी पार्टियां हैं जो कि आंदोलनकारियों के हाथों परेशान हुई हैं। जिनको लूटा गया है। जिनके कार्यालयों को लूटा गया है। जिनके कार्यकर्ताओं पर हमले किये गये हैं और हत्या भी की गई है। उनमें अधिकांश वामपंथी पार्टियां हैं, वे छोटी पार्टियां हो सकती हैं। वे भी आसाम की विधान सभा में कुल मिलाकर 25 प्रतिशत हैं। वे हर संभव क्षमता से राजनीतिक अभियान चला रही हैं। शुरू में वे सभा का भी आयोजन नहीं कर सकते थे, उनकी सभाओं को तितर-

बितर किया गया, परन्तु उसके बाद वे पिछले एक-दो महीने से लगातार सभाओं का आयोजन कर रहे हैं और उन सभाओं में बढ़ी हुई संख्या में लोग उनकी बात सुनने आते हैं और लोगों की इन बातों की सराहना की। इसलिए लहर बदल गई है। आंदोलनकारियों के बीच घुसे इन उग्रवादी लोगों के खिलाफ वातावरण धीरे-धीरे बदला है। और मैं बताऊंगा कि किस तरह इस राजनीतिक लामबंदी को आगे बढ़ाना आवश्यक है। परन्तु आपतो हमारे साथ किसी तरह का विचार-विमर्श करना नहीं चाहते। यही परेशानी है। आप कोई बैठक नहीं बुलाएंगे, आप सलाहकार समिति को आममन्त्रित नहीं करेंगे। आप किसी को भी नहीं बुलाएंगे। इसलिए मामला बढ़ रहा है और इस तरीके से लटका हुआ है।

महोदय, अन्त में मैं आपसे इन प्रश्नों को जानना चाहता हूं। सर्वप्रथम, आपने जहां तक आर्थिक विकास, रोजगार के अवसरों और अन्य ऐसी ही बातों के बारे में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की इस उपेक्षा को समाप्त करने के बारे में दिये गये आश्वासनों में उनसे क्या कहा है, क्योंकि वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है; उग्रवादियों से इसका कोई संबंध नहीं है, वहां के सामान्यजन भी इन बातों के बारे में अत्यन्त दुःख महसूसस करते हैं? दूसरे, अब आपका क्या करने का विचार है? तीसरे क्या आप यह समझते हैं कि सरकार इस समस्या का समाधान करने जा रही है, यदि नहीं तो कुछ और रचनात्मक उपायों पर विचार करना पड़ेगा? मामला इस प्रकार से नहीं छोड़ा जा सकता है। चौथे, असम के उन शरणार्थियों के बारे में क्या है जो उत्तरी बंगाल के शिविर में पड़े हैं? क्या आप उनकी देख-रेख करने की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं।

मैं कहता हूं कि यह राष्ट्रीय रजिस्टर का मामला तथा यह सब कुछ बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। श्री अग्रवाल जैसे मेरे मित्र तथा इसी तरह के लोग यहाँ पर इस राष्ट्रीय रजिस्टर के बारे में बातचीत करते हैं। मैं अभी आपको याद दिलाऊंगा कि असम तथा नागालैंड के उच्च न्यायालयों ने यह कहा उन्होंने 1974 में फैसला दिया। उन्होंने कहा, 'कानून और नियम का कोई प्रावधान स्पष्ट नहीं किया गया है जिसके द्वारा यह न्यायालय इस दस्तावेज को मानने की स्थिति में हों जिसका अर्थ वह राष्ट्रीय रजिस्टर अथवा इस पर विश्वास करना है। यह किसी को मालूम नहीं है कि वह राष्ट्रीय रजिस्टर क्या है। इसको 1951 की जनगणना कार्यवाही एक मुख्य जनगणना कार्यवाही का एक हिस्सा समझा गया था तथा इसका रिकार्ड जनगणना अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत भी रखा गया था। इन रिकार्डों का यह राष्ट्रीय रजिस्टर एक अंग था। जनगणना के यह रिकार्ड न तो निरीक्षण के लिए खुले हैं और न ही साक्ष्य के लिए ग्राह्य हैं। मैं समझता हूं कि सरकार को संविधान, अन्य संगत कानूनों, अन्तर्राष्ट्रीय बचनबद्धताओं और अन्य राष्ट्रीय बचनबद्धता पर दृढ़ रहना चाहिए और राष्ट्रीय रजिस्टर के बारे में इस दस्तावेज को प्रोत्साहन देने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि राष्ट्रीय जरिस्टर पूर्णतया गैर-कानूनी या अवैध और अविश्वासनीय है। स्वयं न्यायालय निर्णय दे चुका है। इसलिये, मैं नहीं समझता हूं कि उनको उस मुद्दे पर थोड़ी-सी छूट क्यों दी गई है। उन्होंने एक और छूट दी है, मैं यह कहूंगा कि भविष्य में सभी नागरिकता-प्रमाण-पत्र केवल केन्द्र द्वारा मंजूर किये जायेंगे। मेरा मतलब है कि यह वास्तविक छूट है क्योंकि वे यह कह कर पश्चिम बंगाल सरकार के विरुद्ध पूर्णतया झूठें आरोप लगा रहे थे कि पं० बंगाल सरकार नागरिकता प्रमाण-

पत्र दे रही है । किसको ? उनका मतलब बंगालियों को, और उसके बाद उन्हें असम में पं० बंगाल की कालोनी बनाने के लिए भेजा जा रहा है । हमें मालूम है कि असम में लोगों के धैर्य और भावनाओं को भड़काने के लिए क्या प्रचार किया जा रहा है । यह बिलकुल झूठा आरोप है । प्रत्येक व्यक्ति इसे जानता है । उस पर भी आपने उन्हें कुछ छूट दी है । उसके बावजूद भी वे आपकी बात नहीं सुनते हैं, वे आपके साथ मिलकर चलने के इच्छुक नहीं हैं और इसको 1971 के रूप में मानने के लिये तैयार नहीं हैं । इसी बीच ईराक तथा ईरान से हम जो 4 मिलियन टन कच्चा तेल हम लिया करते थे बन्द हो गया है और असम से साढ़े तीन मिलियन टन आने वाले कच्चे तेल की पिछले वर्ष से नाकाबन्दी कर दी गई है । इससे कच्चा तेल 7·5 अथवा 8 मिलियन हो जाता है जिसे मैं नहीं समझता हूं कि इस देश की अर्थ-व्यवस्था किसी तरह बरदाश्त करने की स्थिति में है । अन्त में कच्चे तेल को पाइप लाइनों से निकालने के बारे में क्या स्थिति है ताकि तेल जम न जाए । उस संबंध में क्या प्रगति है ? क्या यह जारी है ? मुझे बताया गया है कि मजदूर हड़ताल पर हैं । पैट्रोलियम तेल मजदूर भी आंदोलन कर्त्ताओं को सहयोग दे रहे हैं और वे कार्य नहीं कर रहे हैं । शायद सेना के इन्जिनियर इस तेल निकालने के काम को कर रहे हैं । उसका क्या भविष्य है ? क्या इसकी सामान्य स्थिति होने की संभावना है । क्या तेल शोधक कारखानों को जा रहा है या नहीं ? इसकी क्या स्थिति है ? इस सब के बावजूद आप हमें यह बताये कि आपका इस समस्या को सुलझाने के लिए अब क्या विचार है ?

श्री जैलसिंह : चेयरमैन साहब, आनरेबिल इन्द्रजीत गुप्ता साहब ने कई बातें ऐसी कही हैं, जिनको वे तीन-तीन बार कह गये हैं मैं कोशिश करूंगा कि उन सबका उत्तर दे दिया जाये । वे कहते हैं कि हम अंडरस्टेंड नहीं कर सके कि क्या हुआ ? मैं यही कह सकता हूं कि या तो वे समझ नहीं सके या मैं बतला नहीं सका, लेकिन किसी दूसरे मेम्बर को इस बारे में कोई शक नहीं है । अब मेरी यह प्रपोजल है कि वह मेरे पास आ जाएं या मैं उनके पास चला जाऊं ।

सभापति महोदय : यानी आप गुप्ता जी से गुप्त रूप से बातें करना चाहते हैं ।

श्री जैलसिंह : उन्होंने कहा कि आज सरकार ने कहा है कि यह नेशनल क्वेश्चन है । मैं गुप्ता जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि पहले ही दिन जब आसाम पर यहां एक मसला आया—मुझे याद नहीं है कि वह कालिंग-एटेन्शन था या क्वेश्चन था—उसी दिन मैंने यह कह दिया था और आज भी मैंने यह कहा है कि फर्स्ट-मीटिंग में ही हमने यह फैसला किया था कि यह नेशनल क्वेश्चन है और इसको नेशनल आधार पर ही निबटाना चाहिए ।

उन्होंने यह भी कहा कि हमने उनसे डिस्कशन नहीं किया । सी. पी. आई. के सेक्रेटरी श्री राजेश्वर राव बाहर गये हुये थे, हमने उनका इंतजार किया और अब वह बाहर से तशरीफ ले आये—मैंने उनसे बातचीत की । मैंने उनसे सारी बातें की हैं, आप चाहें तो उनसे पूछ लें कि उन्होंने क्या बातें की हैं और मैंने क्या कहा है···

श्री इन्द्रजीत गुप्त : पूछ लिया है ।

श्री जैलसिंह : अगर पूछ लिया होता, तो इलजाम नहीं लगाते कि हम कन्सल्ट नहीं करते । हम तो हर वक्त कन्सल्ट करते हैं और हर मामले में कन्सल्ट करते हैं इस मामले में आपका भ्रम गलत है और यह आपके मन में नहीं रहना चाहिए···

सभापति महोदय : जब आप है, तो गलत तो होगा ही ।

श्री जैलसिंह : गलतफहमी है, इससे ज्यादा कुछ जाहिर नहीं होता है ।

आपने यह भी कहा कि हम राजनीतिक हितों के लिये सोचते हैं । असल बात यह है, गुप्ता जी कहें या न कहें, जितने लोग यहां आये हैं सब राजनीतिज्ञ हैं और सब अपनी अपनी राजनीति के बारे में सोचते हैं । हम भी राजनीतिक हितों को सोचते हैं, लेकिन राजनीतिक हितों का इस बात पर बालातर नहीं रखते, हम राजनीतिक हितों को हर वक्त कुरबान करने को तैयार हैं । हमारी भी पार्टी है, पार्टी का प्रोग्राम है, लेकिन नेशन का हित पार्टी से बहुत ऊंचा है, पार्टी पोलटिक्स से बहुत ऊंचा है । इस लिये हम इस धारणा से काम करते हैं कि जिस से देश का मुफाद कुरबान न हो, पार्टी का मुफाद बेशक कुरबान हो जाय ।

आपका यह भी ख्याल है कि हम वहां कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं और इस में हमने कुछ मेम्बरों को साथ ले लिया है । मैं गुप्ता जी से यही कहूंगा कि इसमें मेरे बस की क्या बात है ? क्या आप चाहते हैं कि वहां की एसेम्बली को डिजोल्व कर दिया जाए ? अब एक साल हो गया है । इस एक साल में आप को खुली छुट्टी थी, गुप्ता जी, कि अगर आप दूसरी और पार्टियों को मिला सकते हैं, तो मिला लो और अपनी सरकार बना लो । जिस पार्टी के लार्जेस्ट मेम्बर होंगे, सरकार वही बनाएगी । उन्होंने तो मुख्य मन्त्री का नाम भी बता दिया । पता नहीं कहां से उनको पता चला है । कहते हैं कि एक बेगम साहिबा हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यही सुना है आप के लोगों से ।

श्री जैल सिंह : सुनी सुनाई बातों पर एतबार न किया करो । आपने पार्टी के हित की बात कही है, मैं बताना चाहता हूं कि यह पार्टी के हित की बात नहीं है । यह तो डेमोक्रेसी को बचाने की बात है । वहां भी डेमोक्रेसी है और जमूहरियत के महान् उसूलों को बनाए रखने और उन की रखवाली करने की बात है । हम उनको मौका देंगे कि वे अपनी किस्मत के खुद मालिक बने । इसमें हम उनके सहायक होंगे । मैं फिर कहता हूं गुप्त जी से और मंडल साहब से कि वे इस बारे में चिन्ता न करें । जो भी पार्टी वहां सरकार बनाने की स्थिति में आ जाती है तो गवनर साहब के बस की बात नहीं कि वे उसको सरकार बनाने के लिए न बुलाएं । वे उसी पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुलाएंगे, जिस के ज्यादा मेम्बर होंगे ।

श्री धर्णिक लाल मंडल : वह डिफेक्शन से होगा ।

श्री जैल सिंह : यह ठीक है कि डिफेक्शन बुरी बात है ! ये नहीं होने चाहिए मगर कहां से ये शुरू हुए हैं, कैसे चल रहे हैं और कौन ले रहा है, इस बात का फैसला आप ही कर लें ।

गुप्त जी का यह कहना ठीक है कि वेस्ट बंगाल में रिफ्यूजीज के आने से वहां पर उनका बोझा ज्यादा बढ़ जाता है और वेस्ट बंगाल के ऊपर इतना बोझा नहीं रहना चाहिए । इस बारे में मैं गुप्त जी से कहूंगा कि इस के लिए चिन्ता करने की कोई बात नहीं है । सी.पी.एम के मुख्य मन्त्री श्री ज्योति बसु हैं । उनकी बातचीत हमारे साथ हो सकती है और हम उन से बात कर भी चुके हैं । उसका समाधान निकल आएगा । आप बेफिक्र रहिये, उन पर कोई बहुत बोझा नहीं डाला जाएगा ।

आप ने सलाहकार समिति की बात भी कही । कन्सलटेटिव कमेटी होनी चाहिए, ऐसा आप ने कहा है । मैं आपको बता दूं कि एक तो होम डिपार्टमेंट की कन्सलटेटिव कमेटी, जोकि

हुआ करती है, वह है और उस की एक मीटिंग अभी हुई है और एक मीटिंग सेशन के दिनों में होगी। लेजिसलेशन के अलावा एक कन्सलटेटिव कमेटी और है जो केवल आसाम के लिए है। उसकी एक मीटिंग हो चुकी है और जरूरत पड़ने पर और भी उसकी मीटिंग कर ली जाएगी और इस बारे में कोई चिन्ता करने की जरूरत नहीं है।

एक बात और कहना चाहता हूं। आर्थिक तौर पर आसाम का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है आसाम के रेजीटेशन से, जिसके बारे में मैंने पहले बताया है। वैसे तो सारे भारत का नुकसान हुआ है और नार्थ ईस्टर्न रीजन के जितने प्रान्त हैं, उनका ज्यादा नुकसान हुआ है लेकिन आसाम का खास तौर पर बहुत नुकसान हुआ है। उसकी आर्थिक व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए से-ट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है। मिनिस्टर्स की एक कमेटी है और बाकी प्रान्तों को जो सहायता हम देते हैं, उनसे ज्यादा सहायता हम आसाम को दे रहे हैं। आर्थिक सहायता, टैक्निकल सहायता और हर तरह की सहायता, जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट बाकी प्रान्तों को देती है, आसाम को उससे कुछ ज्यादा सहायता दे रहे हैं। आप इस समय अगर आँकड़े चाहेंगे, तो वह तो मैं अभी नहीं दे पाऊंगा और बाद में बता सकूंगा जब आप पूछेंगे कि कितनी सैंक्शन हम ने वहां के लिए की है। आपने फरमाया कि एन.आर.सी. को नहीं रखना चाहिए और उनको खुश रखने के लिए आप इसे रख रहे हैं। गुप्ता जी मैंने आपसे यह आशा की थी कि आप जिम्मेदारी के साथ इस बात को महसूस करेंगे। एक तरफ आप कहते हैं कि इसका जल्दी निपटारा करना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, इसमें देर हो गयी है इसमें जल्दी की जाए। अगर उनसे बातचीत करनी है तो उन्हें नाराज करके तो नहीं करनी है। अगर उन्हें नाराज करके बात नहीं करनी है तो फिर एन.आर.सी. की बात का कोई महत्व नहीं रह जाता।

अभी एक आनरेबल मेम्बर ने कहा कि आप गोहाटी क्यों नहीं जाते हैं? इस में यही दिक्कत है कि कुछ बातों पर उन्हें जिद्द है, वह जिद्द न रहे और टेबल पर आकर बातचीत हो। मैं गुप्ता जी से कहना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी का जो प्वाएन्ट आफ व्यू है और अहम पार्टियों का जो व्यू है वह यही है जो आपका है। लेकिन हम इसको इसलिए मानते हैं कि निपटारे में केवल यह बात ही न रह जाए क्योंकि इसका कांस्टीटयुशनल्ली कोई महत्व नहीं हैं। इसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। उसका पूरा रिकार्ड भी नहीं मिल रहा है।

आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात बताता हूं जो मैंने एजीटेटर्स से भी कही थी कि जब पिछली बार डिटेक्शन हुआ था उस वक्त तीन लाख दस हजार विदेशियों को असम से निकाला गया था। उस वक्त एन.आर.सी. की अवेलेब्लिटी थी और पौलिटिकल पार्टियों ने भी माना था, उसमें, एन.आर.सी. में 14 परसन्स के नाम थे जिनके बारे में मैं बता सकता हूं और उनको विदेशी समझ कर वहां से निकाला गया था। जब एन.आर.सी. की कोई महत्ता नहीं है तो आपके तो वे पड़ोसी हैं, आप उनको समझाइये कि भई ऐसा क्यों करते हो। यह आपका फर्ज है। हम उन्हे खुश रखना चाहते हैं, बिगाड़ना नहीं चाहते। न कोई बेउसूल बात उन पर लादेंगे और न उनको बिगाड़ेंगे। इस बात की आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए।

मेरे ख्याल में मैं शायद यह पहले कह चुका हूं कि कई माननीय सदस्यों ने कहा कि वहाँ कांग्रेस आई की सरकार बन रही है। यह तो अपने ख्याल से मैं भी नहीं रोक सकता हूँ। (व्यवधान) फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस बात का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं

है । यह तो समय की बात है । कांस्टीट्युशनल पोजिशन ऐसी है कि 43वीं तरसीम के मुताबिक किसी भी सूबे में एक साल के बाद प्रेजीडेंट रूल नहीं रखा जा सकता है अगर वहां विधान सभा है । अगर वहां कोई सरकार बना कर चला सकता है तो चलाये । अगर नहीं चला सकता है तो उसकी मर्जी है । यह जो एजीटेशन है या और कोई एजीटेशन है, उसके बाद हम यह नहीं कहेंगे कि यह बेकार है, गलत है ।

हमारे पास इन ग्रुपों के अलावा चार और आरगेनाइजेशंस के भी मेमोरेण्डम आये हैं। उनमें एक आल असम माइनोरिटी यूनियन का है, एक ट्राइबल एसोसियेशन का है, एक टी गार्डन एसोसियेशन का है, एक और है । उनके मेमोरेण्डम हमारे पास हैं और उनको टाइम दिया था लेकिन वे मिले नहीं । उनके ख्यालात यहां भी आ रहे हैं, पार्लियामेंट में दोनों-तीनों ख्यालातों के विचार आ रहे हैं । उन्होंने हम से यह कहा था कि यह जो एजीटेशन है, इस एजीटेशन के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे मसले अलहिदा हैं । उन्होंने यह भी कहा कि हम इन बातों को नहीं मानते । कुछ ने यह भी कहा कि एन. आर. सी. वगैरह: को मानना एक बदकिस्मती होगी । इससे वहां रहने वाले भारतीयों को बेचैन किया जाएगा, उनको इधर-उधर किया जाएगा। इन सारी बातों को उन्होंने कहा और हमें भी इन सारी बातों को ध्यान में रखना होगा ।

मैं समझता हूँ कि इन लोगों के मेमोरेण्डम गुप्ता जी के पास होंगे । अगर नहीं हैं तो हम से वे उनकी कापी ले सकते हैं और फिर हमसे पूछें कि भई बताओ कि आपने आसू की बात तो सुनी गण परिषद् की बात क्यों नहीं सुनी ?

आखिर में मैं आपकी जानकारी के लिए कहता हूँ कि हमने उन बातों को भी सुना है और ध्यान में रखा है । इसलिए आप किसी बात की चिन्ता न करें ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : माननीय सभापति जी, यह सरकार की अयोग्यता और अकर्मण्यता का परिणाम है कि अभी तक आसाम की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है । जब से इस समस्या का जन्म हुआ है, तभी से इसके निराकरण के लिए जितनी भी कोशिशें हुईं, वास्तव में वे सभी कोशिशें सही तरीके से की गईं । सरकार की नीयत उसमें साफ नहीं रही, क्योंकि अगर इस प्रकार के झगड़े देश के विभिन्न भागों में होंगे और ऐसी स्थिति पैदा होगी तभी सरकार के लिए यह आसान होगा कि वह कह सके कि विरोधी दल के लोगों द्वारा यह काम कराया जा रहा है । जैसा कि लगातार आजकल कहा जा रहा है और सरकार की नेता प्रधानमंत्री जी भी कई बार इस बात को दोहरा चुकी हैं कि विरोधी पक्ष के लोग तरह-तरह से इस प्रकार की स्थिति पैदा कर रहे हैं कि सदस्यों का समाधान न हो सके या विरोधी दलों की दिलचस्पी इसमें नहीं है । आपोजीशन के ऊपर जो प्रहार किया जा रहा है, उसका मकसद यह है कि देश से वर्तमान लोकतान्त्रिक प्रक्रिया को समाप्त किया जाए और किसी प्रकार से एकाधिकार वादी एक सामन्तवादी पद्धति यहां लागू हो सके । जिस तरह की कांफ्रेंसेस अभी हुई हैं, उन्हें पूरा देश जानता है ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आसाम की स्थिति से, जैसा कि गृह मंत्री महोदय ने कहा है,—देश की अर्थ-व्यवस्था विकृत होती जा रही है । त्रिपुरा के अन्दर आवश्यक वस्तुओं का गहरा अभाव पैदा होता जा रहा है । केवल वहीं पर ही नहीं देश के विभिन्न भागों में डीजल के न पहुँचने से अर्थ-व्यवस्था को भारी चोट पहुँच रही है, हानि हो रही है, इसके बावजूद भी

सरकार का जो काम करने का तरीका है, वह ऐसा है कि समस्या का समाधान न होने पाए। इसी वक्तव्य में मंत्री जी कहते हैं कि सरकार ने निर्णय किया है कि मार्च 1971 के बाद असम में आए विदेशियों का पता लगाने के कार्य को भरसक रूप से और प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए ऐसी मशीनरी स्थापित की जाएगी, जिस पर सभी का विश्वास हो। एक तरफ तो यह बात कही जाती है, लेकिन जब कभी भी पूछा जाता है कि आप इसमें क्या कर रहे हैं, तो यही उत्तर आता है कि किया जाएगा।

अभी एक महीने पहले सरकार की तरफ से इस तरह का बयान आया है। इसके पहले भी ऐसी बातें कही जाती रही हैं और आज भी कही जा रही हैं। यह पता नहीं है कि वह काम कब से शुरू किया जाएगा ? इस मशीनरी को कैसे बनाया जाएगा ? जब वहाँ के नेता आए हुए थे, बात करने के लिए, और वार्ता असफल रही तथा सरकार ने जो कुछ भी रुख अपनाया उसका स्पष्टीकरण जब किया तो सरकार को कम से कम चाहिए था कि उस रुख के आधार पर कोई कदम उठाती। लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। अगर सरकार यह मानती है कि आज तक जो आन्दोलन चला है, अगर कुछ नहीं किया जाएगा तो वे लोग विड्रा करके चुपचाप बैठ जायेंगे तो अब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि सरकार को इस दिशा में कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन यही कहा जा रहा है कि विरोधी दल के लोग उसको उकसा रहे हैं और उसका हल नहीं होने दे रहे हैं।

मान्यवर, कभी-कभी इन्दिरा-मुजीब पैक्ट की बात कही जाती है कि यह सब उसके आधार पर हो रहा है। पूरे देश की जनता और पूरा देश जानना चाहेगा कि 'इन्दिरा-मुजीब-पैक्ट" क्या है ? क्या माननीय गृहमन्त्री जी सदन को और सदन के माध्यम से देश को विश्वास में लेंगे कि "इन्दिरा-मुजीब-पैक्ट" क्या है।

यह प्रश्न है जिस का जवाब मैं जरूर चाहता हूं।

नेपाली ट्राइबल और माइनोरिटी स्टुडेंट यूनियन वहां बनी हुई है। उन्होंने भी कुछ मांगें रखी हैं। वे क्या हैं ? उनसे भी सरकार ने कोई बात की है या नहीं ? अगर की है तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

राज्यपाल इस समय जो वहां पर हैं उनकी भूमिका क्या रही है इस पर भी आप प्रकाश डालें। असम की स्थिति को ठीक करने के लिए उनकी जो भूमिका रही है वह भी आप बताएं। बहुत पहले अखबारों में आया था कि शायद सरकार उन्हें हटाना चाहती है। किस वजह से हटाना चाहती है, आज तक क्यों नहीं हटाया यह भी आप बताएं। आज भी वह वहीं पर हैं और अपना काम कर रहे हैं...

सभापति महोदय : सरकार उनको हटाना चाहती है या वह खुद हटना चाहते हैं ?

श्री हरिकेष बहादुर : सरकार हटाना भी चाहती है और वह स्वयं भी हटना चाहते हैं, दोनों तरह के समाचार निकले थे। अब सत्यता क्या है यह तो सरकार ही बता सकती है। किन कारणों से यह स्थिति पैदा हुई कि वे हटना चाहते थे या सरकार उनको हटाना चाहती थी, क्या सरकार समझती है कि वह ठीक काम नहीं कर रहे हैं, सरकार के कार्यों में सहयोग नहीं कर रहे है, क्या वस्तु स्थिति है इसका पता हमको चलना चाहिये।

हथियारों की तस्करी भी उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में दूसरे देशों से होती है। इस सम्बन्ध में

सरकार ने सम्भवत: कुछ कार्रवाई भी की है ताकि यह तस्करी न होने पाए । कुछ देशों से हथियारों की तस्करी जो होती है उसको रोकने के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं इसको भी वह स्पष्ट करे ।

सरकार अपनी नीयत को भी स्पष्ट करे कि क्या सचमुच में वह इस आन्दोलन को खत्म करना चाहती है या वह इस आन्दोलन की आड़ में तथा देश में हो रहे दूसरे आन्दोलनों की आड़ में सी. आर पी. तथा दूसरी पैरा मिलिटरी-फोर्सिस को इधर उधर भेजते रहना चाहती है और इसका बहाना बना कर किसी न किसी दिन एमरजेंसी जैसी कोई चीज लागू करना चाहती है ताकि देश को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उनकी आवाज उठाने वाले अपोजीशन के लोगों को जेलों में बन्द किया जा सके ? यह भी एक प्रश्न है जिस का उत्तर मंत्री महोदय दें ।

श्री जैल सिंह : माननीय सदस्य ने इंदिरा मुजीब फैक्ट का हवाला दिया है । वह फैक्ट नहीं था, एक कम्युनिक था । वह अखबारों में छप चुका है । जब भी चाहें आप उसको ले सकते हैं । फैक्ट के वगैर डिप्लामैटिक कनवर्सेशन भी होती है, बातचीत भी होती है, खत पत्तर भी आते जाते रहते हैं, और भी कई चीजें होती हैं जो किसी भी नेशन की पूरी करनी पड़ती हैं, आनर करनी पड़ती हैं और की जाती हैं । मैं माननीय सदस्य को राय दूंगा कि उसका अध्ययन करें, पूरी तरह से करें ।

दूसरा सवाल उनका रेलेवेंट सवाल नहीं था । गवर्नर को रखना है, नहीं रखना है यह रेलेवेंट सवाल नहीं है । ऐसी बात नजर नहीं आती है कि आपको गवर्नर बनने का कोई आशा हो और न आप कैंडीडेट हैं और न ही किसी ने आपको बनाना है । आनरेबल मैम्बर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आइंदा के लिए इस तरह की कुछ बातों का वह ध्यान रखें । सरकार ने कोई एलान नहीं किया है कि उनको हटाना है या नहीं...

एक माननीय सदस्य : आप गवर्नर बन कर जा रहे हैं, हमने सुना है ।

श्री जैल सिंह : आप मेरी चिन्ता न करें । बने वगैर भी मैं बना हुआ हूं । मेरी ओर से उनको बेफिक्र रहना चाहिये । यह चीज अखबार में छपी होगी लेकिन सरकार ने कोई एलान नहीं किया है और न ही सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव है कि हटाएंगे या नहीं हटाएंगे । यह बिल्कुल इरेलेवेंट है । इसकी जरूरत नहीं है ।

हथियारों के तस्करी के बारे में उन्होंने कहा है । वह रोकी जाएगी । यह तो सरकार का काम है, धर्म है । हथियार ही, सोना हो, चांदी हो, कुछ भी हो उसको पकड़ना है और आप चाहे कि छुट्टी मिल जाय तो नहीं मिलगी, किसी को नहीं मिलेगी ।

मैं फिर कहता हूं कि सरकार आन्दोलन बन्द करना चाहती है, रोकना चाहती है । मैं फिर खुलासा करता हूं । आन्दोलनों के बहाने से हम विरोधियों को जेलों में नहीं डालना चाहते । हम कोई भी आन्दोलन नहीं चाहते : उनको बन्द करना चाहते हैं । हमारी ज्यादा से ज्यादा कोशिश है कि यह इंसानी खून नहीं गिरना चाहिये, शान्तिमय ढंग से, बातचीत से मसले हल होने चाहिये लेकिन फिर भी कोई आन्दोलन चलता है या गड़बड़ी चलती है तो उसको ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए सरकार अपने कर्तव्य का पालन करेगी । पिछली बार एमर्जेन्सी के जमाने में शायद वह जेल में रहे हों, यह उनकी चिन्ता हो तो मैं कहूंगा कि आप इस बात की चिन्ता न करें ।

सभापति जी मैं उनको आपकी मार्फत कहना चाहता हूँ कि हमारा बिल्कुल कोई इरादा नहीं है उनको जेलों में रखने का, क्योंकि जेल में रख कर खर्चा बढ़ायें, खिदमत करें, डाक्टर लगायें और संभाल करें। हमारा इसके लिए कोई इरादा नहीं है, आप आजादी से चाहे जहाँ रहें।

श्री हरीकेश बहादुर : नेपाली, ट्राइबल्ज और माइनौरिटी यूनियन्ज की क्या मांगें हैं और सरकार ने इस बारे में कोई बात की है या नहीं ? अगर की है तो क्या की है ?

श्री जैल सिंह : सरकार ने उनसे बात की है, उनकी मांगें आसू वालों से विपरीत हैं। आप जहां भी चाहें, उनका मैमोरैंडम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, वह अखबारों में आ गया है।

विक्टोरिया स्मारक (संशोधन) विधेयक—पुरः स्थापित

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : श्रीमान श्री एस. बी. चव्हाण की ओर से मैं विक्टोरिया स्मारक अधिनियम, 1903 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव करती हूं,

सभापति महोदय : प्रश्न यह है;

"कि विक्टोरिया स्मारक अधिनियम 1903 का और सशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृति हुआ

श्रीमती शीला कौला मैं विधेयक पुरः स्थापित करती हूँ।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) सी. टी. ओ. के एक तार कर्मचारी की मृत्यु, के कारणों की जांच की आवश्यकता जिसके कारण कर्मचारियों ने हड़ताल की

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : श्रीमान् मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित मामला उठाती हूं।

अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय संचार सेवाओं में मंगलवार, 11 नवम्बर, 1980 को बुरी तरह से रुकावट पैदा कर दी गई थी क्योंकि राजधानी में केन्द्रीय तार-घर के लगभग 3000 कर्मचारियों ने अपने एक साथी की मृत्यु के कारण आकस्मिक हड़ताल की बताया जाता है।

बड़ी चिन्ता का विषय है कि सम्बन्धित अधिकारी ने तार बाबू को उस समय छुट्टी नहीं दी, सुबह ड्यूटी के समय जब उसने छाती के दर्द की शिकायत की जिसके परिणामस्वरूप अस्पताल जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। सारे मामले की जांच किये जाने की आवश्यकता है। यह सुझाव दिया जाता है कि इन केन्द्रीय तार-घर तथा दूरभाष केन्द्र में एक व तार विभाग द्वारा प्राथमिक उपचार किस्म के औषधलाय स्थापित किए जायें जहाँ अधिक संख्या में कर्मचारी हों और तुरन्त प्रथम उपचार किया जाए और ऐसे आपातकालीन समय में कर्मचारियों को उसके स्थान पर

किसी को कार्य के लिए बैठाने के बारे में कोई औपचारिकताओं का पालन किए बिना पास के अस्पताल में ले जाया जाए।

(दो) समर्थन मूल्यों पर धान की अपर्याप्त खरीद

श्री पी० राज गोपाल नायडू (चित्तूर) : सभापति महोदय, श्रीमान्, हालांकि सरकार ने देश के अधिकांश भागों में धान के प्रति क्विंटल का मूल्य 105/- रु० निर्धारित किया है परन्तु इसको उस दर पर बेचा नहीं जाता है। उदाहरणार्थ, उत्तर-प्रदेश में मुजफ्फर नगर तथा सुल्तानपुर में 12/- रु० प्रति क्विंटल के दाम पर भी धान खरीदने के लिए कोई क्रेता नहीं है। यह बिल्कुल दुर्भाग्य तथा दुःख की बात है।

सरकार तथा भारतीय खाद्य निगम धान के सदैव बढ़ते हुए उत्पादन को संभाल पाने में समर्थ नहीं है। सिंचाई की वृद्धि और अनुसंधान के परिणामों से यह और भी बढ़ेगा।

इसका अर्थ यह नहीं कि चावल की मांग नहीं है। विदेशों में इसकी निरन्तर बढ़ती हुई मांग है। हम फालतू खाद्यान्नों विशेष रूप से चावल के उपभोग के लिए सही रूप से योजना नहीं बना रहे हैं। हम उनके भण्डारण, मिलन भेजने तथा वसूली के सही प्रबन्ध नहीं कर रहे हैं। हम उनको खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं दे रहे हैं।

जब तक फालतू कृषि वस्तुओं की अनिवार्य खरीद के लिए कोई कानून नहीं बन जाता है जिसके लिए समर्थक मूल्य प्रकाशित किए जाते हैं तो उनके प्रकाशित करने का कोई लाभ नहीं होगा। वे किसानों के किसी लाभ के बिना केवल कामजार होंगे।

(तीन) उत्तर प्रदेश में किसानों को बिजली उपलब्ध कराने के लिये किये गये उपाय

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश इस समय बिजली के गंभीर संकट से गुजर रहा है। बिजली न मिलने के कारण प्रदेश में रबी के बुआई अभियान को गहरा धक्का लगा है। वैसे तो उत्तर प्रदेश की सरकार छः घण्टे किसानों को बिजली देने की बात कहती है परन्तु वास्तव में उन्हें दो तीन घंटे से अधिक बिजली नहीं मिलती। पिछले वर्ष के भयंकर सूखे और इस वर्ष के बाढ़ के प्रकोप के कारण किसानों की कमर टूट चुकी है। यदि इस वर्ष भी बुआई और सिंचाई के लिए आवश्यक मात्रा में बिजली उपलब्ध नहीं कराई गई, तो वहां के किसानों की आर्थिक शक्ति समाप्तप्राय हो जायेगी।

केन्द्रीय सरकार और विशेषकर ऊर्जा मंत्री से मेरा निवेदन है कि इस संकट के समय वे उत्तर प्रदेश की तरफ सहायता का हाथ बढ़ायें। केन्द्रीय तथा अन्य स्रोतों से उत्तर प्रदेश को उसकी आवश्यकतानुसार तत्काल बिजली उपलब्ध कराई जाये तथा वहां बिजली का संकट समाप्त कराने के लिए कारगर कदम उठाये जायें।

(चार) बन्दरगाहों से बिहार के उर्वरकों की ढुलाई के लिये तुरन्त रेलवे वैगन आवंटित करने की आवश्यकता

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, इस वर्ष बिहार में धान की फसल गत वर्ष की तुलना में अच्छी है। फिर भी हथिया नक्षत्र में वर्षा न होने के कारण धान की फसल को क्षति उठानी पड़ी है। जगह-जगह पानी के अभाव में धान का मारा पड़ा है। साथ ही जमीन में नमी के अभाव में रबी की फसल की बुआई में भी कठिनाई हुई है। बिजली के अभाव में किसान नलकूपों का भी इस्तेमाल नहीं कर सके।

रबी की फसल अच्छी हो, इसके लिए पानी और खाद दोनों की आवश्यकता है। इसलिए बिहार सरकार ने भारत सरकार से एक अत्यावश्यक पत्र (एस ओ एस) के द्वारा अनुरोध किया है कि हल्दिया, पारादीप, मद्रास और बम्बई की बन्दरगाहों से 60 हजार मीट्रिक टन खाद की ढुलाई के लिए रेल डिब्बों का विशेष प्रबन्ध करे। राज्य सरकार का कहना है कि अगर अगले तीन सप्ताह के भीतर राज्य के विभिन्न जिलों में खाद नहीं पहुँचाई गई, तो फिर बाद में भेजने से कोई लाभ नहीं होगा और रबी की फसल मारी जाएगी।

रेलमत्री से मेरा अनुरोध है कि वह इस ओर शीघ्र देकर खाद की ढुलाई के लिए बिहार को आवश्यक रेल डिब्बों का आवंटन करने की व्यवस्था करे।

(पांच) उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में मस्तिष्क ज्वर को फैलने को रोकने के उपायों तथा उससे रोगियों को राहत देने के बारे में

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : सभापति महोदय, सूचना मिली है कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, वाराणसी, गोरखपुर देवरिया, आजमगढ़ आदि जिलों में मस्तिष्क ज्वर का व्यापक प्रकोप हो गया है। लगभग दो हजार से अधिक व्यक्ति इस भयंकर बीमारी में काल-कवलित हो गये। सब से आश्चर्य की बात है गत वर्ष भी यह बीमारी फैली थी और लगभग 800 आदमियों की मृत्यु हो गई थी। इस वर्ष सरकार ने समाचार-पत्रों के माध्य से बड़ा आकर्षक बयान दिया, किन्तु मौके पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। केन्द्र तथा राज्य के उच्च स्वास्थ्य अधिकारियों ने मस्तिष्क ज्वर से प्रभावित स्थानों का कोई दौरा नहीं किया। यहाँ आदमी परेशान हैं, भयभीत हैं। किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि वह इस बीमारी से कैसे बचेगा या अभी तो वह जिन्दा है, अगले घंटे वह जिन्दा रहेगा या नहीं।

मैं सरकार का ध्यान इस ओर ले जाते हुए जोरदार शब्दों में यह मांग करता हूँ कि सरकार अविलम्ब मस्तिष्क ज्वर से मरे हुए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का 50,000 रुपये मुआवजा दे एव मस्तिष्क ज्वर रोकने की दिशा में अविलम्ब महत्वपूर्ण कार्रवाई करे।

(छः) उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में कागज बनाने की फैक्टरी बनाने की आवश्यकता

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जिला उद्योगों की दृष्टि से शून्य है। प्रदेश सरकार ने इसे नोटीफाइड बैकवर्ड एरिया घोषित किया हुआ है। वनों की अधिकता होने के कारण तथा धान का सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र होने के कारण यह जिला कागज उद्योग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। जिला उद्योग प्रबन्धक तथा अन्य अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में कुछ प्रयत्न भी किया है तथा स्थान के निमित सर्वेक्षण की कार्यवाही भी की गई है। प्रदेश के सर्वाधिक पिछड़े जिले को प्रोत्साहन देने के लिए कच्चे माल का बहुत बड़ा भंडार होते हुए यहां सार्वजनिक क्षेत्र में एक कागज की फैक्टरी की स्थापना के लिए मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करता हूं, जिससे कुछ लोगों की बेरोजगारी भी दूर हो सके।

श्री चित्रा तिरूनल आर्युविज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान

त्रिवेन्द्रम विधेयक पुरःस्थापित

सभापति महोदय : मुझे यह पत्र श्री शिवराज वी. पाटिल से प्राप्त हुआ है :

श्रीमान···

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : इसकी आवश्यकता नहीं है। यह प्रर्याप्त है कि आप अनुमति प्रदान करें।

सभापति महोदय : मैं अनुमति दे चुका हूँ। श्री शिवराज वी. पाटिल

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि केरल राज्य में के श्री चित्रा तिरुनल मैडिकल सेन्टर सोसाइटी कार एडवान्सड स्टडीज इन स्पेशियलिटीज त्रिवेन्द्रम को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने और उसके निगमन और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस विधेयक में संविधान के अनुच्छेद 246 के अन्तर्गत बाईओं मेडिकल, इंजिनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी के विकास के लिए राष्ट्रीय महत्व की सस्थान के रूप में श्री चित्रा तिरुनल आर्युविज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान त्रिवेन्द्रम को घोषित करने की मांग की गई है।

यह संस्थान 1973 में संगत सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अन्तर्गत एक स्वात्रय पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित हुई थी। इसमें अध्ययन कार्य किया जाता है और चिकित्सा विषयों में अनुसंधान कार्य होता है; इसका विशेष ध्यान बाइयोमैडिकल, इंजिनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी पर रहता है।

इस सस्था की अच्छी परिसंपत्तियां हैं। सरकारी भूमि को छोड़कर त्रिवेन्द्रम के राजसी परिवार द्वारा दान किये गये भवन की लागत समेत केरल सरकार के अनुदान से सृजित इस परिसम्पत्तियों की लागत लगभग 4.5 लाख रुपये है।

केन्द्रीय सरकार अप्रैल, 1980 से इस मेडिकल केन्द्र के कार्यकरण हेतु धनराशि का उपबन्ध करती आ रही है।

इस संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने सम्बन्धी विधेयक राज्यसभा में पुरःस्थापित किया गया था और यह विधेयक 15 मई, 1979 को पारित कर दिया गया था। परन्तु इसे वापिस लोकसभा में न लाया जा सका क्योंकि उसके बाद लोक सभा भंग हो गई। अतः विधेयक समाप्त हो गया। अब यह विधेयक इसी सदन में पुर.स्थापित किया गया है। मैं अनुरोध करता हूं कि विधेयक पर विचार करके इसे पारित किया जाये।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि केरल राज्य के श्री चित्रा तिरुनल मेडिकल सेन्टर सोसाइटी फार एडवान्सड स्टडीज इनस्पेशियलिटीज, त्रिवेन्द्रम को राष्ट्रीय महत्व कीसंस्था घोषित करने और उसके निगम और उससे सम्बन्धीत विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

श्री एम.एम लारेंस (इडुक्की) : समापति महोदय, मैं केन्द्रीय सरकार की इस कार्यवाही का स्वागत करते हुये, प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूँ। यह संस्थान पिछले 7 वर्षों से चला आ रहा है और देश में इसकी अच्छी ख्याति है। मैं केन्द्रीय सरकार से, जो कि इसे अपने अधिकार में लेते जा रही है, केवल यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस संस्थान की प्रतिष्ठा को बनाये रखा जाना चाहिये और जो कार्य वहाँ किया जा रहा है उसे और अधिक बढाया जाना चाहिये। मैं यह बात अच्छी तरह समझता हूं कि सरकार द्वारा इसे अपने हाथ में लेने का उद्देश्य भी यही है। मेरे विचार से यह अच्छा होता यदि यह संस्थान राज्य सरकार के नियंत्रण में ही रहता। परन्तु राज्य सरकार के ससाधन सीमित है इसलिए वह इसे अपने अधिकार में नहीं ले सकती। मैं इस बात को भली-भांति जानता हूं। मैं केन्द्रीय सरकार से केवल यही अनुरोध करना चाहता हूं जो संस्थान सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिया जा रहा है उसके कर्मचारियों की सेवा शर्तों को सुरक्षित रखा जाना चाहिये।

इसके साथ ही मैं एक बार फिर विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री जेवियर अराकल (एर्णाकुलम) : मैं केरल राज्य के लोगों की ओर से लोकप्रिय प्रधान मत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस प्रतिष्ठा सम्पन्न मैडिकल संस्थान को अपने अधिकार में ले लिया है।

श्रीमान जी, यह सस्थान एशिया के प्रतिष्ठा सम्पन्न संस्थानों में से एक है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास करने और फिर उन अनुसंधानों को क्रियान्वित करने का विचार सर्वप्रथम स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू के मस्तिष्क में आया और फिर उत्तरोत्तर हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा उसका अनुसरण किया जाता रहा।

यह संतोष का विषय है कि विज्ञान और प्रौधोगिकी में अनुसन्धान एवं विकास कार्य के देख-रेख के लिए एक अलग विभाग बनाया गया है और मन्त्री महोदय उसके प्रभारी होंगे। हमारे कांग्रेसी दल ने अपने चुनाव-घोषणा-पत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण एवं बजट भाषण में विज्ञान तथा प्रौधोगिकी के अनुसंधान तथा विकास कार्य पर विशेष बल दिया है। इसे उसी उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में उठाया गया कदम कहा जा सकता है। यदि विधेयक के नाम पर दृष्टिपात करे, तो वह है श्री चित्र तिरूनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान।" इसी सन्दर्भ में मैं आपका ध्यान उद्देश्य तथा कारण बताने वाले कथन की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि 1974 में स्थापित किया गया यह स्वशासी निकाय अब राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बन गया है। इस संस्थान के महत्व को अनुसंधान तथा विकास के क्षेत्र में और अधिक बढ़ाने के लिए इसे केन्द्रीय सरकार द्वारा एक सांविधिक नियमित निकाय के रूप में लिया जा रहा है जिसका तात्पर्य यह है कि इस संस्थान के लिए और अधिक सहायता उपलब्ध करवाई जायेगी और इस संस्सथान द्वारा अनुसंधान तथा विकास का कार्य और अधिक किया जायेगा।

वितीय ज्ञापन पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस संस्थान के लिए अनदान-सहायता तथा योजना संस्थानो का पूर्ण उपयोग करने की व्यवस्था है जिससे कि इस संस्थान का विकास विश्व के माने हुये संस्थानों में से एक के रूप में किया जा सके। इसका श्रेय निश्चय ही प्रधान मन्त्री को जाता है। मैं मन्त्री महोदय का ध्यान खण्ड (12) की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ जिसमें कहा गया है :

"यह उस तारीख से प्रवृत होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें।" मैं इससे सहमत नहीं हूं। मेरा निवेदन है कि इसे तुरन्त प्रवृत किया जाना चाहिये। खण्ड 14 तथा 28 को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसे तुरन्त लागू क्यों किया जाये। खण्ड 14 में उल्लेख किया गया है कि चित्रा तिरूनल मेडिकल सेन्टर सोसाइटी फार एडवान्स्ड रटडीज इन स्पेक्षियलिटीज त्रिवेन्द्रम में इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व निहित सभी सम्पत्तियां ऐसे प्रारम्भ पर संस्थान में निहित हो जाएंगी। इसी प्रकार खण्ड 28 में कर्मचारियों की सेवा शर्तों का उल्लेख किया गया है। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि इसे स्थगित नहीं किया जाना चाहिये। इस सदन द्वारा पारित किये जाने के शीघ्र बाद यह विधेयक प्रवृत किया जाना चाहिये।

खण्ड 2. 12 तथा 13 में इस संस्थान को अपने हाथ में लेने के पावन उद्देश्य का उल्लेख बहुत स्पष्ट शब्दों में किया गया है। खण्ड 5 में कहा गया है :

"संस्थान में निम्नलिखित सदस्य होंगे।" उन सदस्यों के कृत्य क्या होंगे? शासी निकाय के विपरीत संस्थान के कृत्य क्या होंगे। शासी-निकाय के कृत्यों की व्याख्या स्पष्ट रूप से कर दी गई है परन्तु फिर भी मुझे उसमें कुछ अस्पष्टता दृष्टिगोचर होती है। मन्त्री महोदय द्वारा उसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिये। खण्ड 22 में कहा गया है :

"संस्थान, शासी निकाय या किसी स्थायी या तदर्थ समिति द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या कोई कार्यवाही, सस्थ न शासी-निकाय या ऐसी स्थायी या तदर्थ समिति में किसी रिक्त या उसके गठन में त्रुटि होने के कारण ही प्रश्नगत न की जाएगी।"

मेरा निवेदन यह है कि यदि इनके बारे में कोई गलती होती है या कोई त्रुटि नजर आती है तो उसके बारे में प्रश्न उठाने का अधिकार होना चाहिये क्योंकि अन्य सस्थानों का अनुभव हमें यही बताता है कि हमें इस प्रकार का प्रश्न करने का अधिकार होना चाहिये। यही मेरा निवेदन है।

अब मैं खण्ड 25 का उल्लेख करना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि :

"संस्थान ऐसे निदेशों का पालन करेगा जैसे उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के दक्ष प्रसासन के लिए समय-समय पर जारी किये जाये।"

श्रीमान जी, इसे देखने से पता चलता है कि केन्द्र को और अधिक शक्ति प्रदान कर दी गई है। मेरा निवेदन यही है कि यदि केन्द्र को अधिक शक्ति दे दी जाती है तो इसका तात्पर्य यही होगा कि नौकरशाही का हस्ताक्षेप बढ़ जायेगा और इसके परिणामस्वरूप संस्थान अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं चला पायेगा। इस सम्बन्ध में मैं सदन का ध्यान खण्ड 31 (1) तथा 32(1) की ओर भी आकृष्ट करना चाहता हूं जिन में कहा गया है :

"31(1) केन्द्रीय सरकार संस्थान से परामर्श करने के पश्चात् इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के नियम, राजपक्ष में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी :

"32(1) संस्थान इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों से संग विनिमय, केन्द्रीय सरकार के पूर्व

अनुमोदन से बना सकेगा और इस शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल "प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियमों में निम्नलिखित के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा।"

श्रीमानजी आप इन सभी खण्डों की सम्पूर्ण योजना पर दृष्टिपात करें तो आपको मालूम होगा कि दिल्ली की नौकरशाही की ओर अधिक शक्तियाँ प्रदान करने की व्यवस्था है। इसी से मैं सहमत नहीं हूं। यद्यपि यह नियमित निकाय है फिर भी अनुसंधान तथा विकास संस्थान होने के नाते इसे स्वतंत्र होना चाहिये।

इसलिए संक्षेप में मेरा निवेदन है कि जब एक बार यह विधेयक पारित हो जाये तो इसे शीघ्र लागू कर दिया जाना चाहिये। दूसरे राष्ट्रीय नीति के अनुरूप इसे अधिक अनुसंधान तथा विकास कार्य करने की छूट भी होनी चाहिये। तीसरे यह संस्थान का कार्यकरण भी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अनुरूप ही होना चाहिये। यदि हम इस संस्थान को भी अखिल भारतीय संस्थान के अनुरुप लाने में सफल हो गये तो यह निश्चय ही एक राष्ट्रीय उपलब्धि होगी। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यह सुअवसर प्रदान किया और साथ ही सरकार तथा विशेष रूप से श्रीमती इन्दिरा गाँधी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस संस्थान को अपने हाथ में लेकर इसे राष्ट्रीय महत्व प्रदान किया।

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई-उत्तर) : मेरे मित्र श्री पाटिल द्वारा जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। इसके साथ ही सर्व प्रथम उन्हें इस पदोउन्नति, जिसे कि वह सुयोग्य पात्र थे के लिए बधाई भी देता हूं। इसके साथ ही श्रीमान वह आज सदन के समक्ष अपने विभाग सम्बन्धी विधेयक को प्रस्तुत करने वाले की अपेक्षा अधिक एक प्रभारी के रूप में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। सदन उनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा से पूर्णतया परिचित है। मुझे विश्वास है कि चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा जो विभिन्न प्रश्न उठाये गये हैं, वह उनका संतोषजनक उत्तर देने में पूर्ण सक्षम हैं।

मैं श्री जेबिअर अराकल की तरह यह तो नहीं कहना चाहता कि इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए कृतज्ञता तथा स्नेह का पात्र किसी अन्य व्यक्ति को बनाया जाये। यह पूर्णतया किसी भी व्यक्ति की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। फिर भी श्रीमान जी, जैसा कि मन्त्री महोदय ने स्वयं बताया है कि यह विधेयक संसद के लिए नया नहीं है। वास्तव में यह विधेयक कुछ समय से संसद के समक्ष ही रहा है और इसे प्रस्तुत करने में काफी बिलम्ब हो गया है। तथ्य तो यह है कि इस संस्थान को बहुत पहले ही राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित कर दिया जाना चाहिये था। इसकी स्थापना 1973 में की गई थी। जब से इस संस्थान ने कार्य करना शुरू किया है, तभी से इसकी ओर राष्ट्र का ध्यान केन्द्रित होता चला आ रहा है। ऐसा इसलिए होता रहा क्योंकि इस संस्थान में अध्ययन, सेवा तथा अनुसंधान कार्य केवल क्षेत्र विशेष में किया जाता रहा और वह था बायो मैडिकल सर्विस तथा बायो मैडिकल औद्योगिकी के बीच सम्बन्ध। यह एक ऐसा विषय है जिसकी ओर केन्द्र अपना ध्यान आकर्षित करना चाहता था। श्रीमान जी, यह सत्य ही है कि इस संस्थान की स्थापना के शीघ्र बाद ही काफी आधुनिक अस्पताल की स्थापना भी कर दी गई जिसमें हृदय रोग सम्बन्धी तथा नाड़ी विज्ञान सम्बन्धी सेवाओं की व्यवस्था है और यहां यह

सेवायें बहुत ही कम मूल्य पर उपलब्ध करवाई जाती हैं जिन लोगों की आय 200 रुपये प्रतिमाह से कम होती है, उनका इस अस्पताल में लगभग मुफ्त इलाज किया जाता है।...

सभापति महोदय : देश के सभी भागों से रोगी वहाँ इलाज के लिए जा सकते हैं।

श्री रवीन्द्र वर्मा : जी हाँ, श्रीमान जी देश के सभी भागों से लोग वहां आ सकते है। यदि मन्त्री महोदय में यह भावना न होती कि वह किसी अन्य व्यक्ति का कार्य कर रहे हैं, तो सम्भवत: वह इसका उल्लेख स्वयं कर देते। अत: इस संस्थान में केवल चिकित्सा सेवाये—वस्तुत: यह तो इस संस्थान का अन्तिम कार्य है—ही उपलब्ध करवाइ जा रही हैं, अपितु इसका उद्देश्य भी यही है। मेरे मित्र श्री जेवियर ने इस विधेयक के उद्देश्यों को पढ़ा। मैं वह धारा नहीं पढूंगा, परन्तु हाँ, मैं इतना अवश्य स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस विधेयक का उद्देश्य बायो—मैडकल इंजीनियरिंग तथा सम्बन्ध प्रौद्योगिकी सम्बन्धी आधुनिकतम चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करवाना है। सदन द्वारा यह ध्यान देने योग्य बात है कि यह विधेयक को सदन के समक्ष शिक्षा मंत्री द्वारा नहीं अपितु विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मन्त्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ऐसा इसलिए कि सम्भवत: देश में इस प्रकार के संस्थानों में से एक है जहाँ कि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का उपभोग चिकित्सा-विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि इस सब को मिलाकर इसे चिकित्सा-विज्ञान ही कहते हैं।

श्री रवीन्द्र वर्मा : आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जब कभी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात होती है या इस विभाग द्वारा चलाये जाने वाले संस्थानों की बात होती है तो हमारे समक्ष सदा ऐसे संस्थानों का बिम्ब आता है जिनका सम्बन्ध भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र तथा औद्योगिक से परम्परागत उद्योगों से होता है। परन्तु श्रीमान जी अपने व्यापक ज्ञान तथा अनुभव के आधार पर आप यह तो मानते ही हैं कि प्रौद्योगिकी से सम्बद्ध ऐसे संस्थान अधिक नहीं हैं जोकि विशेषरूप से चिकित्सा से सम्बद्ध हो। यही वह क्षेत्र विशेष है जिसकी ओर यह केन्द्र विशेष ध्यान देता रहा है।

इस केन्द्र के पास अनुसंधान कर्ताओं बायो कैमिकल इंजीनियरों तथा कैमिकल इंजीनियरों तथा अन्य लोगों का अच्छा दल रहा है। श्रीमानजी, जैसा कि आपने कहा, देश भर के योग्य व्यक्ति इस संस्था में कार्यरत हैं। इस क्षेत्र में उन्होंने जो सराहनीय कार्य किया है, उसकी अभिव्यक्ति शब्दों में नहीं की जा सकती उदाहरणार्थ उपकरणों तथा औजारों आदि के क्षेत्र में आत्म निर्भरता प्राप्त करने तथा नाल शलाका तथा हृदय वाल्व आदि से सम्बद्ध उपकरणों का प्रयोग करने तथा इनको बनाने के क्षेत्र में जो सफलता इस संस्थान को प्राप्त हुई है, वह निश्चय सराहनीय है। अभी तक हम देश में इनका आयात करते आ रहे थे। यह हमारे लिए निश्चय ही गर्व की बात है कि हमारे इस वैज्ञानिकों तथा चिकित्सा प्रौद्योगिकों के दल ने इन ऐसी वस्तुओं का निर्माण सम्भव कर दिया है जिनका कि हम अभी तक आयात करते आ रहे थे और यह एक ऐसा क्षेत्र था जहां हमने आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिये कोई प्रयत्न नहीं किया था।

इस संस्थान में केवल एक विषय विशेष के सम्बन्ध में ही कार्य होता रहा है। मेरे मित्र श्री अराकल ने अन्य चिकित्सा संस्थानों का उल्लेख करते हुए यह आशा व्यक्त की थी कि यह संस्थान भी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान आदि के अनुरूप ही होगा। मैं समझता हूं

कि वह बहुत ही सजग व्यक्ति है और विभिन्न संस्थानों का विश्लेषण बहुत युक्ति संगत आधार पर करते हैं क्योंकि वह स्वयं डाक्टर है, भले ही वह चिकित्सा के क्षेत्र के डाक्टर न होकर असैनिक कानून के डाक्टर ही क्यों न हो, अतः उन्हें यह जानकारी होगी कि अभी तक केवल दो अखिल भारतीय सस्थानों को ही राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित किया गया है। इनमें से एक तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान सस्थान है जिसका कि मेरे मित्र ने उल्लेख किया और चण्डीगढ़ स्थित स्नातकोत्तर संस्थान है। यह दोनों ही संस्थान चिकित्सा शिक्षा अस्पताल सेवा, जन स्वास्थ्य सेवाओं तथा चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करते हैं। जिस क्षेत्र में यह संस्थान कार्य कर रहा है और जिसमें कार्य करेगा, वह निश्चय ही इससे कुछ भिन्न है।

इस लिए यह सस्थान प्रथमतः एवं मूलतः बायोमैडिकल प्रौद्योगिकी तथा चिकित्सा विज्ञान एवं चिकित्सा विशेषज्ञतः सम्बन्धी समेकित कार्यक्रमों का ही लेगा। यह सही है, मेरे मित्र ने इस ओर ध्यान नहीं दिलाया कि इस विधेयक द्वारा संस्थान को अधिकार दिये गये हैं कि यह चिकित्सा सेवाओं की सुविधाएँ जुटाये अनुसंधान कार्य करे, स्नातकोत्तर शिक्षा की सुविधाएं दे तथा चिकित्सा सम्बन्धी उपाधियाँ वितरित करे, परन्तु यह सब संस्था के मुख्य कार्य नहीं हैं, जैसा कि उक्त केन्द्र अब सस्थान के लिए यह समझा गया था। ये सभी उसके मुख्य कार्य नहीं है। इस अवसर का उपयोग करते हुए मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इस बात को सुनिश्चित करने की ओर ध्यान दिया जाये कि इस विशेष संस्थान का उपयोग उन्हीं कार्यों के लिए किया जाये, जोकि राष्ट्रीय महत्व के अन्य विद्यमान अखिल भारतीय संस्थानों में नहीं किए जाते।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

यह एक ऐसा संस्थान है जोकि राष्ट्रीय महत्व का रहा है। जैसा कि आपने बताया कि इस संस्थान की सेवाएँ देश के सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं, संकाय में भर्ती पूरे देश से की जाती है, अनुसन्धान कर्ताओं का दल जो कि संस्थान में कार्य कर रहा है वे भी पूरे देश से है तथा सस्थान से होते वाले लाभ भी पूरे देश को उपलब्ध होंगे। इस संस्थान को राष्ट्रीय महत्व को घोषित किये जाने के लिये दिये गये तर्क अकाट्य है। विधेयक ही उद्देश्य प्राप्त करना चाहता है; एक तो है इस संस्थान को सांविधिक निगमित निकाय बनाने का तथा दूसरे इसे राष्ट्रीय महत्व की सस्था घोषित करने का है। मैं इस विधेयक का स्वागत तथा समर्थन करता हूं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि एक महत्वपूर्ण बिल सदन के सामने रखा गया है और देश को ऊंचा उठाने में वह एक बड़ी भूमिका अदा करेगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि हमारे देश में पार्लियामेंट जो भी लेजिस्लेशन बनाती है वह बहुत समय के बाद लागू होता है।

जब मैंने इस बिल को पढ़ा तो ऐसा मालूम हुआ कि इसे ब्योरोक्रेट्स ने बना दिया है और सारी क्लाजिज में रूल्स और रेगुलेशन्स भी वे ही प्रेसक्राइब करेंगे। जितने इसमें मैंने क्लाजिज पढ़े है उन क्लाजिज में रूल और रेगुलेशन्स ब्योरोक्रेट्स द्वारा बनाये जायेंगे। इस बिल की अनुपालना कब होगी ? इस बिल की अनुपालना तब होगी जब कि सारे रूल्स और रेगुलेशंस बन जायेंगे। उनके लिए आपने एक बहुत बड़ी संख्या बना दी है। आपने इस बिल की क्लाज

12 मेंआब्जेक्टिव ले डाउन किया है कि, यह कैसे लागू किया जायेगा यह नियम तथा विनियम बनाने पर निर्भर करेगा तथा उन पर वर्षों लगेंगे।

जो भी हमारे लेजिस्लेशन्स बनते हैं, कानून बनते हैं उन सभी में पार्लियामेंट अपनी पावर्स ब्योरोक्रेट्स को दे देती है और सारी पावर्स को ब्योरोक्रेट्स किस प्रकार से काम में लाते हैं वह हम सभी जानते हैं। इसके इम्लीमेंटेशन का पार्ट भी ब्योरोक्रेट्स के हाथ में हैं। यह विफल होगा।

मैं आज यह बात चेलेंज से कहता हूँ कि इस हाउस से पास होने के बाद भी तीन साल तक आपके नियम नहीं बनेंगे, आपके रूल्स नहीं बन सकेंगे।

आपने इस बिल के अन्दर क्या किया है ? मैं आपका ध्यान क्लास 3 की ओर ले जाना चाहता हूँ। आपने इतनी बड़ी इन्स्टीट्यूशन का खर्च बांध दिया है। इसको ऐसी इंस्टीट्यूशन बना दिया है जैसे कि यह कोई त्रिपुरा की असेम्बली हो। इसके इतने मेम्बर बनाने की क्या जरूरत थी ? आपने एक इन्स्टीट्युशन चलानी है जिसको हिन्दूस्तान में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। विकास के क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में यह भूमिका अदा करनी है। आपने इसमें लिया है बाइस चान्सलर, डायरेक्टर जनरल हैल्थ सर्विसेज, गवर्नमेंट आफ इन्डिया।

चार सदस्यों का नामांकन केन्द्रीय सरकार करेगी। चार ही क्यों ? आपको 10 मदस्य भेजने होंगे। निदेशक पहले से वहाँ पर हैं। दो सदस्यों का नामांकन केरल सरकार करेगी। तीन वैज्ञानिक, जिनमें से दो चिकित्सा-वैज्ञानिक तथा एक सामाजिक वैज्ञानिक होगा, केन्द्रीय सरकार द्वारा नामांकित किया जायेगा। भारतीय विश्वविद्यालयों के चिकित्सा संकायों के तीन प्रतिनिधियों का केन्द्रीय सरकार नामांकन करेगी उसके बाद तीन संसद सदस्य होंगे। सदस्यों की संख्या गिनने पर 22-अथवा 23 पहुँचती है जोकि बैठकों में भाग लेंगे। वे एक बार त्रिवेन्द्रम में तथा बाद में दिल्ली में मिलेंगे। 25 हजार का उनका टी. ए डी. ए. बनेगा।

इस प्रकार इस संस्थान का गठन होगा। तीन संसद सदस्य होंगे जिनमें दो का चयन लोक सभा के सदस्य अपने में से करेंगे तथा एक का राज्य सभा अपने सदस्यों में मे करेगी।

दो ख्यातिप्राप्त वैज्ञानिक क्यों नहीं ?

एक माननीय सदस्य : आपने उत्तर स्वयं दे दिया है।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने उत्तर स्वय ही दे दिया है। यह जो संस्था या इन्सटीट्युट आप कायम कर रहे हैं, अच्छा यह होता कि जो अच्छी नालिज वाले है, उनके कुछ मेम्बरों को इन्सटीट्युशन में रखा जाता। 15,11 या 14 मेम्बर काफी थे। कहाँ मिटिंग करेंगे, कैसे करेंगे।

नियम नौकरशाहों द्वारा तैयार किये जायेंगे; वे निर्णय करेंगे कि वे कैसे काम करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया 'नौकरशाहो' की परिभाषा कीजिये।

श्री मूलचन्द डागा : जो मामलों को निपटाने में विलम्ब करते हैं ताकि तथ्यों की पूर्ति न हो सके। हम इसी नौकरशाही के कारण कष्ट भोग रहे हैं।

आजकल नौकरशाही तथा तानाशाही प्रवृतियाँ इतनी बढ़ गई हैं कि काम करने की कोई गती नहीं रह गई है और न ही कोई काम करना चाहता है। यही कारण है कि हिन्दुस्तान की पाँच योजनाओं का परिणाम संतोषजनक नहीं निकला है। ब्रिटिश सरकार से हमें शासन तो मिल

गया, लेकिन हमने सबसे बड़ी गलती की कि ब्योरोक्रेट्स को शासन सौंप दिया। आज ये ब्यूरोक्रेट्स आई.ए.एस. के रूप में परमात्मा का अवतार बनकर बैठ गए हैं, जिससे हमारा देश आज भी पीछे जा रहा है और यही कारण है कि हमारे देश की कोई योजना सफल नहीं हुई।

अभी मुझे सबौर्डिनेट लैजिसलेशन कमेटी के चेयरमैन के रूप में जानने का मौका मिला था। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि जब कभी आप बिल को लैजिसलेट करते हैं, तो क्या बिल के साथ उसके रुल्स और रैंगुलेशन्स को भी ध्यान में रखते हैं। जब कभी भी हम बिल को पायलट करें तो बिल के साथ जो रुलज और रैंगुलेशन्स बनाते हैं, वे भी उसके साथ रखे जायें।

यह विधेयक का उद्देश्य है। इसे इस तरीके से कार्यान्वित किया जायेगा। हमें नियमों तथा विनियमों को देखना पड़ेगा। मेरा पहला सुझाव है कि इसके मेम्बर्स कम कर दिए जायें। मेरा दूसरा सुझाव है :

एक सदस्य लिखकर त्यागपत्र दे सकता है। इसे तत्काल ही क्यों स्वीकार न किया जाये। जब सदस्य लिखकर देता है कि वह त्यागपत्र देना चाहता है तो आप कहते हैं कि नहीं इन्तजार कीजिये। क्या आप उन्हें काम करने के लिए बाध्य करेंगे। वे अपनी खुशी से त्यागपत्र स्वीकार करना चाहते हैं। यह कानून है। यदि कोई मेम्बर कमेटी में नहीं रहना चाहता और वह लिखकर दे रहा है, आप कहते हैं कि नहीं आप रहिये। यह क्या लैजिसलेशन है और आप इसको किस प्रकार से करना चाहते हैं ? आपने इन्स्टीट्यूशन की जो मिटिंग होगी, उसका कोई प्रोसजिर ले-डाउन नहीं किया है। प्रोसजिर ले-डाउन गवर्निंग बाडी करेगी। एक गवर्निंग बाडी होगी। एक संस्था है और एक गवर्निंग बाडी है। इसमें कितने सदस्य हैं। कुछ मालूम नहीं। 'शर्त यह है कि जो संस्थान के सदस्य नहीहैं, उनकी संख्या गवर्निंग बाडी की कुल सदस्यता के एक तिहाई भाग से अधिक नहीं होगी।' जो गवर्निंग बाडी बनेगी, वह बाहर से एक तिहाई मेम्बरों को भी ले लेगी।

वे इन्स्टीट्युट से नहीं होंगे। तो फिर मैम्बर भी बाहर से लिए जायेंगे। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि उस गवर्निंग बाडी में कौन-कौन और कितने मेम्बर होंगे।

गवर्निंग बाडी के सदस्य कौन होंगे ? इसमें कितने सदस्य होंगे। इसकी गणपूर्ति क्या होगी। कुछ मालूम नहीं। मैं सदस्यों को नहीं जानता। वे इन्स्टीचिउट के स्टाफ में नहीं होंगे। मैं समिति के सदस्यों को नहीं जानता। अनेक खण्डों में से एक खण्ड अर्थात खंड 17 में कहा गया है 'इतनी प्रतियां'।

'इन्स्टीट्युट हर वर्ष ऐसे रूप में तथा समय में जैसे कि निर्धारित किया जाये, तैयार करेगा।'

'जैसे कि निर्धारित किया जाये' शब्द लगभग सभी खंडों में हैं। 'जैसे कि निर्धारित किया जाये' का अर्थ यह है कि आप जो कुछ ले रहे हैं, वह ढांचा है। आपने एक ढांचा खड़ा कर दिया है। उसमें खून नहीं है। आपको जो कुछ मिला है वहके बल ढांचा ही है। इन्स्टीटयुट हर वर्ष ऐसे रूप और ऐसे समय जैसे कि नियमों द्वारा निर्धारित हो, आगामी वित्तीय वर्ष की आय-व्यय का बजट तैयार करेगा और केन्द्रीय सरकार को उसकी उतनी प्रतियां भेजेगा, जितनी कि निर्धारित की जायें। अब आपको बजट तैयार करना पड़ेगा और आप सरकार को कितनी प्रतियां देंगे ? जितनी कि निर्धारित की जाएं। मैं इसे नहीं समझ सका। आपको केन्द्रीय सरकार को कितनी

प्रतियां देनी हैं। जितनी कि केन्द्रीय सरकार निर्धारित करे। अतः यह कानून क्या है? वर्ष 1980 में —उन्होंने ऐसा ही कहा है। एक बात और है। वे कहते हैं कि नियम बनाने के लिए आप केन्द्रीय सरकार से परामर्श लें और केन्द्रीय सरकार इन्सटीच्युशन के परामर्श से नियम बनाएंगी। उलटी बात आप कर रहे हैं। इन्स्टीट्यूशन अपने आप रुल नहीं बनायेएी, आपमे कंसलट करके बनायेगी। आप उसको कंसल्ट करेंगे और वह आपको करेगी। इन्स्टीट्यूट केन्द्रीय सरकार से परामर्श लेगी जो स्वय भी इन्स्टीट्यूट से परामर्श लेगी। आप खंड 31 को पढ़ें, जिसमें लिखा है :

'31 (1) केन्द्रीय सरकार इन्स्टीट्यूट से परामर्श लेने के बाद इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु नियम बतायेगी तथा राजपत्र में प्रकाशित करेगी।'

जब आप इन्स्टीट्यूट की बात करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि सभी वैज्ञानिक नियम बनायेंगे। उसके बाद वे कहेंगें, सरकार नियम बनायगी और इन्स्टीट्यूट से परामर्श लेगी। बात कुछ और है। आप कहते हैं कि आप कोई विशेष संस्था स्थापित कर रहे हैं अथवा कोई विशेष स्वायतशासी सस्था गठित कर रहे हैं। उन्हें नियम बनाने चाहिये जिन्हें सरकार अनुमोदित करे। लेकिन आप कहते हैं, नहीं। सरकार ही नियम बनाये। बात और है। खंड 30 कहता है, केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के लागू होने के तीन वर्षों के अन्दर, राजपत्र में प्रकाशित आवेश द्वारा कुछ प्रावधान बनाएगी···' हम उन्हें तीन वर्ष का समय दे रहे हैं। अधिनियम पास होने तक तीन वर्ष हो जाएंगे।

एक माननीय सदस्य : किस लिये ?

श्री मूलचन्द डागा : कुछ निवेश और सुझाव देने के लिये। यह समय तीन वर्ष का है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलैक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मत्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) : यह समय तीन वर्ष है।

श्री मूलचन्द डागा : आप तीन वर्ष का समय चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य : तीन महीने क्यों नहीं ?

श्री मूलचन्द डागा : इसमें तीन महीने कहा गया है। अब मैं कहता हूं कि पहली बार नियम बनाने के लिये इन्स्टीट्यूट से परामर्श करना जरूरी नहीं है। अब नियम खंड 31 तथा 32 के अन्तर्गत बनाये जाते हैं। ये खंड विनियमों के लिये है। ये दो खण्ड नियमों तथा विनियमों बनाने के लिए हैं। यह बहुत दिलचस्प है। मेरा कहना यही है। मैं कुछ खण्ड उद्धृत नहीं करना चाहता। आप जो लेजिस्लेशन लाए हैं, इसमें आपने बहुत ज्यादा पावर्ज ब्यूरोक्रेट्स को दे दी है। आपने इसके बहुत लम्बी चौड़ी संस्था बना दिया है। छोटी इसको बनाएं। तीस-तीस मेम्बर रखने से फायदा नहीं है।

प्रधान एक ऐसा स्वतंत्र व्यक्ति होना चाहिये जिसमें प्रशासन चलाने की योग्यता हो और वह उन सदस्यों में से नहीं होना चाहिए। ये मेरे सुझाव हैं। मैं अपने संशोधन कल रखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले ही अपने संशोधनों पर बोल चुके हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मैं हर संशोधन पर रोशनी डालूंगा।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, हालांकि श्री चित्रा तिरुनोल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम

विधेयक बहुत पहले आ जाना चाहिये था क्योंकि इसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था बनाने की दृष्टि से यह बिल लाया गया है। चूंकि राष्ट्रीय महत्व का यह संस्थान साउथ में है, दक्षिण में है इसलिए वहां के अधिसंख्यक लोग इससे लाभान्वित हो सकेंगे।

जिस तरह से यहां उत्तर भारत में एक आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मैडिकल साइन्सेज है, दूसरी पंजाब में है, उसी प्रकार से यह तीसरा संस्थान जोकि राष्ट्रीय महत्व का है, इसे दक्षिण में होना ही चाहिए। पहले से ही इस दिशा में भारत सरकार का ध्यान जाना चाहिए था, लेकिन जिस प्रकार के प्रावधान इसमें किये गए हैं, उनके बारे में जिस तरह से डागा साहब ने और सदस्यों ने आशंका व्यक्त की है कि संविधान की धारा 31 और 32 के द्वारा सारे नियम, विनियम और प्रक्रिया या जो भी प्रशासन की विधि होगी वह सब नौकरशाही पर जो छोड़ दिये गए हैं, इससे मुझे भी भारी आशंका है कि इस राष्ट्रीय महत्व की संस्था का कार्य अगर ब्यूरोक्रेसी के द्वारा किया जायेगा तो सारे कायदे-कानून जो भी नियम वगैरा बनाये जायेंगे उनमें भाई-भतीजावाद, क्षेत्रीयता और प्रान्तीयता की भावना काम करेगी। इसमें कोई ऐसी चेतावनी नहीं है जिसमें इस तरह की बात न हो। यही कारण है कि देश में पूरी राष्ट्रीयता की भावना नहीं आ पाती है और जिन राष्ट्रीय महत्व की संस्थान की घोषणा की जाती है वहां पर निश्चित रूप से जातीयता या किसी न किसी तरह की संकीर्णता की भावना पैदा हो जाती है। इसलिए मेरा कहना यह है कि यह विधेयक अपने आप में सम्पूर्ण नहीं है। हालांकि एक करोड़ रुपये प्रतिवर्ष खर्च यहां होगा, 75 लाख का खर्चा हो सकता है, लेकिन इस पर एक करोड़ से अधिक खर्च करने का ख्याल है, क्योंकि राष्ट्रीय महत्व का यह संस्थान होगा। इस पर 4 करोड़ से भी अधिक भवन-निर्माण पर खर्च होगा।

यह बहुत अच्छा है, दक्षिण भारत में इस प्रकार की एक संस्था होनी चाहिए जिसमें सारे भारतवर्ष के लोगों को लाभान्वित कराया जा सके। गारन्टी के साथ यह प्रावधान इसमें रखना चाहिए था, लेकिन इसमें उस तरह की कमी रह गई है और लगता है कि यह संस्थान भी ऐसे ही ही लोगों के हाथों में फिर सौंप दिया जायेगा जो निश्चिति रूप से इसमें कमियां रह जायेंगी और फिर यह आलोचना का विषय बनेगा।

इसमें जिस तरह से आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दिशा में तकनीकी और इंजीनियरिंग की तरफ विशेस ध्यान दिया गया है, लेकिन इसमें यह नहीं जोड़ा गया कि यह संस्था हमारे देश में प्रचलित आयुर्वेदिक प्रणाली के बारे में भी कोई अनुसंधान करती। इसमें आयुर्वेद की बिल्कुल अपेक्षा की गई है। इसके अनुसंधान के कई केन्द्र और उपकेन्द्र बनेंगे, लेकिन कहीं यह नहीं है कि होम्योपैथ या आयुर्वेद के बारे में कोई सरल और सुगम पद्धति बन सकेगी जिनका कि देश में जड़ी-बूटियों के रूप में बहुत खजाना है। इन सबके अनुसंधान के लिए इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे बिलों में लिख दिया जाता है कि संस्था में उच्च शिक्षा, अनुसंधान और गवेषणा की व्यवस्था की जायेगी, लेकिन हम देखते हैं कि पाश्चात्य प्रणालियों की ओर ही सारा ध्यान दिया जाता है और जिन देशी औषधियों तथा विधियों द्वारा रोगों का स्थायी रूप से उपचार किया जाता है, उसकी उपेक्षा की जाती है। इस देश में हम लोग नकलची बनते जा रहे हैं और विदेशी प्रणालियों का अन्धाधुन्ध अनुकरण करते चले आ रहे हैं। हमारे देश में जो जड़ी-बूटियां और पद्धतियां हैं, उनका अनुसंधान करने की कोई व्यवस्था नहीं है। डिप्लोमा और

डिग्रियां बहुत सी दी जाती हैं, कई कमेटियां बनाने का भी प्रावधान है और अनाप-शनाप खर्च की व्यवस्था की गई है। यह सब काम नौकरशाही द्वारा होगा और उसकी निगरानी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मैं समझता हूं कि अगर मंत्री महोदय इस दिशा में कुछ सुधार कर सकेंगे तो यह विधेयक सर्वांगपूर्ण बन सकेगा।

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलिक्करा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक को लाने के लिए सरकार को बधाई देता हूं। जैसे कि मेरे मित्र श्री जेवियर अराकल ने कहा कि सरकार केरल निवासियों की बधाई की पात्र है। साथ-साथ मैं उनकी इस बात से भी सहमत नहीं कि इस विधेयक को लाने का श्रेय सरकार को जाता है। वास्तव में इसे 1979 में राज्य सभा में पेश किया गया था। मेरे विचार में इस विधेयक को इस सभा में कुछ पहले लाया जाना चाहिए था।

जो संस्थान विचाराधीन है वह एक राष्ट्रीय संस्थान होगा और वह बहुत ही अच्छे ढंग से काम करते हुए समूचे देश के लोगों के लिए सराहनीय सेवा कर रहा है। लेकिन विधेयक को देखकर मुझे लगता है कि इसके सुचारु कार्यकरण में कहीं कोई गिरावट आ जायेगी। मेरा ऐसा अनुभव करने का कारण यह है कि छोटे-छोटे निर्णय भी दिल्ली में बैठे-बैठे नौकरशाह लेंगे। यह विधेयक संस्थान के वैज्ञानिकों के विशेषाधिकारों तथा अधिकारों को समाप्त करता है और इन्हें नौकरशाहों को सौंप रहा है। मेरे विचार में यह एक बुरी बात है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे तकनीकी कारणों को महत्व न दें और उन खण्डों का संशोधन करें जिनके अन्तर्गत नौकरशाह, वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों पर प्रभुत्व रख रहे हैं।

इस विधेयक को स्वास्थ्य के बजाय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत लाने के लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं क्योंकि अनुसंधान अधिक महत्वपूर्ण है। यह संस्थान मुख्यत: बायो-मैडिकल विधान और प्रौद्योगिकी के अनुसंधान के लिए है। लेकिन विज्ञान, प्रौद्योगिकी और विशेषकर अनुसंधान की क्या दशा है? राष्ट्र को इसे विशेष महत्व देना चाहिए। मैं कहूंगा कि हमारे देश में हर जगह वैज्ञानिक, विशेषज्ञ और अनुसंधान विद्वान् को पूरे अधिकार नहीं मिल रहे और उन्हें दूसरे दर्जे पर रखा जाता है और सदैव नौकरशाह निर्णय लेते हैं।

मैं समझता हूं कि इस तरह की स्थिति बनाए रखने को हम सहन नहीं कर सकते। हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ही सम्बन्ध में अपनी नीति को बदलना है। वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों और अनुसंधान कर्ताओं को इस देश में अधिक स्वतन्त्रता होनी चाहिये। उसमें हमारे देश की प्रगति में बहुत बड़ा कार्य होगा।

चिकित्सा और अन्य विज्ञानों के क्षेत्र में हमारे बहुत से विशेषज्ञ, जो कि अपने-अपने क्षेत्रों में प्रतिभाशाली हैं। विदेशों में कार्य कर रहे है। हमारे अधिकांश वैज्ञानिक विभाग द्वारा लाया गया है। मैं उनसे इस बात की जांच करने का निवेदन करूंगा कि ऐसा क्यों विदेशों में कार्य कर रहे हैं। हमारे अधिकांश वैज्ञानिक विदेशों में कार्य कर रहे हैं। चूंकि यह विधेयक विज्ञान और प्रौद्योगिकी हो रहा है। हमें इन वैज्ञानिकों को अपने देश में वापस लाने के लिए प्रयास करने चाहिये। हमें पहले यह बात समझनी चाहिए कि वे बाहर क्यों गये। स्पष्टत: इसके दो कारण हैं। इनमें एक आर्थिक कारण हो सकता है। परन्तु दूसरा कारण है—भारत में वैज्ञानिकों पर नौकरशाही का नियन्त्रण। इसको बदला जाना चाहिये। इस मामले में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिये। अपने वैज्ञानिकों को अपने देश में वापस बुलाने और उन्हें यहां हमारी सेवा करने में समर्थ बनाने

के प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। आखिरकार वे भी राष्ट्रीय विचार धारा के देशभक्त लोग हैं। उन्हें यहाँ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

हमारे अपने देश में कार्य कर रहे वैज्ञानिकों की दुर्दशा के बारे में क्या कहा जाए ? हाल ही में, एक समाचार पत्र में मैंने पढ़ा और उसकी कतरन भी मेरे पास है जिसमें बताया गया है कि भारत में वैज्ञानिक आत्महत्या कर रहे हैं। हाल ही में ऐसी घटना केरल में हुई। ऐसा केवल भारत में ही हो रहा है। अब समय आ गया है कि हम इस बात की जांच करें कि यह केवल हमारे देश में ही क्यों हो रहा है।

मुझे केवल इस बात का भय है कि जब यह विधेयक पारित हो जाता है और श्री चित्र तिरुनल आयुर्विज्ञान संस्थान को राष्ट्रीय संस्थान का स्तर प्रदान कर दिया जाता है तो वहाँ काम कर रहे अनुसंधानकर्ता और वैज्ञानिक निर्णय करने की अपनी स्वतंत्रता खो बैठेंगे। यदि निर्णय लेने के उसके अधिकार को नौकरशाहों द्वारा समाप्त कर दिया जाता है तो इस विधेयक से कोई मकसद हल नहीं होगा। इस विधेयक में तमाम खण्ड हैं जिनके तहत नौकरशाहों को अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं और वैज्ञानिकों को नौकरशाही के नीचे लाये जाने का प्रयास किया गया है। मैं मंत्री महोदय से इन खण्डों को बदलने का निवेदन करूंगा।

जहां तक सदस्यों की संख्या का सम्बन्ध है, मैं यहाँ सुझाव दूंगा कि सरकारी अधिकारियों की अथवा नौकरशाहों की संख्या कम की जानी चाहिये और इसके साथ ही, अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य कर रहे विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिये। इसमें सदस्यों की कुल संख्या को कम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें ऐसे अनेक विषय है जिनको विस्तृत किया जाना है मैं इस विचार से भी सहमत नहीं हूँ कि इसमें संसद सदस्यों की संख्या कम की जाये। यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि आखिरकार वे जनता के प्रतिनिधि हैं। इसलिये, वह उनको प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये। परन्तु नौकरशाहों की संख्या निश्चित तौर पर कम की जानी चाहिए।

यद्यपि यह भी देरी से लाया गया है। मैं मंत्री महोदय से इस बात का अनुरोध करूंगा कि वे मेरे सुझावों की जांच करें और विधेयक के खण्डों में आवश्यक फेर-बदल करें ताकि संस्थान का स्वायत्त स्वरूप बना रहे। यदि यह विधेयक अपने वर्तमान रूप में ही पारित हो जाता है तो मुझे इस बात का डर है कि इस संस्थान का स्तर कम हो जायेगा और यह सरकारी अस्पताल अथवा सरकारी संस्थान बनकर रह जायेगा। मैं सरकारी संस्थानों को दोष नहीं दे रहा हूं। उनके अपने गुण-अवगुण होते हैं। परन्तु सरकारी नियन्त्रण में स्वतंत्र अनुसंधान कार्य नहीं किया जा सकता। आप एक वैज्ञानिक से एक खास तरीके से अनुसंधान करने के लिये नहीं कह सकते। वह सम्भव नहीं है। इसलिए, यह संस्थान वास्तविक रूप में स्वायत्त होना चाहिये।

इसलिए, मैं इस विधेयक को लाने की अच्छी मंशा के लिए सरकार को बधाई एवं धन्यवाद देने के साथ ही उनसे इस बात का अनुरोध करूंगा कि वे इसमें थोड़ा फेर-बदल करें ताकि अपने कार्य संचालन में संस्थान स्वायत्त बना रहे। केवल इसकी वित्तीय स्वीकृति ही यहां से ली जानी चाहिए। उस परिप्रेक्ष्य में इस विधेयक में थोड़ा परिवर्तन किया जाना चाहिए।

अन्त में, मैं एक बार फिर मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इस देश में उन वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की दुर्दशा पर विचार करें जो अत्याधिक कुंठित एवं निराश हैं। मुझे आशा है, मंत्री महोदय उस पहलू की ओर उचित ध्यान देंगे।

श्री के. ए. राजन (त्रिचूर) : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं यह कहूंगा कि मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ। केरल की सरकार और केरल की जनता इसके अधिनियमन की प्रतीक्षा कर रही थी। परन्तु दुर्भाग्यवश, यद्यपि यह विधेयक 1979 में लाया गया था। परन्तु अनेक कारणों से इसका अधिनियमन नहीं किया जा सका। पहले "श्री चित्र टिरयूनल मैडिकल सेंटर सोसायटी फार एडवांसड स्टडीज इन स्पेशलीटिज" के नाम से जाना जाने वाला यह संस्थान धर्मार्थ समितियां अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया था। इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों के कथन से यह स्पष्ट है कि यह चिकित्सा केन्द्र केरल के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तत्वाधान में शुरू किया गया था। इन सब संस्थानों में श्री चित्रा टिरयूनल मैडीकल सेंटर ने उन्मत विषय (एडवांसड स्पेशलिटीज) के लिए एक अस्पताल तैयार करके तथा उन्हें कमजोर वर्गों के लिए तुरन्त उपलब्ध कराने के लिये विशेषकर एक अच्छा कीर्तमान स्थापित किया है। इसलिए इस अधिनियम का समर्थन करते समय तथा इस पर विचार करते समय केरल सरकार इस बात की ओर अत्यन्त सजग थी कि यह संस्थान एक छोटे राज्य तक ही सीमित संस्थान नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके विकास की व्यापक समावनाएं हैं, क्योंकि यह एक साधारण अस्पताल ही नहीं है अपितू यह एक अनुसंधानोन्मुखी केन्द्र है जो आम जनता की सेवा करेगा और यह उन्नत चिकित्सा अध्ययन प्रदान कर सकेगा। यही कारण है कि केरल सरकार इस अधिनियमन के लिये मांग कर रही है।

महोदय, इस चर्चा में इस स्वायत्तशासी निकाय की विशेष कार्य संचालन के सम्बन्ध में मेरे साथियों द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता में मैं शरीक होना चाहूंगा। मेरे साथियों ने पहले ही अपने अनुभवों के माध्यम से यह बात व्यक्त कर दी है कि इस तरह के स्वायत्तशासी निकाय समुचित रूप से कार्य न कर सकेंगे, वे समुचित निर्णय नहीं ले सकते और समुचित निर्देश नहीं दे सकते क्योंकि नौकरशाही का ढांचा इस तरह के स्वायत्तशासी निकायों को नियंत्रित करता है। इसलिए, इन सब बातों का रामबाण नियमों एवं निर्देशों को बनाये जाने में निहित है। इस बात की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह वैज्ञानिकों एवं प्रोद्योगिकीविदों का एक निकाय है। और ये वैज्ञानिक तथा प्रोद्योगिकीविद इस तरह के एक संस्थान को नौकरशाही के इस तरह संचालित किये जाने से संवेदनशील हैं। इसलिये इस निकाय को अपने कार्य संचालन में पर्याप्त स्वायत्तता होनी चाहिए। मैं इस विधेयक के सम्बन्ध में इस मुद्दे पर जोर देना चाहूंगा।

इस निकाय के गठन और इसमें प्रतिनिधित्व वाले सदस्यों की संख्या के सम्बन्ध में जैसा मैं समझता हूं यह संख्या 23 है। अब उस निकाय मे सदस्यों की संख्या 23 होने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि यह उस एक वैज्ञानिक और प्रोद्योगिकी संस्थान का प्रतिनिधित्व करती है जिसे अनुसंधान करने हैं और जिसे इस क्षेत्र में विभिन्न सक्षम लोगों से काम लेना है। परन्तु यहाँ, खण्ड 5 (इ) के अन्तर्गत बताया गया प्रतिनिधित्व है।

"दो सदस्य केरल राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किये जाएँ।"

महोदय, अधिनियम के अनुसार इस संस्थान को 23 प्रतिनिधि पहले ही मिल गए हैं। मेरा विनम्र निवेदन यह है कि इस निकाय में प्रतिनिधित्व करने के लिये केरल सरकार की ओर से ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

शासी निकाय के सम्बन्ध में, जो कि इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित की गई है,

सदस्यों की संख्या विशेष के बारे में शर्त नहीं लगाई गई है । परन्तु मेरा नम्रनिवेदन यह है कि जब तक आप विशिष्ट संख्या नहीं बताते—एक शासी निकाय के रूप में इसे समय के भीतर अपने कार्यों को पूरा करना है – इससे और ज्यादा कठिनाई पैदा हो सकती है ।

इस निकाय में प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में मैं एक और पहलू पर जोर देना चाहूंगा । पूर्ववर्ती संस्थान—श्री चित्र टिरयूनल मैडीकल सेंटर सोसायटी, जो केरल सोसायटीज एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत है, उसके शासी निकाय में कर्मचारियों में से प्रतिनिधित्व दिया गया था । परन्तु मैं देख रहा हूं कि यहां कर्मचारियों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है ।

इस तरह के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संस्थान में जब तक आप उन लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं देते, जो वास्तव में सारा कार्य कर रहे हैं, तो संस्थान के सामान्य कार्यों को पूरा करने में भी अत्यधिक कठिनाइयां होंगी । इसलिये वहां इनका आवश्यक प्रतिनिधित्व होना चाहिए ।

जब तक उन लोगों के, जोकि पहले से ही इस संस्थान में कार्य कर रहे हैं, अधिकारों के संरक्षण से सम्बद्ध दूसरे खण्ड का सम्बन्ध है । मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि यह खण्ड वर्तमान कर्मचारियों की सेवाओं के स्थानानतरण आदि के सम्बन्ध में उनके अधिकारों की रक्षा करता है । अनुच्छेद 28 में इस सम्बन्ध में विचार किया गया है ।

मैं एक बार फिर इस निकाय की कार्य-प्रणाली पर जोर देना चाहूंगा । वस्तुत: इस निकाय को एक अखिल भारतीय आधार पर कार्य करना है । इसके पास विकास का विस्तृत क्षेत्र है । से अखिल भारतीय स्वरूप की एक निकाय के रूप में कार्य करना चाहिए । इसे सभी की आवश्यकताओं का प्रबन्ध करना चाहिए । यद्यपि यह संस्थान केरल में स्थित है । इसे सारे देश की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए । विज्ञान में समुन्नत प्रोद्योगिकी से यह सारे राष्ट्र को लाभ पहुँचाएगा । समस्त शुभ गंतव्यों के साथ इस अधिनियम को लाने से मकसद पूरा हो जाएगा ।

जहां तक नियम एवं विनियम तैयार करने का सम्बन्ध है । आपको सजगतापूर्वक निगरानी रखनी है । यदि कार्य को समुचित रूप से करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं दी जातीं तो क्या उद्देश्य पूरा हो जाएगा, इसमें मुझे संदेह है ।

इन प्रश्नों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ और इसका स्वागत करता हूं ।

श्री ए. नीलालोहिया दसन (त्रिवेन्द्रम) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ क्योंकि एक कहावत है—'न करने से, देर में करना भला ।' जैसा कि दूसरे माननीय सदस्यों ने बताया है, हम एक लम्बे अरसे से इसकी प्रतीक्षा करते रहे हैं । जो भी हो, भले ही देर से ही सही, यह विधेयक पेशकर सरकार ने हमारी ओर काफी उदारता प्रदर्शित की है । इसलिए, इसके लिए मैं सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं ।

श्री अराकल ने इस विधेयक के सम्बन्ध में दिए गये अपने भाषण में इसका सारा श्रेय श्रीमती इन्दिरा गांधी को दिया है । इस विधेयक के, जोकि इस देश की विज्ञान और प्रोद्योगिकी पर अपना प्रभाव डालने जा रहा है, महत्व पर विचार करते समय मुझे यह बताने में दुःख हो रहा है प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जोकि विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी मंत्रालय की सम्पूर्ण कार्य

प्रभारी हैं, उनकी अपनी व्यस्तताएँ हो सकती हैं परन्तु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य-मंत्री भी उपस्थित नहीं हैं और उन्होंने विधेयक पुनःस्थापित करने की अपनी शक्तियां किसी दूसरे व्यक्ति को प्रस्त कर दी हैं। वह व्यक्ति भी कुछ समय तक अनुपस्थित रहे हैं। वह सदन से बाहर चले गये हैं। मैं नहीं जानता कि उन्हें क्या हुआ। इस तरह के एक विधेयक को यह सरकार इस तरह का महत्व दे रही है।

श्री अराकल ने यह भी बताया है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में श्रीमती इंदिरा-गांधी पण्डित जवाहरलाल नेहरू के पद-चिन्हों पर चल रही हैं। परन्तु मैं एक सवाल पूछूंगा—पण्डित जवाहरलाल नेहरू के बाद उत्तरवर्ती सरकारों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या कार्य किया है? इसमें कुछ भी काम नहीं किया गया है।

श्री जेवियर अराकल : आप उन्हीं (श्रीमती गांधी) के बूते पर ही निर्वाचित हुए थे।

श्री ए. नीलालोहिया बसन : मैं राजनीति में अपने स्वयं के आधार पर निर्वाचित हुआ हूं। मैं आपकी तरह नहीं हूँ। मैं किसी अन्य व्यक्तियों को श्रेय नहीं देना चाहता। जैसे कि कुछ सदस्यों ने कहा, इस संस्थान ने केरल में विशेष विषयों में गहन अध्ययन केन्द्र के रूप में काम करना शुरू किया। उस समय श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधानमंत्री के रूप में सत्ता में थी। उस समय भी कार्यरत वैज्ञानिकों के त्याग और कर्तव्यनिष्ठा से इस सस्थान ने राष्ट्रीय महत्व ग्रहण कर लिया लेकिन श्रीमती गांधी तथा उनकी सरकार ने इसे एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने में कोई रुचि नहीं ली। जैसे कि आप सब जानते हैं आपात्तकाल के दौरान 1975 से 1977 तक श्रीमती गांधी के पास असीमित शक्तियाँ थीं, उस संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का सस्थान घोषित करने के लिये उन्होंने अपनी असीमित शक्तियों का उपयोग नहीं किया। श्री अराकल ने जो श्रेय श्रीमती गांधी को दिया उसका यही रहस्य है और उन्होंने इसके लिए बड़ी प्रशंसा की है। जैसे कि श्री पाटिल ने कहा, सरकार के पास 1979 में विधेयक को पुर.स्थापित का प्रस्ताव था इस संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने का निर्णय जनता शासन-काल में ले लिया गया था विधेयक राज्यसभा में पुर.स्थापित किया गया तथा पास भी किया गया। लोकसभा भंग हुई। केरल के लोग, केरल सरकार और हम केरल के ससद सदस्य आशा रख रहे थे कि नई लोक सभा के पहले सत्र में ही इस विधेयक को लाया जायेगा। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने विधेयक को तैयार करने तथा इसे साथ में पेश करने लिए 11 महीने का समय लिया।

सत्तारूढ़ दल के कुछ सदस्यों द्वारा जिन त्रुटियों का निर्देश किया गया उसके बावजूद भी मैं बताना चाहता हूं कि वहाँ कार्यरत वैज्ञानिकों के त्याग तथा कर्तव्यनिष्ठा से यह सस्थान एक राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में काम कर रहा है। संस्थान की विचित्रता ही राष्ट्रीय महत्व के प्रतीक है। लेकिन विधेयक के खंडों के बारे में मुझे भय है कि कहीं संस्थान की स्वयत्तता पर आधार न हो। खण्ड 26 में लिखा गया है :

"यदि इस अधिनियम के अन्तर्गत शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के निभाने के सम्बन्ध में संस्थान तथा केन्द्रीय सरकार के लिए कोई विवाद उत्पन्न हो जाये तो ऐसे मामलों में केन्द्रीय सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।"

मैं केन्द्रीय सरकार के अन्तिम अधिकार देने के विरुद्ध नहीं हूँ लेकिन सामान्यतः हो यह

रहा है, जैसे कि सतारूढ़ दल के सदस्यों ने ही कहा है कि कभी-कभी केन्द्रीय सरकार के निर्णय अनुभाग अधिकारी, अवर सचिव अथवा इसी पदवी के किसी अन्य अधिकारी द्वारा तैयार किये गये नोट पर निर्भर करते हैं जिसके फलस्वरूप निर्णय लेने में विलम्ब हो जाता है।

यह विधेयक पिछले दो वर्षों से निलम्बित पड़ा है जिसके फलस्वरूप संस्थान को चलाने वाले अधिकारयों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि नियम तथा प्रक्रिया बनाने में और अधिक देर न डालें और इस मामले को यथाशीघ्र निपटायें।

जिस दूसरी बात को मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि यह बात पहले ही स्पष्ट की जा चुकी है कि यह संस्थान केरल की राजधानी त्रिवेन्द्रम में है। केरल वह राज्य है जिसकी आजादी के बाद लगभग सभी मामलों में उपेक्षा की गयी है। यदि केरल में कोई राष्ट्रीय महत्व का काम शुरू किया गया है या हो रहा है तो सरकार इस संस्थान में कोई भी दिलचस्पी नहीं लेती। उदाहरणार्थ त्रिवेन्द्रम में एक विक्रम सारामई केन्द्र है जिसे बहुत पहले शुरू किया जा चुका है। लेकिन इसे शुरू किये जाने के बाद उस संस्थान में कोई भी विकास कार्य शुरू नहीं किये और उस क्षेत्र के विकास कार्यों को किसी अन्य स्थानों को हस्तांतारित किया गया। केन्द्रीय सरकार का रवैया हमेशा ऐसा ही रहता है, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, जनता की हो या लोकदल की हो. अतः मैं अनुरोध करूंगा कि कम से कम संस्थान सम्बन्धी इस बात को न दोहरायें क्योंकि जैसे कि श्री रविन्द्र वर्मा ने कहा कि यह एक अद्भूत प्रकार का संस्थान है। चिकित्सा विज्ञान तथा कुछ अन्य बातों से सम्बन्धित दो और भी संस्थान हैं लेकिन इन संस्थानों के अपने कार्य हैं और इस संस्थान का उद्देश्य कुछ अद्भुत और महत्वपूर्ण काम करता है। अतः सरकार को अपना पदायतपूर्ण रवैया त्याग देना चाहिये और इस संस्थान तथा इसको महत्वपूर्ण कार्यों का महत्व देना चाहिये।

इससे सम्बन्धित एक दूसरी बात की भी मैं चर्चा करता हूँ। मैडिकल कालिज त्रिवेन्द्रम के साथ एक कैंसर युनिट भी है जो इस संस्थान के अहाते में चल रहा है और केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन इसे क्षेत्रीय कैंसर संस्थान घोषित करने का प्रस्ताव है क्योंकि अधिनियम के प्रावधानों के अधीन संस्थान विभिन्न डाक्ट के अस्पताल तथा अनुसंधान संस्थान चला सकता है। अतः कैंसर युनिट के क्षेत्रीय कैंसर संस्थान में परिवर्तित करने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है और उसे इससे भी जोड़ा जा सकता है ताकि इसकी गतिविधियों को भी इस बारे में कुछ महत्व मिल सके।

मैं इस बारे में और अधिक न कहते हुये यही कहूंगा कि कम से कम ऐसे अवसरों पर सारी सभा सरकार तथा राष्ट्र को विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से कुछ महत्व देना चाहिये और मैं निवेदन करता हूं कि देश भर में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास हेतु योजना बनानी चाहिये। हमें देखना चाहिये कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासन काल के दौरान और उसके बाद इस क्षेत्र में क्या हुआ। सरकार को इस विधेयक द्वारा कार्यक्रम बनाना चाहिये ताकि जैसे कि मेरे मित्र ने कहा, नौकरी तथा अनुसंधान के लिये विदेश जाने वाले हमारे वैज्ञानिकों की विकट समस्याओं का पता लगाया जाये ताकि उन्हें अपने देश में अपनी योग्यताओं को प्रदर्शित करने का अवसर मिल सके। 1962 के चीनी आक्रमण के बाद हमारी समूची अर्थव्यवस्था, वार्षिक बहुत सहित समूचा

आयोजन हमेशा विदेशोंतथा विदेशी सहायता पर निर्भर रहा है। उस दृष्टिकोण और उस स्थिति से छुटकारा पाना चाहिए और हमें पंचवर्षीय योजना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और वार्षिक योजना सहित सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनना चाहिए। उसके बाद ही हमारे वैज्ञानिकों को राष्ट्रोद्धार के लिए अपनी सेवायें अर्पित करने का अवसर मिलेगा।

श्री बापू साहिब परुलेकर (रत्नागीरी) : उपाध्यक्ष महोदय इस महत्वपूर्ण विधेयक पर मुझे अपने विचार प्रकट करने का जो अवसर दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ, इस बारे में दो रायें नहीं हो सकती कि तकनिकी तथा वैज्ञानिक शिक्षा संस्थानों के राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित किया जाना चाहिये। सरकार की इच्छा सराहनीय हैं। लेकिन इस विधेयक के खण्डों का अध्ययन करने के बाद मैं समझता हूँ कि इस विधेयक का मसौदा ठीक नहीं है और इसमें कई त्रुटियां हैं।

क्या मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस तथ्य की ओर दिला सकता हूँ कि यदि हम संविधान के अनुच्छेद 246 तथा सातवीं अनुसूची की सूची 1 की मद संख्या 64 के अन्तर्गत आते हैं तो संसद तथा हमें इस प्रकार का विधान बनाने का अधिकार है। मैं यह अनुरोध केवल इसी दृष्टिकोण से कर रहा हूं कि कुछ लोग, जो इस विधेयक को पारित नहीं होने देना चाहते, न्यायालय में जाकर इसके पास होने में बाध्य डालना चाहेंगे। सातवीं अनुसूची की सूची की मद संख्या 64 में लिखा गया है :—

"वैज्ञानिक तथा तकनिकी शिक्षा सम्बन्धी संस्थायें"

मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि न तो उद्देश्य और कारणों के विवरण में न ही खंडों में और उनके भाषण में यह कहा गया है कि यह विशेष सस्थान, जिसके लिये आप कानून बना रहे हैं, एक ऐसा संस्थान है जिसके उद्देश्यों का विवरण सातवीं अनुसूची की सूची की मद संख्या 64 में दिया गया है। उदाहरण के लिए यदि आप उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण को देखें तो आपको पता चलेगा कि यह संस्था "1974 में ट्रावनकोरकोचीन लिवरेरी रफेरफईटीज एंड चेरीटेवल रफेरफईटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1955 के अधीन एक स्वायतशासी निकाय के रूप में स्थापित की गयीं। यदि आप खंड 2 देखें जिसमें घोषणा की गयी है कि यह राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। आपने केवल यही लिखा है :—

"जबकि श्री चित्रा तिरुनल मैडिकल सेन्टर रफेमाईती फार एडवांसड स्टडीज इन स्पेशेलटीज त्रिवेन्द्रनम के उद्देश्य"

ऐसी ही बात खंड 3 तथा खंड 4 के शब्दों की है। आपने उनकी व्याख्या कहीं भी नहीं की है यहां तक कि अपने भाषण में भी नहीं कि यह वैज्ञानिक तथा तकनिकी शिक्षा का संस्थान है। मैं इसका उल्लेख जानबूझकर कर रहा हूँ क्योंकि उच्च न्यायालय का निर्णय है कि यदि इस विधेयक के होते हुये इस विशेष खंड के अंश, सातवीं अनुसूची की सूचा 1 के मद 64 तथा संविधान की धारा 246, का यदि कोई पता न लगे तो कानून बनाने सम्बन्धी संसद के सामर्थ्य को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है तथा रोकादेश लिया जा सकता है। अत: हमारी इच्छाओं को विफल किया जा सकता है और इस कानून के पास होने में बाधा डाली जा सकती है। मुझे आशा है कि आपने इस विधेयक पर इस दृष्टि से विचार किया है। यदि नहीं, तो

आपसे अनुरोध है कि आप इस विशेष पहलु पर विचार करें ताकि इस विधेयक के पारित होने के बाद अधिनियम बाधित न किया जा सके।

मैं श्री डागा के विचारों से पूर्णतः सहमत हूँ। क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूँ कि जैसे कि खंड 5 में उल्लेखित है, इस परिषद के 22 सदस्यों में से 17 सदस्यों को केन्द्र क्यों मनोनीत करे ?

मैं दूसरा प्रश्न यह पूछना चाहूँगा : जब संस्था केरल में है तो आप 22 में से केवल 3 को ही क्यों प्रतिनिधित्व दे रहे हैं ? शेष सभी देश के अन्य भागों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं मंत्री महोदय का ध्यान खंड (घ) और (ङ) की ओर दिलाता हूं। राज्य सरकार के मामले में जब आप योजना मंत्रालय को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं तो आप केन्द्रीय सरकार के मामले में योजना मंत्रालय को क्यों प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे; आप केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत शिक्षा तथा वित्त मंत्रालय को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं लेकिन आप केरल सरकार के मामले में प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे।

यदि आप खड (घ) तथा (ङ) पढ़ें तो आपको स्थिति स्पष्ट होगी। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस सभा को यह स्पष्टीकरण दें कि अपने इस विशेष परिषद में प्रतिनिधित्व के लिये योजना आयोग को बाहर क्यों रखा है। स्पष्टीकरण जरूरी है क्योंकि योजना इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सामाजिक वैज्ञानिकों से आपका क्या तात्पर्य है। मैं "वैज्ञानिक" शब्द समझा सकता हूँ। क्या वह एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह हैं ? अतः हमारे लिये यह जानना बहुत जरूरी है कि सामाजिक वैज्ञानिक से आपका क्या तात्पर्य है ? क्या आपकी नजर में 22 सदस्य में से कोई एक व्यक्ति है ? श्री डागा भी यही कहते हैं। यदि आप खंड 10 तथा उपखंड (5) को देखें तो एक दिलचस्प कानूनी स्थिति सामने आती है। आप कहते हैं :—

नियमों द्वारा निर्धारित नियंत्रण तथा प्रतिबन्धों के होते हुये संस्थान इतनी स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां गठित करेगा···

यह क्या है ? आपके पास परिषद है, आपके पास शासी निकाय है, आपके पास स्थायी समिति है और आपके पास तदर्थ समितियाँ हैं। अगले खंड में कहा गया है कि बैठके दिल्ली में होंगी दिल्ली आने वाले सभी व्यक्तियों के भत्ते मिलेंगे। श्री डागा ने शासी निकाय का जिक्र किया है, जिसके सदस्यों के 25000 रुपये का भत्ता मिलेगा। यदि आप इस विशेष निकाय के भत्ते पर विचार करें तो आपको ज्ञात होगा कि इसकी राशि लाखों रुपये तक पहुँच जायेगी। आप कहते हैं कि आप समूचे राष्ट्र पर 75 लाख रुपये खर्च कर रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से यह स्पष्टीकरण करने का अनुरोध करता हू कि आपके कहने का क्या तात्पर्य है कि स्थायी समितियाँ उतनी ही होंगी जितनी तदर्थ समितियाँ होंगी। इस विशेष संस्था की देखभाल के लिये कुल कितनी समितियाँ होंगी मुझे आशा है कि इसकी संख्या 100 से कम होंगी। मंत्री महोदय आप बतायें कि कुल कितनी समितियां हैं। फिर आपने खंड (7) में कहा है। "संस्थान में एक अध्यक्ष होगा जिसे केन्द्रीय सरकार संदस्यों में से निर्देशक को छोड़कर, मनोनीत करेगा।"

इस संस्थान में तकनीकी और वैज्ञानिक प्रशिक्षण दिया जाता है। क्या आप चाहते हैं कि कोई संसद सदस्य इसका चेयरमैन बने ? उसमें आपने केवल निदेशक को ही विमुक्त रखा है।

इस अधिनियम के अधीन आप वह शक्ति प्रदान कर रहे हैं कि कुलपति जोकि गैर-तकनीकी व्यक्ति होता है और जो विज्ञान में कोरा होता है और संसद सदस्य जोकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनभिज्ञ हो, उसे चेयरमैन का पद दिया जा सकता है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस स्थिति-विशेष पर फिर से विचार करें। जहां तक ऐसे संस्थानों का सम्बन्ध है, तकनीकी अध्यक्षों को वैज्ञानिकों, समाज-शास्त्रियों तथा अन्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन करना चाहिए।

मैं एक और अधिक महत्वपूर्ण बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आपने कहा है कि जहां तक धन का सम्बन्ध है, खण्ड 13(j) के अधीन, इस संस्थान को सरकारों से अनुदान, व्यक्तियों से दान आदि प्राप्त करने का अधिकार होगा। क्या आप इस संस्थान को प्रति व्यक्ति-शुल्क (केपीटेशन की) स्वीकार करने की भी अनुमति दे रहे हैं, क्योंकि आप स्नातकोत्तर प्रशिक्षण देने जा रहे हैं ? जो कुछ इस देश में हो रहा है वह हम देख रहे हैं। क्योंकि प्रति व्यक्ति-शुल्क का प्रावधान किया गया है इससे बहुत से योग्य एवं सराहनीय छात्रों को आयुर्विज्ञान महा-विद्यालयों में प्रवेश ही नहीं मिल रहा है। अब हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर शिक्षा पर विचार कर रहे हैं। अतः खण्ड 13(1) के अधीन मेरा विनम्र निवेदन है कि अपवादस्वरूप इस संस्थान को प्रतिव्यक्ति शुल्क एकत्र करने की अनुमति न दी जाए।

फिर, मेरे से पूर्व बोलने वाले मेरे माननीय मित्र ने खण्ड 16 के सम्बन्ध में कुछ उल्लेख किया था। अर्थात् सस्थान और सरकार के मध्य विवाद के समय, निर्णय केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जायेगा। और वह अन्तिम निर्णय होगा। भगवान् का शुक्र है कि 'निर्णायक' शब्द का प्रयोग भी उन्होंने नहीं किया। मुझे केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कुछ नहीं कहना है, केन्द्रीय सरकार से मेरा कोई बैर-नस्य नहीं है। परन्तु जब केन्द्रीय सरकार विवाद में एक पक्षवार हो तो यह कैसे हो सकता है कि आप विवाद में एक पक्ष को विधिजन्य रूप से अन्तिम एवं निर्णायक निर्णय देने का प्राधिकार दे रहे हैं · यह तो मौलिक सिद्धान्तों के समस्त नियमों के विरुद्ध है। मुझे विश्वास है कि श्री शिवराज जी मेरे कथन से सहमत होंगे। यह तो नैसर्गिक-न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध है।

महोदय, श्री डागा तथा अन्य लोगों का यह कहना गलत है कि नियम बनाने का अधिकार नौकरशाही के हाथों सौंप दिया गया है। मेरे विचार से यह शक्ति नौकरशाही के हाथों में नहीं दी गई है। वह अधिकार तो संसद को दिया गया है क्योंकि नियम और उप-नियम तो संसद के पास भेजे जाते हैं। परन्तु मेरा यह कहना है कि यदि नियम एवं विनियम बनाने का यह अधिकार संसद को दे दिया जाए तो नियमों तथा उप-नियमों में संशोधन करने का अधिकार भी संसद को दिया जाना चाहिए अन्यथा यह निरर्थक होगा। अतः "प्रत्येक नियम या परवर्ती नियमों में किया जाने वाला प्रत्येक संशोधन संसद में प्रस्तुत किया जायेगा।" इन शब्दों को इसके साथ जोड़ना आवश्यक होगा।

अतः मैं निवेदन करता हूं कि मेरे द्वारा किये गए अनुरोधों और उठाए गए मुद्दों पर विचार करते समय इस बात पर भी विचार करें कि क्या विधेयक का पुनःप्रारूपण आवश्यक है जिससे कि कोई व्यक्ति अदालत में जाने और इस विधेयक-विशेष में बाधा डालने का अवसर प्राप्त न कर सके।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री शिवराज वी० पाटिल : महोदय, माननीय सदस्य ने कुछ मुद्दे उठाए हैं और सभी

बातों का अलग-अलग उत्तर देना कठिन है। अतः मैं उठाए गये सभी मुद्दों का उत्तर समवेतरूप देने का प्रयत्न करूंगा।

महोदय, सबसे पहले मैं उन सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया। लगभग सभी सदस्यों ने विधेयक का स्वागत किया है और उस सीमा तक मेरा काम कुछ हल्का हुआ है।

महोदय, एक मुद्दा संस्थान के गठन के बारे में में उठाया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : पाटिल महोदय आप कितना समय लेंगे ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : महोदय, मैं पांच-सात मिनट लूंगा,

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : महोदय, मेरा यह सुझाव है कि सदन का समय कुछ मिनट और बढ़ा दिया जाए जिससे कि विधेयक पारित किया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो गैर-विवादास्पद विधेयक हैं। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य छः बजे के बाद कुछ मिनट और बैठने के लिए सहमत हैं जिससे कि विधेयक को पारित किया जा सके।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां,..... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो गैर-विवादस्पद विधेयक है। सच तो यह है कि इस विधेयक के लिए प्रत्येक सदस्य ने सरकार को मुबारकबाद दी है। हम इसे पूरा कर सकते हैं।

श्री शिवराज वी. पाटिल : विधेयक के सम्बद्ध खण्ड को पढ़ने से गठन का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। उस पर दृष्टिपात करने के उपरान्त आप इसी निष्कर्ष पर पहुचेगें कि संस्थान के गठन में विज्ञानिकों की सख्या अधिक है। इसमें उप-कुलपति तथा स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक को स्थान दिया गया है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों को भी इसमें प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। इसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, वित्त तथा शिक्षा मंत्रालय को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। इसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य वित्त तथा शिक्षा मन्त्रालय को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है।इसी प्रकार खण्ड 3 को देखने से पता चलेगा कि राज्य सरकार के योजना, विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा स्वास्थ्य विभाग को भी प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। इस सन्दर्भ में मैं माननीय सदस्यों को यह स्पष्ट कर रहा हूँ कि केरल राज्य में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी योजना विभाग के अन्तर्गत आते हैं। इसलिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को इसमें सम्मिलित करना आवश्यक नहीं है। अतः संस्थान का गठन इस ढंग से किया गया है जिससे कि शिक्षा तथा अनुसंधान सम्बन्धी अन्य गतिविधियां सुचारु रूप से चलाई जा सके जिनके परिणाम स्वरूप हमारा देश आत्म-निर्भर हो सके। इसलिए मैं समझता हूं कि संस्थान के गठन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति करना उचित नहीं होगा क्योंकि गठन का आधार व्यापक बना दिया गया है तथा उसके लिए विधेयक में उपयुक्त व्यवस्था कर दी गई है।

दूसरी आपत्ति नियमों तथा विनियमों के सम्बन्ध में है। मैंने श्री डागा के भाषण को बहुत ध्यानपूर्वक सुना है। मैं समझता हूँ कि वह प्रत्यायोजित विधान के सम्बन्ध में अधिक कुछ कह रहे थे। सदन में अन्य अनेक सदस्यों ने भी इसी का उल्लेख करते हुये कहा कि अभी केन्द्रीय सरकार द्वारा अनेक नियम तथा विनियम बनाये जाने शेष है और अभी उनकी संख्या काफी

अधिक है। विधेयक के खण्ड 37 तथा 32 को पढ़ने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यह नियम संस्थान की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से सम्बन्ध है। आम गतिविधियों तथा हर छोटे से कार्य के लिए नियम बना पाना सम्भव नहीं है। आज के समाज में दिन प्रति दिन की प्रत्येक गतिविधियों के लिए नियम बना पाना बहुत कठिन है। यही कारण है कि आज समाज में सभी नियम जहां विधान-सभाओं में बनाये जाते हैं वहां नियम बनाने की शक्ति का प्रत्यायोजन सरकार को कर दिया जाता है। इससे सम्बद्ध सुरक्षा का प्रावधान कर दिया गया है। जैसा कि श्री पारुलेकर द्वारा उल्लेख किया गया है खण्ड 33 बहुत विशिष्ट है। खण्ड 33 में यह प्रावधान है कि जब कभी भी इस प्रकार का कोई नियम या विनियम बनाया जायेगा, उसे सदन के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। अतः इस प्रकार से संसद की शक्ति को सुरक्षित कर दिया गया है और इस प्रकार से केन्द्रीय सरकार को इसके बारे में नियम या विनियम बनाने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी और न ही इस सम्बन्ध में नौकरशाहा काइ बाधा उत्पन्न कर सकेगी।

इसके उपरान्त तीसरी बात वैज्ञानिकों के बारे में कही गई थी। यह कहा गया था कि केन्द्रीय सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिये जिससे कि हमारे वैज्ञानिक देश से बाहर न जाकर भारत में ही रहने लगे तथा यही काम करके देश की सहायता करते रहे। मुझे सदन में यह घोषणा करते हुये काफी प्रसन्नता हो रही है कि इस संस्थान के निदेशक संयुक्तराज्य अमेरिका से आ ये हैं और वह यही काम करेंगे। इस संस्थान में शिक्षा तथा अनुसंधान के लिए व्यवस्था है।

श्री ए. नीलालोहियादसन : वह भारत से केरल राज्य के हो नागरिक हैं।

श्री शिवराज वी. पाटिल : यह सस्थान देश के बाहर के वैज्ञानिकों को यहां लाने में सहायक सिद्ध हो रहा है। सदन में चौथा प्रश्न संस्थान की स्वायत्ता के बारे में उठाया गया है। हमने इस सम्बन्ध में नियम तथा विनिमय बनाने की शक्ति केन्द्रीय सरकार को दे रखी है। नियम तथा विनिमय इस ढग से बनाये जायेंगे जिससे कि संस्थान के स्वयतत्ता की सुरक्षा सही ढंग से की जा सके। वह नियम तथा विनियम इस सदन तथा दूसरे सदन के समक्ष रखे जायेंगे और फिर इससे यह स्पष्ट हो जायेगा कि स्वायतत्ता को बनाये रखा गया है या नहीं। ऐसा कहा गया है कि इन नियमों तथा विनियमों को बनाने तथा उन्हें सदन के समक्ष प्रस्तुत करने में सरकार को कई वर्ष लग जायेंगे। ऐसी स्थिति नहीं है। इस सम्बन्ध में नियमों का मसौदा तैयार किया जा चुका है और इस विधेयक के पारित हो जाने के शीघ्र बाद वह नियम इस सदन तथा दूसरे सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दिये जायेंगे। हमें इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की आशका नहीं करनी चाहिये।

इसके बाद यह प्रश्न भी उठाया गया था कि आयोजन तथा फिर सामाजिक वैज्ञानिकों आदि की परिभाषा क्यों नहीं दी गई। मैं समझता हूं कि वह परिभाषा देना अब मेरे लिए अनिवार्य है··· (व्यवधान) समाजिक वैज्ञानिक ऐसा व्यक्ति होता : जो इस बात का अध्ययन करता है कि समाजिक गतिविधियां किस प्रकार चलाई जाती है। ऐसा व्यक्ति जो योजना स सम्बद्ध होता है···

उपाध्यक्ष महोदय : मानव स्वयं भी तो एक समाजिक राजनीतिक प्राणी है।

श्री शिवराज वी. पाटील : हम भौतिक तथा सामाजिक वैज्ञानिक के बीच किसी प्रकार की रेखा नहीं खींच सकते ।

प्रो. पी. जे. कुरियन (मवेलीकारा) : आपके अनुसार तो किसी भी व्यक्ति को वहां भेजा जा सकता है । यह लक्षण तो बहुत व्यापक है यह कुछ प्रतिबंधक होना चाहिये ।

श्री शिवराज वी. पाटिल : मौलिक वैज्ञानिकों तथा सामाजिक वैज्ञानिकों को जोड़ने के लिए इस प्रकार की सावधानी ली गई है । मैं समझता हूं कि अधिनियम में किये गये प्रावधान पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये । विज्ञान जहां हमारे लिए वरदान सिद्ध हुआ है । वहां यह कुछ कठिनाईयां भी उत्पन्न कर रहा है । यह सुनिश्चित करने के लिए कि विज्ञान हमारे लिए अधिक कठिनाईयां उत्पन्न न करे यदि हम उपलब्ध सामाजिक व्यवस्था तथा अन्य महत्वपूर्ण पहलूओं को दृष्टिगत रखे तथा इन दोनों को मिला दें, तो फिर निश्चय ही विज्ञान अधिक लाभकारी तथा कारगर सिद्ध होगा और इसीलिए सामाजिक वैज्ञानिक को शामिल किया गया है । मैं समझता हूं कि श्री पारुलेकर इस सम्बन्ध में मेरे से किसी अन्य जानकारी या लक्षण की अपेक्षा नहीं करते ।

इसके पश्चात माननीय सदस्य ने बनाई जाने वाली समितियों के बारे में पूछा । यह ठीक है हमारे यहां शासी निकाय है संस्थान का गठन है और अन्य समितियां है । वह चाहते हैं कि जहां तहां उनकी संख्या दी जाये । जब नियम बनाये जायेंगे तो वह सदन के समक्ष प्रस्तुत किये जायेगें और उन पर चर्चा की जायेगी । हर बात को विधेयक में जोड़ देना तो सम्भव: नही है हम इस संस्थान को अधिक स्वतन्त्रता प्रदान करना चाहते हैं । हम यहचाहते हैं कि मद संस्थान लेकर संस्थान ही जहां कार्य हो, जहां अन्य गतिविधियों के लिये उपयुक्त व्यवस्था हो और यह सब कुछ कानून में ही जोड़ कर प्राप्त नहीं किया जा सकता । इसीलिए प्रत्यायोजित विधान का प्रावधान किया जाता है और इसी कारण से ही इसका उल्लेख विधेयक में नहीं किया गया है । इसका उल्लेख नियमों में किया जायेगा । मैं समझता हूं कि मैंने लगभग सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दे दिया है ।

एक माननीय सदस्य : कैपिटेशन फीस के बारे क्या किया गया है ?

श्री शिवराज वी. पाटिल : क्या आपको मालूम है कि इसके बारे में सरकार की क्या नीति है ? आपने जो कुछ भी सदन में कहा है, सरकार द्वारा निश्चय ही उस पर ध्यान दिया जायेगा । इस सम्बन्ध में और कुछ कहना मेरे लिए आवश्यक नहीं रह जाता और नहीं मैं उन प्रश्नों के बारे में कुछ और कहना चाहता हूँ जो कि यहां उठाये गये हैं । जिन संस्थानों द्वारा कैपिटेशन फीस या ऐसी कोई राशि ली जाती है, ऐसे संस्थानों की असहायता करना सरकार की नीति नहीं हैं । यह एक ऐसा संस्थान है जिसे केन्द्रीय सरकार की वित्तीय सहायता से चलाया जायेगा इसलिए इसमें किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस लेने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । अत: इसके बारे में आपके मन में किसी प्रकार की आशंका नहीं होनी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं विचारार्थ प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखता हूं । प्रश्न यह है :

'कि केरल राज्य के श्री चित्रा तिरुनल मैडिकल सेन्टर सोसाइटी फार एडवान्सड स्टडीज

इन स्पेशियलिटीज त्रिवेन्द्रम को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने और उसके निगमन और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ किया जायेगा। खण्ड 2 से 6 तक के लिए कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

'कि खण्ड 2 से 4 विधेयक का अंग बने।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

'खण्ड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिये गये।'

'खण्ड 4 से 33 विधेयक में जोड़ दिये गये।'

खण्ड, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री शिवराज वी. पाटिल : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

'कि विधेयक पारित किया जाये।'

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि विधेयक पारित किया जाये।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

कार्य मंत्रणा समिति

[आठवां प्रतिवेदन

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटा सुब्बय्या) : श्रीमान जी, मैं कार्य मंत्रणा समिति का 8वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 11 बजे पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

मध्याह्न पश्चात् 6.17 बजे

इसके तत्पश्चात लोकसभा मंगलवार 18 नवम्बर, 1980/27 कार्तिक, 1902 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

प्ता प्रिंटिंग वर्क्स 472 पुरानी साईकिल मार्किट दिल्ली-6